लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[सातवाँ सत्र
Seventh Session]

Chamber Fumigated 18|X|23

Preservation Unit
17-7-94
Fumigated
On 4 | 84
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 27 में अंक ... से 40 तक हैं
Vol.XXVII contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/ CONTENTS

अंक—33, गुरुवार, 3 अप्रैल, 1969/ 13 चैत्र, 1891 (शक)

No. 33—Thursday, April 3, 1969/ Chaitra 13, 1891 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
875.	समाचारपत्र प्रचार विभाग	Press Publicity Bureau	1-5
877.	उर्वरकों की आवश्यकता	Requirement of Fertilizers	5
889.	उर्वरकों की आवश्यकताएँ	Requirements of Fertilizers	6-10
878.	चलचित्र सेंसरी समिति	Film Censorship Committee	10-14
880.	गुजरात में भूमिगत जल के संसाधनों का सर्वेक्षण	Servey of Underground Water Sources in Gujarat	14-17
881.	उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में कृषि तथा लघु सिंचाई के क्षेत्र में प्रगति	Progress in the Field of Agriculture and Minor Irrigation in Eastern District in U. P.	17-19

प्रश्नों के लिखित उत्तर WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
871.	अहमदाबाद के निकट भारतीय खाद्य के गोदामों से गेहूँ के बोरों का गुम होना	Disappearance of wheat bags From F.C.I. Godown near Ahmedabad	19

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5163.	बागडोगरा हवाई अड्डे के विस्तार से क्षतिग्रस्त किसानों को सिंचाई की सुविधाएँ	Irrigation Facilities to the Agriculturists Affected by the Extension of Bag-Dogra Airport	40-41
5164.	ग्राम पंचायतों के लिए रेडियो सेट	Radio Sets for Gram Panchayats	41
5165.	उत्तर प्रदेश में डाकियों और हरकारों के लिए वर्दियाँ	Uniforms etc. for Postmen and Halkaras in U.P.	41
5166.	अलमोड़ा जिला (उत्तर प्रदेश) में डाकघर	Post Offices in Almora District (U.P.)	42
5167.	संगीत और नाटक प्रभाग द्वारा खेले गये नाटक	Plays of Song and Drama Division	43
5168.	मंत्रियों के लिए टेलीविजन सेट	T. V. Sets for Ministers	43-44
5169.	दक्षिणी राज्यों में संगीत तथा नाटक प्रभाग द्वारा कला प्रदर्शन	Song and Drama Division shows in Southern States	44
5170.	कवि भारतीदासन के सम्मान में स्मारक डाक टिकट	Commemorative Stamp in Honour of Barathidasan	44-45
5171.	हिन्दी कक्षाओं में अनुपस्थिति के लिए अनुशासनिक कार्यवाही	Disciplinary Action far non-attendance of Hindi classes in P and T Department	45
5172.	तमिल नाडू में सघन कृषि विकास कार्यक्रम	Intensive Agricultural Development Programme in Tamil Nadu	45
5173.	स्कूल के बच्चों को दूध देने के लिए भारत सेवक समाज, नाहन को सहायता	Aid to Bharat Sewak Samaj, Nahan for Supply of Milk to School Children	45-46
5174.	ग्रामीण लोगों को दवाइयाँ सप्लाई करने के लिए भारत सेवक समाज, नाहन को सहायता	Aid to Bharat Sewak Samaj, Nahan for Supply of Medicines to Villagers	46
5175.	भारत सेवक समाज, नाहन द्वारा अध्यापकों को वेतन न दिया जाना	Non-payment of Salaries to Teachers by Bharat Sewak Samaj, Nahan	46
5176.	भुज में स्थानीय टेलीफोन करने का शुल्क	Charges for Local Calls at Bhuj	46-47

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5177.	जंगली गधों की गणना के लिए गुजरात राज्य के लिए विमान	Aeroplanes for Gujarat State for taking Census of Wild Asses	47
5178.	भावनगर में आकाशवाणी का केन्द्र	A.I.R. Station, Bhavnagar	47
5179.	आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र से वार्ता	Talks From A.I.R., Delhi	48
5180.	भारत में और सिनेमाघरों की स्थापना	Establishment of more Cinema Theaters in India	48-49
5181.	विशाखापत्तनम बन्दरगाह में माल-डिब्बों में माल लादने वाले कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Wagon Loading Workers in Visakhapatnam Port	49
5182.	पूर्वी पाकिस्तान के लिए आकाशवाणी से बंगाली में कार्यक्रम	A.I.R. Programme in Bengali for East Pakistan	49-50
5183.	मेरठ में डाक व तार कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का निर्माण	Construction of Residential Quarters for P and T Employees in Meerut	50
5184.	गुजरात में शकरकदी की खेती	Growth of Sweet Patato in Gujarat	50
5185.	गुजरात में भूमि-संरक्षण	Land Conservation in Gujarat	50-51
5186.	उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में फसलों की क्षति	Damage to Crops in Certain Districts of U.P.	51
5187.	प्रपत्रों तथा नियमावलियों का हिन्दी में प्रकाशन	Publication of Forms and Manuals in Hindi	51
5188.	चौथी योजना के अन्तर्गत डेरी विकास कार्यक्रम	Dairy Development Programme under Fourth Plan	51-52
5189.	दिल्ली की हिन्दी टेलीफोन निर्देशिका	Hindi Telephone Directory of Delhi	52
5190.	चीनी मिलें	Sugar Mills	52-53
5191.	कृषि क्षेत्र में सहकारिता का विकास	Development of Co-operative Sector in Agriculture	53
5192.	गुजरात डाक सर्किल के कार्य की जाँच	Inquiry into the Functioning of the Gujarat Postal Circle	53-54
5193.	सामुदायिक विकास खण्डों की जीपों का चुनाव में प्रयोग	Use of Jeeps In C. D. Blocks for Election Proposes	54

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5194.	उत्तर प्रदेश में डाक तथा तार विभाग में हड़ताल	Strikers in P. and T. Department, U.P.	54-55
5195.	विकास खण्डों की जीपों का कथित दुरुपयोग	Alleged Misuse of Jeeps of Development Blocks	55
5196.	शुद्ध घी का उत्पादन	Production of Pure Ghee	55-56
5197.	वर्मा से स्वदेश लौटे भारत मूलक लोगों को कालकाजी कालोनी, नई दिल्ली में दुकानों का आवंटन	Allotment of Shops to Repatriates from Burma in Kalkaji Colony, New Delhi	56
5198.	कालकाजी कालोनी, नई दिल्ली में बर्मा से लौटने वालों के लिए दुकानों के निर्माण के लिए भूमि	Land for Construction of Shops for Repatriates from Burma in Kalkaji Colony, New Delhi	56-57
5199.	कुछ राज्यों की अनाज सम्बन्धी आवश्यकताएँ	Food Requirements of Certain States	57-58
5200.	ग्राम सेवकों की पदोन्नति	Promotion of Grams Sewaks	58
5201.	निर्यात के आँकड़ों में अन्तर	Difference in Export Figures	58-59
5202.	बेरोजगारी इंजीनियरों का पंजीयन	Registration of Unemployed Engineers	59
5203.	चलचित्र निर्माताओं द्वारा धोखाधड़ी	Defrauding by Film Producers	60
5204.	पार्सलों से रेल-डाक सेवा के एक क्लर्क द्वारा जवाहरातों तथा आभूषणों का निकाला जाना	Removal of Jewels and Ornaments by R.M.S. Clerk From Parcels	60
5205.	मंत्रालय में कर्मचारियों के सम्बन्ध में स्थिति	Staff Position in the Ministry	60-61
5206.	बरेली में एक व्यक्ति के पास से ताम्बे का तार पकड़ा जाना	Seizure of Copper Wire at Bareilly	61
5207.	इन्दौर में स्वचालित एक्सचेंज का निर्माण	Construction of Automatic exchange at Indore	61
5208.	दिल्ली में रोजगार दफ्तर द्वारा दिलाया गया रोजगार	Employment Provided through Employment Exchanges in Delhi	61-62
5209.	उत्तर प्रदेश में बकाया टेलीफोन-शुल्क	Telephone Outstanding Revenue in U. P.	62

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5210.	फ्री तिब्बत रेडियो — Free Tibet Radio	62-63
5211.	उत्तर प्रदेश में प्रयोगात्मक नलकूप — Exploratory Tube Wells in U. P.	63
5212.	गारो पहाड़ी क्षेत्र (आसाम) में पूर्व पाकिस्तान के शरणार्थियों का पुनर्वास — Resettlement of East Pakistan Refugees in Garo Hills Areas (Assam)	63-64
5213.	विज्ञापनों के प्रसारण से राजस्व — Revenue from Commercial Broadcasting	64
5215.	बेरोजगार व्यक्ति — Unemployed Persons	64-65
5216.	उड़ीसा में पुरी का बानपुर लोक कार्य क्षेत्र — Grants to Banpur Lok Karya Khetra of Puri in Orissa	65
5217.	उड़ीसा में सहकारी खेती — Co-operative Farming in Orissa	65
5218.	दक्षिण कनारा जिले में सिंचाई परियोजनायें — Irrigation Projects in South Kanara District	66
5219.	समाचार दर्शन केन्द्र — News Reel Stations	66
5220.	पश्चिम बंगाल में चावल की वसूली — Price Procurement in West Bengal	66-67
5221.	पश्चिम बंगाल में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत उद्योग — Industries Covered by the Employees State Insurance Scheme in West Bengal	67-68
5222.	आकाशवाणी में कार्य-क्रम प्रबन्धकों की पदोन्नति — Promotion of Programme Executives in A.I.R.	68
5223.	महाराष्ट्र में चीनी के नए सहकारी कारखाने — New Co-operative Sugar Factories in Maharashtra	68-69
5224.	सिंचित तथा असिंचित भूमि में खेती — Area Sown under Dry and Wet Farming	69-70
5225.	आसाम और पश्चिम बंगाल में पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थी — Fast Pakistan Refugees in Assam and West Bengal	70-71
5226.	चलचित्र वित्त निगम — Film Finance Corporation	71
5227.	चौथी योजना में खाद्य तथा कृषि संगठन की परियोजनायें — F.A.O. Projects in Fourth Plan	71-72
5228.	सहकारिता के आधार पर कार्य — Co-operative Processing	72-73
5229.	नए ट्रांसमीटर — New Transmitters	73

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5230.	डाक तथा तार महानिदेशालय की हिन्दी में अधिसूचनायें	D.G.P. and T. Notification in Hindi	73
5231.	अनाज का रक्षित भंडार	Buffer Stock of Foodgrains	74
5232.	दिल्ली और बीकानेर के बीच डाक सेवा	Postal Services between Delhi and Bikaner	74
5233.	डाक्टर मार्टिन लूथर किंग की स्मृति में जारी डाक-टिकट में त्रुटियाँ	Mistake in Commemorative Stamp on Dr. Martin Luther King	74-75
5234.	केन्द्रीय सूचना सेवा के अधिकारियों की द्वितीय ग्रेड से प्रथम ग्रेड में पदोन्नति	Promotion of C.I.S. Officers From Grade II to Grade I	75
5235.	केरल में मत्स्य पालन उद्योग के विकास के लिए वृहत् योजना	Master Plan for Development of Fisheries in Kerala	75-76
5236	चौथी पंचवर्षीय योजना में छोटी सिंचाई योजना	Minor Irrigation Schemes in the Fourth Five year Plan	76
5237.	दिल्ली में मनोरंजन-कर में वृद्धि	Increase in Entertainment Taxs in Delhi	77
5238.	सितम्बर, 1968 में दिल्ली मुख्य स्टेशन पर रेल-डाक सेवा के थैले नष्ट होना	Destruction of R.M.S. Bag at Delhi Main Station in September, 1968	77
5239.	प्राचीन प्रादेशिक लोक गीत	Ancient Regional Folk Songs	77-78
5240.	दिल्ली दुग्ध योजना	Delhi Milk Scheme	78
5241.	भूमि सुधारों के अन्तर्गत भूमि का स्वामित्व	Ownership of Land under Land Reforms	78-80
5242.	पश्चिम निमाड जिले की नगरपालिकाओं में पत्रों का वितरण	Delivery of Letters in Municipalities of West Nimad	80-81
5243.	महाराष्ट्र के नदीघाटी परियोजना के अपवाह क्षेत्रों में भूमि संरक्षण कार्य	Soil Conservation Works in Catchment Areas of River Valley Projects in Maharashtra	81
5244.	हिन्दी निर्देशिकाओं का वितरण	Distribution of Hindi Directories	81-82

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5245.	समाचार-पत्रों के संवाददाताओं के लिए निःशुल्क टेलीफोन सेवा	Free Telephone Service to Press Correspondents	82
5246.	बम्बई में डाक जलाना	Burning of Mail at Bombay	82
5247.	समाचार-पत्र उद्योगों के लिए वित्त निगम	Finance Corporation for Newspaper Industries	83
5248.	व्यापार सम्बन्धी प्रसारण	Commercial Broadcasts	83
5249.	मध्यावर्ती चुनावो सम्बन्धी प्रसारण	Mid-Term Election Broadcasts	83-84
5250.	अखनूर तहसील मुख्यालय (जम्मू तथा कश्मीर) के सामने शरणार्थी संघर्ष समिति द्वारा धरणा	'Dharna' by Refugees Action Committee at Akhnoor Tehsil Headquarters (J and K)	84-85
5251.	मैसर्स प्योर ड्रिंक्स (नई दिल्ली) प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा दिया गया लाभांश	Bonus Paid by M/S Pure Drinks (N.D.) Pvt. Ltd. New Delhi	85
5252.	कृषि शिक्षा	Agricultural Education	85-86
5253.	समाचार-पत्रों को अखबारी कागज की सप्लाई	Supply of Newsprint to Newspapers	86
5254.	किसानों को ऋण आदि देना	Supply of Credit etc. to Agriculturists	86-87
5255.	केरल में नारियल उत्पादन	Coconut Production in Kerala	87
5256.	समुद्री खाद्य-पदार्थों का उत्पादन और निर्यात	Production of Export of Sea Foods	87-88
5257.	कोयला खानों द्वारा कोयला मजूरी बोर्ड पंचाट को कार्यान्वित किया जाना	Implementation of the Coal Wage Board Award by Collieries	88
5258.	बर्दवान जिला में मैसर्स के० एल० सिलेक्टेड कोल कंसर्न की चलबालपुर कोयला खान का बन्द होना	Closure of Chalbalpur Colliery of M/S K. L. Selected Coal Concern in Burdwan District	89
5259.	डाक तथा तार विभाग में प्रतिनियुक्त केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी	C.P.W.D. Employees on Deputation in P and T Department	89-90

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5260.	डाक तथा तार विभाग के सिविल विंग के कर्मचारियों की वरिष्ठता की सूची	Gradation List of P. and T. Civil Wing Staff	90-91
5261.	डाक तथा तार कर्मचारियों के लिए क्वार्टर	Housing Accommodation to P. and T. Employees	91
5262.	आकाशवाणी के इम्फाल केन्द्र से कार्यक्रमों का प्रसारण	Broadcast of Programmes From A.I.R. Station, Imphal	91
5264.	खेती के औजारों का आयात और निर्माण	Import and Manufacture of Farm Implements	91-92
5265.	मध्य प्रदेश में कृषि परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता	Central Aid for Agricultural Projects in Madhya Pradesh	92
5266.	मध्य प्रदेश में उठाऊ सिंचाई योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता	Central Aid for Lift Irrigation Schemes in Madhya Pradesh	92-93
5267.	कृषि क्षेत्र में क्षेत्रीय असंतुलन	Regional Imbalances in the Field of Agriculture	93
5268.	हड़ताल में भाग लेने वाले डाक तथा तार विभाग के बिहार सर्किल के कर्मचारी	P. and T. Employees of the Bihar Circle who Participated in Strike	93-94
5269.	मध्य प्रदेश की एक समाचार एजेंसी को विदेशी सहायता का प्राप्त किया जाना	Receipt of Foreign Assistance by a News Agency of M.P.	94
5270.	मध्य प्रदेश में चलचित्र उद्योग का विकास	Development of Film Industry in M.P.	94
5271.	तामिलनाडु में गहरे समुद्र में मछली पकड़ना	Deep Sea Fishing in Tamil Nadu	95
5272.	बमनवास (भरतपुर डिवीजन) में डाकघर के लिए इमारत	Accommodation for Post Office Bamanvas (Bharatpur Division)	95
5273.	भरतपुर तथा सवाई माधोपुर में डाक व तार घर को दो शाखाओं में बाँटना	Bifurcation of P and T Office in Bharatpur and Sawai Madhopur	95-96

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5274.	राजस्थान को सघन कृषि कार्यक्रमों के लिए फोर्ड फाउंडेशन से सहायता	For Foundations Aid to Rajasthan for Intensive Cultivation Programmes	96-97
5275.	मैसूर में छोटी सिंचाई योजनाएँ	Minor Irrigation Schemes in Mysore	97-98
5276.	मध्य प्रदेश के लिए नए ट्रांसमीटर	New Transmitters for Madhya Pradesh	98
5277.	ग्रामसेवकों का वर्गीकरण	Categorisation of Village Level Workers	98-99
5278.	केरल से प्रकाशित होने वाले समाचार-पत्रों के लिए विज्ञापन	Advertisements for Kerala Newspapers	99
5279.	चैकोस्लोवाकिया से ट्रैक्टरों का आयात	Import of Tractors from Czechoslovakia	99-100
5280.	दिल्ली दुग्ध योजना में दुग्ध चूर्ण के सम्बन्ध में कथित कदाचार	Alleged Mal-practices in Milk Powder for Delhi Milk Scheme	100-101
5281.	किसानों को रूसी ट्रैक्टर	Supply of Russian Tractors to Farmers	101
5282.	देश में ट्रैक्टर	Agricultural Tractors in the Country	101-102
5283.	द्वितीय सूती कपड़ा मजूरी बोर्ड की सिफारिशें	Recommendations of the Second Cotton Textile and Wage Board	102
5284.	दरभंगा में आकाशवाणी केन्द्र	A.I.R. Station at Darbhanga	102
5285.	केरल में काजू के बागान	Cashew Plantations in Kerala	102-103
5286.	भारत-नार्वे मछली पकड़ने की परियोजना	Indo-Norwegain Fishing Projects	103-104
5287.	अंगूरी बाग, गट्टा कालोनी, दिल्ली में शरणार्थियों को फिर से बसाना	Resettlement of Refugees in Angoori Bagh Gotta Colony, Delhi	104
5288.	दूध-वाहक गाड़ियों से दिल्ली को दूध की ढुलाई	Transport of Milk to Delhi through Milk Tankers	104-105
5289	पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों के डाकखानों में टिकटों, अन्तर्देशीय पत्रों, लिफाफों आदि की कमी	Short Supply of Postal Stationery in Hilly Areas of West Bengal	105
5290.	पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक टेलीफोन बूथ	Public Telephone Booths in West Bengal	105-106
5291.	पश्चिम बंगाल में लगाए गए नलकूप	Tube Wells Sunk in West Bengal	106

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5292.	पश्चिम बंगाल में जलाभाव वाले क्षेत्रों में नलकूप लगाने की योजना	Scheme for Setting up Tube Wells in Water Scarcity Areas of West Bengal	106
5293.	शोलापुर टेलीफोन एक्सचेंज	Sholapur Telephone Exchange	106-107
5294.	बंजर भूमि सर्वेक्षण समिति	Waste Land Survey Committee	107-108
5295.	बनस्पति घी का विनियंत्रण	Decontrol of Vanaspati	108
5296.	नार्वे द्वारा उर्वरकों की सप्लाई	Supply of Fertilizers by Norway	108
5297.	राजस्थान में रेगिस्तान के फैलने को रोकना	Checking of Desert in Rajasthan	108-109
5298.	राजस्थान में छोटी सिंचाई के लिए केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Minor Irrigation in Rajasthan	109-111
5299.	पश्चिम बंगाल में नए सिनेमाघरों के लिए लाइसेंस	Licences for New Cinema Houses in West Bengal	111
5300.	औद्योगिक मजदूरों का परिवार बजट सर्वेक्षण	Family Budget Servey of Industrial Workers	111
5301.	कलकत्ता पत्तन पर गेहूँ के लदानों पर अधिक ली गई राशियों का लौटाना	Refund of Excess Charges on Wheat Consignments at Calcutta Port	112
5302.	समाचारपत्रों पर सरकार का प्रभाव	Government Influence on Newspapers	112
5303.	अलीगढ़ में रेडियो प्रसारण केन्द्र के लिए भूमि का अर्जन	Acquisition of Land for Radio Transmitting Station in Aligarh	113
5304.	संयुक्त अरब गणराज्य से चावल की खरीद	Purchase of Rice From U.A.R.	113
5305.	फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा स्वीकृत फिल्में	Films Approved by Board of Film Censors	113-114
5306.	राजस्थान में अभ्रक की खानों के मजदूरों के लिए न्यूनतम मजूरी	Minimum Wage for Mica Mine Workers in Rajasthan	114
5307.	राजस्थान में अभ्रक खानों के श्रमिकों को बोनस का भुगतान	Payment of Bonus to Mica Mine Workers in Rajasthan	114-115
5308.	राजस्थान में अभ्रक खानों के मजदूरों की कर्मचारी भविष्य निधि	Employees Provident Fund of Mica Mine Workers in Rajasthan	115

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5309,	राजस्थान में अभ्रक खानों के श्रमिकों को मजूरी का भुगतान	Payment of Wages to Mica Mine Workers in Rajasthan	115
5310.	राजस्थान में अभ्रक खान श्रमिक कल्याण निधि योजना के अन्तर्गत डाक्टरों को तैनात करना	Posting of Doctors under Mica Mines Labour Welfare Fund Scheme in Rajasthan	115-116
5311.	कच्चे पटसन का मूल्य	Price of Raw Jute	116
5312.	कृषि स्नातक	Agricultural Graduates	116-117
5313.	आकाशवाणी के केन्द्रों से प्रसारित वार्ताओं के लिए भुगतान	Payments for Talks Broadcast from A.I.R. Stations	117
5314.	कार्मिक संघ के नेताओं तथा प्रतिनिधियों की समिति	Committee for Trade Union Leaders and Representatives	117-118
5315.	केन्द्रीय बीज फार्म, हीराकुड	Central Seed Farm, Hirakud	118
5316.	आकाशवाणी के कर्मचारियों को पुस्तकें लिखने की अनुमति	Permission to Employees of A.I.R. for Writing Books	118-119
5317.	बिहार काटन मिल्स लिमिटेड द्वारा बोनस का न दिया जाना	Non-payment of Bonus by Bihar Cotton Mills Ltd.	119
5318.	डाक विभाग में सार्टिंग मशीन का लगाया जाना	Sorting Machines in Postal Department	119
5319.	बंगलौर में टेलीफोन कारखाने का विस्तार	Expansion of Telephone Factory at Bangalore	119-120
5320.	उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती	Sugarcane Cultivation in U.P.	120
5321.	रिकार्ड बनाने का संयन्त्र	Record Prcressing Plant	120-121
5322.	आकाशवाणी के कर्मचारियों के पुनर्गठन के बारे में अध्ययन दल का प्रतिवेदन	Report of Study Team on Reorganisation of Staff in A.I.R.	121
5323.	रिकार्ड प्रत्यंकन तथा कार्यक्रम विनिमय सेवा में चोरियाँ	Thefts in Transcription and Programme Exchange Service	121-122
5324.	खाद्य मंत्रालय के दल की बिहार शरीफ की यात्रा	Visit of Food Ministry's Team to Bihar-Sharif	122
5325.	मनीपुर में पुनर्वास कार्य	Rehabilitation Work in Manipur	122
5326.	उपज बढ़ाने के लिए कृषकों को प्रोत्साहन देना	Incentives to Farmers for Increasing Production	123

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5327.	खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धि	Per Capita Availability of Foodgrains	123
5328.	पशु वध	Slaughtering of Animals	123-124
5329.	सरकारी उपक्रमों में हड़ताल और तालाबन्दी	Strikes and Lockouts in Govt. Undertakings	124
5330.	ट्रैक्टरों तथा फालतू पुर्जों का आयात	Import of Tractors and Spare Parts	124
5331.	संगणकों की स्थापना	Installation of Computers	124-125
5332.	सरकारी तथा अधिकृत गैर-सरकारी बूचड़खाने	Govt. and Authorised Private Slaughter Houses	125-126
5333.	हिमाचल प्रदेश का पंचायत अधिनियम	Panchayat Act of Himachal Pradesh	126
5334.	गन्ने का मूल्य	Price of Sugercane	126
5335.	तिब्बती शरणार्थियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Tibbetan Refugees	127
5336.	चंदावली, जिला बालासौर में डाक तथा तारघर का भवन	P. and T. Office Building at Chandabali District Balasore	127-128
5337.	तिब्बती शरणार्थियों को बसाने के लिए सहायता	Assistance for Rehabilitation of Tibetan Refugees	128
5338.	दिल्ली की कालकाजी कालोनी में मकानों का निर्माण	Construction of Houses in Kalkaji, Delhi	128-129
5339.	फिल्मों पर प्रस्तावित कर	Proposed Taxation on Films	129
5340.	उड़ीसा के बालासौर तथा मयूरगंज जिलों में डाक तथा तारघर	P. and T. Offices in Districts Balasore and Mayurbanj (Orissa)	129-130
5341.	दुर्गम क्षेत्रों में डाक व तारघर आदि	P. and T. Officers etc. in in accessible Areas	130
5342.	गन्ना और चीनी का उत्पादन	Sugarcane and Sugar Production	130-131
5343.	बरौनी तथा मेघौल (मुंघेर) के बीच मोटर डाक सेवा	Motor Mail Service between Barauni and Meghaul (Monghyr)	131
5344.	भारत में रोजगार	Employment in India	131-132
5345.	तमिलनाडू में चावल की सप्लाई	Supply of Rice to Tamilnadu	132
5346.	डाक तथा तार विभाग के आत्मनिर्भर शाखा कार्यालय	Self Supporting P. and T. Branches	132-133

ता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5347. बर्मा और श्रीलंका से भारत लौटने वाले लोगों को ऋण देने के लिए राज्यों को सहायता	Assistance to State for Grant of Loans to the Repatriates from Burma and Ceylon	133-134
5348. भारतीय फिल्म निर्माताओं को विदेशी मुद्रा दिया जाना	Release of Foreign Exchange to Indian Film Producers	134
5349. भारतीय डाक टिकटों और उनके नमूनों में सुधार	Improvement of Quality and Design of Indian Postage Stamps	135
5350. वनों का परिरक्षण	Protection of Forests	135
5351. दिल्ली दुग्ध योजना में स्थायी लोअर डिवीजन क्लर्क / अपर डिवीजन क्लर्क	Permanent LDCs/UDCs in Delhi Milk Scheme	135
5352. पश्चिमी बंगाल में मंत्रियों के लिए टेलीफोन कनेक्शन	Telephone Connections to Ministecs in West Bengal	136
अतारांकित प्रश्न संख्या 6272 दिनांक 3 अप्रैल, 1968 तथा 523 दिनांक 13 नवम्बर, 1968 और अतारांकित प्रश्न संख्या 318 दिनांक 19 फरवरी, 1969 के उत्तरों में शुद्धि	Correction in Answers to unstarred Question Nos. 6272 dated the 3rd April, 1968 and 523 dated the 13th November 1968 and Unstarred Question No. 318 dated the 19th February, 1969	136-137
स्थगन प्रस्तावों तथा ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में प्रश्न	Re. Motions for Adjournment and Calling Attention Notices (Queries)	137
आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य पर विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	Re. Question of Privilege on a Statement by Andhra C.M.	138-139
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	Papers laid on the Table	139-141
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	President's Assent to Bills	141-142
प्राक्कलन समिति	Estimates Committee	142
76वां प्रतिवेदन	Seventy-sixth Report	
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee	142
58वां प्रतिवेदन	Fifty-eighth Report	
प्रधान मंत्री की हाल की बर्मा यात्रा के बारे में वक्तव्य	Statement re. Prime Minister's recent visit to Burma	142-144
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Smt. Indra Gandhi	143

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
निदेश के 115 अन्तर्गत वक्तव्य	Statement Under Direction 115	144-145
आकाशवाणी के समाचार बुलेटिनों के समयों में परिवर्तन	Change in Timings of A.I.R. News Bulletins	
श्री उमानाथ	Shri Umanath	144
श्री सत्य नारायण सिंह	Shri Satya Narayan Sinha	145
समितियों के लिये निर्वाचन	Election to Commitsees	145-147
(एक) प्राक्कलन समिति	(i) Estimates Committee	
(दो) लोक लेखा समिति	(ii) Public Accounts Committee	
(तीन) सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	(iii) Committee on Public Undertakings	
अनुदानों की माँगें	Demands far Grants	137 तथा 148-160
औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय—कार्य	Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs	
श्री जी० भा० कृपालानी	Shri J. B. Kripalani	148
श्री एस० आर० दामानी	Shri S. R. Damani	151
श्री भोला नाथ मास्टर	Shri Bhola Nath Master	152
श्री इंद्रजीत गुप्त	Shri Indrajeet Gupta	152
श्री फखरुद्दीन अली अहमद	Shri Fakhruddin Ali Ahmed	153
वैदेशिक-कार्य मंत्रालय	Ministry of External Affairs	161-170
श्री पीलू मोदी	Shri Piloo Mody	176
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	Shri Surrendranath Dwivedy	177
इर्विन अस्पताल के हाउस सर्जनों और अन्य डाक्टरों की हड़ताल के बारे में वक्तव्य	Statement re. strike by House Surgeons and other doctors of Irwin Hospital	180-181
श्री के० के० शाह	Shri K. K. Shah	180
पुरःस्थापित किये गये विधेयक	Bills Introduced	181-182
(1) श्री महाराज सिंह भारती का आधुनिक कुटीर उद्योग विकास निगम, विधेयक, 1969	(1) Modern Cottage Industries Development Corporation Bill by Shri Maharaj Singh Bharati	
(2) श्री मधु लिमये का भारतीय तार-यंत्र (संशोधन) विधेयक, 1969 (धारा 5 का प्रतिस्थापन)	(2) Indian Telegraph (Amendment) Bill (Substitution of section 5) by Shri Madhu Limaye	
(3) श्री शिव चंद्र झा का संविधान (संशोधन) विधेयक, 1969 (आठवीं अनुसूची का संशोधन)	(3) Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Eighth Schedule) by Shri Shiva Chandra Jha	

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
(4) श्री हरदयाल देवगुण का गो-वध रोक विधेयक, 1969	(4) Prevention of Cow Slaughter Bill by Shri Hardayal Devgun	
(5) श्री मधु लिमये का संविधान (संशोधन) विधेयक, 1969 (अनुच्छेद 19 का संशोधन तथा अनुच्छेद 326 का प्रतिस्थापन)	(5) Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Article 19 and Substitution of Article 326) by Shri Madhu Limaye	
श्री मधु लिमये का केन्द्रीय विश्वविद्यालय (छात्रों द्वारा भाग लेना) विधेयक	Central Universities (Students Participation) Bill by Shri Madhu Limaye	182-195
परिचालि करने का प्रस्ताव— संशोधित रूप में स्वीकृत	Motion to Circulate—Adopted as modified	
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi	182
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया	Shri D. N. Patodia	183
श्री वेदव्रत बरुआ	Shri Bedabrata Barua	184
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	184
श्री ओंकार लाल बोहरा	Shri Onkar Lal Bohra	185
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	186
श्री भोला नाथ मास्टर	Shri Bhola Nath Master	187
श्री इरास्मो डी० सेक्वीरा	Shri Erasmo de Sequeira	187
श्री तुलसीदास जाधव	Shri Tulsidas Jadhav	188
श्री जार्ज फरनेंडीस	Shri George Fernandes	189
श्री शिंकरे	Shri Shinkre	189
श्री रा० ढो भंडारे	Shri R. D. Bhandre	189
श्री ओम प्रकाश त्यागी	Shri Om Prakash Tyagi	190
डा० वी० के० आर० वी० राव	Dr. V. K. R. V. Rao	190
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	194
श्री आनन्द नारायण मुल्ला का उच्चतम न्यायालय के अपीलीय (आपराधिक) क्षेत्राधिकार का विस्तार विधेयक—	Enlargement of the Appellate (Criminal) Jurisdiction of the Supreme Court Bill by Shri A. N. Mulla	196
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	196
श्री आनन्द नारायण मुल्ला	Shri A. N. Mulla	

लोक-सभा

LOK SABHA

गुरुवार, 3 अप्रैल, 1969/13 चैत्र, 1891 (शक)

Thursday, April 3, 1969/ Chaitra 13, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

समाचार-पत्र प्रचार विभाग

*875. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समाचार-पत्र प्रचार विभाग को सुदृढ़ बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, और

(ख) यदि हाँ, तो उस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और उसे कब अन्तिम रूप दिया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) :

(क) जी, हाँ ।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों में पत्र-सूचना कार्यालय के प्रादेशिक कार्यालयों के भारतीय भाषा प्रचार एककों को सुदृढ़ करने, समाचार-पत्रों के मुख्य केन्द्रों में अतिरिक्त कार्यालय खोलने, और पत्र-सूचना कार्यालय की 'फीचर और एबोनाइड सेवा' का विस्तार करने

के प्रस्ताव शामिल हैं। इन प्रस्तावों को चौथी पंचवर्षीय योजना के मसौदे को सरकार द्वारा स्वीकृत किये जाने के बाद अन्तिम रूप दिया जाएगा। पत्र-सूचना कार्यालय की सेवाओं में सुधारार्थ सम्बन्धी अयोजना प्रस्तावों में हिन्दी प्रचार एकक को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव शामिल है ताकि हिन्दी में अधिक प्रचार सामग्री तैयार हो सके। ये अयोजना प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं।

श्री चेंगलराया नायडू : माननीय मंत्री ने अभी कहा है कि चौथी योजना में हिन्दी प्रचार एकक को सुदृढ़ बनाने का एक प्रस्ताव है। देश में सभी व्यक्ति हिन्दी नहीं जानते हैं; केवल थोड़े से व्यक्ति ही हिन्दी जानते हैं। यदि सरकार ऐसा करेगी तो इससे दक्षिण भारतीयों पर प्रभाव पड़ेगा और लोगों का एक बड़ा वर्ग इस ब्यूरो के प्रयोग से वंचित हो जायेगा। क्या सरकार दक्षिण भारतीयों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हिन्दी के बजाय अंग्रेजी में अधिक प्रचार सामग्री तैयार करेगी ? यदि वे इसे हिन्दी में ही चाहते हैं तो, अन्य दक्षिण भारतीय भाषाओं को भी शामिल कर लिया जाना चाहिए। क्या यह प्रेस सूचना ब्यूरो सीधे सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के नियंत्रण में रहेगा या इस प्रयोजन के लिए कुछ व्यक्तियों की नियुक्ति की जायेगी और यदि हाँ, तो क्या पहले ही से इस क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जायेगा या कोई भी व्यक्ति चुन लिये जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इं० कु० गुजराल) : माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है उससे मुझे बड़ी सहानुभूति है। प्रेस सूचना ब्यूरो का काम किसी एक भाषा पर जोर देने का नहीं है। उसका काम छोटे समाचार-पत्रों की सहायता करना है चाहे वे किसी भी भाषा में प्रकाशित किये जाते हों। उदाहरण के तौर पर 1967-68 में लगभग 55,000 प्रतियाँ जारी की गई थीं जिनमें से 25,770 अंग्रेजी, हिन्दी तथा उर्दू में थीं और लगभग 29,000 दस प्रादेशिक भाषाओं में थीं।

'हैंड आउट' किस भाषा में जारी किये जायें यह निर्णय मूल रूप से समाचार-पत्रों की माँग पर निर्भर करता है। अब तक हमने 20 प्रादेशिक कार्यालय खोले हैं और चौथी योजना में और कार्यालय खोले जायेंगे ? इरादा यह है, जैसा कि दिवाकर समिति ने सुझाव दिया है, कि छोट समाचार-पत्रों को उस भाषा में अधिकाधिक सामग्री उपलब्ध की जाये जिसमें वे चाहते हैं।

श्री चेंगलराया नायडू : अन्य मंत्री महोदय ने, जिन्होंने मुख्य प्रश्न का उत्तर दिया है अभी कहा है कि हिन्दी सूचना को अधिमान्यता दी जायगी। अब मंत्री महोदय कहते हैं कि आँकड़े कुछ और ही बताते हैं। क्या चौथी योजना में उसी नीति को जारी रखा जायेगा और अन्य भाषाओं को भी अधिमान्यता दी जायेगी ? उन्होंने कहा है कि कुछ और प्रादेशिक कार्यालय खोले जायेंगे। क्या इन कार्यालयों के लिए सीधी भर्ती की जायेगी या पहले से इस क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों का चयन किया जायेगा ?

श्री इं० कु० गुजराल : इस समय यह बताना कठिन है कि उनके लिये व्यक्तियों का चयन

कैसे किया जायेगा । सर्वप्रथम तो जो भी कर्मचारी उपलब्ध होंगे उनकी सेवाओं का लाभ उठाया जायेगा और उसके बाद सीधी भर्ती की जायेगी ।

श्री लोबो प्रभु : तीन तर्क हैं । पहला यह कि सरकार द्वारा जो भी हैंड-आउट जारी किये जायेंगे उनमें से किसी में भी कम जानकारी तथा अधिक प्रचार नहीं होगा । दूसरे, दोहरी-दोहरी समाचार एजेंसियाँ नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह एक गरीब देश है—हमारे यहाँ पहले ही यू० एन० आई०, पी० टी० आई० आदि जैसी अनेक गैर-सरकारी एजेंसियाँ हैं जो इस काम को कर सकती हैं और भिन्न-भिन्न भाषाओं में भी कर सकती हैं । तीसरे, प्रेस हाल में इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि सरकारी विज्ञप्तियों की संख्या जितनी अधिक होगी उतना ही उनका प्रयोग कम होगा क्योंकि उनकी अपनी एजेंसियाँ सूचना और उनके बीच दीवार बन गई हैं । चूंकि पाकिस्तानी संघर्ष के बाद समाचार-सेवाओं पर व्यय तीन-गुना हो गया है, क्या सरकार अपने इन प्रस्तावों पर पुनर्विचार करेगी ?

श्री इं० कु० गुजराल : जहाँ तक दोहरी-दोहरी सूचना सेवाओं का प्रश्न है, मैं बता दूं कि सूचना सेवाओं के काम में परिवर्तन करने या उन्हें अन्य काम देने का कोई भी प्रयत्न नहीं किया गया है । मुख्य उद्देश्य यह है कि छोटे समाचार-पत्रों को कुछ उपलब्ध किया जाना चाहिए । जब दिवाकर समिति की बैठकें हो रही थीं तब इस विषय पर समिति ने टिप्पणी की थी कि इस देश में विदेशी मिशन छोटे समाचार-पत्रों के अस्तित्व के बारे में अधिक जागरूक हैं और उनका अपने प्रयोजन के लिये खूब लाभ उठाते हैं । इसलिए समिति ने कहा था कि भारत सरकार को उस ओर भी ध्यान देना चाहिये। हमने उस ओर ध्यान दिया है। दूसरा प्रश्न यह है कि सामग्री केवल सरकार की सामाजिक नीति की दृष्टि से ही नहीं अपितु पृष्ठभूमि बताने वाली सामग्री देने की दृष्टि से भी उपलब्ध होनी चाहिये । पाकिस्तान के साथ हुए संघर्ष के समय हमें यह स्पष्ट हो गया कि यदि छोटे तथा मध्यम समाचार-पत्रों को सामग्री उपलब्ध नहीं की जायेगी, तो अफवाहें फैल सकती हैं और आम लोगों को शिक्षित नहीं किया जा सकता । हमारा उद्देश्य छोटे तथा मध्यम समाचार-पत्रों की सहायता करना है जिनके पास सामान्य तरीके से सूचना प्राप्त करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : माननीय मंत्री ने कहा है कि हैंडआउट जारी करके समाचार देने का उद्देश्य छोटे समाचार-पत्रों की सहायता करना है क्योंकि वे समाचार एजेंसियों से समाचार प्राप्त करने की स्थिति में नहीं हैं । क्या ऐसा करते समय सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि सरकार द्वारा शुरू किये गये सामाजिक तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर अधिक जोर डाला जाये ताकि अधिकाधिक लोगों को, जो भिन्न-भिन्न भाषाएँ बोलते हैं, उनसे अवगत कराया जा सके ? मैं जानना चाहता हूँ कि पी० टी० आई०, यू० एन० आई० आदि जैसी एजेंसियों से समाचारों के प्रसार की घिसी-पीटी प्रणाली से भिन्न सरकार क्या उपाय करने जा रही है ? दूसरे, श्री शेर सिंह ने मुख्य प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा है कि चौथी योजना में हिन्दी में समाचारों के प्रसार को सुदृढ़ बनाने के लिये कुछ अयोजना योजनाएँ आरम्भ की जा रही हैं । श्री शेर सिंह के

वक्तव्य तथा उनके वक्तव्य में कि विभिन्न भाषाओं को महत्व दिया जायेगा कहाँ तक एकरूपता है ?

श्री इं० कु० गुजराल : मैं पहले अन्तिम प्रश्न का उत्तर दूंगा। समानता इस बात में है कि समाचार एजेंसियों की संख्या में वृद्धि से हिन्दी के समाचार-पत्रों की संख्या बढ़ रही है; पत्रकारों से, जो हिन्दी भाषा में समाचार चाहते हैं, भी माँग बढ़ रही है। हिन्दी प्रादेशिक भाषाओं से भिन्न नहीं है। हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं का साथ-साथ विकास होना है। हमारा मूल दृष्टिकोण यह है कि जहाँ हिन्दी में समाचारों की माँग है वहाँ हिन्दी में समाचार उपलब्ध किये जायें और जहाँ प्रादेशिक भाषाओं में समाचारों की आवश्यकता है वहाँ प्रादेशिक भाषाओं में समाचार उपलब्ध किये जायें। इसलिये मेरी राय में मैंने तथा मेरे सहयोगी ने जो कुछ कहा है उसमें कोई विरोधाभास नहीं है।

मेरे माननीय मित्र का दूसरा प्रश्न यह है कि हम क्या नए उपाय करने जा रहे हैं ? हमारा नया दृष्टिकोण यह है। हमने समाजवाद लाने का वचन दिया है। हमारा प्रचार इस पहलू को अधिकाधिक प्रस्तुत करेगा।

Shri Atal Fihari Vajpayee : The hon. Minister said that their idea is to make available to small and medium size newspapers the material needed by them. If this material is not supplied at the place from where the paper is brought out, the material will become old. Newspapers will not be able to make use of that however much they may desire to make use of the same. How do the Ministry propose to mitigate this hardship ?

Shri I. K. Gujral : For this purpose regional offices have been opened at 20 places and it is proposed to open such offices at seven more places. Our Central Office will have direct link with these 27 Centres through teleprinter.

Shri Onkar Lal Bohra : Leaving aside a few big newspapers, all others are mostly small or medium newspapers and are brought out in all the Indian languages such as Tamil, Gujarati, Bangla, Oriya, Punjabi, Marathi etc. Government have announced twice and again that they want to assist and help small and medium newspapers. But how can they make use of this publicity material in the wake of increased postal rates ? How can they benefit by this material by paying 5 paise instead of 2 paise ? Today, nowhere does this 150 percent tax exist. As a spokesman of the small and medium newspapers I want to submit that at least these postal rates should be reduced so that the masses may be educated about the development programmes and plans of the Government through the Indian language newspapers, particularly when the Government time and again say that they are eager to help the small and medium newspapers

The Minister of Information and Broadcasting and Communications (Shri Satya Narayan Sinha) : It has no particular relevance to the main question. Still I want to tell him that it is under our active consideration. I do not want to say anything more now but we are very sympathetic in this matter.

Shri Rabi Ray : At present there is arrangement for dissemination of news in 10 Indian languages. Will the hon. Minister tell us the time by which Government is likely to make arrangements for the dissemination of news, in all the 15 languages mentioned in the 8th Schedule of the Constitution through the Press Information Bureau ?

Shri I. K. Gujral : In addition to the Indian languages in which material is being made available we are trying to prepare material in Sindhi also because a number of newspapers

are being brought out in Sindhi. Our effort will be to supply material for every Indian language in which the newspapers are brought out. We shall endeavour to act according to public opinion as we are passing through a new phase.

Shri Jaipal Singh : What arrangements have been made to encourage the publication of newspapers in adivasi languages in adivasi areas ?

Shri I. K. Gujral : We try to supply publicity material to papers being published in adivasi languages. If any specific case is brought to my notice where publicity material or newsprint etc. is needed, specially for papers being brought out for adivasis, we would certainly like to help them.

श्री जयपाल सिंह : आदिवासी भाषाएँ हिन्दी तथा अन्य भाषाओं से भी पुरानी हैं । मैं जानना चाहता हूँ कि इन प्राचीन भाषाओं में छपने वाले पत्रों के लिये समाचार उपलब्ध करने के बारे में क्या कुछ किया गया है ?

श्री इ० कु० गुजराल : मैं इन भाषाओं का उतना ही आदर करता हूँ जितना श्री जयपाल सिंह करते हैं । मैं बहुत इच्छुक हूँ कि उनका विकास हो और उनके समाचार-पत्रों की सहायता की जाये ।

Requirement of Fertilizers

*877. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2489 on the 28th November, 1968 and state :

(a) what percentage of requirements of fertilizers for 1969-71 will be met by indigenous production and what percentage by imports ; and

(b) the amount of foreign exchange spent in 1968-69 on the import of fertilizers and the amount of foreign exchange likely to be spent next year ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया है ।

विवरण

	1969–70		1970–71	
	आयात प्रतिशतता	देश मे उत्पादन प्रतिशत	आयात प्रतिशतता	देश में उत्पादन प्रतिशतता
नाइट्रोजन	55	45	41	59
पी 2°5	37	63	57	43
के 2°	100	—	100	—

(ख) 1968–69 में उर्वरकों के आयात पर लगभग 205.11 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च हुई । । 1969–70 के बजट में इस प्रयोजन के लिए 195.89 करोड़ की विदेशी मुद्रा की व्यवस्था की गई है ।

उर्वरकों की आवश्यकताएँ

*889. **श्री क० कलप्पा :** **श्री ए० श्रीधरन :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आगामी पाँच वर्षों में उर्वरकों की माँग के बारे में सरकार द्वारा कोई अनुमान लगाया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका, राज्यवार व्यौरा क्या है; और

(ग) इसी अवधि में देश में उर्वरकों की माँग पूरी करने के लिये कितना धन निर्धारित किया गया है और उसमें कितनी विदेशी मुद्रा शामिल है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) से (ग) माँगी गई जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 601/69]

Shri Raghuvir Singh Shastri : Is it a fact that the Planning Commission has expressed concern at the failure of the Government in achieving the targets fixed for production of fertilisers because the targets fixed for the third Plan have not even been achieved by 1968-69. For example, the target for production of nitrogenous fertilizer was 8 lakh tons, but the target of only 5 lakh tons was reahed by 1968-69. What steps are being taken to improve the position ?

What are the targets for the fourth Plan in regard to production of fertilizers and from what sources and in what manner, their requirements are proposed to be met ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह दुरुस्त है कि लक्ष्य पूरे नहीं हुए हैं परन्तु इस कमी को आयात करके पूरा किया गया। यह बड़ी खुशी की बात है कि गत दो वर्षों में देश में उर्वरक आसानी से उपलब्ध होते रहे। चौथी योजना में उर्वरक की माँग का अनुमान लगा लिया गया हैं, अर्थात नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर–37 लाख मीटरी टन; पी०टी$^{o}{}_{5}$–17 लाख मीटरी टन; के$_{2}$^{o}–11 लाख मीटरी टन ।

Shri Raghuvir Singh Shastri : Is the Government aware that the distribution system of fertilizers is very faulty ? Either the farmers get adulterated fertilizer or at black market rates. For example, the Estimates Committee of Andhra has bitterly criticised the distribution system. About 3½ lakh ton fertilizers are lying with the co-operative societies in Mysore when the farmers badly need fertilizers. May I know what effective steps Government are taking to set these things right ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जहाँ तक वितरण का सम्बन्ध है, भारत सरकार बीच में नहीं आती । हम राज्यों को इकट्ठा आवंटन कर देते हैं और वितरण की व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा की जाती है । परन्तु हमें कुछ दोषों का पता है । हमने राज्य सरकारों से कहा है कि वे वितरण प्रणाली में सुधार करें । इसके अतिरिक्त उत्पादकों, निर्माताओं को स्वयं विस्तृत वितरण व्यवस्था आरम्भ करने में, जिसमें सेवाओं का विस्तार भी सम्मिलित है, प्रोत्साहन दे कर हमने इस सम्बन्ध में कुछ ठोस कदम उठाये हैं ।

श्री क० लक्कप्पा : भारत मुख्यतः कृषि-प्रधान देश है। यहाँ 80 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर करते हैं। सरकार की नीति इस सम्बन्ध में असफल रही है क्योंकि किसानों को जब तक उर्वरक न मिलें वे खेती नहीं कर सकते हैं। उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार वर्ष 1968–69 में 10.5 लाख टन नाइट्रोजन उर्वरक, 1.4 लाख टन फासफेट उर्वरक तथा 2.13 लाख टन पोटाश-युक्त उर्वरक आयात किये जाने की आवश्यकता थी। इसका कारण यह है कि सरकारी क्षेत्र के कारखाने अपनी पूरी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं और उनमें भ्रष्टाचार तथा कदाचार व्याप्त है और उनमें अपव्यय होता है। इन सब बातों की ओर सरकार का ध्यान दिलाये जाने के बावजूद इस सम्बन्ध में कोई जाँच नहीं कराई गई है। उर्वरकों के मामले में हम अभी तक आत्मनिर्भर नहीं हो सके हैं। भारत सरकार इन सब बातों का उपाय करने तथा उवरकों के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिये क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : माननीय सदस्य का प्रश्न पूर्णतः उत्पादन से सम्बन्धित है जो कि पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय के अन्तर्गत आता है। मोटे तौर पर मैं कह सकता हूँ कि वर्ष 1973–74 में चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हम देश में उत्पादन करके नाइट्रोजन-युक्त उर्वरकों सम्बन्धी माँग पूरी कर सकेंगे ; यही स्थिति फासफोट-युक्त उर्वरकों के सम्बन्ध में रहने की आशा है। किन्तु जहाँ तक पोटाशयुक्त उर्वरकों का सम्बन्ध है, देश में कच्चा माल न मिलने के कारण उनका उत्पादन यहाँ पर नहीं किया जाता है। इनका आयात किया जाता रहेगा जिसके लिये अपेक्षित व्यवस्था करने का सरकार का प्रस्ताव है।

Shri Nathu Ram Ahirwar : Are the Government aware that some State Governments, which used to distribute fertilizers through co-operative societies, have now entrusted this work to private agencies as a result of which farmers are facing a lot of difficulties ? These societies use to give them fertilizers in the form of loan but the private agencies sell these against cash payment. The farmers have no cash, therefore they are experiencing difficulties. What steps are going to be taken by the Government to remove their difficulties.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : राज्य सरकारों तथा सहकारी समितियों द्वारा वितरण की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। कुछ राज्यों को केन्द्र द्वारा अल्पकालिक ऋण दे कर सहायता दी जाती है ताकि किसानों को पर्याप्त सप्लाई की जा सके। वितरण के कार्य की देखभाल राज्य सरकारें करती हैं। किन्तु हम सभी समस्याओं पर विचार कर रहे हैं। हम इस मामले की ओर राज्य सरकारों का ध्यान दिला रहे हैं।

श्री वि० कृष्णमूर्ति : देश में कारखानों से रासायनिक उर्वरकों की निकासी का कार्य संतोषजनक नहीं है जिसके कारण ट्राम्बे, फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटड, अलवाये, नेवेली आदि सरकारी क्षेत्र के कारखानों को कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है और अपना माल कम मूल्य पर बेचना पड़ता है क्योंकि वे अधिक मूल्य पर अपने उत्पादन नहीं बेच पाते हैं। मैं श्री लकप्पा की इस बात से सहमत नहीं हूँ कि उत्पादन कम होता है। स्थिति यह है कि जो कुछ वह उत्पादन करते हैं वह भी बाजार में नहीं बिक पाता है। क्या सरकार

ने देश की माँग पर विचार किया है ? क्या सरकार ने विदेशी मुद्रा बचाने तथा देश का उत्पादन बढ़ाने के लिए उर्वरकों का आयात कम करेगी ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : इस समय उर्वरकों का आयात घटाने का हमारा विचार नहीं है क्योंकि हम चाहते हैं कि उर्वरक आसानी से मिलें। माननीय सदस्य का यह कहना सही नहीं है कि ट्राम्बे कारखाने में बनाये जाने वाले उर्वरक नहीं बिक पाते हैं। यह स्थिति एक वर्ष पहले थी। जिन निर्माताओं के पास विक्रय व्यवस्था अच्छी है वे अपने उत्पादन अच्छी तरह बेच लेते हैं। हम यह भी सुनिश्चित करते हैं कि पिछला स्टाक भी उनके पास है। उर्वरकों की उपलब्धता के मामले में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

श्री वि० कृष्णमूर्ति : मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। उर्वरकों की निकासी के बारे में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मद्रास सरकार ने 20 करोड़ रुपये का सामान खरीद लिया था और वह उसे आठ महीने से अधिक समय तक नहीं बेच पायी। इससे 50 लाख रुपये के ब्याज की हानि हो रही है।

Shri Vishwa Nath Pandey : It appears from the statement relating to Question Nos. 877 and 889 that the demand of fertilizers is met by the import of fertilizers and local production thereof. But actually the demand of fertilizers of the country is not met even after emporting them. There is always a shortage of fertilizers in the country. May I know whether Government propose to set up a fertilizer factory in the co-operative or public sector and if so, the location thereof and by when ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : गैर-सरकारी क्षेत्र में अनेक कारखाने खोले जा रहे हैं। सहकारी क्षेत्र में कारखाने स्थापित करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं। वर्ष 1973–74 तक नाइट्रोजन तथा फासफोरस युक्त उर्वरक सम्बन्धी माँग देश के उत्पादन से पूरी हो जाने की आशा है।

श्री कृ० मा० कौशिक : सभा-पटल पर रखे गये विवरण से पता चलता है कि वर्ष 1969–70 में उर्वरकों के आयात के लिये 195 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त मैंने किसी समाचार-पत्र में यह समाचार पढ़ा है कि हमारे देश से उर्वरकों का निर्यात किया जा रहा है। यदि ऐसा है तो एक ओर उर्वरकों का आयात और दूसरी ओर उनका निर्यात कैसे किया जा रहा है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यदि ऐसा समाचार प्रकाशित हुआ है तो वह सही नहीं है।

Shri Mrityunjay Prasad : It is not clear from the statements whether the quota for the supply of fertilizers to the States has been fixed on the basis of population or on the basis of area or the basis of agricultural land. If it has been fixed on the basis of their requirements, the States having less purchasing power cannot ask for more fertilizrs. What steps are being taken to increase the purchasing power of the States so that poor farmer may purchase these fertilizers ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : हमने राज्य सरकारों से परामर्श करके कोटा निर्धारित किया है। यह कोटा अधिक उपज देने वाले कार्यक्रम, वाणिज्यिक फसल तथा अन्य सघन कार्यक्रमों के अन्तर्गत

की जाने वाली खेती के क्षेत्रफल के आधार पर निर्धारित किया गया है। राज्य सरकारों से अपर्याप्त सप्लाई की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

Shri Mrityunjay Prasad : My question has not been answered. They cannot ask for more quantity because they have low purchasing power. What facilities are being provided to increase their purchasing power ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह सही है कि निर्धन किसानों को कठिनाई होती है। किन्तु हम फसल-ऋण आदि के रूप में उन्हें ऋण देते हैं और माननीय सदस्य को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि देश में पिछले तीन वर्षों में उर्वरकों की खपत बहुत संतोषजनक रही है।

Shri Kanwar Lal Gupta : Per acre yield in our country is very low though the use of fertilizer is very popular and it is sold in blackmarket in several States. One of the main reasons for it is the benefit of intensive cultivation is derived by 11 per cent. big landlords who possess 80 per cent of the cultivated land and 63 per cent people possess 5 acres or cless land and they are not benefitted by the facilities provided by the Government.

May I know the provision made by Government for these 63 percent. people, has any minimum quota of credit facilities been prescribed for them ? The hon. minister has said many things. I want a specific answer on this point.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जहाँ तक उर्वरकों का सम्बन्ध है, देश में कहीं भी चोरबाजारी नहीं हो रही है। हमें राज्य सरकारों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

Shri Rabi Ray : You are not speaking the truth. He should not say this.

श्री उमानाथ : उप-प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने कहा था कि उर्वरकों की चोरबाजरी हो रही है।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें उत्तर देने दीजिये।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं वास्तव में यह निवेदन कर रहा था कि चोरबाजारी के बारे में हाल में किसी राज्य सरकार से कोई शिकायतें नहीं मिली हैं। यदि माननीय सदस्य कोई ऐसी जानकारी देते हैं.... (**अन्तर्बाधा**)

श्री उमानाथ: आप वित्त मंत्री से पूछिये। एक दिन उन्होंने सभा में कहा था कि चोरबाजारी हो रही है।

Shri Madhu Limaye : There is no co-ordination among them. The statement of one Minister is contradicted by the other Minister.

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए मैं पहले ही 20–25 मिनट दे चुका हूँ।

Shri Randhir Singh : The farmer does not indulge in blackmarketing, they are not correct.

अध्यक्ष महोदय : अब भी दस अन्य सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं। इसका अर्थ हुआ प्रतिदिन केवल एक प्रश्न।

श्री कंवरलाल गुप्त : छोटे किसानों के लिए क्या विशिष्ट उपाय किय गये हैं ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जहाँ तक छोटे किसानों का सम्बन्ध है, मैं कह चुका हूँ कि

छोटे किसानों के लिए विभिन्न अन्य कारणों से कठिनाइयाँ हैं लेकिन फसल-ऋण प्रणाली आरम्भ की गई है ताकि फसलों के आधार पर छोटे किसानों को ऋण मिल सके। उन्हें फसल-ऋण के आधार पर उर्वरक मिलने की आशा की जाती है और मैं समझता हूँ कि अनेक राज्यों ने यह सुनिश्चित करने के लिये कार्यवाही की है कि छोटे किसानों को सहकारी समितियों अथवा निर्माताओं के माध्यम से उर्वरकों को मिलने में कठिनाई न हो। यदि कोई कठिनाइयाँ हैं, तो राज्य सरकारों से आशा की जाती है कि वे उनकी ओर ध्यान देंगी।

चलचित्र सेंसरी समिति

+

*878. **श्री सु० कु० तापड़िया :** **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री योगेन्द्र शर्मा : **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री अदिचन : **श्री हिम्मतसिंहका :**

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चलचित्रों के सेंसर और इस कार्य को युक्तियुक्त बनाने के प्रश्न पर नये सिरे से विचार करने के लिए जो चलचित्र सेंसरी समिति नियुक्त की गयी थी क्या उसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और उक्त प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) फिल्म सेंसर सम्बन्धी जाँच समिति 15 अप्रैल, 1968 को ही गठित की गई थी। आशा है वह अपनी रिपोर्ट 31 मई, 1969 तक प्रस्तुत कर देगी।

श्री सु० कु० तपाड़िया : श्रीमन्, एक कहावत है कि यदि आप किसी बात को समाप्त करना चाहते हैं, तो एक समिति नियुक्त कर दें। यह सरकार ऐसा ही करती है। वह ऐसी समितियाँ नियुक्त करती हैं, जो कभी भी समय पर प्रतिवेदन नहीं देती हैं। यदि वे प्रतिवेदन देती भी हैं, तो प्रतिवेदन इतनी अधिक देर में प्रस्तुत किया जाता है और वे इन सब बातों पर विचार करने के लिए इतना अधिक समय लेती हैं कि प्रतिवेदन प्राप्त होने तक जिन कारणों से वे बनाई गई थीं, वे समाप्त हो जाते हैं। आज के विश्व में विचारो और सामाजिक मान्यताओं में बहुत शीघ्र परिवर्तन होता है। आजकल सरकारों के गठन में भी बहुत तेजी से परिवर्तन होता है, हमें नहीं मालूम कि उनसे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि किन कारणों से सेंसर करने के लिए दोहरे अथवा तीहरे मानक हैं ? विदेशी फिल्मों में जिसकी अनुमति है, वह भारतीय फिल्मों में से काट दिया जाता है और भारतीय फिल्मों में से जो चीजें काट

दी जाती हैं, निर्माताओं द्वारा उन्हें वृत्त-चित्रों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, इसलिये मैं जानना चाहता हूँ कि क्या प्रदर्शित किया जाना चाहिए, इस बारे में मार्गदर्शी सिद्धान्त क्या हैं ? विदेशी और भारतीय फिल्मों के सम्बन्ध में सेंसर के मापदण्डों में कोई अन्तर क्यों होना चाहिए ?

श्री इ० कु० गुजराल : माननीय सदस्य की जानकारी के लिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह समिति राज्य सभा की सिफारिश और स्पष्ट संकल्प के आधार पर बनाई गई है। इसलिये यह समिति सरकार द्वारा अपनी ओर से नहीं बनाई गई है बल्कि इसलिए बनाई गई है कि संसद् ने ऐसा करने का हमें निदेश दिया था। अब संसद् के निदेश के अन्तर्गत 28 मार्च, 1968 को यह समिति स्थापित की गई। प्रतिवेदन लगभग 3 महीने में प्राप्त होने की आशा है। इसमें अनुचित समय नहीं लग रहा है। जहाँ तक सेंसर के बारे में सामान्य दृष्टिकोण का सम्बन्ध है, मेरी माननीय मित्र के साथ काफी हद तक सहानुभूति है। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि माध्यम के रूप में फिल्मों के बारे में हमारा दृष्टिकोण, सकारी और नकारी, हमारे सामाजिक उद्देश्यों और हमारी सामाजिक प्रगति के अनुरूप होना चाहिए। इसलिए इस समिति के निर्देश-पद काफी व्यापक हैं और इस समिति में लोगों द्वारा दिखाई गई रुचि को देखते हुए हम आशा करते हैं कि जब समय होने पर इसका प्रतिवेदन प्राप्त होगा, हम अपना सम्पूर्ण दृष्टिकोण बदल सकेंगे और एक उचित फिल्म नीति बना सकेंगे।

Shrimati Sushila Rohtagi : Mr. Speaker, Sir, the role of Film Censorship Committee is very importent since it prevents showing of inferior type of films. Is there any advisory Committee of Government through which films with high ideals could be encouraged ; if so, will a programme be drawn up for free and compulsory exhibition of the film on the life of Mahatma Gandhi produced through the Films Division ?

Shri I. K. Gujral: The film on Gandhi ji has been produced jointly by the Films Division and the Gandhi Centenary Committee. The propirtory rights of this film are owned by the Gandhi Contenary Committee. We are requesting them to prepare large number or prints so that it may be exhibited on a large scale.

Shri A. B. Vajpayee : It is too lengthy.

Shri I. K. Gujral : Yes, its duration is five hours. We are trying to prepare a short version of it so that it may be exhibited in schools and other institutions.

As regards the general advisory body, our view is that we should await the report, which is likely to be received within a month, and the terms of references of this committee are very wide and the members on the committee—Members of Parliament and others are all very wise persons. I think it will be convenient for us to formulate a new policy after the receipt of their report.

Shrimati Sushila Rohtagi : I want to seek one clarification. Of course, the film 'Mahatma' is very lengthy but is it not possible to arrange its exhibition by deferring one day' normal teaching ?

Shri I. K. Gujral : We will certainly consider this point once a decision is taken by

that Gandhi Cantenary Committee, about the number of prints to be made out and the prints finally prepared. It is a good suggesion.

श्री ज्योतिर्मय बसु : पश्चिम बंगाल संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा 'मनुष्य जय यात्रा' नामक चलचित्र तैयार कराया गया था लेकिन उसे फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा रोक लिया गया है। क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है और यदि हाँ, तो क्या वे हमें बतायेंगे कि इसको दिखाये जाने से रोकने के क्या कारण हैं ?

श्री इ० कु० गुजराल : माननीय मित्र की जानकारी पूर्ण रूप से ठीक नहीं है। पश्चिम बंगाल सरकार ने यह चलचित्र तैयार नहीं किया है। हमारी जानकारी यह है कि यह फिल्म एक गैर-सरकारी निर्माता द्वारा बनाई गई थी और पश्चिम बंगाल सरकार इसे खरीदने के बारे में सोच रही है। नियमों के अनुसार इसे केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड तथा फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई को प्रस्तुत करना आवश्यक है। सामान्य नियमों के अनुसार सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा इसकी जाँच की जा रही है।

Shri P. L. Barupal : The hon. Minister just now said that it is a lengthy film with a running time of 5 hours and therefore, it will be edited to prepare a shorter version. Will it not undermine the importance of the film ? Will the people be able to understand the character of Mahatma Gandhi, which this film intends to portray ?

Shri I. K. Gujral : May I submit that let there be no misunderstanding that we plan to cut short the film. It will remain as it is. But it is a good suggestion that some small films are produced which may be shown conveniently.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरे मित्र श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा उठाये गये प्रश्न के अनुसरण में मैं एक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या कारण है कि हमारे पास यह जानकारी है— और मंत्री महोदय ने भी समाचारपत्रों में पढ़ा होगा कि कुछ दिन पहले कलकत्ता में इस वृत्त-चित्र का प्राइवेट शो हुआ था, जिसमें क्षेत्रीय सेंसर अधिकारी और सूचना मंत्री भी उपस्थित थे और इस चित्र को स्वीकृति दी थी और यह समाचार था कि उसी दिन अथवा अगले दिन प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जायेगा ? चूँकि यह प्रतिवेदन, जिसके अन्तर्गत नये नियम और सिद्धान्त बनाये जाने वाले हैं, अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, क्या यह असामान्य प्रक्रिया नहीं है कि जब क्षेत्रीय फिल्म सेंसर अधिकारी ने इस वृत्तचित्र को स्वीकृति दे दी थी और प्रमाण-पत्र जारी किया जाने वाला था, इसे बम्बई स्थित केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड को भेज दिया गया ? इसके लिए कौन उत्तरदायी है और इस सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया है ? इस वृत्तचित्र के बारे में ऐसी असामान्य प्रक्रिया अपनाने का कारण क्या है ?

श्री इ० के० गुजराल : मैं नहीं समझता कि यह जानकारी सही है कि क्षेत्रीय सेंसर अधिकारी प्रमाण-पत्र जारी करने वाले थे। क्षेत्रीय अधिकारी ने सामान्य प्रक्रिया के अनुसार इसे स्वीकृति के लिए बम्बई भेजा है। राजनीतिक आधार पर किसी चित्र को आपत्तिजनक घोषित करना हमारा काम नहीं है। इस सम्बन्ध में कुछ निर्धारित नियम और सिद्धान्त हैं और मैं समझता हूँ कि जब तक उनमें परिवर्तन नहीं किया जाता है, हमें वे स्वीकार करने चाहिएं।

Shrimati Lakshmikant amma : Mr. Speaker, Sir, it is vioslation of the rules to allow obscene scenes and other things even after censorship. What is the plan of Government to check this ?

Shri I. K. Gujral : Mr. Speaker, Sir, nobody can support obscenity. As regards obscenity, there can be different shades of opinion about it.

Shri A. B. Vajpayee : Appoint a committee for the purpose.

Shri I. K. Gural : A committee is already going into the question.

Shri Hukam Chand Kachwai : Mr. Speaker, Sir, the films imported from abroad contain very indecent scenes which are neither considered proper in our country nor these are in conformaity with our culture, such as kissing. It is highly improper. May I know whether the films imported from foreign countries will be censored properly ?

In addition to this the wall cine-posters contain indecent pictures, which are not liked by the people. Will Government take steps to prevent display of such posters ?

Shri Rabi Ray : See Kornark and Khajuraot.

श्री इ० कु० गुजराल : मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य को किस बात पर आपत्ति है ? वे चुम्बन पर आपत्ति कर रहे थे अथवा फिल्मों में चुम्बन लिया जाना दिखाने पर आपत्ति कर रहे थे ? ये दो भिन्न बातें हैं। मैं तो यह बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि कुछ नियम और सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं ।

जहाँ तक पोस्टरों का सम्बन्ध है, वह स्थानीय अधिकारियों का उत्तरदायित्व है, केन्द्रीय सरकार का नहीं ।

Shri Prem Chand Verma : The hon. Minister has not given clear cut answers. I want to raise following small queries :

(1) what are the terms of reference of the committee in brief ;

(2) the names of the members of the committee and the criteria for their nomination ; and

(3) the member of complaints received by the Censor Board during 1968-69 and the action taken thereon ?

श्री इ० कु० गुजराल : जहाँ तक निर्देश-पद का सम्बन्ध है, यह सात निर्देश-पदों की लम्बी सूची है ।

अध्यक्ष महोदय : वे इसे सभा-पटल पर रख दें ।

श्री इ० कु० गुजराल : मैं इसे सभा-पटल पर रख दूंगा ।

जहाँ तक सदस्यों की संख्या का सम्बन्ध है, 16 सदस्यों में से 8 संसद् सदस्य हैं और 8 विभिन्न क्षेत्रों के अन्य विशेषज्ञ हैं । यदि आप चाहें, तो मैं इसे भी सभा-पटल पर रख सकता हूँ । प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या के बारे में मुझे पूर्व सूचना चाहिए । फिल्म सेंसर बोर्ड जैसा संगठन जब कुछ अंशों को फिल्मों से निकालता है, तो स्वाभाविक है कि उसके विरुद्ध कुछ शिकायतें आयेंगी ।

श्री स० कुन्दू : हाल ही में हमारे एक बहुत प्रसिद्ध निर्माता श्री के० ए० अब्बास द्वारा 'दी टेल आफ फोर सिटीज' नाम का एक बहुत अच्छा वृत्तचित्र बनाया गया था । इस वृत्त-

चित्र में जीवन के विभिन्न पहलुओं का हमारे नगरों और महलों तथा झोपड़ियों के सुख और कष्ट और अन्य बातों के अलावा नगरों में रहने वाले धनी समाज और साथ ही दूसरी ओर अत्यधिक गरीबी, का चित्रण किया गया है। सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म का भी सेंसर किया है और इसे 'यू' प्रमाण-पत्र नहीं दिया गया है। मैं समझता हूँ कि इसके विरुद्ध सरकार से अपील की गयी थी और सरकार ने इस सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है और चुप्पी साधे बैठी है, इसके क्या कारण हैं ?

श्री इ० कु० गुजराल : चूंकि एक अपील की गई है, हम इस पर विचार कर रहे हैं। सेंसर बोर्ड ने इसे अस्वीकृत नहीं किया बल्कि 'ए' प्रमाणपत्र दिया है। अपील इस बात को ले कर की गई है कि क्या इसे 'यू' प्रमाणपत्र दिया जाये जिससे बच्चे भी इसे देख सकेंगे। हम इस दृष्टिकोण से इस पर विचार कर रहे हैं।

श्री वेदव्रत बरुआ : आज फिल्म निर्माण उद्योग में अनेक गीत तैयार करने तथा बाद में उन गीतों को जोड़ने के लिये एक कथावस्तु ढूंढ़ी जाती है और सभी कथावस्तु इतनी जर्जर होती हैं कि उनका कोई अस्तित्व ही नहीं होता और अन्त में सारा परिवार मिल जाता है। सेंसर की कैंची इस प्रकार की फिल्मों का निर्माण नहीं रोक सकती है। क्या हमारी महान पुस्तकों पर आधारित फिल्मों के निर्माण को, जैसा कि पूर्व और पश्चिम के अनेक देशों में किया जाता है, प्रोत्साहन देने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ? क्या इसके लिए कोई उपाय करना सरकार के लिए संभव है ?

श्री इ० कु० गुजराल : हम फिल्मों को लोक शिक्षा और लोक जानकारी का माध्यम समझते हैं। इसलिए हमारा उद्देश्य और दृष्टिकोण यह है कि सभी माध्यमों की तरह इस बात के अतिरिक्त कि वे हमारे सामाजिक तंत्र के अनुरूप हों, उन्हें अधिकतम स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिये। हम अवश्य चाहेंगे कि हमारी फिल्में भी अन्य देशों की तरह अच्छी बनें और उनके स्तर में सुधार हो। लेकिन हमें यह बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि विश्व में जहाँ कहीं भी हमारी फिल्में दिखाई गई हैं, प्रायः सभी जगह उन्हें सम्मान मिला है। इस सम्बन्ध में मैं विशेष रूप से 'अनन्त' नामक वृत्तचित्र का उल्लेख करना चाहूँगा, जो इंगलैंड में 11,00 पौंड और उससे प्राप्त होने वाली आय के 50 प्रतिशत पर बेची गई है, इंगलैंड में किसी विदेशी वृत्त-चित्र को प्राप्त होने वाला यह अधिकतम मूल्य है।

मुख्य बात यह है कि समस्या के प्रति हमारा दृष्टिकोण यथार्थवादी है। हम नकारात्मक कार्य करने के बजाय फिल्म वित्त निगम, फिल्मी पुरस्कारों और फिल्म संस्थान में प्रशिक्षण के जरिये इस बारे में विचारधारा और तरीकों को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं।

गुजरात में भूमिगत जल के संसाधनों का सर्वेक्षण

*880. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गुजरात में भूमिगत जल के संसाधनों का कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) गुजरात में भूमिगत जल के संसाधनों से लगभग कितने एकड़ भूमि में सिंचाई किये जाने की सम्भावना है; और

(ङ) गुजरात में भूमिगत जल अनुपात का अन्य राज्यों में भूमिगत जल के अनुपात की तुलना में कितना है ?

खाद, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) से (ङ) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) जी, हाँ ।

(ख) दूसरी तथा तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में, कृषि विभाग के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय, प्रयोगात्मक नलकूप संगठन ने गुजरात राज्य में 89 स्थानों पर प्रयोगात्मक छिद्रण-कार्य आरम्भ किया था जिनमें से 22 स्थानों पर तो सफलता प्राप्त हुई तथा शेष स्थानों पर काम छोड़ना पड़ा क्योंकि या तो वहाँ पर पानी की किस्म घटिया थी या पानी की निकासी ठीक नहीं थी । 89 स्थानों के छिद्रण-कार्य के जिलावार पृथक्-पृथक् आँकड़े इस प्रकार हैं :—

जिला	खोदे गये बरमों की संख्या	सफल	छोड़े गये
कच्छ	22	8	14
बनसकांठा	12	6	6
मेहसाना	14	5	9
जामनगर	12	—	12
जूनागढ़	7	—	7
भावनगर	4	—	4
अहमदाबाद	4	—	3
झालावाड़	13	2	11
मध्य सौराष्ट्र	1	—	1
योग	89	22	67

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) इस बारे में एक स्थूल-सा अनुमान लगाया गया है कि राज्य में लघु सिंचाई के लिए दीर्घकालीन भूमिगत जल कितनी मात्रा में मिलने की सम्भावना है तथा अन्ततोगत्वा भूमिगत जल संसाधनों से लघु सिंचाई लगभग 30 लाख एकड़ भूमि पर किये जाने की सम्भावना है ।

(ङ) ऐसा अनुमान लगाया गया है कि देश के कुल भूमिगत सम्भावित जल में से गुजरात राज्य में भूमिगत सम्भावित जल लगभग 5 प्रतिशत होने की सम्भावना है ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : विवरण से पता चलता है कि :

"दूसरी तथा तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में, कृषि विभाग के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय, प्रयोगात्मक नलकूप संगठन ने गुजरात राज्य में 89 स्थानों पर प्रयोगात्मक छिद्रण-कार्य आरम्भ किया था, जिनमें से 22 स्थानों पर सफलता प्राप्त हुई ।"

क्या मैं जान सकता हूँ कि चौथी योजना में इसका लक्ष्य क्या होगा ?

आगे विवरण में कहा गया है :

"इस बारे में एक स्थूल-सा अनुमान लगाया है कि राज्य में लघु सिंचाई के लिये दीर्घकालीन भूमिगत जल कितनी मात्रा में मिलने की सम्भावना है तथा अन्ततोगत्वा भूमिगत जल संसाधनों से लगभग 30 लाख एकड़ भूमि पर लघु सिंचाई किये जाने की सम्भावना है ।"

क्या मैं जान सकता हूँ कि 30 लाख एकड़ भूमि का लक्ष्य पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : यह कहना बहुत कठिन है कि उक्त भूमि पर कब तक सिंचाई होने लग जायेगी । चौथी योजना में इसमें से अधिकांश एकड़ भूमि पर लघु सिंचाई किये जाने की सम्भावना है ।

जहाँ तक प्रयोगात्मक नलकूप संगठन के कार्यक्रम का सम्बन्ध है उसके लिये धन नियत कर दिया गया है तथा चौथी पंचवर्षीय योजना के आँकड़े निकट भविष्य में तैयार किये जायेंगे ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : मैं समझता हूँ कि गुजरात में एक भूमिगत 'सैल' स्थापित कर दिया गया है । क्या मैं जान सकता हूँ कि उसे कितनी सफलता प्राप्त हुई है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : भूमिगत जल 'सैल' को राज्य सरकार चला रही है । जहाँ तक केन्द्र का सम्बन्ध है, हम राज्य सरकार द्वारा किये गये व्यय का 50 प्रतिशत भाग देते हैं । उस सैल का वास्तविक कार्य भूमिगत जल की सम्भावनाओं का पता लगाना, नलकूप लगाने में किसानों की सहायता करना तथा कुओं आदि के बीच की दूरी के बारे में सुझाव देना है । जहाँ तक गुजरात राज्य का सम्बन्ध है, वहाँ पर सफलतापूर्वक काम हो रहा है ।

Shri Maharaj Singh Bharati : Keeping in view that there isnothing under consideration about big farms in Gujarat, the dispute of Narmada has not been resolved so far and there is no scheme of big *bunds* there, may I know whether Government will give first priority to discharge completely the underground water ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे: जी, हाँ । जहाँ तक गुजरात तथा अन्य स्थानों पर लघु सिंचाई कार्यों का सम्बन्ध है हम सर्वप्रथम प्राथमिकता दे रहे हैं ।

Shri Baswant : The survey of underground water might have been done in other States also just like the survey of Gujarat. May I know the details of that ? May I also know whether it is proposed to dig wells of such underground water where irrigation is not done with the water of the river ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मुख्य प्रश्न केवल गुजरात के बारे में है । जहाँ तक अन्य राज्यों का सम्बन्ध है, वहाँ पर समान कार्यक्रम बनाये गये हैं ।

Shri Ram Charan : May I know whether there is any provision or not to install wells through some organisations where resources of water are available while doing boring work ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : कार्यक्रम को कार्यान्वित करना राज्य सरकार का काम है ।

Shri Randhir Singh : It is true, Sir, that the underground water in Gujarat cannot brought up either through tube-wells or through wells. Barring Gujarat there is underground water in the whole of Indo-Gangetic plain. The hon. Prime Minister had recently visited Haryana where there is sweet water in 13½ thousand square miles of area out of 16 thousand square miles at a level of 14 or 15 feet. In case that water is utilised through tubwells, then the adjacent area of Delhi and the area of Haryana can feed the whole of the country. May I know whether there is any scheme to bring up that water so that there is no scarcity of foodgrains left in the country ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मुख्य प्रश्न गुजरात के बारे में है तथा जहाँ तक उस राज्य का सम्बन्ध है मेरे विवरण में स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है ।

Progress in the field of Agriculture and minor Irrigation in Eastern District of U. P.

*881. +**Shri Narain Swarup Sharma** : **Shri Ram Swarup Vidyarthi** : **Kumari Kamala Kumari** :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the extent of work done in the field of agriculture and minor irrigation in each of the four Eastern Districts of Uttar Pradesh, as per the recommendation of the Patel Commission and the amount of money spent in connection therewith out of the funds earmarked for that purpose according to the recommendations of the said Commission ;

(b) whether Government porpose to implement fully the recommendations made in the report of the Patel Commission ;

(c) if so, when ; and

(d) if not, the reasons therefore ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) से (घ) जी हाँ । आजमगढ़, देवरिया, जौनपुर तथा गाजीपुर, चार जिलों के बारे में पटेल आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया था । राज्य सरकार से विस्तृत जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है तथा यथासम्भव शीघ्र उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

Shri Narain Swarup Sharma : May I draw the attention of the hon. Minister to the fact that a race of backwardness is going on in the world and India is leading in that race and in a race in India Uttar Pradesh is leading owing to mis-rule there during the last twenty years. In Uttar Pradesh also the more backward area is of eastern districts and the sad story of that is that in those districts there is one district Basti, from where I come here is, the district where people do not know that name of development even. During the last five years the backwardness of that district has further worsered. Patel Commission was appointed which has made recommendations in regard to four districts. The hon. Minister has said that those recommendations are under consideration and will be implemented in full. But nothing has been done in regard to Basti district. May I therefore know whether anything

will be done regarding them in future when nothing as been done so far ? The ex-chief Minister, Shrimati Sucheta Kripalani and Shri K. D. Malaviya, those who consider themselves to be the Socialists, were Members of Parliament from there. Even then nothing has been done. May I know whether anything will be done regarding the agricultural schemes ? In this connection I want to draw your attention to the fact that on this account or that about three forth tube-wells are lying idle there.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : हमने सुझाव दिया है कि बस्ती तथा बलिया दोनों जिलों को शामिल किया जाय ताकि पटेल आयोग की सिफारिशों को वहाँ पर लागू किया जा सके। हमने राज्य सरकार से प्रार्थना की है कि इस काम के लिए एक विशष योजना बनाई जाये।

Shri Narayan Swarup Sharma : May I know the time likely to be taken to work out the same ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : इसे दो वर्षों से क्रियान्वित किया जा रहा है। इस वर्ष इनको चौथी योजना में शामिल किया जायेगा।

Shri Chandra Jeet Yadav : May I know from the hon. Minister whether the Patel Commission had laid special stress on certain things. The backward areas of Uttar Pradesh are effected every year either by drought or floods. There is great scarcity of irrigation facilities there. There is also shortage of roads and transport. A Committee under the chairmanship of Shri Ashok Mehta was appointed to suggest ways to make improvement in those areas. The recommendation of that Committee have not been implemented. Then Patel Commission was appointed by the Central Government. The State Government complains that the Central Government is not providing the necessary funds to implement those recommendation. The recommendations were accepted by the Central Government but owing to increase in expenditure over sefty measures in the country on account of Pakistani aggression the Government had postponed their implementation. Now the fourth Five Year Plan is in the offing, keeping that in view and also the fact that there is regional imblance in the country and the feeling of unhappiness is increasing in them whether Government propose to implement these recommendations in the eastern districts of U. P. where the population is about quarter to three crores and which are most backward in every respect and if not, then I challenge the Government that a very strong movement will start in those districts which will make it difficult for Government to work. May I know, therefore, whether Government will take any steps to implement those recommendations along with the help of State Government ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह प्रशंसा की बात है कि माननीय सदस्य उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के बारे में इतना ख्याल रखते हैं। इसे देखते हुए ही पटेल आयोग बनाया गया था तथा उस आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिये गत दो वर्षों में योजना आयोग ने 8·5 करोड़ रुपये की विशेष धनराशि नियत की थी। अब राज्य सरकार को यह सुझाव दिया गया है कि उन्हें उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के लिये पटेल आयोग की सिफारिशों को दृष्टि में रखते हुए विकास आदि के लिये एक विशेष योजना बनानी चाहिए।

श्री चन्द्रजीत यादव : राज्य सरकार को उन सिफारिशों को लागू करने का सुझाव दिया गया है। परन्तु राज्य सरकार यह शिकायत करती है कि केन्द्रीय सरकार ने सहायता का अपना हिस्सा उन्हें नहीं दिया है। इसलिये मैंने यह पूछा था कि क्या केन्द्रीय सरकार अपना

उत्तरदायित्व पूरा करने को तैयार है अर्थात् क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को धन देने को तैयार है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : राज्य ने चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए एक योजना पहले ही बना ली हुई है तथा उसका ध्यान रखना योजना आयोग का काम है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

अहमदाबाद के निकट भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से गेहूँ के बोरों का गुम होना

*871. **डा० सुशीला नैयर** : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर, 1968 में अहमदाबाद के निकट भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से लगभग 2 लाख रुपये के मूल्य के गेहूँ के 2300 बोरे गुम हो गये थे ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस मामले की कोई जाँच की गई है ;

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और इस बारे में सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):

(क) जी हाँ।

(ख) और (ग) राज्य पुलिस तथा केन्द्रीय जाँच ब्यूरो इस माले की जाँच कर रहे हैं और उनकी जाँच अभी पूरी नहीं हुई है। राज्य की पुलिस ने गोदाम के मालिक तथा क्षेत्रीय प्रभारी प्रबन्धक को हिरासत में ले लिया था। क्षेत्रीय प्रभारी प्रबन्धक सहित 4 अधिकारियों को मुअत्तल कर दिया गया है।

मेहसाना जिला (गुजरात) में भूमिगत पानी का समाप्त हो जाना

*872. **श्री रा० की० अमीन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार के मेहसाना जिले में भूमिगत पानी का तल बहुत नीचे चला गया है और वर्षा की कमी के कारण भूमिगत पानी तेजी से समाप्त होता जा रहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या गुजरात सरकार ने गुजरात राज्य के जल संसाधनों के प्रयोग के लिए कोई योजना बनाई है और स्वीकृति के लिए केन्द्रीय सरकार को भेजी है ;

(ग) क्या गुजरात राज्य ने स्थिति को सुधारने के लिए नर्मदा तथा माही सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र क्रियान्वित करने के लिए भी कहा है ; और

(घ) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):

(क) जी हाँ। मेहसाना के कुछ भागों में जलाशयों में पानी के एक सीमा तक मरे जाने के कारण प्रदेश में जल का स्तर बहुत कम हो गया था।

(ख) जी, हाँ।

(ग) जी, हाँ।

(घ) माही परियोजना को कार्यान्वित किया जा रहा है । नर्मदा विवाद को शीघ्र ही बातचीत के द्वारा निबटाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं, जिसके असफल होने पर न्याय-निर्णय का मार्ग अपनाना पड़ेगा ।

माडर्न बेकरीज (इंडिया) लिमिटेड

*873. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माडर्न बेकरीज (इंडिया) लिमिटेड की अधिकृत पूंजी कितनी है ;

(ख) इस कम्पनी द्वारा कितनी बेकरी चलाई जा रही हैं ;

(ग) गत वित्तीय वर्ष में कम्पनी की कुल बिक्री कितनी थी ;

(घ) माडर्न बेकरीज (इंडिया) लिमिटेड द्वारा कितनी बेकरी बनाई जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) एक करोड़ रुपये ।

(ख) पाँच ।

(ग) 1967–68 के लिये 14.97 लाख रुपये ।

(घ) चार ।

पेकिंग रेडियो द्वारा भारत-विरोधी प्रचार

*874. **श्री समर गुह** : **श्री क० मि० मधुकर** :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पेकिंग रेडियो से भारतीय जनता के लिए प्रतिदिन एक विशेष प्रसारण कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है और क्या उस कार्यक्रम के अन्तर्गत भारतीय लोकतन्त्र पर नियमित रूप से जोरदार चोट करने वाले प्रसारण किये जाते हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो चीन के इस भारत-विरोधी प्रचार का मूल विषय और उद्देश्य क्या हैं ; और

(ग) क्या आकाशवाणी से चीन में रहने वाले चीनी लोगों के लिए कोई ऐसा कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है जिसमें पेकिंग रेडियो के भारत-विरोधी प्रचार का खण्डन करने वाले प्रसारण भी किये जाते हों ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) जी, हाँ ।

(ख) चीन का यह प्रचार भारत के आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक कार्यक्रमों पर ठेस पहुँचाता है तथा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी लोकतांत्रिक उपलब्धियों को कम करता है ।

(ग) जी हाँ, आकाशवाणी के वैदेशिक प्रसारण कार्यक्रम के अन्तर्गत 'कैन्टोनीज' तथा 'कौयू' में प्रतिदिन एक घंटे का प्रसारण कार्यक्रम होता है ।

सिंचाई के लिये कुएँ खोदना

*876. **श्री गाडिलिंगन गोड** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंचाई के लिय कुएँ खोदने के लिए भूमिगत पानी की उपलब्धता का पता लगाने में किसानों की सहायता करने के लिये क्या सरकार द्वारा कोई व्यवस्था की गई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे):

(क) और (ख) भूमिगत पानी वाले ऐसे क्षेत्रों का, जहाँ पर भूमिगत पानी की मात्रा इतनी अधिक तो न हो कि उसकी जाँच केन्द्रीय अनुवेषणात्मक नलकूप संगठन द्वारा की जाये किन्तु जहाँ से खुदे कूपों, खुदे-एवं-वेध कूपों तथा उथले नलकूपों द्वारा पानी निकाला जा सकता हो, पता लगाने के उद्देश्य से भूमिगत पानी का सर्वेक्षण करने के लिये केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना 1966-67 में आरम्भ की गई थी। इस योजना के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य थे :

(क) खुदे कूपों / नलकूपों की किस्म, उनमें उचित दूरी, खुदे कूपों से अधिक पानी निकालने के लिए उनका कितना, किस प्रकार का तथा किस तरह का वेधन, कूप स्थापित करने के लिए पानी उठाने वाले उचित उपकरणों के चयन जैसे मामलों में किसानों का तकनीकी तौर पर मार्गदर्शन करना ; और

(ख) कूपों / नलकूपों के निर्माण का नियमन करना जिससे कूपों पर अधिक राशि खर्च होने तथा उनके असफल हो जाने का कोई अनुचित जोखिम न हो ।

इस कार्यक्रम में विभिन्न सूत्रों से भूमिगत पानी के आँकड़े इकट्ठे करने तथा उनको मिलाने और कूपों / नलकूपों में गाद जमने, उनकी खुदाई करने तथा उनको उचित दूरी पर लगाने के बारे में विभिन्न महत्वपूर्ण बातों में मागदर्शन कर के राज्यों में भूमिगत पानी विकास कार्यक्रम की तुरन्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्यों में भूमिगत पानी सैलों की स्थापना करने का प्रस्ताव किया गया था। हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान जैसे कई राज्यों ने अपने भूमिगत पानी सैल पहले ही स्थापित कर लिये हैं और अन्य राज्य ऐसे सैल स्थापित करने की कार्यवाही कर रहे हैं ।

भारतीय चलचित्रों का स्तर

*879. **श्री वेदव्रत बरुआ** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चलचित्र, अपनी विषय-वस्तु और प्रस्तुतिकरण के मामले में, पश्चिम तथा सोवियत रूस में बनी फिल्मों के समतुल्य हैं;

(ख) यदि नहीं, तो भारतीय चलचित्रों के स्तर में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है, और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या परिणाम रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल):

(क) प्रत्येक फिल्म की चाहे वह भारत में बनी हो अथवा विदेश में, स्वाभाविक रूप से उसकी अपनी विषय–वस्तु होती है और उसके प्रस्तुतिकरण का ढंग और स्तर उसका अपना होता है । अतः भारतीय फिल्मों और पश्चिम में विभिन्न देशों और सोवियत संघ के बीच सामान्यित तुलना उचित नहीं होगी । सर्वोत्तम भारतीय फिल्में पश्चिम देशों और सोवियत संघ में बनी सर्वोत्तम फिल्मों की अच्छी तुलना करती हैं और उन्हें अनेक फिल्म समारोहों में अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है ।

(ख) और (ग) सवाल नहीं उठते ।

बेरोजगार खेतिहर मजदूर

*882. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार खेतों में काम करने वाले ऐसे खेतिहर मजदूरों को, जिन्हें पूरे वर्ष रोजगार नहीं मिलता है, रोजगार दिलाने के उपायों पर विचार कर रही है; और

(ख) क्या सरकार ने देश में पूरी तरह से और आंशिक रूप से बेरोजगार रहने वाले खेतिहर मजदूरों की संख्या का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) कृषि क्षेत्र में काम करने वाले अंशकालिक रूप से बेरोजगार श्रमिकों को चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मलित किये जाने वाले कृषि विकास के विभिन्न कार्यक्रमों से लाभ होगा ।

(ख) एक वर्ष के दौरान कृषि श्रमिक परिवारों के सदस्यों के रोजगार और बेरोजगारी के दिनों की संख्या के सम्बन्ध में आँकड़े दो कृषि श्रमिक जाँचों (1950–51) और 1956–57) तथा ग्राम श्रमिक जाँच (1964–65) के दौरान एकत्र किए गए ।

किसानों को कृषि के लिये ऋण

*883. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सारे देश में किसानों को कृषि के लिये दीर्घकालीन ऋण देने के प्रस्ताव को हाल में अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है, विशेष रूप से (एक) ऋण देने की शर्तों (दो) प्रत्येक किसान को दिये जाने वाले ऋण की कुल राशि (तीन) ऋणों पर ब्याज की दर और (चार) ऋणों की अदायगी के तरीके का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) जी नहीं

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं होते ।

Schemes for Improvement of Breed of Buffaloes

*884. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it a fact that 50 per cent of the total number of buffaloes in the world are in India and there is great demand for the brown buffalo in foreign countries ;

(b) if so the scheme formulated for the improvement of the breed during the Fourth Plan;

(c) whether final decision has been taken in regard to setting up of buffalo breeding Centres in Tamil Nadu or Andhra Pradesh ; and

(d) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde):

(a) According to Food and Agricultural Production Year Book , 1967, India contributes 43.75% to the total world buffalo to population. No country has specifically placed a demand for brown buffalo. However, permission was given last year for export of 20 Murrah buffaloes to Indonesia and 175 such buffaloes to Nepal.

(b) The following cattle development schemes which, *inter-alia*, include improvement of breed of buffaloes, are proposed to be continued during the Fourth Plan :

(1) Key village scheme.
(2) Intensive Cattle Development Scheme.
(3) Establishment of artificial insemination centres in urban and suburban areas.
(4) Establishment of buffalo breeding and bull rearing farms.
(5) Calf rearing scheme.
(6) Progeny testing scheme.
(7) Feeds and Fodder Development schemes.
(8) Strengthening and expansion of State Livestock Farmss and
(9) Cattle shows and milk yield competitions.

In addition, under the Centrally administered scheme for establishment of Central Breeding farms, a Farm for scientific breeding for Surti breed of buffaloes has been sanctioned at Ankleswar in Gujarat State, while the establishment of another similar farm for Murrah breed of buffaloes is under consideration. Furthermore, a number of farms are maintained in the States, in which a large number of buffalo herds are kept.

(c) and (d) A decision about the setting up of a Central buffalo breeding farm either in Tamil Nadu or Andhra Pradesh will be taken on receipt of the report of the Site Selection Team, which is expected shortly.

Consultation with Israeli Experts for Stepping up the Production of Food Grains in Rajasthan

*885. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the agriculture experts of Israel were ever consulted in connection with the stepping up of the production of goodgrains in Rajasthan ;

(b) whether any offer has been made by the said country on its own initiative to the Government of India to turn Rajasthan into a granary ; and

(c) if so, the time by which their experiences in this regard are likely to be utilised to our advantage ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculure, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) and (b) No. Sir.

(c) Does not arise.

कर्मचारी राजकीय बीमा निगम

*886. **श्री द० रा० परमार** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी राजकीय बीमा निगम ने खरीद, ठेकों और बिक्री से सम्बन्धित अधिकारियों और अनुसचिवीय पदों के लिए कर्मचारियों की भर्ती के सम्बन्ध में उपयुक्त निगम बना रखे हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) जी हाँ ।

(ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगम में विभिन्न लिपिक वर्गीय तथा अफसरों के पदों पर भर्ती, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (भर्ती) विनियमन, 1965 के अनुसार की जाती है । ये विनियमन भारत के राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल, 1965 में प्रकाशित किये गये थे । राजपत्र में भर्ती विनियमों के प्रकाशन के बाद कुछ नए पद मंजूर किये गये हैं और इन पदों के सम्बन्ध में भर्ती विनियम तैयार किये जा रहे हैं ।

जहाँ तक खरीद, ठेकों तथा बिक्री का सम्बन्ध है, निगम भारत सरकार के नियमों तथा प्रक्रियाओं का अनुसरण कर रहा है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Construction of Warehouses

*887. **Shri Bal Raj Madhok :** **Shri Molahu Prasad :**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5099 on the 19th December, 1968 and state :

(a) the number of warehouses, out of the 25,000 tonnes capacity warehouses which have been constructed and 9.65 lakh tonnes capacity warehouses proposed to be constructed, in producing areas and non-producing areas respectively ;

(b) whether Government are aware that farmers of Northern India face great difficulty in bringing their produce to the mandis and are exploited by the traders in mandis;

(c) if so, whether Government propose to construct godowns in villages in place of cities, and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) :

(a) In all, construction at 145 centres has been approved/undertaken. Of those, about 105 centres with a capacity of 6.93 lakh tonnes are situated in the producing areas and the rest in other areas / cities with heavy consumption.

(b) The experience of the F. C. I. is that the farmers generally prefer to carry their produce to the nearest mandi in the hope of getting a better price. Last year there were complaints particularly form U.P. that the farmers were being exploited by traders. However, the F. C.I. and other procuring agencies like the State Governments and Co-operative Federations have intensified their purchase operations in order to provide price support to the producers and minimise the chances of their being exploited by traders. The F. C.I. have also made arrangements for direct purchase of grains from the cultivators also at a number of centres.

(c) and (d) In view of the reply to (b) above, it is not necessary for Government to construct godowns in villages. The F. C. I. godowns are big units of not less than 5,000 tonnes capacity for collecting and storing procured grains as also for storage of buffer stocks. Smaller units will, therefore, be uneconomic. However, with a view to providing storage facilities to the farmers in rural areas and at mandi level, co-operative societies are given financial assistance for construction of godowns.

Labour Rights for Sweepers and Scavengers

*888. **Shri Om Prakash Tyagi : Shri Ram Charan :**

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government have any proposals under consideration to give such labour rights to the sweepers and scavengers as have been given to the factory workers ;

(b) if not, whether Government propose to advise the State Governments to give bonus to the said employees out of income earned by the Municipalities as a result of the sale of garbage and refuse ; and

(c) whether Government propose to advise the State Governments to give sufficient grant to Municipalities for constructing quarters for them with a view to improve their conditions of living ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) :

(a) The provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 are applicable to the sweepers and scavengers employed by Municipalities.

(b) The provisions of the Payment of Bonus Act, Act 1965 will not apply to employees employed by a local authority.

(c) Under the Centrally sponsored programme for the welfare of Backward Class, grants-in aid are given to the State Governments for the improvement of working and living condiitions of sweepers and scavengers. This scheme *inter alia* includes grant of subsidy for construction of houses for sweepers, scavengers, tanners and flayers and provision of house sites to members of Scheduled Castes who are (a) engaged in unclean occupations and (b) landless labourers For the housing of sweepers and scavengers in urban areas, not covered by the Slum Clearannce Scheme, a subsidy of 75 % is provided by the Department of Social Welfare.

समाचार–पत्रों के लिए डाक की दरें

*890. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा मंजूर किये गये समाचार-पत्रों की डाक दरों में परिवर्त्तन से छोटे समाचार-पत्रों के प्रकाशक सन्तुष्ट हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो उनकी माँगें क्या हैं और उन्हें स्वीकार करने में क्या कठिनाइयाँ हैं ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) :

(क) जी नहीं ; यह आशा नहीं की जा सकती कि वे डाक-प्रभार की दरों में किसी वृद्धि का स्वागत करेंगे ।

(ख) सामान्यतः उनकी माँग डाक-प्रभार की दरों में और विशेष रूप से 60 ग्राम से कम भार के समाचार-पत्रों पर डाक-प्रभार की दरों में कमी करने की है । फिर भी सरकार इस मामले पर गम्भीरता से विचार कर रही है ।

Washing Away of Wood Etc. to Pakistan through Floods in Assam and Darjeeling

*891. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that valuable wood and civil and military trucks belonging to Indians were washed away to Pakistan in September and October, 1968 floods in Assam and Darjeeling ;

(b) the estimated value of the wood and other items washed away to Paskistan ; and

(c) the steps being contemplated by Government to get back the same ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, and Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) Some timber and Ten Military Trucks are reported to have been washed away in the Darjeeling floods in September and October, 1968. No loss has been reported in Assam.

(b) Rs.5 lakhs approximately.

(c) It is not possible to say that these goods have been taken to East Pakistan by the flood waters.

'लेथीरस सतिवा' नामक दाल की खेती

*892. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'लैथीरस सतिवा' नामक दाल की खेती करने के परिणामस्वरूप बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के राज्यों में पक्षाघात के रोगियों की संख्या में तेजी से वृद्धि होती जा रही है और यदि हाँ, तो कितनी वृद्धि हुई है ;

(ख) राज्यवार कितने एकड़ भूमि में इस फसल की खेती की जाती है ;

(ग) किसानों को इस फसल की खेती करने की अनुमति देने के क्या कारण हैं जब कि मालूम है कि इस दाल से पक्षाघात हो जाता है ;

(घ) क्या यह सच है कि भारत अनुसंधान संस्था द्वारा अमरीकी सरकार की सहायता से "लैथीरस सतिवा" की विषरहित किस्म तैयार किये जाने की सम्भावना है ;

(ङ) यदि हाँ, तो कब तक और इस अनुसंधान परियोजना में अमरीकी सरकार का योगदान क्या होगा ; और

(च) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इससे वर्षों से हजारों ग्रामीणों को पक्षाघात हो रहा है क्या सरकार इस फसल की खेती पर तुरन्त प्रतिबन्ध लगाने पर विचार करेगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) कोई ऐसी जानकारी उपलब्ध नहीं है जिससे पता चले कि विभिन्न राज्यों में "लैथीरस सतिवा" के उगाने के फलस्वरूप लकवा के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है ।

(ख)

बिहार	935,000	हेक्टेयर
मध्यप्रदेश	694,000	"
पश्चिम बंगाल	200,000	"
महाराष्ट्र	157,000	"
आसाम	7,000	"
गुजरात	165,000	"
आन्ध्र प्रदेश	उपलब्ध नहीं ।	

(ग) खेसरा दाल (लैथीरस सतिवा) की खेती को अतीत में अनुत्साहित करने के बावजूद भी कृषक इसे उगा रहे हैं क्योंकि यह ऐसी पक्की खेती है जो प्रतिकूल जलवायु में भी उग जाती है और कम से कम कृषि परिश्रम के साथ खाद्यान्न एवं चारे का अच्छा उत्पाद देती है । सूखे की परिस्थिति में यह निचान वाले क्षेत्रों में उस समय भी यह अच्छी उपज देती है जब कि मटियार धान की भूमि पूर्ण रूप से सूख जाती है ।

(घ) लैथीरस सातेवा की किस्मों को चुनने के लिये जो या तो लैथीरिज्म के लिये उत्तरदायी रोगोत्पादक रसायन से बिल्कुल स्वतन्त्र है या उनमें बहुत ही थोड़े तत्व हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अनुसंधान कर रहा है । लैथीरस सतिवा की कुछ पंक्तियों को पहले ही पहिचान लिया गया है जिसमें कोई रोगोत्पादक रसायन नहीं होता है । यह कार्य अमरीकी सरकार की सहायता से नहीं किया जा रहा अपितु संस्थान इसे स्वेच्छा से स्वय कर रहा है ।

(ङ) अमरीकी सरकार द्वारा व्यय में हिस्सा लेने का प्रश्न नहीं होता। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इस कार्य को स्वयं ही कर रहा है और रोगोत्पादक रसायन से स्वतंत्र खेसारी की नई किस्मों को क्षेत्र परीक्षण के समाप्ति के बाद निर्मुक्त होने की सम्भावना है ।

(च) इन बीजों में जीव-विष प्रकृति की खोज के समय से, सरकार को दिया हुआ प्रथम स्पष्ट सुझाव था कि इस फसल की खेती पर पूर्णतया प्रतिबन्ध लगा दिया जाये । परन्तु इतना बड़ा कदम उठाने में सरकार के निर्णय पर कई व्यवहारिक बातों का बड़ा प्रभाव पड़ा है, जिनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित हैं :—

(1) वैकल्पिक फसलों के उगाने के लिये उचित सुविधायें प्रदान किये बिना पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने से क्षेत्र की कृषि व आहार सम्बन्धी प्रतिमानों को बड़ा आघात पहुँचेगा ।

(2) खेसरा के बीजों में प्रोटीन की काफी मात्रा (28 प्रतिशत) होती है ।

(3) हैदराबाद स्थित पोषण आहार अनुसंधान प्रयोगशाला ने एक ऐसी सरल विधि का विकास किया है जिसकी सहायता से बीजों में से टाक्सिन दूर की जा सकती है। रोगोत्पादक रसायन सिद्धान्त में घुल सकती है अतः अगर दाल एक रात के लिये पानी में भिगो कर तरल पदार्थ को फेंक दिया जाये तो दाल बिना किसी हानिप्रद प्रभाव के पका कर खायी जा सकती है ।

वन्य पशुओं का संरक्षण

*893. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कोई ऐसे आँकड़े एकत्र किये गये हैं जिनसे यह पता चले कि वन्य जन्तुओं के संरक्षण के लिये की गई एहतियाती कार्यवाही के अच्छे परिणाम निकले हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो गिर वन के शेरों, काश्मीरी बारहसिंगों, चित्तलों, काले मृगों (ब्लैक बक्स), चिकारों आदि के सम्बन्ध में गत तीन वर्षों के तुलनात्मक आँकड़े क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) और (ख) राज्य सरकारों से अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

ग्रामीण समुदायों के विकास के लिए केन्द्र

*894. **श्री रा० बरुआ** : **श्री नि० रं० लास्कर** :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण समुदायों के विकास की गति को तेज करने के लिये चौथी योजना में देश के विभिन्न भागों में 40 विकास केन्द्र स्थापित करने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) इन प्रस्तावित केन्द्रों से ग्रामीण समुदायों को कहाँ तक सहायता मिलेगी ; और

(घ) इन पर कुल कितनी धन-राशि खर्च की जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) :

(क) 'जीवनक्षम ग्रामीण समुदायों के लिए प्रायोगिक परियोजनाएँ' नाम की योजना के अन्तर्गत सम्भाव्य विकास केन्द्रों का पता लगाने और उनके विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों में मूल रूप में 40 प्रायोगिक परियोजनाएँ आरम्भ करने का प्रस्ताव था ; तथापि, आने वाली योजना अवधि में जितनी निधि उपलब्ध की जाने की सम्भावना है उसके अनुरूप अब केवल ऐसी 20 परियोजनाएँ आरम्भ करने का विचार है। इस योजना, जिसे अब योजना आयोग ने 'स्वीकृत क्षेत्र विकास के लिए प्रायोगिक परियोजनाएँ' का नया नाम दिया है, को अन्तिम रूप से स्वीकृति मिलने की प्रतीक्षा है ।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत चुने हुए क्षेत्रों में विकास केन्द्रों, जिनके आस-पास गाँवों के समूह हों, के उद्भव के लिए सुनियोजित निदेशन दिया जाना है और विकास के उन उपादानों का अध्ययन किया जाना है जिनके द्वारा ग्रामीण समुदाय जीवनक्षमता प्राप्त कर सके । इसमें इस बात की परिकल्पना की गई है कि क्षेत्रीय जाँच तथा प्रयोगात्मक अनुसंधान द्वारा दोषरहित पद्धति बना कर नए उभरने वाले विकास केन्द्रों का पता लगाया जाएगा और आर्थिक तथा जनसंख्या के आधार पर उनके आस-पास ऐसे गाँवों के बारे में निश्चय किया जाएगा जो इन आर्थिक और सामाजिक सेवाओं का भार उठा सकते हों । क्षेत्रीय जाँच के आधार पर इन क्षेत्रों में एक ओर समुदाय के सहयोग तथा कार्यवाही और दूसरी ओर योजना तथा योजना से बाहर के साधनों के ताल-मेल के माध्यम से अपेक्षित सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थापना उपलब्ध करने के लिए प्रयत्न किया जाएगा; इस अवस्थापना में अब भी यदि कोई महत्वपूर्ण कमियाँ रह जाती हैं तो वे, यथासम्भव सीमा तक, इस प्रयोजन के लिए योजना में निर्धारित की गई निधि की सहायता से पूरी की जाएँगी ।

(ग) इस योजना का उद्देश्य उन उपादानों तथा प्रक्रियाओं का अध्ययन करना है जो जीवनक्षम ग्रामीण समुदायों के सहयोग से विकास केन्द्रों के आस-पास एकीकृत क्षेत्र विकास करने में सन्निहित हैं ।

(घ) अन्य सम्बद्ध संसाधनों, जो उपलब्ध हो सकेंगे, के अतिरिक्त इस योजना के अन्तर्गत चौथी योजना अवधि में 145 लाख रुपए के व्यय होने का पूर्वानुमान है ।

एशियाई देशों में श्रम मंत्रियों का सम्मेलन

*895 **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री सीताराम केसरी :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री शिवचन्द्र झा :
श्री धीरेश्वर कलिता :
श्री मंगलाथुमाडोम :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 28 जनवरी, 1969 को एशियाई देशों के श्रम मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया ;

(ग) इस सम्मेलन में किन-किन विषयों पर चर्चा की गई और क्या-क्या निर्णय किए गए तथा उसमें भारत का योगदान क्या था ; और

(घ) इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) जी हाँ, सम्मेलन 28 से 31 जनवरी, 1969 तक नई दिल्ली में हुआ ।

(ख) भारत को मिला कर चौदह देश । इस सम्मेलन में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का भी प्रतिनिधित्व किया गया ।

(ग) इस सम्मेलन में निम्न विषयों पर चर्चा की गई :—

(i) मजूरी निर्धारण, औद्योगिक सम्बन्धों और मजदूर यूनियनों के सम्बन्ध में कानून तथा रीतियाँ ;

(ii) श्रम और तकनीकी प्रशिक्षण के विशेष हवाले सहित एशियाई क्षेत्र में तकनीकी सहयोग ;

(iii) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सदस्यता का दायित्व तथा एशिया में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का योगदान ।

सम्मेलन ने निम्नलिखित के सम्बन्ध में चार घोषणाएँ स्वीकार कीं :—

(i) मजूरी संघ और औद्योगिक सम्बन्ध ;

(ii) एशियाई क्षेत्र में तकनीकी सहयोग ;

(iii) एशियाई जनशक्ति योजना; और

(iv) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ।

भारत सरकार ने सम्मेलन का सचिवालय-कार्य किया और प्रतिनिधि मंडलों का आतिथ्य सत्कार भी किया ।

(घ) घोषणाओं के अन्तर्गत आने वाले मामलों के बारे में सरकार की नीति निर्धारित करते समय घोषणाओं को ध्यान में रखा जाएगा ।

चीनी का उत्पादन

*896. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय : श्री यशपाल सिंह :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967–68 में, राज्यवार, चीनी का कुल उत्पादन कितना हुआ और राज्यवार चीनी के विभिन्न कारखानों से कितनी-कितनी चीनी प्राप्त हुई ;

(ख) क्या वर्ष 1967–68 की तुलना में चीनी की उपलब्ध नवीनतम मात्रा में कमी हुई है और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं

(ग) सरकार को देश में उपभोग के लिये और निर्यात के लिए कितनी चीनी की आवश्यकता है; और

(घ) चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिये अब तक क्या भावी कार्यक्रम बनाया गया है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है । **[पुस्कालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 602/69]**

(ख) जी नहीं । 1968–69 में अब तक का चीनी का उत्पादन 1967–68 के चीनी के कुल उत्पादन से बढ़ गया है ।

(ग) आन्तरिक खपत के लिए चीनी की आवश्यकता के ठीक-ठीक आँकड़े नहीं दिए जा सकते हैं । तथापि, 1968–69 में आन्तरिक खपत के लिए 25 लाख मीटरी टन चीनी दी जाने की सम्भावना है । निर्यात के लिए लगभग एक लाख मीटरी टन चीनी की आवश्यकता पड़ने की सम्भावना है ।

(घ) आंशिक विनियत्रण की नीति चीनी-उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से अपनाई गई है । गन्ने के उचित आकर्षक मूल्य देने, कारखानों के क्षेत्रों में उत्पादिता सुधारने के लिए विस्तार सेवायें चालू करने तथा गन्ने के बढ़े उत्पादन की पेराई हेतु पर्याप्त क्षमता सुलभ करने का विचार है ।

दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में ट्रंक-कालों को मिलाने में विलम्ब

*897 **श्री रा० वे० नायक :**
श्री धीरेन्द्र नाथ देव :
श्री एस० पी० राममूर्ति :
श्री कृ० मा० कौशिक :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 जनवरी, 1969 को "टाइम्स आफ इंडिया' में प्रकाशित हुए इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई के टेलीफोन केन्द्रों में ट्रंकन्कालें मिलाने में देरी होने का मुख्य कारण यह है कि टेलीफोन आपरेटर प्रसूति-अवकाश पर चली जाती हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह सच है कि ट्रंककाल मिलाने में देरी होने से टेलीफोन विभाग को प्रतिदिन बहुत बड़ी राशि की हानि होती है ; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिये सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही कर रही है ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) जी हाँ, किन्तु बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास के एक्सचेंजों में ट्रंक-काल मिलाने में विलम्ब होने का मुख्य कारण महिला टेलीफोन आपरेटरों को प्रसूति-अवकाश दिया जाना नहीं है । प्रसूति-अवकाश के कारण अनुपस्थिति केवल $2\frac{1}{2}$ से 5 प्रतिशत ही है ।

(ख) प्रसूति-अवकाश के कारण आपरेटरों की कमी होने से ट्रंक-काल मिलाने में

विलम्ब होने की वजह से ट्रंक-काल रद्द करने पड़ते हैं जिससे कुछ राशि की हानि अवश्य होती है। किन्तु अलग से इसकी गणना नहीं की जा सकती।

(ग) कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती, क्योंकि महिला कर्मचारियों के लिए प्रसूति-अवकाश आवश्यक होने पर इसे देने से इंकार नहीं किया जा सकता।

आकाशवाणी केन्द्र, दिल्ली से व्यापार सम्बन्धी प्रसारण

*898. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** **श्री एस० आर० दामानी :**
श्रीमती तारा सप्रे :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी केन्द्र, दिल्ली से व्यापार सम्बन्धी प्रसारणों के लिए वाणिज्यिक सार्थों से आवेदन-पत्र माँगे गये हैं, और

(ख) इस सम्बन्ध मे क्या दरें निर्धारित की गई हैं अथवा करने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल):

(क) जी, हाँ।

(ख) दिल्ली की व्यापारिक प्रसारण सेवा की दर-सूची की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 603/69**]।

मत्स्य उद्योग के कर्मचारियों को पेरू में प्रशिक्षण

*899. **श्री वें० कृ० दासचौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को पेरू से इस आशय का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि वह मत्स्य उद्योग के कर्मचारियों को मत्स्य-भोजन तैयार करने वाले पेरू के कारखानों में प्रशिक्षण देने और इस उद्योग के लिये अन्य प्रकार की सहायता देने के लिए तैयार है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) मत्स्य-भोजन तैयार करने वाले पेरू के कारखानों में कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए पेरू से कोई विशेष पेशकश प्राप्त नहीं हुई है। खाद्य तथा कृषि संगठन से हाल ही में प्राप्त एक परिपत्र से मालूम हुआ है कि पेरू भारतीय सागर के तटीय देशों को मत्स्य-भोजन तैयार करने में अपने अनुभव तथा ज्ञान का लाभ देने को तैयार है।

(ख) विस्तृत जानकारी प्राप्त की जाएगी और मामले पर विचार किया जाएगा।

Difficulties of Telephone Users in Begusarai (Mongyr, Bihar)

*900. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Telephone Users Union, Begusarai (Monghyr, Bihar) had requested the P & T officials of Bihar Circle, through a Resolution passed by the Union on the 9th September, 1968, to remove some of their difficulties ;

(b) if so, the details of such difficulties enumerated in the resolutions ;

(c) whether Government have taken any steps to remove these difficulties ; and

(d) if so, the nature thereof ?

The Minister of Information and Broadcasting and Communications (Shri Satya Narayan Sinha):

(a) Yes. A copy of the resolution was sent to the Director General, P & T, New Delhi on 21-9-'68.

(b) The aforesaid resolution contained requests for (1) Provision of an Auto Dialling Trunk Circuit from Begusarai Exchange to Patna. (2) Provision of direct telephone connections from Begusarai Exchange to Calcutta, Muzaffarpur and Monhyr. (3) Provision of a line between Begusarai and Barauni Township.

The resolution also expressed difficulties with regard to (1) Defective Telephone Cords. (2) Delay in getting new telephone connections; and

(3) Delay in getting Trunk Calls from Begusarai.

(c) Steps taken and being taken are as detailed below :—

(d) As Begusarai is connected adequately to Patna, provision of a dialling circuit is not justified. The Trunk Traffic from Begusarai to Calcutta, Muzaffarpur and Moghyr being of very low order, direct connections to these places are not justified. Action is being taken to connect Begusarai with Barauni Township PBX owned by Oil Refinery. Faulty telephone cords wherever detected have been replaced. The technical maintenance at Begusarai Exchange has been tightened up. 7 new connections have recently been provided at Begusarai and action to provide 20 more is being taken. Further connections would be given when additional underground cable is laid. There is also plan for converting the manual into an Automatic Exchange. Trunk Call delays are normal.

मध्य प्रदेश में अनाज के गोदाम

5153. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में आनज के कितने गोदाम हैं, वे कहाँ-कहाँ हैं और उनमें कितना अनाज रखने की क्षमता है ;

(ख) क्या आनज संग्रह गोदामों में कुछ सुधार किये गये हैं या ऐसे डिजायन तैयार किये गये हैं और यदि हाँ, तो इन सुधारों की मुख्य रूपरेखा क्या है;

(ग) निकट भविष्य में मध्य प्रदेश में अनाज संग्रह करने के उत्तम गोदाम कहाँ-कहाँ और कितने बनाये जायेंगे और उनकी क्षमता कितनी होगी ;

(घ) क्या मध्य प्रदेश में अनाज संग्रह करने की आधुनिक प्रोद्योगिकी का प्रदर्शन किया गया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो कब, कितनी बार और कहाँ-कहाँ और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) खाद्य विभाग के सभी खाद्यान्न गोदाम अब भारतीय खाद्य निगम को हस्तान्तरित कर दिए गए हैं। भारतीय खाद्य निगम के इस समय कुल 45,000 मीटरी टन भण्डारण क्षमता के अपने गोदाम रायपुर, धमतरी, बिलासपुर और भोपाल में हैं। इनके अलावा, भारतीय खाद्य निगम ने मध्य प्रदेश में 123 केन्द्रों पर कुल 2,14,740 मीटरी टन भण्डारण क्षमता के गोदाम किराये पर भी लिए हुए हैं।

(ख) अपने गोदामों में सुधार किए गए हैं। इन सुधारों में गोदामों को चूहों, सीलन और दीमक से सुरक्षित बनाना शामिल है, इसके अलावा, इन गोदामों में वातन प्रबन्धों पर नियन्त्रण रहता है जिससे सारे गोदाम में प्रधूपन दिया जा सकता है और स्टाक को भी अच्छी हालत में बनाए रखा जा सकता है।

(ग) मध्य प्रदेश में निकट भविष्य में 14 केन्द्रों पर अर्थात् धमतरी, रायगढ़, सतना, रतलाम, विदिशा, टीकमगढ़, अशोकनगर, बाघबहारा, इन्दौर, दुर्ग, ग्वालियर, रायपुर, बिलासपुर और जबलपुर, कुल एक लाख मीटरी टन भण्डारण क्षमता के उन्नत संचयन ढाँचे बनाए जाने का विचार है।

(घ) और (ङ) 4 महत्वपूर्ण केन्द्रों पर साइलो और लगभग 100 केन्द्रों पर छोटे धात्विक बिन बनाने के लिए एक परियोजना शुरू की गयी है। इसके अलावा, प्रशिक्षण कार्यक्रम और किसानों के प्रयोग के लिए बहुत बड़ी संख्या में धात्विक बिन लगाने का कार्यक्रम विचाराधीन है। जहाँ तक प्रदर्शन यूनिटों के स्थान निर्धारण का सम्बन्ध है, राज्य सरकार के परामर्श से शीर्ष विपणन समिति द्वारा बहुत ही शीघ्र निर्णय किया जाएगा।

अधिक वोल्ट के चालू ट्रांसमीटरों पर दुर्घटनायें

5154. **श्री बादू राव पटेल :**
श्री रा० बरुआ०
श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा प्रचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में कार्यक्रमों को जारी रखने के लिए अधिक वोल्ट के चालू ट्रांसमीटरों पर आकाशवाणी के काम कर रहे कितने मेकेनिक दुर्घटनाग्रस्त हुए, इनमें से मरने वाले तथा घायल होने वाले व्यक्तियों के नाम क्या हैं, ये दुर्घटनायें किस तारीख को तथा किस केन्द्र पर हुईं और प्रत्येक मामले में कितना मुआवजा दिया गया;

(ख) क्या यह भी सच है कि जिन सुरक्षा उपकरणों तथा औजारों की व्यवस्था की गई है, वे बहुत खराब स्थिति में हैं और उनके द्वारा किये जाने वाले कार्य में इनके सुरक्षा की दृष्टि से कोई सहायता नहीं मिलती;

(ग) आकाशवाणी के कर्मचारी संघ द्वारा दिये गये ज्ञापन की मुख्य बातें क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) कर्मचारियों के जीवन की रक्षा के लिए सरकार ने क्या व्यावहारिक कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल):

(क) एक विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय मे रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 604/69] जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है। आकाशवाणी के किसी भी मैकेनिक को अधिक बिजली वोल्टों पर काम करने के लिए नहीं कहा जाता। जहां यंत्र पर काम करना आवश्यक हो भारतीय बिजली नियमावली के सम्बन्धित उपबन्धों का पालन किया जाता है तथा सीनियर पर्यवेक्षण स्टाफ द्वारा मार्गदर्शन किया जाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) एक विवरण संलग्न है [पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 604/69] जिसमें ए० आई० आर० टेक्निकल एम्प्लाइज एसोसियेशन के 27 मार्च, 1968 के पत्र में उठाई गई बातें तथा एसोसियेशन के सदस्यों को स्पष्ट किये गये सरकार के विचार दिए हुए हैं।

(घ) आकाशवाणी के व्यक्तियों की सुरक्षार्थ पर्याप्त सुरक्षा उपकरण सदा मुहैया किए जाते हैं और सुरक्षात्मक उपाय किए जाते हैं।

मनोरंजन-कर की वसूली

5155. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में भारतीय चलचित्र उद्योग से प्रतिवर्ष मनोरंजन-कर की कितनी वसूली की गई ;

(ख) गत तीन वर्षों में भारतीय चलचित्र उद्योग के लिए अपेक्षित कच्ची फिल्में और फोटो सम्बन्धी सामान से कितना उत्पादन-शुल्क वसूल किया गया ;

(ग) गत तीन वर्षों में सरकार ने वित्त के रूप में अथवा उत्पादन-शुल्क में छूट के रूप में भारतीय चलचित्र उद्योग की क्या सहायता की; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल):

(क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

भारतीय द्वीपों में शरणार्थियों को बसाना

5156. **श्री अदिचन** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत समुद्र क्षेत्र में स्थित लगभग 1,300 द्वीपों में पूर्वी पाकिस्तान तथा अन्य देशों से आये शरणार्थियों को बसाने और रोजगार देने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस उद्देश्य के लिए प्रयोग में लाये जा सकने वाले बड़े-बड़े द्वीपों का ब्यौरा क्या है और उक्त पुनर्वास योजना का अन्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) सरकार द्वारा संघीय क्षेत्र, अन्दमान तथा निकोबार द्वीपों, के त्वरित विकास का कार्यक्रम अनुमोदित कर दिया गया है । इस संघीय क्षेत्र में ज्ञात द्वीपों की संख्या 348 है ।

(ख) प्रारम्भ में विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्न द्वीप आते हैं ; इन द्वीपों का क्षेत्र-फल प्रत्येक के आगे दिया गया है :—

द्वीप का नाम	क्षेत्र फल (वर्ग मीलों में)
मध्य अन्दमान	592.9
दक्षिण अन्दमान	520.4
नील द्वीप	7.0
लिटल अन्दमान	282.4
कच्चल	67.3
ग्रेट निकोबार	403.3

1965 में विशेषज्ञों के एक दल का, जिसमें भारत सरकार के विभागों/मंत्रालयों से सदस्य लिये गये थे, गठन किया गया ताकि वह इन द्वीपों के त्वरित विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास की रूप-रेखा, के बारे में सरकार को सलाह दे; यह कार्यक्रम बाद में सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया । इस रिपोर्ट में, जिसकी प्रतिलिपियाँ संसद् पुस्तकालय में प्राप्य हैं, विकास कार्य-क्रम के सम्बन्ध में विस्तृत ब्यौरा तथा मार्गदर्शन दिये गये हैं । विशेषज्ञों की सिफारिशों के आधार पर मध्य अन्दमान द्वीप में बेटापुर में 2050 एकड़ वन-भूमि तथा नील द्वीप में अन्य 2000 एकड़ भूमि को साफ करने की योजनायें पहले ही अनुमोदित की जा चुकी हैं और पूर्वी पाकिस्तान से आए प्रवासियों के क्रमशः 339 और 86 परिवार उन भूमियों पर बसाये जा चुके हैं । चालू कृष्य काल में, पूर्वी पाकिस्तान से आये प्रवासियों के 84 परिवारों के एक जत्थे को नील द्वीप में बसाने का प्रस्ताव है ।

दक्षिण अन्दमान द्वीप में, भूतपूर्व वन-भूमि की 500 एकड़ भूमि पर, जिसे साफ कर दिया गया है, एक रबड़ बागान गवेषणा-एवं-विकास केन्द्र स्थापित कर दिया गया है । बर्मा से स्वदेश लौटे भारतीयों के 37 परिवार इस परियोजना में मजदूरी का कार्य कर रहे हैं । कच्चल द्वीप में 150 एकड़ भूमि साफ कर दी गई है और उसमें रबड़ पौद का रोपण कर दिया गया है । वर्त-मान कार्यक्रम के अनुसार, चालू रोपण काल में अन्य 250 एकड़ भूमि पर रोपण लगाया जायेगा । अन्ततः रबड़ रोपण के अन्तर्गत 6,000 एकड़ क्षेत्र होगा और उस पर श्रीलंका से स्वदेश लौटे भारतीयों के 1200 परिवारों को रोजगार पर लगाया जायेगा ।

पुनर्वास भूमि उद्धार संगठन के एक ट्रैक्टर यूनिट (एकक) का भाग लिटल अन्दमान द्वीप में भेज दिया गया है जहाँ इसने जंगल की सफाई का कार्य प्रारंभ कर दिया है । इस द्वीप के बारे में, कृषि-परिवारों को बसाने तथा विभिन्न प्रकार के बागान स्थापित करने की योजना तैयार की जा रही है ।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीपों में मत्स्य विकास की अच्छी प्रत्यांशा है। मत्स्य स्थापित करने की एक योजना तैयार की गई है और शीघ्र ही लागू कर दी जायेगी।

द्वीपों के मध्य, तथा मुख्य भूमि तथा द्वीपों के बीच, संचार सुविधाओं में सुधार के उद्देश्य से, जो कि इन द्वीपों के विकास के लिए परम आवश्यक है, मुख्य भूमि से द्वीपों को, तथा द्वीपों के बीच, सामान तथा मुसाफिरों को ले जाने वाले जहाजों की संख्या में वृद्धि कर दी गई है। 'जैटीस' तथा जहाज पर चढ़ने तथा जहाज से उतारने की अन्य सुविधायें बनाई जा रही हैं और पूर्ण होने की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

इन द्वीपों में लकड़ी की सम्पत्ति का उपयुक्त प्रयोग करने के उद्देश्य से, मध्यम आकार की आरा मिलों तथा प्लाईवुड फेक्टरियों का स्थापन दृष्टि में रखा गया है। इसके अतिरिक्त कुटीर उद्योग, जिनमें लकड़ी सहित वन-उत्पादों का प्रयोग होगा, भी दृष्टि में रखे गये हैं। इनके द्वारा प्रवासियों तथा स्वदेश लौटे लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली दुग्ध योजना में अनुसूचित जातियों, आदिम जातियों के अधिकारी

5157. **श्री रामचरण** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना में अब तक अनुसूचित जातियों, आदिम जातियों के कितने व्यक्ति राजपत्रित अधिकारी नियुक्त किये गये हैं ;

(ख) राजपत्रित पदों की कुल संख्या में उनकी प्रतिशतता कितनी है; और

(ग) उन्हें दिल्ली दुग्ध योजना में भविष्य में पूरा प्रतिनिधित्व देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):

(क) 2 (दो)।

(ख) दिल्ली दुग्ध योजना में राजपत्रित अधिकारियों के 64 स्वीकृत पदों में से 36 पदों को स्थानान्तरण / प्रतिनियुक्ति तथा पदोन्नति द्वारा पूरा किया जाना है तथा 28 पदों को संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा पूरा किया जाना है और इनके विषय में सामान्यतः अनुसूचित जातियों / अनुसूचित आदिम जातियों के लिए रिजर्वेशन के आदेश मौजूद हैं। इन 28 पदों में से 6 पद खाली हैं। दिल्ली दुग्ध योजना में सीधी भर्ती द्वारा पुरे हुए पदों पर नियुक्त होने वाले अनुसूचित जातियों / अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों का प्रतिशत 9.1 प्रतिशत है।

(ग) संघ लोक सेवा आयोग, जिसके द्वारा दिल्ली दुग्ध योजना के राजपत्रित पदों पर सीधे नियुक्ति की जाती है, को भेजते समय सदैव यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि वह पद अनुसूचित जातियों / अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षित हैं या नहीं इस प्रकार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए पहले से ही प्रयत्न किये जा रहे हैं।

मध्य प्रदेश को चावल की सप्लाई

5158. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी 1965 से दिसम्बर 1968 तक की अवधि में मध्य प्रदेश के लिये कुल कितना चावल नियत किया गया था ;

(ख) उक्त अवधि में उस राज्य को कुल कितना चावल दिया गया ; और

(ग) नियत मात्रा से कम मात्रा में चावल दिये जाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य-राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) से (ग) मध्य प्रदेश चावल की दृष्टि से अधिशेष राज्य है। जनवरी, 1965 से दिसम्बर 1968 की अवधि में मध्य प्रदेश को राज्य के बाहर से कोई भी चावल आवंटित नहीं किया गया था। राज्य में अधिप्राप्त चावल में से स्थानीय वितरण हेतु अपेक्षित मात्रा प्रयोग में लाई गई थी और शेष मात्रा अन्य राज्यों को भेजी गयी थी।

मध्य प्रदेश के सरगुजा जिला में खोज के लिये परीक्षार्थ खुदाई-कार्य

5159. **श्री गं० चं० दीक्षित** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह प्रार्थना की है कि सरगुजा जिले में भूमि के नीचे काफी गहराई तक जल का पता लगाने के लिए 21,000 रुपये की अनुमानित लागत से जल की खोज के लिए परीक्षार्थ खुदाई कार्य के लिए स्वीकृति दी जाये क्योंकि उस क्षेत्र के वर्तमान कुओं में पानी बहुत कम रह गया है और भूमिगत जल सर्वेक्षण से भी वहाँ कुओं से सिंचाई की किसी सम्भावना का संकेत नहीं मिला है ; और

(ख) यदि हाँ, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)

(क) और (ख) पुनर्वास मंत्रालय ने मई, 1967 में पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों के 100 कुटुम्बों को सरगुजा जिले में शरणार्थियों को बसाने के लिए वाटिका उपनिवेश योजना के अधीन, पुनर्वास के लिये एक योजना की मंजूरी दी थी। वहाँ के खुले कूपों के जल निकास की कमी को देखते हुए, जो कि सिंचाई के लिए काफी न था, मध्य प्रदेश सरकार ने जुलाई 1968 में पुनर्वास मंत्रालय को प्रार्थना की थी कि अनुमानित 1,000 रुपये के व्यय से उस जिले में एक परीक्षार्थ नलकूप लगाया जाये। पुनर्वास मंत्रालय ने राज्य सरकार से कहा था कि पुनः बसाने के बारे में मंजूर की गई योजना की उन्नति से उन्हें अवगत रखा जाये। मध्य प्रदेश सरकार ने बताया था कि शरणार्थी कुटुम्ब ऊपर कही योजना के अनुसार बसने के लिए सहमत नहीं है। अतः 21,000 रुपये के अनुमानित खर्च से नलकूप लगाने की मध्य प्रदेश सरकार की प्रार्थना पर आगे कार्यवाही नहीं की गई।

उद्योगों और खानों में दुर्घटनायें

5160. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-68 की अवधि में निर्माता उद्योगों और खानों में (सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में अलग-अलग) वर्षवार कितनी दुर्घटनाएँ हुईं ;

(ख) उनमें से कितनी दुर्घटनाएँ घातक सिद्ध हुईं, जिनमें दुर्घटनाग्रस्त लोग पूणतः काम के अयोग्य हो गये और जिनमें लोग कुछ समय के लिए कम के अयोग्य हुए, और प्रतिवर्ष तथा उद्योगवार एवं सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में अलग-अलग उनकी संख्या कितनी-कितनी है ;

(ग) प्रत्येक उद्योग में वर्षवार कितने लोग व्यवसाय से उत्पन्न होने वाले रोगों के कारण काम करने के अयोग्य हुए और रोगवार ऐसे लोगों की संख्या कितनी है; और

(घ) वर्षवार कितने मामलों में ऐसी अयोग्यता के लिए उद्योगवार प्रतिकर दिया गया और कुल कितनी राशि का ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) से (घ) इस प्रश्न का विषय अधिकांशतः राज्य से सम्बन्धित है । एक विवरण, जिसमें काम करते समय लगी चोटों के मामलों के सम्बन्ध में उपलब्ध सूचना दी गई है, संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 605/59]** सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बारे में अलग रूप से आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

पदोन्नति की आदर्श प्रक्रिया

5161. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने पदोन्नति की एक आदर्श प्रक्रिया तैयार की है जिसका सब सरकारी उपक्रमों के प्रबन्धकगण मार्ग-दर्शन के लिए पालन करेंगे ; और

(ख) क्या उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद):

(क) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मुखियों की एक बैठक द्वारा स्थापित एक उप-समिति ने आदर्श सिद्धान्त बनाये हैं, जो कि औद्योगिक श्रमिकों की तरक्की के आदेश दे समय अपनाए जायेंगे । ये सिद्धान्त सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों को उनके मार्ग-दर्शन के लिए भेज दिये गये हैं ।

(ख) एक प्रति संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 606/69]** ।

खान परिश्रम समिति (माइन्स फेटीग कमेटी)

5162 **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खान परिश्रम समिति की स्थापना से अब तक उसके द्वारा किये गये कार्य और काम की प्रगति का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या श्रमिकों की परिश्रम सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए सरकार और गैर-सरकारी निर्माण उद्योगों के लिए एसी कोई समिति नियुक्त करने का विचार किया जा रहा है ; और

(ग) ऐसी समिति द्वारा कब अपना काम आरम्भ कर दिये जाने की सम्भावना है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद):

(क) खान सुरक्षा सम्बन्धी सम्मेलन (1958–59) की सिफारिश के अनुसार खानों में थकान तथ्य सम्बन्धी नियमित जाँचें करने के लिए अक्तूबर, 1959 में एक विशेषज्ञ समिति स्थापित की गई । इस समिति में खान उद्योग से लिये गए मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं और मुख्य खान निरीक्षक इसके अध्यक्ष हैं । इस समिति ने एक कार्य-योजना तैयार की और उससे सम्बन्धित सभी आरम्भिक कार्य पूरे किये । लेकिन पैथोलोजिस्ट-व-फीजियोलोजिस्ट की भर्ती न किये जा सकने के कारण इसकी प्रगति रुक गयी । अन्ततः, जून, 1965 में नौ महीनों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के एक विशेषज्ञ की सेवाएँ प्राप्त की गईं । इस विशेषज्ञ ने एक कोयला खान और एक सोने की खान में जाँच-कार्य किया । उसने खान सुरक्षा महानिदेशालय के औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान अनुभाग के कर्मचारियों को भी भविष्य में की जाने वाली जाँचों के बारे में प्रशिक्षण दिया । सन् 1966 से अब तक 7 कोयला खानों में जाँच-कार्य पूर्ण हो चुका है । आठवीं कोयला खान में जाँच-कार्य चल रहा है । कुल मिला कर , 21 कोयला खानें तथा 10 गैर-कोयला खानें जाच-कार्य के लिए चुनी गई हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

बागडोगरा हवाई अड्डे के विस्तार से क्षतिग्रस्त किसानों को सिंचाई की सुविधायें

5163. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बागडोगरा हवाई अड्डे के विस्तार के कारण दार्जिलिंग के अनेक किसानों की भूमि के लिए उपलब्ध सिंचाई की सुविधाओं पर बुरा प्रभाव पड़ा है ;

(ख) क्या किसानों ने वैकल्पिक सिंचाई सुविधाओं की माँग की है ;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार के साथ इस मामले में कोई बातचीत की गई है ; और

(घ) क्या उनके वैकल्पिक सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):

(क) से (घ) पता चला है कि बागडोगरा हवाई अड्डे का विस्तार होने से दार्जिलिंग जिले की लगभग 200 एकड़ भूमि प्रभावित हुई है । वैकल्पित सिंचाई सुविधायें प्रदान करने के लिए इस बारे में पश्चिम बंगाल सरकार को लिखा गया था । राज्य सरकार ने इसे

मामले की जाँच-पड़ताल करने के विषय में अपनी अक्षमता प्रकट की क्योंकि प्रभावित क्षेत्रों तक केवल सुरक्षित क्षेत्रों में से ही पहुँचा जा सकता था। अतः रक्षा मंत्रालय से इस मामले के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया था। रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

Radio Sets for Gram Panchayats

5164. **Shri J. B. S. Bist** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether there is any provision to provide radio sets to Gram Panchayats at cheap rates in hill districts of Uttar Pradesh ;

(b) if so, the number of sets so provided in Almora district and the price thereof ; and

(c) if not, whether Government propose to prepare any such scheme in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communicatons (Shri I. K. Gujral) :

(a) to (c) The necessary information is being collected from the State Government and will be placed on the Table of the House.

Uniforms etc. for Postmen and Halkaras in U.P.

5165. **Shri J. B. S. Bist** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether the extra-departmental postmen and the extra-departmental halkaras in Uttar Pradesh are not provided with uniforms, umbrellas etc. ;

(b) if so, the arrangements made to protect the dak from being demaged by rains ;

(c) whether Government would provide them with uniforms, umbrellas, etc. with a view to protect the dak and identify them as postemen ; and

(d) whether Government propose to revise the pay-scales of the employees working in the extra-departmental post offices to provide them incentive for work ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) :

(a) Yes.

(b) Delivery bags are supplied to E. D. delivery agents. Mails are enclosed in water-proof canvas bags on routes where there is heavy rain.

(c) There is no such proposal to provide them with uniforms, umbrellas etc. at present. They are, however, being supplied with badges to wear, while on duty, for idenfication purposes.

(d) The Extra-Departmental agents are not regular employees and as such no pay scales have been framed for them.They are granted a consolidated allowance based on the nature of their duties within certain prescribed minimum and maximum. These allowances are reviewed as and when there is alteration in their duties.

Post Offices in Almora District (U. P.)

5166. **Shri J. B. S. Bist :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the number of main Post Offices and Branch Post Offices in the Almora District of Uttar Pradesh ;

(b) their number as on the 15th August, 1947 and the number of new ones separately opened during the period of each Five Year Plan ;

(c) the number of Telegraph Offices and Post Offices in the District which function round the clock ;

(d) the number of new Telegraph and Post Offices proposed to be opened during this year ; and

(e) the total numbar of existing Post Offices separtely in each Tehsil of the District ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) :

(a)

Head Post Offices	1
Sub Post Offices ..	.. 37
Extra Departmental Sub Offices ..	.. 1
Extra Departmental Branch Post Offices	.. 265
Total	.. 304

(b)

	Head Post Office	Sub Post Office	Extra Departmental Sub Post Office	Extra Departmental Branch Post Office
Existing as on 15-8-47	1	17	—	82
Opened during Ist Five Year Plan	—	6	8	22
II Five Year Plan	—	1	—	51
III Five Year Plan ..	—	4	—	66

(c) Nil.

(d) Subject to fulfilment of the departmenal standards and availability of funds, 2 Telegraph Offices and 10 Post Offices are likely to be established.

(e)

Name of Tehsil	**Total Numher of Post Offices existing**
Almora	165
Ranikhet	112
Champawat	27
Total	304

संगीत और नाटक प्रभाग द्वारा खेले गये नाटक

5167. **श्री सुब्बावेलू** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के संगीत और नाटक प्रभाग ने हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में नाटक तैयार किये हैं और वे खेले गए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) जी, हाँ । इस मंत्रालय के गीत तथा नाटक प्रभाग ने (प्रभाग आकाशवाणी का भाग नहीं है) हिन्दी के अलावा अन्य भाषाओं में नाटक तैयार किये हैं और उन्हें खेला भी गया है ।

(ख) कार्यालयों का भाषावार विवरण निम्न प्रकार है :—

(1) क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के प्रादेशिक अधिकारियों द्वारा आयोजित कार्यक्रम :—

1. असमिया तथा आदिवासी बोलियों में	134
2. बंगला	274
3. गुजराती	789
4. कन्नड़	499
5. कश्मीरी, उर्दू तथा डोगरी	241
6. मलयालम	312
7. मराठी	137
8. उड़िया	367
9. तमिल	209
10. तेलुगु	352
11. पंजाबी	237

2. सीध ही गीत और नाटक प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किये गये कार्यक्रम :—

1. उर्दू तथा कश्मीरी	397
2. असमिया, बंगला तथा नेपाली	357
3. मणिपुरी	234
4. गुजराती तथा मराठी	42
5. तमिल, तेलुगु, मलयालम तथा कन्नड़	291

मंत्रियों के लिये टेलीविजन सेट

5168. **श्री सुब्बावेलू** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार को कुछ मंत्रियों को उनके मंत्रालय ने मुफ्त टेलीविज़न सेट दिए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है और ऐसा करने के क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल):

(क) जी, हाँ।

(ख) चार सेट दिए गए; (1) प्रधान मंत्री को (2) सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री को (3) सूचना और प्रसारण तथा संचार विभाग में राज्य मंत्रियों को। इन सेटों को सरकार की मंजूरी से दिया गया ताकि इन मंत्रियों को, जो भारत में टेलीविज़न के विकास से सम्बन्ध रखते हैं, अपने मकानों में टेलीविज़न कार्यक्रमों को देखने की सुविधा दी जा सके।

दक्षिणी राज्यों में संगीत तथा नाटक प्रभाग द्वारा कला-प्रदर्शन

5169 **श्री सुब्रावेलू** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगीत और नाटक प्रभाग ने दक्षिण राज्यों में कला-प्रदर्शन किए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल):

(क) और (ख) गीत और नाटक प्रभाग ने अपनी तथा गैर-सरकारी मण्डिलयों और कलाकारों के द्वारा आन्ध्र प्रदेश, केरल, मद्रास तथा मैसूर में 1968 में जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए उनकी संख्या निम्न प्रकार है:—

आन्ध्र प्रदेश	496
केरल	360
मद्रास	300
मैसूर	667

इन आँकड़ों में वे 291 कार्यक्रम शामिल नहीं हैं जो 1968 में उपर्युक्त राज्यों में प्रभाग के परिवार नियोजन प्रचार केन्द्र द्वारा आयोजित किए गए थे।

कवि भारतीदासन के सम्मान में स्मारक डाक टिकट

5170. **श्री सुब्रावेलू**: क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री 20 फ़रवरी, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 493 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कवि भारतीदासन के सम्मान में स्मारक डाक-टिकट जारी करने के सुझाव को क्रियान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह):

जैसा कि पहले बताया जा चुका है डाक-टिकट सलाहकार समिति द्वारा इस प्रस्ताव की सिफारिश नहीं की गयी थी। इसके अतिरिक्त प्रतिभूति प्रेस की मुद्रण की सीमित क्षमता होने के कारण वर्ष भर में थोड़ी संख्या में ही डाक-टिकट छापे जा सकते हैं। सामान्यतः महान् व्यक्तियों पर विशेष

डाक-टिकट उनकी जन्म या मृत्यु शताब्दियों या उनकी पहली या दसवीं बरसी पर निकाले जाते हैं। अतएव 1969 के दौरान कवि भारतीदासन के सम्मान में उनकी 78वीं जन्म वर्षगांठ पर विशेष डाक-टिकट जारी करने का प्रस्ताव क्रियान्वित नहीं किया जा सका।

हिन्दी कक्षाओं में अनुपस्थिति के लिये अनुशासनिक कार्यवाही

5171. **श्री सुब्रावेलू** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग के कुछ कर्मचारियों को धमकी दी गई है कि यदि वे हिन्दी कक्षाओं में अनुपस्थित रहेंगे तो उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी ; और

(ख) यदि हाँ, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) :

(क) और (ख) सभा-पटल पर एक विवरण-पत्र रखा जा रहा है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 607/69]**।

तमिल नाडू में सघन कृषि विकास कार्यक्रम

5172. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिल नाडू या थंजावूर जिला सघन-कृषि विकास-कार्यक्रम के मामले में सब राज्यों के अन्य सब जिलों में सर्वोत्तम रहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार सघन-कृषि विकास-कार्यक्रम की योजनाओं के अन्तर्गत थंजावूर जिले के लिये अधिक राशि नियत करने का है ; और

(ग) गत तीन वर्षों में और चालू वर्ष में प्रत्येक जिले के लिए उक्त योजना के अन्तर्गत कुल कितनी-कितनी राशि नियत की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)

(क) से (ग) जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 608/69]**।

स्कूल के बच्चों को दूध देने के लिये भारत सेवक समाज, नाहन की सहायता

5173. **श्री शंकर राव माने** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 22 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4954 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूल के बच्चों को दूध देने के लिए भारत सेवक समाज, नाहन को दी गई सहायता के बारे में जानकारी इस बीच इकट्ठी कर ली गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) अपेक्षित जानकारी इकट्ठी करने में सरकार को कितना समय लगने की सम्भावना

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी):

(क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा चुकी है और सभा-पटल पर रखने के लिए संसदीय कार्य विभाग को भेजी जा चुकी है। तथापि जानकारी की एक प्रति संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 609/69]।**

ग्रामीण लोगों को दवाइयाँ सप्लाई करने के लिये भारत सेवक समाज, नाहन को सहायता

5174. **श्री शंकर राव माने**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 22 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4955 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण लोगों को दवाइयाँ सप्लाई करने के लिए भारत सेवक समाज, नाहन को दी गई वित्तीय सहायता के बारे में जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा अपेक्षित जानकारी कब तक प्राप्त किये जाने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० ए० गुरुपदस्वामी):

(क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा चुकी है और सभा-पटल पर रखने के लिए संसदीय कार्य-विभाग को भेजी जा चुकी है।

तथापि, जानकारी की एक प्रति संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 610/69]।**

भारत सेवक समाज, नहान द्वारा अध्यापकों को वेतन न दिया जाना

5175. **श्री शंकर राव माने**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 22 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4857 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सेवक समाज, नहान द्वारा अध्यापकों को वेतन न दिए जाने से सम्बन्धित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा अपेक्षित जानकारी कब तक प्राप्त किये जाने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी):

(क) से (ग) हिमाचल प्रदेश प्रशासन, जिससे जानकारी की प्रतीक्षा है, को उसे शीघ्र भेजने के लिए याद दिलाई गई है।

भुज में स्थानीय टेलीफोन करने का शुल्क

5176. **श्री रा० की० अमीन : श्री द० रा० परमार**

क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुज के व्यापारी मण्डल द्वारा भुज में स्थानीय टेलीफोन करने के लिए शुल्क लिये जाने के विरुद्ध बहुत असंतोष है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) :

(क) भुज एक्सचेंज में मीटर प्रणाली के चालू करने के खिलाफ असंतोष प्रकट करते हुए भुज व्यापार मंडल से एक शिकायत प्राप्त हुई थी ।

(ख) जिन एक्सचेंजों में 300 लाइनों या इससे अधिक की क्षमता है वहाँ मीटर प्रणाली चालू करने की सरकार की नीति है । पार्टी को स्थिति से अवगत करा दिया गया था । इससे उपभोक्ता को इतनी रकम अदा करनी होती है जितनी वह टेलीफोन सेवा का उपयोग करता है और साथ ही टेलीफोन परियात पर नियंत्रण बना रहता है । अतएव टेलीफोन उपस्कर में टूट-फूट कम होती है और फलतः उपस्कर अधिक अच्छी तरह काम करता है और दक्षता बनी रहती है ।

जंगली गधों की गणना करने के लिये गुजरात राज्य के लिये विमान

5177. **श्री रा० की० अमीन :** **श्री द० रा० परमार :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार ने अपने राज्य की वंशकंठा और कच्छ सीमा पर जंगली गधों की गणना करने के लिए विमान माँगे हैं ;और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं होता ।

भावनगर में आकाशवाणी का केन्द्र

5178. **श्री रा० की० अमीन :** **श्री द० रा० परमार :**

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को गुजरात राज्य में भावनगर में एक रेडियो स्टेशन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) और (ख) राज्य सरकार से या किसी प्रतिनिधि संगठन से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है । भावनगर कस्बे के एक नागरिक से एक सुझाव प्राप्त हुआ था । उसको उत्तर दिया गया था कि क्योंकि भावनगर को आकाशवाणी की वर्तमान सेवाओं द्वारा संतोषजनक रूप से कार्यक्रम दिये जा रहे थे, सुझाव को स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

Talks From A. I. R., Delhi

5179. **Shri Om Prakash Tyagi : Shri Molahu Prasad : Shri Ram Charan :**

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the total number of talks and scripts broadcast from different meters of the All India Radio, Delhi in 1968 ;

(b) the number out of those which were broadcast in Hindi and English, separately ;

(c) the number of such talks and scripts broadcast in Hindi as were translated from English and as were prepared in original, separately ;

(d) whether Government propose to broadcast 10 percent in English and 90 per cent in Hindi out of the total talks and scripts broadcast in view of the ratio of English and Hindi-speaking people and the constitutional and official position of both the languages ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral).

(a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

भारत में और सिनेमा-घरों की स्थापना

5180. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में और अधिक सिनेमाघर स्थापित करने में सहायता करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है,

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ,

(ग) क्या अच्छी फिल्मों के प्रदर्शन और सिनेमाघरों के निर्माण हेतु सहायता देने के लिये बम्बई की न्यू सिनेमा मूवमेंट नामक संस्था से प्राप्त हुए अभ्यावेदनों पर सरकार ने कोई निर्णय कर लिया है, और

(घ) यदि हाँ, तो उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कृ० गुजराल):

(क) और (ख) सिनेमा राज्य का विषय है। देश में और सिनेमाघरों की आवश्यकता है, इस बात पर राज्य सरकारों पर कई बार जोर दिया गया है । पश्चिम बंगाल और मद्रास की राज्य सरकारों तथा दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा के केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों ने जो कदम उठाये हैं उनको दर्शाने वाला एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 611/69]** । अन्य राज्यों ने अभी तक कोई खास कदम

नहीं उठाये हैं। केन्द्रीय सरकार इस प्रयोजनार्थ फिल्म वित्त निगम के लिए ऋण प्राप्त करने की सम्भावनाओं का भी पता लगा रही है।

(ग) तथा (घ) न्यू सिनेमा मूवमेन्ट की प्रार्थना विचाराधीन रही है परन्तु उसको मानना अभी तक सम्भव नहीं हो सका है।

विशाखापत्तनम बन्दरगाह में माल-डिब्बों में माल लादने वाले कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

5181. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विशाखापत्तनम बन्दरगाह के माल-डिब्बों में माल लादने वाले लगभग 1850 कर्मचारियों ने इस माँग को मनवाने के लिए 26 दिसम्बर, 1968 से हड़ताल की थी कि उनके पोंगल पर्व की अग्रिम ऋण की राशि को बढ़ा कर गोदी मजदूर बोर्ड के कर्मचारियों और बन्दरगाह कर्मचारियों को दी जाने वाली राशि के बराबर कर दिया जाये ; और

(ख) यदि हाँ, तो उनकी माँग पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) जी हाँ।

(ख) सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय), विशाखापत्तनम की मध्यस्थता के फलस्वरूप विशाखापत्तनम मिनरल्स एसोसियेशन की गवर्नेंनिंग बाडी ने फैसला दिया है कि यूनियन के नियम अनुसार प्रत्येक मिस्त्री को 75 रुपया और प्रत्येक मजदूर को 65 रुपया पेशगी दी जाय। पेशगी की रकम 30-12-68 को अदा कर दी गई।

पूर्वी पाकिस्तान के लिये आकाशवाणी से बंगाली में कार्यक्रम

5182. **श्री समर गुह** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली लोग आकाशवाणी के कलकत्ता केन्द्र का कार्यक्रम में एक विशेष कार्यक्रम सुनने को उत्सुक हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या पूर्वी बंगाल के बंगाली लोगों के लिए कलकत्ता केन्द्र के नियमित कार्यक्रम शामिल किया जायेगा; और

(ग) क्या पूर्वी पाकिस्तान की महत्वपूर्ण घटनाओं को देखते हुए जिनका विशेष रूप से भारत के पूर्वी क्षेत्र के लोगों पर अनेक प्रकार से प्रभाव पड़ता है, क्या पूर्वी पाकिस्तान से सम्बन्धित समाचारों को अधिक महत्व देने का सरकार का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल):

(क) जी, हाँ।

(ख) कलकत्ता केन्द्र से बंगला में कुल मिला कर 8 घंटे 45 मिनट की अवधि की एक

विशेष सेवा 15 मई, 1966 से प्रतिदिन प्रसारित की जा रही है। यह पूर्वी और पश्चिम बंगाल दोनों में सुनी जाती है।

(ग) यह पहले ही किया जा रहा है।

Construction of Residential Quarters for P & T Employees in Meerut

5183. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the area of land purchased near the Military Agricultural Farm in the District of Meerut for the construction of residential quarters for the employees of Posts and Telegraphs along with its cost and the date of purchases ;

(b) the date by which the quarters will be constructed there for the employees ; and

(c) the reasons for not commencing the construction of quarters?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting in the Department of Communications (Shri Sher Singh) :

(a) A plot of land measuring 24,049 sq. yards at a cost of Rs.99,082/- was purchased on 10-11-67.

(b) and (c) The master plan for the Colony is being prepared by Architectural Division of Department. It is proposed to construct some quarters on the plot during the Fourth Plan subject to availability of funds.

गुजरात में शकरकंदी की खेती

5184. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात की चौथी योजना में शकरकन्दी के विकास का वृहत् कार्यक्रम आरम्भ करने के विचार से सरकार ने शकरकन्दी की कोई नई किस्म तैयार की है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) और (ख) जानकारी राज्य सरकार से इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

गुजरात में भूमि-संरक्षण

5185. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 में भूमि-संरक्षण के लिए कितनी धन-राशि का गुजरात को नियतन किया गया था; और

(ख) उपरोक्त अवधि में उपर्युक्त कार्य के लिए कितनी धन-राशि खर्च की गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):

(क) स्टेट प्लान के अन्तर्गत भूमि-संरक्षण की योजनाओं के लिए 1967-68 की अवधि के लिये कुल 156.00 लाख रुपये का व्यय स्वीकार किया गया था। इसके अतिरिक्त क्षारीय व अमलीय भूमि के सुधार के लिये नदी घाटी परियोजना, घान्तीवाड़ा तथा मार्गदर्शी परियोजना के जलग्रहों के क्षत्रों में भूमि-संरक्षण की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिये गुजरात के लिये 7.55 लाख रुपये की रकम अलाट की गई थी।

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार स्टेट प्लान स्कीमों की क्रियान्विति पर 168.58 लाख रुपये तथा केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों की क्रियान्विति पर ६.55 लाख रुपये व्यय हुए हैं।

Damage to Crops in Certain Districts of U.P.

5186. **Shri Narain Swarup Sharma : Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Bal Raj Modhok : Shri Om Prakash Tyagi :
Kumari Kamla Kumari :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 91 on the 14th November, 1968 and state :

(a) the percentage of the crops damaged in each of the eight Districts of Uttar Pradesh; and

(b) the relief measures taken by Government ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasaheb Shinde):

(a) The requsite information is given in the attached statement. **[Placed in Library. See No. LT 612/69]**

(b) The relief measures consist of organisation of relief works to provide employment to the affected population, grant of gratuitous relief and maximisation of irrigation facilities.

Publication of Forms and Manuals in Hindi

5187. **Shri Narain Swarup Sharma : Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Bal Raj Madhok : Shri Om Prakash Tyagi :
Kumari Kamla Kumari :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply give to Unstarred Question No. 628 on the 14th November, 1968 and state :

(a) the dates on which the Forms and Manuals were sent to the Central Hindi Directorate for translation ; and

(b) when the remaining Forms and Manuals would be sent to them ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) and (b) The information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha as soon as it is received.

Dairy Development Programme Under Fourth Plan

5188. **Shri Maharaj Singh Bharati** . Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the programme formulated for dairy development during the Fourth Plan and the Assistance to be given by Government to the agencies which purchase and process milk and those which undertake production of milk ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

The Working Group for the formulation of Fourth Plan proposals on Dairy Development have considered the approach to the Plan to be as below :

(i) Completion of spillover schemes of Third Plan in all respects ;

(ii) Consolidation of schemes by increasing their throughputs upto their maximum installed capacities by the end of the Fourth Plan period ;

(iii) Rural Dairy Extension programmes and primary milk producers' co-operatives to be strengthened.

(iv) Rural Dairy Centres being set up to cover up milk supply to towns having more than 50,000 population.

(v) Organising at least four additional units for the manufacture of milk powder as there is a great demand for this product ; and

(vi) As far as possible, emphasis being stressed on the dairy plants being worked on co-operative lines.

The assistance to be given to agencies which purchase and process milk and those which undertake production of milk will be finalised with the Fourth Plan.

Hindi Telephone Directory of Delhi

5189. **Shri Prakash Vir Shastri : Shri Shiv Kumar Shastri :**

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the extent of demand of the first issue of Hindi Telephone Directory of Delhi ;

(b) whether Government have a proposal under consideration to get printed a larger number of copies of its second issue ; and

(c) whether the strength of the employees working in the Telephone Directory Department is proposed to be incrased ?

The Minister of State in the Information of Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) :

(a) About 13,000 subscribers requested for the first issue of Hindi Telephone Directory.

(b) More copies will be printed if there is demand for the same. The demand is assessed before printing.

(c) Yes, Sir.

चीनी मिलें

5190. **श्री प० मु० सैयद श्री मणि भाई जे० पटेल :**

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी की कितनी मिलें वास्तव में काम कर रही हैं और चीनी की कितनी मिलों ने चालू वर्ष में काम नहीं किया है ; और

(ख) कुछ चीनी मिलों के काम नहीं करने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) और (ख) 202 चीनी मिलों ने पेराई-कार्य शुरू कर दिया था और तमिल नाडु की एक मिल जून, 1969 के पहले सप्ताह में कार्य आरम्भ कर देगी। पता चला है कि इनमें से 18 मिलों ने 31 मार्च, 1969 तक पेराई-कार्य बन्द कर दिया है और वास्तव में 184 चीनी मिलें कार्य कर रही हैं।

अनुमान है कि 1968–69 के सीजन में चार चीनी मिलें पर्याप्त गन्ना उपलब्ध न होने के कारण काम नहीं करेंगी।

कृषि क्षेत्र में सहकारिता का विकास

5191. **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री क० मि० मधुकर :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री लताफत अली खान :
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में सहकारिता के विकास के लिए प्रस्तावों को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) :

(क) जी नहीं। कृषि क्षेत्र में सहकारिता के विकास के लिये केन्द्रीय कार्यकारी दल द्वारा राज्य सरकारों की सलाह से प्रस्ताव तैयार कर लिए गए हैं और उन्हें शीघ्र ही चौथी पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देने पर अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात डाक सर्किल के कार्य की जाँच

5192. **श्री द० रा० परमार :**
श्री रा० की० अमीन :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात डाक सर्किल की डाक सेवाओं के महाडाकपाल तथा निदेशक द्वारा काम तुरन्त नहीं निपटाये जाने तथा तुरन्त निर्णय न किये जाने के कारण नव-निर्मित गुजरात डाक सर्किल की स्थिति बहुत खराब है ;

(ख) क्या गुजरात डाक सर्किल के कार्यसंचालन की जाँच करने हेतु सरकार एक जाँच समिति गठित करेगी ;

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) :

(क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते हैं ;

(घ) जाँच कराने के मामले में तभी विचार किया जा सकता है जब सरकार के ध्यान में गुजरात सर्किल के डाक सेवाओं के महाडाकपाल तथा निदेशक के प्रशासन सम्बन्धी विशिष्ट असावधानियों को लाया जाये ।

Use of Jeeps in C. D. Blocks for Election Purposes

5193. **Shri Bal Raj Madhok : Shri Malahu Prasad :**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5092 on the 19th December, 1968 and state :

(a) the steps proposed to be taken by Government to ensure that the orders of Central and State Governments are carried out by local officials and Block Development Officers regarding use of jeeps for election purposes ;

(b) whether it is proposed to make the maintenance of a register compulsory for the jeeps which are withdrawn during elections and which are used by the District Magistrates so that entry in respect of movement of jeeps in the register by the District Magistrates is made obligatory ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State on the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri M. S. Gurupadaswamy):

(a) to (c) Information has been called for from the State Governments and will be laid on the Table of the House, when received.

Strikers in P. & T. Department, U. P.

5194. **Shri Om Prakash Tyagi : Shri Ram Charan :**

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a number of employees of Posts and Telegraphs Department were arrested in Uttar Pradesh and were given different types of punishment during the course of recent trade union movement and general strike on the 19th September, 1968 ;

(b) if so, the number of employees demoted, terminated, transferred and dismissed respectively ;

(c) whether the said emloyees were given an opportunity to give their explanation before action was taken against them and if not, the reasons therefor ;

(d) whether cases have been brought to the notice of Government that the officers took this opportunity to punish certain innocent employees not connected with the strike for other reaons ; and

(e) if so, the steps taken against such arbitrary action of officers ?

The Minister of State in the Ministry of information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) :

(a) 113 permanent and quasi-permanent officials and 31 temporary officials were arrested. Permanent and quasi-permanent officials were placed under suspension and the services of temporary employees were terminated. 12 permanent or quasi-permanent officials

have been re-instated and 13 temporary officials have been ordered to be taken back to duty on the basis of the concession announced by the Government on 4th January, 1969. A further review is being made under the concessions announced on 13th March' 69.

(b) No. of employees demoted .. .. Nil

No. of employees whose services were terminated consequent on arrest. 31

No. of employees transferred .. .. Nil

No. of employees dismissed .. .. .. Nil

(c) The services of temporary officials were terminated under rule 5 of the C. C. S. (Temporary Service) Rules 1965 and there is no provision for giving a 'show cause' notice under those rules.

(d) No, Sir.

(e) Does not arise.

Alleged Misuse of Jeeps of Development Blocks

5195. **Shri Om Prakash Tyagi : Shri Molahu Prasad :**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of Development Blocks in the country and the number of jeeps available with them ;

(b) the total value of the jeeps and the expenditure incurred on their maintenance annually ;

(c) the duties of Block Development Officers and the steps proposed to be taken with a view to ensure that these officers and their subordinates do not misuse the Government jeeps and do not utilize them for carrying their family members ;

(d) whether Government are aware of the number of jeeps of Development Blocks brought to Delhi on the 26th January, 1969 and if not, the reasons therefor ; and

(e) whether Government propose to withdraw the said jeeps ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri M. S. Gurupadaswamy) :

(a) to (e) Information has been called for from the State Governments and will be laid on the Table of the House, when received.

शुद्ध घी का उत्पादन

5196. **श्री क० लक्प्पा : श्री यशपाल सिंह :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री शुद्ध घी के उत्पादन के बारे में 19 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5105 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1967 में शुद्ध घी के उत्पादन के बारे में जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गयी है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) 1968 में शुद्ध घी का कितना उत्पादन हुआ है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) और (ख) घी के उत्पादन का अनुमान 1956, 1961 और 1966 की पंचवर्षीय पशु-धन गणना के आँकड़ों के आधार पर लगाया गया है। इन वर्षों में घी उत्पादन के अनुमानित आँकड़े निम्न प्रकार हैं :—

1956	10,600 हजार मन
1961	9,304 हजार मन
1966	9,772 हजार मन

1956 और 1966 के वर्षों के मध्य की अवधि में घी का उत्पादन कम हुआ था।

(ग) जैसे कि ऊपर (क) और (ख) में बताया गया है, घी के उत्पादन का अनुमान पंचवर्षीय पशु-धन गणना के आधार पर किया जाता है, अतः 1968 में घी के उत्पादन के आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

बर्मा से स्वदेश लौटे भारत मूलक लोगों की कालकाजी कालोनी, नई दिल्ली में दुकानों का आवंटन

5197. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बर्मा से स्वदेश लौटे लोगों को कालकाजी कालोनी, नई दिल्ली में 50 दुकानों के आवंटन के लिये 1967 में एक योजना की घोषणा की थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि 50 दुकानों के निर्माण के लिये दिल्ली नगर निगम से नक्शे तथा योजनाएँ मंजूर करा ली गयी थीं; और

(ग) यदि हाँ, तो योजना को क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) से (ग) बर्मा से स्वदेश लौटे भारतीयों को कालकाजी बस्ती, दिल्ली में दुकानें देने के लिये दिल्ली नगर निगम के परामर्श से एक योजना तैयार की गई थी। उक्त योजना के अधीन, दुकानों का निर्माण निगम द्वारा किया जाना था और स्वदेश लौटे लोगों को वे दुकानें किराये पर दी जानी थीं। प्रस्ताव का फिर पुनरीक्षण किया गया था और यह विचार किया गया था कि एक पुनरीक्षत योजना तैयार की जाये जिसके अनुसार स्वदेश लौटे लोगों को दुकानें मालिकाना आधार पर दी जायें। प्रस्तावित पुनरीक्षित योजना के ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

कालकाजी कालोनी, नई दिल्ली में बर्मा से लौटने वालों के लिये दुकानों के निर्माण के लिये भूमि

5198. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने बर्मा से स्वदेश लौटे लोगों को दुकानों के नियतन तथा निर्माण के लिए दिल्ली विकास प्राधिकार से कालकाजी कालोनी, नई दिल्ली में दुकानों के अतिरिक्त कोई भूमि नियत कराई है ;

(ख) यदि हाँ, तो दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा भूमि के कब तक दिये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो बर्मा से स्वदेश लौटे लोगों को दुकानों के आवंटन सम्बन्धी योजना को रोक लेने के क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि स्थानीय निकाय बर्मा से स्वदेश लौटे भारतीयों को दुकानें अलाट करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि उनके पास दुकानों की संख्या सीमित हैं । उन्होंने यह भी बताया है कि, दिल्ली में भूमि अर्जन, विकास तथा निपटान की योजना के अधीन, दुकानों के प्लाटों सहित वाणिज्यिक प्लाटों का निपटान सार्वजनिक नीलाम द्वारा किया जाता है और इसलिए इन प्लाटों के निपटान में बर्मा से लौटे भारतीयों को तरजीह देना सम्भव नहीं है ।

कुछ राज्यों की अनाज सम्बन्धी आवश्यकतायें

5199. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास, आन्ध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों को अलग-अलग वहाँ की जनता के लिए अनाज की कितनी वार्षिक आवश्यकता होती है; और

(ख) सामान्य परिस्थितियों में उन राज्यों में अनाज का वार्षिक उत्पादन कितना होता है और अनाज की कितनी कमी रह जाती है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) अन्य वस्तुओं की भाँति खाद्यान्नों की माँग भी लचीली होती है और जनसंख्या, लोगों की भौतिक सम्पन्नता तथा उनके खाने की आदतों, शहरीकरण तथा अन्य वैकल्पिक खाद्य पदार्थों की उपलब्धि जैसे अनेक तथ्यों पर आधारित होती है । इससे तथा खपत संबंधी कोई युक्तियुक्त सर्वेक्षण न होने से किसी विशेष समय पर समूचे देश के लिए भी खाद्यान्नों की आवश्यकताओं का अन्दाजा लगाना कठिन है । प्रत्येक देश की आवश्यकताओं का अन्दाजा लगाना तो और भी कठिन है ।

(ख) पिछले तीन वर्षों में तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हुए खाद्यान्नों के उत्पादन को नीचे दिया जाता है :—

(लाख मीटरी टन में)

वर्ष	तमिल नाडू	आन्ध्र प्रदेश	उत्तर प्रदेश
1965–66	52.5	62.2	133.1
1966–67	57.9	77.2	118.7
1967–68	59.3	75.0	168.1

क्योंकि किसी राज्य का अधिशेष या कमी वाला राज्य होना उसके उत्पादन और उसकी आवश्यकता पर निर्भर करता है और चूंकि आवश्यकताओं का ठीक-ठीक अन्दाजा लगाना सम्भव नहीं है, अत: कमी या अधिशेष मात्रा का बताना सम्भव नहीं है ।

Promotion Of Gram Sevaks

5200. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Food And Agriculture** be pleased to state :

(a) Whether the Gram Sevaks declared first in their respective States in the All India Village Service Competiton held in 1965-66, have been promoted to the post of A. D. O. (Agriculture) ;

(b) if so, the State-wise details thereof ;

(c) if not, the reasons therefor in view of the fact that the Central Government have issued orders regarding promotion of the Gram Sevaks declared first at Central-level; and

(d) whether the Central Government propose to issue any directions to State Governments regarding promotion of such Gram Sevaks in States, who stood first in the aforesaid competition ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri M. S. Gurupadaswamy):

(a) & (b) The information is being collected from the State Governments and will be laid on the Table of the House when received.

(c) & (d) Promotion of Gram Sevaks is a matter concerning the State Governments. The Central Government cannot issue orders or directions. It has, indeed, been suggested to the State Governments that the Gram Sevak found best at the national level competition may be considered for promotion to higher post suitable to his background. It is up to the State Governments, however, to take what action they can in the case of Gram Sevaks considered best whether at the national or State level. There is no proposal to make any fresh recommendations to the State Governments.

निर्यात के आँकड़ों में अन्तर

5201. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री 14 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 631 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार द्वारा दिये गये तथा अन्य साधनों से उपलब्ध निर्यात के आँकड़ों में अन्तर की इस बीच जाँच कर ली गयी है ; और

(ख) यदि हाँ, तो दोनों आँकड़ों में अन्तर होने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) जी हाँ ।

(ख) इन आँकड़ों में अन्तर पड़ने का यह कारण था कि उड़ीसा सरकार ने पचिश्मी बंगाल की चाय एसोसियेशनों को 6,000 मीटरी टन चावल का सीधा निर्यात किया था । इस निर्यात के बारे में अन्य स्रोतों के पास सूचना उपलब्ध नहीं थी ।

बेरोजगार इंजीनियरों का पंजीयन

5202. **श्री वेदव्रत बरुआ :**
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री विभूति मिश्र :
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1 जनवरी, 1965 से आज तक रोजगार दफ्तरों में दर्ज कितने स्नातक इंजीनियर और कितने डिप्लोमा वाले इंजीनियर बेरोजगार हैं ;

(ख) क्या वर्ष 1966-67 और 1967-68 में यह बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी ;

(ग) रोजगार दफ्तरों के माध्यम से कितने व्यक्तियों को रोजगार मिला है ; और

(घ) चौथी योजना में ऐसे कौन से उपाय करने का विचार है जिनसे औद्योगिक विकास की धीमी गति के कारण इस प्रकार की बेरोजगारी दोबारा न हो ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) से (ग) उपलब्ध जानकारी नीचे दी जा रही है ।

वर्ष	वर्ष के अन्त में नियोजन कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज नौकरी चाहने वाले इंजीनियरों की संख्या	नियोजन कार्यालयों की सहायता से नौकरी प्राप्त इंजीनियरों की संख्या
1965	17,033	4,588
1966	26,474	3,658
1967	40,538	4,099
1968	55,715	3,557

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित विभिन्न विकास कार्यक्रमों द्वारा बेरोजगारों के लिए, जिनमें इंजीनियरिंग के स्नातक और डिप्लोमाधारी भी शामिल हैं, अधिकाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध होने की आशा है ।

चलचित्र निर्माताओं द्वारा धोखाधड़ी

5203. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** **श्री जुगल मंडल :**

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री 27 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2341 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ भारतीय चलचित्र निर्माताओं तथा विज्ञापन अभिकरणों द्वारा सीलोन ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन की वाणिज्यिक सेवा के साथ सांठगांठ कर के की गई कई लाख पये की धोखाधड़ी के बारे में इस बीच जाँच पूरी कर ली है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) जी, नहीं । जाँच अभी हो रही है ।

(ख) और (ग) सवाल नहीं उठते ।

Removal of Jewels and Ornaments by R. M. S. Clerk from Parcels

5204. **Shri Bharat Singh Chauhan :** **Shri Hukam Chand Kachwai**

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that jewels worth Rupees ten thousand and ornaments were found to have been removed by an R. M. S. clerk from parcels sent from West Germany to some traders in Delhi via Madras as reported in the "Vir Arjun", dated the 28th December, 1968; and

(b) the action taken by Government to recover them and to pay compensation to traders ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the department of Communications (Shri Sher Singh) :

(a) A case of alleged abstraction of precious stones from an insured parcel from West Germany to Jaipur (not New Delhi) did come to light in December, 68. Investigation into the alleged abstraction is still in progress.

(b) The case has been reported to the Police. Compensation as admissible in the rules will be paid to the foreign sender of the insured parcel.

Staff Position in the Ministry

5205. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to refer to the reply given to Un-starred Question No. 579 on 14th November, 1968 and state :

(a) whether information regarding Class III and Class IV employees has since been collected ;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, time by which information is likely to be collected ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the department of Communications (Shri Sher Singh) :

(a) Yes, Sir.

(b) A statement giving the information required in parts (a),(b),(c) and (d) of Lok Sabha Un-starred Question No. 579 on the 14th November, 1968 is attached **[Placed in Library. See No. LT** 613/69]

(c) Does not arise.

Seizure of Copper Wire at Bareilly

5206. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) A whether it is a fact that cspper wire weighing about 40 kilos and meant for telecommunication purposes was seized from a person at Bareilly in October, 1968; and

(b) if so, the number of persons arrested in this connection and the action taken against them ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the department of Communications (Shri Sher Singh):

(a) Yes, 53 Kilos of copper wire was seized during October, 1968, from six persons from two localities in Bareilly Town.

(b) Six persons are facing trial in this connection.

Construction of Automatic Exchange at Indore

5207. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3343 on the 5th December, 1968 and state:

(a) when the construction of five thousand line automatic Telephone Exchange at Indore was started and the time by which it would be completed; and

(b) the amount of expenditure to be incurred by Government thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the department of Communications (Shri Sher Singh) :

(a) The exchange Installation was commenced in 67-68. It is likely to be commpleted by end of 1969.

(b) Rs. 81,90,000 approximately.

Employment Provided Through Employment Exchanges In Delhi

5208. **Shri Hukam Chand Kachwai : Shri Nihal Singh :**

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of persons registered in Employment Exchanges in Delhi during the years 1967-68 and 1968-69 ;

(b) total number of those who were provided employment through the Employment Exchanges during the above years ;

(c) the number of technical, non-technical, ex-servicemen and women amongst them ;

(d) the number of persons out of them who were provided with Class III and Class IV jobs ; and

(e) the steps taken to provide employment to all of them ?

The Minister Of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitati on (Shri Bhagwat Jha Azad) :

(a) and (b)

	Registrations	Placements
1967-68	1,43,641	31,870
1968-69 (upto February, 1969)	1,31,781	26,235

(c) and (d)

	No. of placements effected during 1967-68	1968-69 (upto February, 1969)
Included in the total are :		
(i) Technical personnel (Engineering Graduates and Diploma holders)	238*	316*
(ii) Ex-service personnel	550	457
(iii) Women	1,145	1,245
(iv) Class III	4,686	4,051
(v) Class IV	25,913	22,032

(e) Various Development Schemes included in the Fourth Five Year Plan expected to create more and more employment opportunities for technical and other categories of job seekers.

उत्तर प्रदेश में बकाया टेलीफोन-शुल्क

5209. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश राज्य में इस समय टेलीफोन का कुल कितना टेलीफोन-शुल्क बकाया है ; और

(ख) उसे वसूल करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार विभाग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) :

(क) 31, जुलाई 1968 तक के जारी किये गये बिलों की राशि 1, नवम्बर, 1968 तक 49.03 लाख रुपये बकाया थी ।

(ख) भुगतान न करने वालों से रुपये वसूल करने के लिए, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है, उनके टेलीफोन कनक्शन काटे जा रहे हैं, उनसे पत्राचार अथवा सम्पर्क स्थापित किया जा रहा है, तथा जहाँ आवश्यकता समझी जाती है, कानूनी कार्यवाही की जाती है ।

फ्री तिब्बत रेडियो

5210. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

*Figures relate to Calender Years 1967 and 1968 respectively.

Note : Figures given against categories (i) to (v) above are not mutually exclusive.

(क) क्या कुछ अभिकरणों ने भारत में "फ्री तिब्बत रेडियो" स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य-मन्त्री (श्री शेर सिंह):

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में प्रयोगात्मक नलकूप

5211. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 जनवरी, 1968 तक उत्तर प्रदेश राज्य में कितने प्रयोगात्मक नलकूप लगाये गए थे;

(ख) क्या वर्ष 1968-69 में राज्य में इस प्रकार के और नलकूप लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):

(क) कृषि विभाग के अधीनस्थ कार्यालय समन्वेषी नलकूप संस्थान ने 31 जनवरी, 1968 तक उत्तर प्रदेश में 48 समन्वेषी छिद्रण किए हैं जिनमें से 38 सफल रहे और बाकी कुओं पर या तो पानी के कम निसरण या पानी के खराब होने के कारण काम बन्द कर दिया गया।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश में 1968-69 की अवधि में परीक्षणात्मक नलकूप लगाने का प्रस्ताव था । फिर बाद में इनके स्थान पर उत्पादन करने वाले नलकूप लगाने का निर्णय किया गया। अब तक 1968-69 में 11 नलकूप बनाये गए हैं जिनमें 9 सफल सिद्ध हुए।

गारो पहाड़ी क्षेत्र (आसाम) में पूर्व पाकिस्तान के शरणार्थियों का पुनर्वास

5212. **श्री समर गुह** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हजारों शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये, जिन्हें वर्ष 1964 में नरसंहार के बाद पूर्वी पाकिस्तान के मेमनसिंह जिले के गारो पहाड़ी क्षेत्र से निकाल दिया गया था, सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) इन आदिम जातीय शरणार्थियों की कुल संख्या कितनी है और उन स्थानों के नाम क्या हैं जहाँ उनको स्थायी रूप से बसाने से पूर्व शिविरों में रखा गया है;

(ग) क्या आसाम में उनके वर्तमान शिविरों से उन्हें हटाने के लिये पुलिस ने इन आदिम जातीय शरणार्थियों के साथ कई प्रकार का दुर्व्यवहार किया है, और यदि हाँ, तो उनके पुनर्वास में सरकार को किस कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) क्या सरकार का विचार उन्हें आसाम के गारो पहाड़ी क्षेत्र में कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में बसाने का है, जो पूर्वी पाकिस्तान में उनके मूल क्षेत्र के निकट है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) से (ङ) शरणार्थियों के आँकड़े श्रेणी, समुदाय या क्षेत्रवार नहीं रखे जाते हैं। उनको, उनके व्यवसाय के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, उदाहरणार्थ, कृषक, मछुए, छोटे-मोटे व्यापारी, बागान कामगार, औद्योगिक कामगार और इसी प्रकार।

तथापि, अपेक्षित जानकारी एकत्रित करने के लिये असम सरकार से अनुरोध किया जा रहा है।

विज्ञापनों के प्रसारण से राजस्व

5213. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विज्ञापनों का प्रसारण आरम्भ किए जाने से अब तक इनसे अनुमानतः कितना राजस्व प्राप्त हुआ है;

(ख) विज्ञापनों की प्रसारण-व्यवस्था पर कुल कितना व्यय हुआ; और

(ग) सरकार को अब तक कितना शुद्ध लाभ हुआ है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल):

(क) से (ग) 1 नवम्बर, 1967 से 31 मार्च, 1969 तक की अवधि के आँकड़े निम्न प्रकार हैं:—

कुल आय	97,36 350 रुपए
आवृत्ति व्यय	23,24,990 रुपए
शुद्ध लाभ	74,11,360 रुपए

उपर्युक्त विवरण में पूंजीगत व्यय शामिल नहीं किया गया है।

बेरोजगार व्यक्ति

5215. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1968 में देश के विभिन्न रोजगार दफ्तरों में कुल कितने बेरोजगार व्यक्तियों के नाम दर्ज थे;

(ख) कितने व्यक्तियों को रोजगार दिलाया गया; और

(ग) शेष व्यक्तियों के लिये रोजगार की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम, नियोजन तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) 40,39,516.

(ख) 4,24,227.

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना तथा केन्द्र और राज्यों की वर्ष 1969–70 की वार्षिक योजना में सम्मिलित कृषि, ग्रामीण व लघु उद्योग, सिंचाई और बिजली, परिवहन और संचार तथा सामाजिक सेवाओं के विभिन्न विकास कार्यक्रमों द्वारा बेरोजगार लोगों के लिये अधिकाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध होने की आशा है।

उड़ीसा में पुरी का बानपुर लोक-कार्य क्षेत्र

5216. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1964–65, 1965–66, 1966–67 तथा 1967–68 में उड़ीसा में पुरी जिले के बानपुर लोक-कार्य क्षेत्र को उसके कार्य के लिए सरकार से कुल कितनी धन-राशि प्राप्त हुई थी;

(ख) क्या इन वर्षों में उन्हें कोई धन-राशि दी गई है;

(ग) यदि हाँ, तो कितनी धन-राशि दी गई है;

(घ) कितनी धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है; और

(ङ) उनको देय राशि का उन्हें कब तक भुगतान कर दिया जाएगा?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) :

(क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा में सहकारी खेती

5217. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 1969 को उड़ीसा में कुल कितनी भूमि पर सहकारी खेती की जा रही थी;

(ख) क्या उड़ीसा में इस सम्बन्ध में कुछ प्रगति हो रही है; और

(ग) उड़ीसा में यदि सहकारी खेती का विस्तार करने का कोई कार्यक्रम है तो वह क्या है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) :

(क), (ख) व (ग) 31. 3. 1969 की जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह सूचित किया गया है कि 31. 12. 1968 को सहकारी खेती समितियों के पास 11,085 एकड़ भूमि थी और चौथी योजना के दौरान नई समितियाँ गठित करके सहकारी खेती का विस्तार करने का कोई कार्यक्रम नहीं है।

दक्षिण कनारा जिले में सिंचाई परियोजनाएं

5218. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दक्षिण कनारा जिले में ऐसी कितनी सिंचाई परियोजनाओं का सर्वेक्षण किया गया है, जिनकी लागत दो लाख रुपयों से अधिक है परन्तु धन के अभाव के कारण जिनको सरकार द्वारा स्वीकृति नहीं दी गई है; और

(ख) किन परियोजनाओं को दो वर्ष से अधिक समय पहले आरम्भ किया गया था परन्तु जो अभी पूरी नहीं हुई हैं तथा इसमें देरी होने के क्या कारण हैं?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) :

(क) और (ख) मैसूर सरकार से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

समाचार-दर्शन केन्द्र

5219. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि चन्दा समिति ने यह सुझाव दिया था कि विभिन्न राज्यों में आर्थिक समाचार-दर्शन केन्द्र खोले जाने चाहिये;

(ख) क्या यह भी सच है कि एक राज्य से सम्बद्ध समाचार-दर्शन आजकल दूसरे राज्य द्वारा तैयार किए जाते हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में ऐसे और केन्द्र खोलने का विचार किया है और यदि हाँ, तो किन-किन राज्यों में नए केन्द्र खोले जायेंगे?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) चन्दा समिति ने यह सुझाव दिया है कि समाचार-चित्र तथा वृत्तचित्र तैयार करने के लिये फिल्म प्रभाग, बम्बई वर्तमान संगठन के अतिरिक्त दिल्ली, कलकत्ता तथा मद्रास में भी प्रादेशिक यूनिटें स्थापित की जानी चाहिए।

(ख) साप्ताहिक समाचार-चित्र फिल्म प्रभाग द्वारा देश के विभिन्न भागों में स्थित 15 न्यूज़रील अधिकारियों द्वारा भेजी गई सामग्री के आधार पर बम्बई में संकलित और तैयार की जाती है।

(ग) और अधिक समाचारों को फिल्माने के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में कम से कम दो नए न्यूज़रील तैयार करने वाले यूनिट स्थापित करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है। ये यूनिटें कहाँ हों इसका फैसला प्रस्ताव पर अन्तिम निर्णय लिये जाने के बाद किया जायेगा।

पश्चिम बंगाल में चावल की वसूली

5220. **श्री ज्योतिर्मय बसू** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय खाद्य निगम ने पश्चिमी बंगाल में अब तक कितने चावल की वसूली की है;

(ख) वसूल की गई कुल मात्रा में चावल मिलों का कितना हिस्सा है;

(ग) क्या यह सच है कि अधिक चावल पैदा करने वाले लोग अपना भण्डार दबाये बैठे हैं; और

(घ) अधिक उत्पादन करने वाले लोगों से चावल वसूल करने के लिए यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) :

(क) 1-11-1968 से 19-3-1969 तक 3.11 लाख मीटरी टन।

(ख) 1.41 लाख मीटरी टन।

(ग) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है।

(घ) राज्य सरकार ने चालू वर्ष में ऐसे उत्पादकों पर जिनके पास सिंचित क्षेत्र में 8 एकड़ से अधिक तथा असिंचित क्षेत्र में 10 एकड़ क्षेत्र में धान की खेती है, लेवी लगाई है।

पश्चिम बंगाल में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत उद्योग

5221 **श्री ज्योतिर्मय बसू :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल में प्रत्येक उद्योग में कितने कर्मचारियों पर अब तक राज्य कर्मचारी बीमा योजना लागू हुई है;

(ख) प्रत्येक उद्योग में कितने प्रतिशत कर्मचारियों पर यह योजना लागू होती है;

(ग) अब तक कर्मचारियों के लिये कितने अस्पताल खोले गए हैं और उनमें कितने रोगी शय्यायों की व्यवस्था की गयी है; और

(ग) कितने कर्मचारियों पर जिन उद्योगों पर राज्य कर्मचारी बीमा योजना लागू होती है, उनमें से प्रत्येक के कर्मचारियों तथा श्रमिकों द्वारा पृथक-पृथक कितना अंशदान किया गया ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद):

(क) कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने पश्चिम बंगाल में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत आने वाले श्रमिकों की जो उद्योग-वार स्थिति सूचित की है, वह इस प्रकार है:—

उद्योग का नाम	योजना के अन्तर्गत आने वाले श्रमिकों की संख्या
पटसन मिलें	2,16,164
कपड़ा मिलें	89,358
सिल्क मिलें	1,347
ऊनी मलें	996

रबड़	26 259
इंजीनियरी और धातु उद्योग	2 89,724
मुद्रण प्रेस	12,959
चमड़ा उद्योग	2,398
रसायन और औषधि-निर्माण	38,933
खाद्य	16 538
अन्य	86,139
कुल	7,80,815

(ख) यह सूचना कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पास उपलब्ध नहीं है।

(ग) अस्पतालों की कुल संख्या 23 है और श्रमिकों के लिए 1,740 पलंग उपलब्ध हैं।

(घ) नियोजकों और कर्मचारियों से प्राप्त अंशदानों के अभिलेख उद्योग-वार नहीं रखे जाते। अतः कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक उद्योग के नियोजकों और श्रमिकों द्वारा रुपयों में दिए गए अंशदान संबधी सूचना कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पास उपलब्ध नहीं है। फिर भी, वर्ष 1966–67 और 1967–68 के दौरान पश्चिम बंगाल में नियोजकों और कर्मचारियों से वसूल किए गए कुल अंशदानों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

	1966–67	1967–68
नियोजकों से वसूल की गई राशि	2,94,28,193 रु०	3,07,45,131रु०
कर्मचारियों से वसूल की गई रकम	2,68,55,955 रु०	2,75,44,218रु०

Promotion of Programme Executives in A. I. R.

5222. **Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the number of Programme Executives in the All India Radio who are working as such during the last twenty years ;

(b) the reasons for not giving any promotion to them ; and

(c) the steps proposed to be taken by Government in this regard with a view to provide incentive and promotion prospects to them ?

The Minister of State In the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) :

(a) Fifty-six

(b) For want of vacancies in the higher grade.

(c) Their promotion will depend on vacaccies in higher grade that may occur and the cadre position. Government has no scheme or proposal for improving promotion prospects.

New Co-operative Sugar Factories in Maharashtra

5223. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** **Shri B. K. Das Chowdhury :**
Shri Narendra Singh Mahida : **Shrl Onkar Lal Berwa :**
Shri N. K. Laskar : **Shri Chengalraya Naidu :**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Maharashtra Government have recently sent a proposal to the Central Government for setting up 15 sugar factories in the Co-operative Sector in their State for approval;

(b) if so, whether the necessary approval has been given; and

(c) if not, the date on which the said proposal was received and the reasons for delay in giving necessary approval thereto?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasaheb Shinde) :

(a) to (c) : 15 appliaations recommended by the Government of Maharashtra for the establishment of new cooperative sugar factories at the following places are being considered by the Government :—

S. No.	Date of receipt of application in the Ministry of IDIT & CA.	Proposed location with district
1.	6. 3. 63	Dongarkada, Dist. Parbhani,
2.	6. 6. 63	Sindkhed Raja, Dist. Buldana.
3.	19. 10. 63	Killari, Dist. Osmanabad.
4.	22. 10. 63	Shirol taluk, Dist. Kolhapur.
5.	29. 1. 64	Basmathnagar, Dist. Parbhani.
6.	4. 12. 64	Shirwade, Dist. Satara.
7.	7. 1. 67	Pusad Tehsil, Dist. Yeotmal.
8.	5. 3. 68	Parsoda, Dist. Aurangabad.
9.	3. 6. 68	Kannad, Dist. Aurangabad.
10.	29. 6. 68	Sillod, Dist. Aurangabad.
11.	28. 8. 68	Hotgi ,Dist. Sholapur.
12.	12. 9. 68	Nessari, Dist. Kolhapur.
13.	18. 9. 68	Shetphal (Indapur), Dist. Poona.
14.	7. 1. 69	Patan Taluk, Dist. Satara.
15.	22. 1. 69	Ambejogai Taluk, Dist. Bhir.

As the co-operative sugar factories were dependent for a bulk of their capital requirement on rupee loan from the IFC and there was for sometime difficulty in arranging the same for the units which had already been licensed, more factories were not being licensed. The Government of Maharashtra has since been able to work out a scheme of self-finance on the part of the proposed cooperatives. Is is, therefore, expected that more factories in Maharashtra and other States will be licensed in the near future.

सिंचित तथा असिंचित भूमि में खेती

5224. **श्री हेमराज** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1967 तथा 1968 में देश में क्रमश: कितनी असिंचित भूमि तथा कितनी सिंचित भूमि में, खेती की गई; और

(ख) देश में असिंचित कृषि-भूमि में उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे):

(क) वर्ष 1967 तथा 1968 में जिस सिंचित तथा असिंचित भूमि में खेती की गई थी उसके आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इस समय केवल 1965-66 की जानकारी उपलब्ध है जिसके अनुसार सिंचित क्षेत्र 264.04 लाख हेक्टेयर था और बरानी भूमि का क्षेत्र 1093.09 लाख हैक्टेयर था।

(ख) राज्य सरकारों ने ऐसे क्षेत्रों के लिये अत्यधिक पानी इकट्ठा करने के हेतु तालाबों आदि को सुधारने तथा उनसे गाद निकालने जैसे छोटी सिंचाई कार्यों के कार्यक्रम आरम्भ किए हैं। इसके अतिरिक्त विशेष रूप से निम्नलिखित कार्यों के संदर्भ में नमी संरक्षण क्रियाओं को तेज़ कर दिया गया है:—

(एक) भूमि का समतलन तथा मेंड़ बाँधना;

(दो) कन्टूर मेंड़ बाँधना; और

(तीन) गहरी जुताई

बरानी भूमि वाले क्षेत्रों में कंटूर मेंड़ बाँधने तथा अन्य भूमि संरक्षण कार्यों के लिये छोटे किसानों तथा जाति के पिछड़े वर्गों को 25 से 100 प्रतिशत राज सहायता दी जाती है। कृषि पुनर्वित्त निगम की सहायता से सहकारी भूमि विकास बैंकों ने भी भूमिगत पानी तथा छोटी सिंचाई कार्यों का विकास करना आरम्भ कर दिया है। जो अन्य समर्थनकारी उपाय किए गए हैं जिनमें बटी हुई जोतों की चकबन्दी, सरकारी तथा सहकारी स्तर पर नलकूप खोदना, तथा भूमि की उपलब्ध अत्यधिक नमी के अनुरूप अल्पकालिक किस्मों का प्रचार करना शामिल हैं।

आसाम और पश्चिम बंगाल में पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थी

5225. **श्री क० मि० मधुकर :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1968 में आसाम और पश्चिम बंगाल में पूर्व पाकिताान से कुल कितने शरणार्थी आये;

(ख) उनको बसाने के लिये क्या प्रबन्ध किए गए; और

(ग) इस काम पर कुल कितना खर्च किया गया?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार 1968 के अन्तर्गत पूर्वी पाकिस्तान से 3673 व्यक्ति पश्चिम बंगाल में तथा 4821 व्यक्ति असम में आये थे।

(ख) नीति के आधार पर, पुनर्वास सहायता केवल उन प्रवासियों को दी जाती है जो शिविरों में प्रवेश पाते हैं, पश्चिम बंगाल में 1968 के अन्तर्गत आने वालों में से किसी व्यक्ति ने भी शिविरों में प्रवेश प्राप्त नहीं किया। उस वर्ष असम के शिविरों में 2,640 व्यक्तियों को प्रवेश दिया गया था।

पुनर्वास योजनाएँ तथा कार्यक्रम, विस्थापित व्यक्तियों के लघु अनुभाग की, जो किसी थोड़े विशिष्ट समय की अवधि में आये हों, आवश्यकताओं के आधार पर तैयार नहीं किए जाते। 1968 के अन्तर्गत शिविरों में प्रवेश पाने वाले नए प्रवासियों को अन्य शिविर परिवारों सहित पुनर्वास सहायता प्रदान की जायेगी।

विस्थापित व्यक्तियों को कृषि में पुनर्व्यवस्थापन देने के उद्देश्य से बहुत से राज्यों में पुनर्वास-स्थल स्थापित कर दिए गए हैं। पूर्वी पाकिस्तान से आये प्रवासियों की बहुत बड़ी

संख्या को दण्डकारण्य परियोजना में भी बसाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अंदमान तथा निकोबार द्वीपों तथा महाराष्ट्र के जिला चान्दा में विशेष क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। गैर-कृषक परिवारों के लिये कारोबार चालू करने, तथा मकानों/ दुकानों इत्यादि के निर्माण के लिये, ऋण दिए जाते हैं। उनके लिये उद्योगों तथा अन्य उपयुक्त सस्थानों में रोजगार दिलाने के प्रयत्न भी किए जाते हैं।

असम सरकार ने नए प्रवासियों के 12,000 परिवारों को जो 1-1-1964 तथा उसके बाद आसाम आये थे, बसाने की जिम्मेदारी ली थी। यह प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो गयी है। उन परिवारों के, जो आसाम में खोले गए राहत शिविरों में रह रहे हैं और 12,000 के कोटे से अधिक हैं, आसाम से बाहर पुनर्वास की व्यवस्था कर दी गई है। इनमें से कुछ परिवार आसाम से बाहर जाने की अनिच्छा प्रकट कर रहे हैं। आसाम के बाहर, इन परिवारों के लिये बनाये गए पुनर्वास स्थलों पर इनको भेजने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(ग) किसी विशेष वर्ष में पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों की सहायता तथा पुनर्वास पर किए गए खर्च के आँकड़े सभी व्यक्तियों के लिये संयुक्त रूप से रखे जाते हैं, चाहे वे व्यक्ति उसी वर्ष आये हों या उससे पूर्व वर्षों में आये हों। इसलिये 1968 के अन्तर्गत आये विस्थापित व्यक्तियों पर किए गए खर्च के बारे में विशिष्ट आँकड़े देना संभव नहीं है।

1968-69 के अन्तर्गत, पूर्वी पाकिस्तान से असम तथा पश्चिम बंगाल में आये प्रवासियों के राहत तथा पुनर्वास पर 4.35 करोड़ रुपए के व्यय की संभावना है।

चलचित्र वित्त-निगम

5226. **श्री मंगलाथुमाडोम** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चलचित्र वित्त-निगम का पुनर्गठन किया गया है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में दक्षिण राज्यों के फिल्म चेम्बर आफ कॉमर्स से कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) जी, हाँ। फिल्म वित्त-निगम लि० के निर्देशक बोर्ड का 11 अक्टूबर, 1968 को पुनर्गठन किया गया था। 10 जनवरी, 1969 को कुछ और निर्देशक नियुक्त किए गए। वर्तमान बोर्ड में दक्षिण के राज्यों के भी दो सदस्य हैं।

(ख) इस सम्बन्ध में साउथ इण्डिया फिल्म चेम्बर आफ कॉमर्स ने कोई विशिष्ट सुझाव नहीं दिए थे।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

चौथी योजना में खाद्य तथा कृषि संगठन की परियोजनाएँ

5227. **श्री मंगलाथुमाडोम** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में तथा कृषि संगठन की सहायता और सहयोग से कितने कार्यक्रम और परियोजनायें आरम्भ की जायेंगी ; और

(ख) देश में कृषि प्रक्षेत्रों के विकास के लिये खाद्य तथा कृषि संगठन से अब तक कितनी धनराशि सहायता के रूप में प्राप्त हुई है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिकता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) :

(क) किसी परियोजना की संभावना उत्पन्न होने पर ही खाद्य एवं कृषि संगठन से सहायता माँगी जाती है, योजना की अवधि के आधार पर नहीं।

(ख) कृषि के सामान्य क्षेत्र के लिए खाद्य एवं कृषि संगठन की सहायता निम्न प्रकार है: अब तक विशेषज्ञों व परामर्शदाताओं के रूप में तकनीकी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत 45 लाख डालर की सहायता प्राप्त हुई है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम विशेष निधि के अन्तर्गत 132.3 लाख डालर की लागत की 12 परियोजनायें खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा क्रियान्विति हेतु स्वीकृत की गई हैं। विभिन्न प्रकार की अन्य सहायता खाद्य एवं कृषि संगठन तथा भूख से छुटकारा अभियान के माध्यम से दी जाती है।

सहकारिता के आधार पर कार्य

5228. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 जनवरी, 1969 को एक्सप्रेस न्यूज़ सर्विस रिपोर्ट में प्रकाशित श्री ओगले के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सहकारिता के आधार पर कार्य करने से कोई लाभ नहीं होता;

(ख) भारत में और महाराष्ट्र में सहकारी चीनी कारखानों में और गैर-सरकारी चीनी कारखानों में विनियोजित पूंजी से औसतन क्या लाभ होता है; और

(ग) सहकारी चीनी कारखानों में सरकार तथा उसकी वित्तीय संस्थाओं की पूंजी कितने प्रतिशत लगी हुई है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथ सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) :

(क) जी हाँ।

(ख) सहकारी समितियों तथा निजी चीनी कारखानों के तुलनात्मक आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इसके अलावा, सहकारी चीनी कारखानों द्वारा अर्जित अधिशेषों का अधिकतर भाग सहकारी समिति के उत्पादक सदस्यों को गन्ने के मूल्य के रूप में दे दिया जाता है। अत: उनकी विनियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ की दर निजी क्षेत्र के चीनी कारखानों के तरीके पर नहीं निकाली जा सकती है।

(ग) सहकारी चीनी कारखाने का 'ब्लाक' पूंजी विनिधान का 20 प्रतिशत भाग अथवा 35 लाख रुपए की राशि, जो भी कम हो, सरकार द्वारा अंश पूंजी के रूप में दी जाती है और

लगभग 60 प्रतिशत भाग सरकारी वित्तदायी संस्थाओं जैसे औद्योगिक वित्त निगम तथा जीवन बीमा निगम, से ऋण के रूप में एकत्र किया जाता है। शेष 20 प्रतिशत भाग सहकारी चीनी कारखानों द्वारा उत्पादकों तथा उनकी सहकारी समितियों से अंश पूंजी के रूप में एकत्र किया जाता है।

नये ट्रांसमिटर

5229. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उनमें से कोई ट्रांसमिटर चालू किए हैं जिन्हें इस वर्ष देश के विभिन्न भागों में लगाने का प्रस्ताव था,

(ख) यदि हाँ, तो उन्हें कहाँ-कहाँ लगाया गया है; और

(ग) उन पर कितनी राशि खर्च की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (इ० कु० गुजराल):

(क) जी हाँ,

(ख) एक डिब्रूगढ़ में 15 फरवरी, 1969 को चालू किया गया था।

(ग) लगभग 36 लाख रुपए।

D. G. P. & T. Notificatlon in Hindi

5230. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Valmiki Chaudhary :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the number of notifications issued in the Gazette of India by the Directorate General of Posts and Telegraphs during the last six months ;

(b) the number of those out of them which were publisned in Hindi also ;

(c) the reasons for not publishing such notifications in Hindi also alongwith those published in English only and whether any action has been taken against the authorities responsible for this ; and

(d) the steps taken to ensure that P and T Board Officials follow provisions of the Officials Languags Act in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the department of Communications (Shri Sher Singh) :

(a) 193.

(b) 26.

(c) Sometimes the Notifications were in the form of amendments of Rules. Since the Rules have not yet been published in Hindi originally, the amendments were issued in English only. The urgency of publication of the Notifications has also sometimes been responsible for their non-publication in Hindi.

(d) Adequate steps have since been taken to ensure that provisions of the officials Languages Act are strictly adhered to in future.

अनाज का रक्षित भंडार

5231. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :** **श्री रा० की० अमीन :**
श्री द० रा० परमार :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आगामी वर्ष कितना रक्षित भण्डार बनाने का लक्ष्य है और अनाज की वर्तमान कटाई को देखते हुए लक्ष्य की प्राप्ति की क्या संभावनायें हैं; और

(ख) अनाज के रक्षित भंडार का क्या लक्ष्य है जिससे भारत को अनाज का आयात न करना पड़े और अनाज के मूल्य स्थिर रह सकें ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे):

(क) केन्द्र और राज्य सरकारों के पास अक्तूबर, 1969 के अंत तक 30 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का एक बफर तैयार स्टाक करने की योजना है। अगले वर्ष में यह लक्ष्य इससे 10 लाख मीटरी टन और अधिक है। आशा है कि इन लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाएगी।

(ख) यह अनुमान है कि एक बार आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेने पर 50 लाख मीटरी टन का एक बफर स्टाक प्रत्येक वर्ष के उत्पादन में होने वाले अन्तर को ठीक करने के लिए पर्याप्त होगा बशर्ते कि 1965–66 अथवा 1966–67 जैसे बहुत ही बुरे वर्षों का सामना न करना पड़े।

दिल्ली और बीकानेर के बीच डाक-सेवा

5232. **डा० कर्णी सिंह :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली और बीकानेर के बीच तेज और सीधी गाड़ियाँ चलने के बावजूद दिल्ली और बीकानेर में डाक अपने गन्तव्य स्थान पर एक दिन छोड़ कर दूसरे दिन पहुँचती है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

संचार और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) :

(क) जी, हाँ।

(ख) दिन में काफी समय पहले डाक में डाले गए पत्र ही बीकानेर डाक गाड़ी में चलने वाले रेल-डाक-सेवा के सेक्शनों के माध्यम से भेजी जाने वाली डाक में शामिल किए जा सकते हैं ताकि वे दूसरे दिन गन्तव्य स्थान को पहुँच सकें। देरी से डाले गए पत्र बीकानेर एक्सप्रेस गाड़ी से ही भेजे जा सकते हैं, जिनका गन्तव्य स्थान पर वितरण तीसरे दिन होता है।

डाक्टर मार्टिन लूथर किंग की स्मृति में जारी डाक-टिकट में त्रुटियां

5233. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक-तार विभाग द्वारा पहले दिन प्रकाशित किये गये फोल्डर में डाक्टर मार्टिन लूथर किंग की जन्म तिथि के वर्ष में त्रुटि थी ;

(ख) क्या उस फोल्डर में डाक-टिकट का जो चित्र छपा है उसमें "श्रीमती किंग को औपचारिक रूप से पुरस्कार लेते हुए चित्रित किया गया है" लिखा गया है, परन्तु डाक-टिकट पर केवल डा० किंग का ही चित्र है ; और

(ग) इन त्रुटियों के क्या कारण हैं और इन त्रुटियों को कैसे ठीक करने का सरकार का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) :

(क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ, यह गलती दुर्भाग्यवश इसके हिन्दी रूपान्तर में हो गई थी ।

(ग) इन गलतियों को गम्भीरता से लिया गया है और आगे ऐसा न होने पाए यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही की गई है ।

केन्द्रीय सूचना सेवा के अधिकारियों की द्वितीय ग्रेड से प्रथम ग्रेड में पदोन्नति

5234. **श्री क० लक्कप्पा** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सूचना सेवा के ग्रेड दो के अधिकारियों को ग्रेड एक में पदोन्नत करने में समान प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि 1967 में चुने गये अधिकारियों को स्थान के रिक्त होने की तिथि से भूतलक्षी प्रभाव से पदोन्नत किया गया है जब कि 1966 में चुने गये अधिकारियों को इस सुविधा से वंचित रखा गया है हालाँकि ये पद पिछले 10 अथवा 12 महीनों से रिक्त पड़े थे ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस विषमता को दूर करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) ग्रेड 2 से ग्रेड 1 में तदर्थ आधार पर पदोन्नति की प्रवरता व योग्यता की मानक प्रक्रिया को जनहित में पदोन्नति से भरे जाने वाले केवल उन्हीं पदों के बारे में छोड़ना पड़ा जिनके लिए किसी विशेष प्रादेशिक भाषा में दक्षता का होना आवश्यक था। नियमित पदोन्नति के मामलों में इस प्रकार व्यक्तिक्रम नहीं हुआ ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

केरल में मत्स्य पालन उद्योग के विकास के लिए वृहत योजना

5235. **श्री विश्वनाथ मेनन :** **श्री प० गोपालन :**
श्री अ० कु० गोपालन : **श्री सी० के० चक्रपाणि :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 14 नवम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 672 के

उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मत्स्य पालन उद्योग के विकास के लिए केरल सरकार द्वारा बनाई गई योजना पर खर्च होने वाली विशाल धनराशि की राज्य सरकार अकेले व्यवस्था नहीं कर सकती है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इस वृहत् योजना के लिये धन की व्यवस्था करने का है ; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) से (ग) केरल में मत्स्यकी के विकास के लिए कोई अलग 'मास्टर प्लान' प्राप्त नहीं हुआ है । मात्स्यकी विकास कार्यक्रमों सहित चौथी योजना राज्य कार्यक्रमों पर होने वाले खर्च के लिये केन्द्रीय सरकार ब्लाक अनुदानों तथा ऋणों के रूप में अंशदान देगी । यह अंशदान इस कार्य के लिये अपनाए गये आधार पर निश्चित किया जायेगा । इसके अतिरिक्त, चौथी योजना में 100 प्रतिशत अनुदान की सहायता के प्रतिमान पर केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत मछली पकड़ने वाले पोतों के लिये पहुँचने और ठहरने सम्बन्धी सुविधाएँ देने की व्यवस्था को जारी रखने का प्रस्ताव है । चौथी योजना के अन्तर्गत होने वाले व्यय को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

चौथी पंचवर्षीय योजना में छोटी सिंचाई योजना

5236. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में छोटी सिंचाई योजना के लिए कितनी धन-राशि नियुक्त की गई है और इसमें केन्द्रीय तथा प्रत्येक राज्य सरकारों का क्या-क्या भाग है ; और

(ख) छोटी सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में कितने अतिरिक्त क्षेत्र को लाने का प्रस्ताव है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) और (ख) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में लगभग 2 करोड़ 40 लाख एकड़ के एक क्रियात्मक उद्देश्य के लिये लघु सिंचाई हेतु, संस्थानिक क्षेत्र अभिकरणों में 600 करोड़ रुपये और लगभग 900 करोड़ रुपये के खर्च की एक योजना का प्रस्ताव किया गया था । फिर भी राज्य सरकारों और संघ क्षेत्रों के लिए कुल 467 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना और संस्थानिक क्षेत्र से 650 करोड़ रुपये (शुद्ध) खर्च किये जाने की योजना अस्थाई रूप से स्वीकृत कर ली गई है । चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिये राज्य सरकारों के लघु सिंचाई कार्यक्रम के हेतु 461.36 करोड़ रुपये खर्च किये जाने की योजना का राज्यवार प्रस्तावित ब्यौरा अनुबन्ध 1 में दिया हुआ है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 614/69]** संस्थानिक ।

दिल्ली में मनोरंजन-कर में वृद्धि

5237. **श्री सु० कु० तापड़िया : श्री हिम्मतसिंह का :**

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर एसोसियेशन और फिल्म फेडरेशन आफ इंडिया ने दिल्ली के उपराज्यपाल से अनुरोध किया था कि वह अपने प्रभाव का प्रयोग कर दिल्ली तथा नई दिल्ली म प्रस्तावित मनोरंजन-कर की वृद्धि को समाप्त कराये ; और

(ख) यदि हाँ, तो मनोरंजन-कर को किन-किन परिस्थितियों में बढ़ाने और कितना बढ़ाने का प्रस्ताव है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) जी, हाँ ।

(ख) और (ग) दिल्ली नगर निगम के कार्यों के लिए अधिक राजस्व एकत्र करने की तुरन्त आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और इस बात के कारण कि दिल्ली में मनोरंजन-कर की वर्तमान दरें उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरयाना जैसे पड़ोसी राज्यों में मनोरंजन-कर की दरों से कम हैं, दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली नगर निगम की सिफारिशों के आधार पर यह आदेश दिया है कि 4 अप्रैल, 1969 से संघ प्रशासित क्षेत्र दिल्ली में सभी चलचित्र प्रदर्शनों पर मनोरंजन-कर 40 प्रतिशत से बढ़ा कर 60 प्रतिशत कर दिया जाएगा ।

Destruction of R. M. S. Bags at Delhi Main Station in September, 1968.

5238. **Shri P. L. Barupal**: Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 613 on the 14th November, 1968 and state :

(a) whether the cause of the fire resulting in the destruction of twenty-one bags of R. M. S. at Delhi Main Station has since been known ;

(b) if so, what was the cause ;

(c) whether the Police investigation has been concluded ; and

(d) if so, the result thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) :

(a) and (b) The exact cause could not be established.

(c) Yes.

(d) The police have come to the conclusion that the fire was not accidental but was due to the work of some mischief mongers. However, no clue could be found as to who were the culprits.

Ancient Regional Folk Songs

5239. **Shri P. L. Barupal** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether any arrangements have been made or a scheme prepared by the Ministry to compile ancient regional folk songs ;

(b) if so, the total number of such songs compiled so far ;

(c) the number of such songs published so far pertaining to each State ;

(d) whether Government are aware that in many States new inexperienced persons and family members of officials or those having approaches are given opportunities for broadcasting programmes from A. I. R. stations rather than those who are born singers and expert folk song artistes; and

(e) if so, the action taken and stop such malpractices and to encourage expert folk artistes ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral):

(a) Yes, Sir.

(b) Information is being compiled and will be laid on the Table of the House.

(c) None. Publication of these songs is not contemplated in A.I.R.'s programme.

(d) No, Sir, The criteria for giving broadcast engagements to an Artiste is the quality of his/her performance, and programme requirements of A.I.R.

(e) Does not nrise.

दिल्ली दुग्ध योजना

5240. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में घी तथा अन्य दूध उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि होने के पश्चात् दिल्ली दुग्ध योजना की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है ;

(ख) क्या दिल्ली दुग्ध योजना अभी भी घाटे में जा रही है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसे कितना घाटा हुआ है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) घी और मक्खन की कीमत 22-1-1969 से बढ़ाई गई । इससे हानि में कमी होगी ।

(ख) योजना 1968-69 में हानि दिखलायेगी ।

(ग) 1968-69 में लगभग 76 लाख रुपये की हानि का अनुमान है ; यह आशा है कि योजना 1967-68 में उपान्त लाभ दिखलायेगी ।

भूमि सुधारों के अन्तर्गत भूमि का स्वामित्व

5241. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 20 वर्षों के भूमि सुधारों के बाद 70 लाख एकड़ भूमि के काश्तकारों को स्वामित्व के अधिकार प्राप्त हुए हैं ;

(ख) कितने लाख एकड़ भूमि में अभी काश्तकारों को इस प्रकार के अधिकार प्राप्त होने शेष हैं ;

(ग) क्या भूस्वामियों द्वारा न्यायालयों के बाहर तथा न्यायालयों में इसका प्रतिरोध किये जाने के कारण इस काम की प्रगति शिथिल रही है ; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या भूस्वामियों को अपने स्वामित्वाधिकारों को बनाये रखने के

बारे में कोई प्रस्ताव विचाराधीन हैं, जिसके अन्तर्गत, काश्तकार लोग केवल उप-स्वामित्वाधिकार प्राप्त करें, ताकि भूमि सुधार विधियों को शीघ्र लागू किया जा सके ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) और (ख) काश्तकारों का राज्यों के साथ सीधा सम्पर्क स्थापित करने और उन्हें स्वामिन्व अधिकार प्रदान करने के लिए निम्नलिखित राज्यों में कानून बना दिये गये हैं :

(1) गुजरात,
(2) हरियाणा,
(3) केरल,
(4) मध्य प्रदेश,
(5) महाराष्ट्र
(6) मैसूर,
(7) उड़ीसा,
(8) पंजाब
(9) राजस्थान,
(10) उत्तर प्रदेश,
(11) पश्चिम बंगाल (बरगादारों को छोड़ कर अन्य काश्तकार) ,
(12) आन्ध्र प्रदेश का तिलंगाना क्षेत्र,
(13) दिल्ली,
(14) हिमांचल प्रदेश,
(15) मणीपुर,
(16) त्रिपुरा,
(17) पाण्डेचेरी का माहे क्षेत्र ।

इन राज्यों के कानून में खरीद के इच्छुक अधिकार तथा साथ ही (पंजाब व हरियाणा को छोड़ कर) काश्तकारों को स्वामित्व अधिकारों का अनिवार्य हस्तान्तरण शामिल है । यह कानून उस कानून के अतिरिक्त हैं, जिसमें काश्तकारों का राज्य के साथ सीधा सम्पर्क स्थापित करने के विषय में बिचौलियों की समाप्ति करने की व्यवस्था की गई है ।

अनिवार्य रूप से स्वामित्व अधिकार प्रदान करने के सम्बन्ध में संविधानिक व्यवस्थाओं को अभी तक केरल, मैसूर, उड़ीसा, मणीपुर, तथा पाण्डेचेरी के माहे क्षेत्र में लागू नहीं किया गया है ।

अभी तक निम्नलिखित राज्यों में काश्तकारों को खरीद के अधिकार नहीं दिये गये हैं :—

(1) आन्ध्र क्षेत्र
(2) आसाम

(3) बिहार
(4) जम्मू तथा काश्मीर
(5) पश्चिम बंगाल (बरगादारों के सम्बन्ध में)
(6) तामिलनाडू
(7) गोवा, दमन व दीव
(8) पाण्डेचरी
(9) दादरा व नगर हवेली ।

जिन राज्यों में भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानून लागू कर दिये गये हैं, काश्तकार तथा बटाई की खेती करने वाले ऐसे व्यक्तियों का, जो फालतू भूमि पर अधिकार जमाये हुए हैं, राज्य से सीधा सम्बन्ध स्थापित है और उन्हें स्वामित्व के अधिकार प्राप्त हैं ।

सूचना प्राप्त हुई है कि काश्तकारों द्वारा स्वामित्व प्राप्ति के उपबन्धों को कार्य रूप देने के परिणामस्वरूप लगभग 30 लाख काश्तकारों तथा बंटाई पर खेती करने वालों ने 70 लाख एकड़ से अधिक भूमि के लिए स्वामित्व अधिकार प्राप्त कर लिये हैं । ऐसे सही-सही आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं जिनसे यह पता चले कि कितनी भूमि पर काश्तकारों को स्वामित्व अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं या ऐसे कितने काश्तकार हैं जिन्हें ऐच्छिक अधिकार तो प्राप्त हैं परन्तु उन्होंने अभी तक उन अधिकारों का प्रयोग नहीं किया है ।

(ग) राज्य सरकारों से ऐसी रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई हैं कि काश्तकारों द्वारा स्वामित्व अधिकार प्राप्त करने के विषय में न्यायालयों में या बाहर भू-स्वामियों ने कोई प्रतिरोध किया हो ।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता ।

Delivery of Letters in Municipalities of West Nimad.

5242. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the postal arrangements made by Government for the delivery of letters directly between the eight municipalities in West Nimad District and the route adopted for communicotion system ;

(b) the route adopted for the communication of correspondance from Sanavad to Khetia, from Bhinkngaon to Maheshwar and from Maheshwar to Anjad ;

(c) whether Government propose to take a decision to run postal vans in such vast areas like West Nimad ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) :

(a) A statement is appended [Placed in Library. See No. LT 615/69]. It shows the names of the 8 municipal towns in West Nimad, the mail communications available and the time of delivery at the towns directly connected by bus service. The transit time between towns not directly connected is also indicated.

(b) **Sanavad to Khetia:** The mails posted at Sanavad are consigned to Khandwa RMS and despatched from there upto Dondaiche R.S. by L-12 OUT (Bhusaval-Surat) through Bhnsaval arriving Dondaiche R.S. at 12-10 hrs. the next day. From there a mail motor service under contract conveys the mail upto Khetia where the mails are received at 14-30 hrs. and delivered. The mails are thus delivered on the second day of posting.

Bhikangaon to Maheshwar : The mails from Bhikangaon to Maheshwar are consigned to Khandeva RMS and from there through MP-7 OUT (Khandwa-Ratlam) and are delivered at Maheshwar the next day.

Maheshwar to Anjad : Mails from Maheshwar for Anjad are consigned to Mhow RMS and from there through M.M.C. Indore-Barwani mail bus reaching Anjad at 15-30 hrs. The unregd. mails received at Anjad are included in window delivery and the rest of the mails are given out for delivery on the following day.

(c) No.

(d) The cost of running a departmental service would be prohibitive.

महाराष्ट्र के नदी घाटी परियोजना के अपवाह क्षेत्रों में भूमि-संरक्षण कार्य

5243. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने घौड, बेलदारी, मुला कटपुरना, नलगंगा, गिरना और मानर अपवाह क्षेत्रों में चौथी योजना में नदी घाटी परियोजना में समन्वित भूमि-संरक्षण कार्य प्राथमिकता के आधार पर आरम्भ करने की सिफारिश की है ;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने यह भी कहा है कि कन्द्र द्वारा चलाई गई योजना के अन्तर्गत समस्त परियोजना क्षेत्र आना चाहिये ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार का अन्तिम निर्णय क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) सन् 1962 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्ययन दल ने फौड बेलदारी, मुला कटपुरना, नलगंगा, गिरना और मानर के अपवाह क्षेत्रों में समान्ति भूमि-संरक्षण कार्यों को शुरू करने की सिफारिश की ।

(ख) 60 लाख एकड़ भूमि से अधिक जलवाह क्षेत्रों में से 1.86 लाख एकड़ भूमि में भूमि-संरक्षण कार्यों को शुरू करने के लिए राज्य सरकार ने सहमति प्रकट की है ।

(ग) घौड परियोजना के जलवाह को पहले ही के केन्द्र द्वारा प्रायोजित भूमि-संरक्षण योजना में सम्मिलित कर लिया गया है और चौथी योजना (1969–74) के दौरान उस योजाना के अधीन बड़े पंक संचय के क्षेत्रों में कार्य होता रहेगा। जहाँ तक अन्न परियोजनाओं का सम्बन्ध है, प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं को जिनके जलवाह भूमि कटाव सम्बन्धी खतरों के लिए आक्रमणीय हैं, के चयन को दृष्टि में रखते हुए राज्य सरकार से विस्तृत जानकारी माँगी गई है। धन की उपलब्धि होने पर ही अतिरिक्त परियोजनाओं के जलवाहों में भूमि-संरक्षण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया जाएगा ।

Distribution of Hindi Directories

5244. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the full complement of 20,000 copies of the Hindi *Telephone* Directory have not been distributed ;

(b) if so, the number of copies distributed so far as also the number of these still to be distributed ;

(c) whether one of the reasons therefor is that minimum number of copies have been distributed in the offices of the Central Government ; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Boardcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) :

(a) Yes.

(b) about 13,000 subscribers requested for Hindi directories, after all subscribers were addressed for their choice of directories, but after publication of the directory only 6,562 were accepted by the above and on a few other later requests.

(c) No. There is no demand pending from the offices of the Central Government. There is ample stock on hand to meet further demands.

(d) Does not arise.

Free Telephone Service to Press Correspondents

5245. **Shri Onkar Lal Berva** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Posts and Telegraphs Department propose to draw up a scheme to provide free local telephone service to the Press Correspondents ;

(b) if so, the names of the papers whose correspondents would be provided with this facility ; and

(c) whether Government have under their consideration any scheme to provide such facilities in the States also ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the department of Communications (Shri Sher Singh) :

(a) No.

(b) Does not arise.

(c) No.

Burning of Mail at Bombay

5246. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that dak for the 8th February, 1968 was burnt in Bombay ;

(b) if so, the estimated loss of public as a result thereof ; and

(c) how Government propose to make good this loss ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) :

(a) Yes, Sir. A postal van carrying mails was set on fire in Bombay in the early morning of 9th February, 1969.

(b) The total loss is still being assessed.

(c) Compensation as provided in the rules would be granted to the parties concerned.

Finance Corporation for Newspaper Industries

5247. **Shri Onkar Lal Berwa :** **Dr. Sushila Nayar :**
Shri D. C. Sharma :

Will the Minister of **Information, Broadcasting and Communications** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question 226 on the 19th February, 1969 and state ;

(a) whether the Press Council has sincc tendered their advice regarding the proposal for setting up a Finance Corporation for newspaper industry ;

(b) if so, the nature thereof and Government's reaction thereto ; and

(c) how long it will take a decision in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) :

(a) and (b) Yes, Sir. The advice has been received on April, 1, 1969 and it is now under examination.

(c) The recommendations require careful consideration and it will, therefore, take sometime to come to a final decision.

व्यापार सम्बन्धी प्रसारण

5248. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापार सम्बन्धी प्रसारणों की सफलता से प्रोत्साहित हो कर सरकार ने शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगा कर व्यापार सम्बन्धी प्रसारणों को एक ही समय में समस्त देश में सुनाये जाने की वांछनीयता पर विचार किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके लिए क्या योजना तैयार की गई है; और

(ग) उस योजना को कब तक अन्तिम रूप दिये जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) जी, नहीं । सरकार का वाणिज्यिक सेवा के लिये अतिरिक्त शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगाने का इरादा नहीं है । इस सेवा का विविध भारती के वर्तमान सभी केन्द्रों में चरणों में विस्तार करने का विचार है ।

(ख) और (ग) सवाल नहीं उठते ।

मध्यावधि चुनावों सम्बन्धी प्रसारण

5249. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने बिहार में मध्यावधि चुनावों में भाषण दिये थे ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या आकाशवाणी ने उनके भाषणों को समाचार-बुलेटिनों के रूप में प्रसारित किया था;

(ग) यदि हाँ, तो इन भाषणों को प्रसारित करने के लिए कितना समय निर्धारित किया गया था ;

(घ) क्या समय निर्धारित करने में समान व्यवहार किया गया है, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) जी, हाँ ।

(ख) जी, नहीं । ऐसे समाचार जो चुनाव से सम्बन्धित नहीं थे तथा जो वास्तविक समाचारिक महत्व के थे, समाचार बुलेटिनों में शामिल किये गये थे ।

(घ) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते ।

अखनूर तहसील मुख्यालय (जम्मू तथा काश्मीर) के सामन शरणार्थी संघर्ष समिति द्वारा धारणा

5250. **श्री अ० कु० गोपालन :**
श्री इ० के० नायनार :
श्री उमानाथ :
श्री भगवान दास :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू-काश्मीर में छम्ब-जौड़ियाँ अंचल से कुल कितने व्यक्ति विस्थापित हुए थे ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान शरणार्थी संघर्ष समिति के कथित निर्णयों की ओर दिलाया गया है कि वे अखनूर तहसील मुख्यालय के सामने 6 और 7 मार्च, 1968 को धरणा देंगे ;

(ग) यदि हाँ, तो इन विस्थापित व्यक्तियों की माँगें क्या हैं ;

(घ) क्या सरकार उनकी माँगों पर विचार करेगी ; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) अगस्त-सितम्बर, 1965 में हुए भारत पाकिस्तान संघर्ष के अन्तर्गत, जम्मू और काश्मीर में छम्ब-जोरियाँ क्षेत्र से लगभग 24,000 परिवार जिनमें लगभग 1 लाख व्यक्ति थे, विस्थापित हुए थे ।

(ख) जी, हाँ ।

(ग) जम्मू और काश्मीर की राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार विस्थापित व्यक्तियों ने निम्न माँगें की हैं :—

(i) पुनर्व्यवस्थापन ऋणों की वसूली पाँच वर्ष के लिए मुलतवी कर दी जाये ;

(ii) पुनर्व्यवस्थापन ऋणों पर ब्याज की छूट दी जाये ;

(iii) व्यापारियों को 1000 रु० का अनुदान दिया जाये :

(iv) सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा की प्रभावी व्यवस्था की जाये; और

(v) दिये गये ऋणों की सहायता से जो पशु खरीद किये गये थे और जिन्हें पाकिस्तानी ले गये थे, उनका मूल्य विस्थापित व्यक्तियों को दिये गये ऋणों के चुकाने में समंजित किया जाये ।

(घ) और (ङ) इन माँगों की जाँच-पड़ताल करने पर जम्मू और काश्मीर सरकार, यदि इस तरह की प्रक्रिया को आवश्यक समझेगी तो केन्द्र को निर्देश करेगी ।

मैसर्स प्योर ड्रिंक्स (नई दिल्ली) प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, द्वारा दिया गया लाभांश

5251. **श्री जी० कुचेलर** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में मेसर्स प्योर ड्रिंक्स (नई दिल्ली) प्राइवेट लिमिटेड, कनाट सर्कस, नइं दिल्ली द्वारा अपने कर्मचारियों को कितनी बार लाभांश दिया गया ;

(ख) क्या यह सच है कि बही-खातों में मजूरी भुगतान के आँकड़े बढ़ा-बढ़ा कर दिखाए जाते हैं जब कि वास्तविक भुगतान बहुत कम होता है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 1964–65, 1965–66 और 1966–67 का बोनस समझौते के अनुसार अदा कर दिया गया है ।

(ख) शासन को इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि शिक्षा

5252. **श्री नौतिराज सिंह चौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कृषि उत्पादन और ग्राम्य अर्थ-व्यवस्था देश के राष्ट्रीय जीवन में मुख्य कार्य करते हैं, कृषि शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए इसके पश्चात् क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

कृषि उत्पादन और ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में सुधार करने के लिए कार्यक्रम के एक आवश्यक और अभिन्न अंग के रूप में सरकार का प्रस्ताव है कि प्रत्येक राज्य में कम से कम एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करके कृषि शिक्षा को सुदृढ़ किया जाये । कृषि विश्वविद्यालयों में शिक्षा का कार्यक्रम इस ढंग से बनाया गया है कि यह, विस्तार, अनुसंधान और शिक्षण के एकीकरण को पूर्ण करता है । उत्पादन-अभिविन्यास अनुसंधान के माध्यम से विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ नया ज्ञान अर्जित करते हैं । यह नया ज्ञान महाविद्यालयों के स्नातकों की कक्षाओं में, विस्तार कार्यकर्त्ताओं को सेवा में प्रशिक्षण अध्ययनों के माध्यम से और कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा और थोड़े से थोड़े सम्भव समय-विलम्ब के साथ फील्ड दिवसों में कृषकों को दिया जाता है। शैक्षणिक संस्थायें प्रत्यक्ष रूप से विस्तार शिक्षा कार्यक्रमों से व्यस्त रहती हैं और वे सामयिक कृषि सम्बन्धी समस्याओं से अवगत रहती हैं । इन संस्थानों में वैज्ञानिकों से आशा की जाती है कि ये कृषकों के खेतों में

प्रदर्शनों की व्यवस्था करेंगे । इस दिशा में राष्ट्रीय प्रदर्शनो की योजना ने पहले से अच्छी प्रगति की है । अब यह कृषकों की शिक्षा के लिए आधार पंक्ति का कार्य करेगी । इस प्रकार नये विश्व-विद्यालय, वर्धित कृषि उत्पादन से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित नयी तकनोलोजी के विस्तार के लिए वास्तविक स्थानों पर कार्य कर रहे हैं । सरकार का प्रस्ताव है कि सहायता की एक पुनरीक्षत पद्धति के द्वारा न केवल प्रशिक्षण को सुदृढ़ करने के लिए अपितु अनुसंधान और विस्तार और शिक्षा कार्यवाहियों को भी सुदृढ़ बनाने के लिए इन विश्वविद्यालयों और अच्छे कृषि / पशु चिकित्सा महाविद्यालयों को सहायता दी जाये । कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रस्तावित कृषि शिक्षा की चतुर्थ योजना स्कीमों को इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये सम्पूर्णतया उद्दिष्ट कर दिया है ।

समाचार-पत्रों को अखबारी कागज की सप्लाई

5253. **श्री अदिचन :** **श्री जगन्नाथ राव :**
श्री सूरज भान : **श्री रणजीत सिंह :**
श्री रामगोपाल शालवाले : **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
श्री बृज भूषण लाल :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन समाचारपत्रों के नाम क्या हैं, जिन्हें (एक) उनकी आवश्यकता से कम (दो) उनकी आवश्यकता के बराबर तथा (तीन) उनकी वास्तविक आवश्यकता से अधिक अखबारी कागज सप्लाई किया जाता है ; और

(ख) इस भेदभाव के काया कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) और (ख) समाचारपत्रों, जिनकी संख्या लगभग 1600 है, को अखबारी कागज का आवंटन सरकार की उस नीति के अनुसार किया जाता है जिसकी घोषणा हर वर्ष अप्रैल में की जाती है । अखबारी कागज के आवंटन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं बरता जाता । समाचार-पत्रों को वास्तव में कितनी मात्रा में अखबारी कागज अलाट किया गया और उन्होंने उसकी कितनी खपत की, इस बारे में सूचना संकलित की जा रही है और शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायेगी । तथापि 'आवश्यकताओं' को आँकना कठिन है ।

किसानों को ऋण आदि देना

5254. **श्री देवराव पाटिल :** **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऋण, सामान अथवा तकनीकी जानकारी देने के सामान्य कार्य-क्रमों का मुख्यतः बड़े किसान ही लाभ उठाते हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो इनसे छोटे किसानों द्वारा लाभ न उठाये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) वर्तमान कार्यक्रमों में सरकार ने क्या-क्या समंजन करने का सुझाव दिया है ताकि छोटे किसानों की कठिनाइयाँ दूर हो सकें ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) :

(क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं होते ।

केरल में नारियल उत्पादन

5255. **श्री अ० कु० गोपालन :** **श्री ई० के० नायनार :**
श्री के० एम० अब्राहम : **श्री पी० पी० एस्थोस :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार का केरल में नारियल का उत्पादन दुगुना करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या नारियल के उत्पादन को दुगना करने की प्रस्तावित योजना के लिए केरल सरकार को कोई वित्तीय सहायता देने का केन्द्रीय सरकार का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) से (ग) राज्य सरकार से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

समुद्री खाद्य पदार्थों का उत्पादन और निर्यात

5256. **श्री अदिचन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ाये जाने की संभावना और भारत और नार्वे द्वारा की गई समुद्री खोज के परिणामों को, जिनसे तटदूर समुद्र बहुत अधिक मछलियों के निरन्तर पाये जाने की संभावनायें प्रमाणित हुई हैं, ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार मछली पकड़ने के बड़े जहाजों को खरीदने अथवा आयात करने की अनुमति देने का है ;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे कितने जहाज खरीदे जा रहे हैं, वे कहाँ से खरीदे जा रहे हैं तथा प्रत्येक जहाज का कितना मूल्य दिया जायेगा ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना में समुद्री खाद्य पदार्थ के उत्पादन तथा उनके निर्यात का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ; और

(ङ) इस कार्यक्रम की रूपरेखा क्या हैं तथा इस पर कितना खर्च आयेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):

(क) और (ख) मछली पकड़ने वाले बड़े आकार के जहाजों को एक बड़े बेड़े को काम पर लगाने का प्रस्ताव है ताकि समुद्री तट से दूर वाणिज्य स्तर पर मछली पकड़ने की खोज

की जाये और देश की खपत को पूरा करने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उसकी उपज को बढ़ाया जाये । जहाज बनाने वाली देसी फर्मों को इस्पात के 57 फुट लम्बे 40 मछली ट्रालर बनाने के लिए आदेश दिये गये हैं जो कि केन्द्रीय संस्थानों और कुछ राज्य सरकारों के होंगे और वही इनसे काम लेंगी । इन ट्रालरों का मूल्य बन्दरगाह पर प्रति ट्रालर 8.75 लाख रुपये होगा ।

इसके अतिरिक्त क्रियान्वित हो रही एक योजना के अन्तर्गत आशा की जाती है कि निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में विभिन्न देशों से भिन्न-भिन्न मूल्यों पर वाणिज्य स्तर पर मछली पकड़ने के लिए 30 मछली पकड़ने वाले बड़े ट्रालर आयात किये जायेंगे । वाणिज्य स्तर पर मछली पकड़ने के लिए देश में 15 और ट्रालर बनाने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं होता ।

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना में समुद्री खाद्य उत्पादन के लक्ष्य वर्तमान 9.6 लाख मीटरी टन के उत्पादन स्तर से 4.4 लाख मीटरी टन और बढ़ जाने की आशा है । समुद्री खाद्य के वर्तमान लगभग 23 करोड़ रुपये के निर्यात को लगभग 23 करोड़ रुपये तक और बढ़ाने की आशा की जाती है ।

(ङ) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में कुल 300 बड़े और छोटे मछली पकड़ने वाले जहाज चालू करने की प्रस्तावना है । इसके अतिरिक्त इन्जनों वाली 5500 छोटी नावों से काम लेने का भी प्रस्ताव है । चौथी पंचवर्षीय योजना तैयार होने वाली है और जब योजना को अंतिम रूप मिल जायेगा तब ही लागत के बारे में विस्तृत विवरण उपलब्ध हो सकेगा ।

कोयला खानों द्वारा कोयला मजूरी बोर्ड पंचाट को कार्यान्वित किया जाना

5257. **श्री देवेन सेन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री 19 दिसम्बर, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 852 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा यह निर्णय किये जाने के बाद, उन कोयला खानों से टेंडर नहीं लिये जायेंगे , जिन्होंने कोयला मजूरी बोर्ड के पंचाट को कार्यान्वित नहीं किया है, कितनी कोयला खानों ने इस पंचाट को कार्यान्वित करना आरम्भ किया है ; और

(ख) उन कोयला खानों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है, जो अभी भी इस पंचाट को कार्यान्वित नहीं कर रही हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) पचास ।

(ख) मजूरी बोर्ड की सिफारिशें कानूनन लागू नहीं की जातीं । फिर भी अनुनय और परामर्श द्वारा इनको क्रियान्विति कराने के प्रयास जारी हैं ।

बर्दवान जिला में मेसर्स कं० एल० सिलेक्टेड काल कंसर्न के बलवालपुर कोयला खान का बन्द होना

5258. **श्री देवेन सेन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स के० एल० सिलेक्टेड कोल कंसर्न की बलवालपुर कोयला खान जो डाकखाना जैकेनगर, जिला वर्दवान में है, 3 फरवरी, 1969 से बन्द हो गई है जिसके परिणामस्वरूप लगभग 400 श्रमिक बेकार हो गए हैं; और उन्हें जबरी छुट्टी प्रतिकर भी नहीं दिया गया;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस कम्पनी ने कर्मचारियों को 1967 में समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 1968 के लाभांश का तीन तिमाही लाभांश नहीं दिया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि प्रबन्धकों ने इस कोयला खान को इस शर्त पर खोलने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है कि श्रमिक कोयला मजूरी बोर्ड द्वारा दिए गए पंचाट में दी गई मजूरी तथा अन्य उपलब्धियों से कम मजूरी तथा उपलब्धियों पर काम करने के लिये तैयार हों; और

(घ) यदि हाँ, तो इस स्थिति का सामना करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) जी नहीं। खान सुरक्षा विभाग द्वारा इस खान में और गहराई पर काम करने की अनुमति न मिलने पर 300 श्रमिक बेकार हो गए और उन्हें 3 फरवरी, 1969 से जबरी छुट्टी दे दी गई। बाद में पेनल नं० 29-ए को चालू करने की आज्ञा मिल गई और जबरी छुट्टी पर भेजे गए श्रमिकों को 22 फरवरी, 1969 को वापस बुला लिया गया। प्रबन्धकों ने 3 फरवरी, 1969 से श्रमिकों को जबरी छुट्टी का भुआवजा देना स्वीकार कर लिया।

(ख) जी हाँ। परन्तु बाद के प्रयत्नों से प्रबन्धकों ने मार्च और जून, 1968 को समाप्त होने वाले तिमाही का क्रमश: 379 और 72 श्रमिकों को बोनस दे दिया।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रबन्धकों के विरुद्ध 1967 का तिमाही बोनस और लाभांश बोनस न देने के कारण कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

डाक तथा तार विभाग में प्रतिनियुक्त केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी

5259. **श्री विश्वनाथ मेनन** : **श्री अ० कु० गोपालन** :
श्री मुहम्मद इस्माइल : **श्री के० रमानी** :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि जुलाई, 1963 में डाक तथा तार विभाग के सिविल विंग में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कुछ कर्मचारी प्रतिनियुक्त किए गए थे;

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रकार प्रतिनियुक्त कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी थी;

(ग) क्या 1964 में डाक तथा तार बोर्ड केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को क्रियाबद्ध तरीके से वापस लौटाने या उन कर्मचारियों को यह विकल्प देने के लिये सहमत हो गया था कि डाक तथा तार विभाग में अपनी नियुक्ति करा सकें;

(घ) यदि हाँ, तो क्या इसे कार्यान्वित किया गया था;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या सरकार का विचार इस प्रस्ताव को अब कार्यान्वित करने का है?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) :

(क) जी हाँ ।

(ख) अब तक कोई भी कर्मचारी नहीं खपाया गया है। 275 कर्मचारियों को खपाने का मामला हाथ में है।

(ग) जी हाँ।

(घ) जी हाँ, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) जी हाँ।

डाक तथा तार विभाग के सिविल विंग के कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची

5260. **श्री के० रमानी :** **श्री पी० राममूर्ति :**
श्री गणेश घोष : **श्री प० गोपालन :**

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने ऐसा आश्वासन दिया है कि डाक तथा तार विभाग के सिविल विंग के कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची को शीघ्र अन्तिम रूप दिया जायेगा;

(ख) यदि हाँ, तो क्या ऐसी सूची प्रकाशित कर दी गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसे कब प्रकाशित किया जायेगा;

(घ) क्या ऐसी वरिष्ठता सूची न होने के कारण अधिकारियों द्वारा अनियमित रूप से की गई पदोन्नतियों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया था; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) :

(क) जी हाँ ।

(ख) अभी तक नहीं।

(ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों से उनके विकल्प प्राप्त हो गए हैं और स्थायी तौर पर खपाने के मामले को यथा-संभव अंतिम रूप दिया जाएगा।

(घ) जी नहीं। डाक-तार विभाग के सिविल विंग में कोई अनियमित पदोन्नति नहीं हुई है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

5261. **श्री नम्बियार :** **श्री उमानाथ :**
श्री के० रमानी : **श्रीमती सुशीला गोपालन :**

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक तथा तार विभाग के सिविल विंग के कर्मचारियों ने सरकार को प्रार्थना की है कि सामान्य 'पूल' से उन्हें आवंटित किए गए क्वार्टरों में उन्हें रहने दिया जाये, जिनसे उन्हें सम्पदा कार्यालय द्वारा निकाला जा रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो इन कर्मचारियों के लिये रहने के स्थान की व्यवस्था करने के लिये डाक तथा तार विभाग ने क्या कार्यवाही की है?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) :

(क) जी हाँ।

(ख) सामान्य 'पूल' के क्वार्टरों को, जिनमें सिविल विंग के कर्मचारी रहते हैं, रखने का प्रश्न पहले से ही समुचित मंत्रालय के साथ उच्च स्तर पर उठाया गया है।

आकाशवाणी के इम्फाल केन्द्र से कार्यक्रमों का प्रसारण

5262. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आकाशवाणी, इम्फाल द्वारा मनीपुर के विभिन्न समुदायों के लिये कार्यक्रम किन-किन भाषाओं में प्रसारित किए जाते हैं;

(ख) प्रत्येक भाषा में कार्यक्रम कितने समय तक प्रसारित किया जाता है तथा यह समय किस आधार पर निर्धारित किया जाता है;

(ग) उपर्युक्त कार्यक्रम के लिए भाषावार कितने कलाकार रखे गए हैं;

(घ) आकाशवाणी, इम्फाल में क्रमशः कितने प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव और प्रोड्यूसर हैं;

(ङ) क्या मनीपुर में विभिन्न समूदायों में भाषा सम्बन्धी मतभेदों को देखते हुए इस स्टेशन की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार ही नियुक्ति नियम बनाये जाते हैं; और

(च) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस संघराज्य क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार नियुक्ति (भर्ती) सम्बन्धी नियमों में संशोधन करने के बारे में विचार करेगी?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सदन के मेज पर रख दी जाएगी।

खेती के औजारों का आयात और निर्माण

5264. **श्री देवकी नन्दन पाठोदिया :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के खेती के औजारों का आयात

किया जाता है तथा देश में कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के खेती के ओजारों का निर्माण किया जाता है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) :

1966-67 और 1967-68 में क्रमशः 373.60 लाख रुपए और 197.99 लाख रुपए के मूल्य के ट्रैक्टर और पशुओं द्वारा खींचे जाने वाले दोनों ही प्रकार के कृषि उपकरणों का आयात किया गया था। 1967 और 1968 में संगठित क्षेत्र में ट्रैक्टरों द्वारा चालित कृषि उपकरणों का स्वदेशी उत्पादन क्रमशः 190.50 लाख और 223.00 लाख रुपए के मूल्य का था। संगठित क्षेत्र की फर्मों अतिरिक्त लघु उद्योग क्षेत्र में भी कृषि उपकरण तैयार किए जाते हैं। देश भर में 1,300 से अधिक ऐसी एककें फैली हुई हैं जो लघु उद्योग क्षेत्र में कृषि उपकरण, हाथ से चलने वाले उपकरण, सिंचाई के उपकरण तथा फार्म संबंधी मशीनों का निर्माण करती हैं। राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों के नियंत्रण में कार्य करने वाली इन एककों और दूसरे एककों के सम्बन्ध में, जो कि कृषि उपकरणों का निर्माण करती हैं, जानकारी उपलब्ध नहीं है।

मध्य प्रदेश में कृषि परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता

5265. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी:** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने उस राज्य में कृषि परियोजनाओं को सहायता देने के लिए केन्द्रीय सरकार से विशेष सहायता माँगी है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

मध्य प्रदेश में उठाऊ सिंचाई योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता

5266. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने स्वीकृति और सहायता के लिए उठाऊ सिंचाई योजनाएँ केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय किया है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):

(क) मध्य प्रदेश सरकार से खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय के पास ऐसी कोई स्कीम प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

Regional Imbalances in the Field of Agriculture

5267. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that according to a study of the Programme Evaluation Organisation of the Planning Commission, there have been imbalances in the field of agriculture in various States of the country;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the action proposed to be taken by Government to remove regional imbalances in the field of agriculture ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development aud Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(a)The study entitled "Regional Variations in Social Development and Levels of Living" brought out by the Programme Evaluation Organisation shows interregional variations in the field of agriculture in various States.

(b) The study did not go into the reasons for inter-regional variations. However, it is noted that "the nature of soil, climate and other related features which are relevant to agricultural development vary between the States and also between the regions within a State. The potentiality for development of agriculture being different from area to area, even with the same effort, the impact tends to be different."

(c) Besides achieving necessary increases in agricultural production, one of the objectives of development programmes is to remove regional disparities. The Central and State Governments are envisaging specific scbemes for special areas like dry areas, desert and ravine lands, command areas of major river valley projects, hilly areas and inaccessible and backward areas under the Fourth Five-Year Plan, which is presently in the stage of finalization. Other development programmes, such as extension of irrigation to new areas would also help reduce regional disparities.

P & T Employees of the Bihar Circle who participated in Strike

5268. **Shri Ramavatar Shastri : Shri K. M. Madhukar :**

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the number of such employees of the Bihar Circle of the Posts and Telegraphs Department, as have been dismissed, suspended and whose services were terminated in connection with the strike of the 19th September 1968, separately ;

(b) whether it is a fact that Government have decided to revoke the aforesaid action taken against the employees ;

(c) if so, the number of employees of the Bihar Circles, in whose cases the aforesaid action has been withdrawn ;

(d) the reasons for which the action could not be withdrawn so far in the cases of the remaining employees ; and

(e) the time by which Government propose to withdraw all actions taken against the employees ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the department of Communications (Shri Sher Singh) :

(a) Number of employees dismissed	Nil
Number Suspended	43
Number of employees whose services were terminated	5

(b) The attention of the Hon'ble Member is invited to the statement made in the House by the Minister in the Ministry of Home Affairs on 13-3-1969.

(c) Suspension of 6 employees has been revoked.

(d) Cases of 5 employees whose services were terminated are being reviewed in the light of the statement dated 13th March 1969. Cases of 37 employees still under suspension are not covered by liberalisation announced.

(e) Efforts are being made to finalise the cases expeditiously in the light of the statement dated 13th March, 1969.

मध्य प्रदेश की एक समाचार एजेंसी को विदेशी सहायता का प्राप्त किया जाना

5269. **श्री गं० चं० दीक्षित :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या मध्य प्रदेश की किसी समाचार एजेंसी को उसी प्रकार कोई विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है जिस प्रकार यूनिवर्सल प्रेस सर्विस और तरुण भारत को हुई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा एकत्र किए आँकड़ों के अनुसार उसे अनुदान के रूप में अथवा किसी अन्य रूप में विदेशों से वर्ष 1966 से अब तक कितनी राशि की विदेशी मुद्रा तथा भारतीय मुद्रा मिली है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल):

(क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

Development of Film Industry in Madhya Pradesh

5270. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Madhya Pradesh is the most backward State as regards film industry ;

(b) if so, whether Government have prepared any scheme to develop this industry in Madhya Pradesh ;

(c) if so, the details thereof ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) :

(a) to (d) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

तमिलनाडु में गहरे समुद्र में मछली पकड़ना

5271. **श्री चित्ति बाबू** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु में गहरे समुद्र में मछली पकडने का उद्योग स्थापित करने के बारे में कोई योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि तमिलनाडु सरकार ने कोई योजना नहीं भेजी है तो क्या सरकार तमिलनाडु में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की व्यवस्था करने पर विचार कर रही है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) तमिलनाडु सरकार ने अपनी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने से सम्बन्धित एक योजना को सम्मिलित किया है।

(ख) इस योजना पर विचार करते समय राज्य सरकार से भी परामर्श किया गया और साधारणतः इसे स्वीकार कर लिया गया। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद ही व्यय निश्चित किया जायेगा।

(ग) राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई गहरे समुद्र में मछली पकड़ने से सम्बन्धित योजना के अतिरिक्त, भारत सरकार ने मद्रास में मछली पकड़ने वाले बन्दरगाहों के विकास के लिये और टूटीकोरिन में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के कार्य के विकास के लिये कार्यक्रम शुरू किए है। भारत सरकार के पास भी चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान मद्रास तथा टूटीकोरिन में समवेषी मछली पकड़ने के कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने के लिये प्रस्ताव है।

Accommodation for Post Office in Bamanvas (Bharatpur Division)

5272. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that construction of a new building for Post Office in Bamanvas Town in Bharatpur, Rajasthan is under the consideration of Government as the present building is inadequate for the purpose ;

(b) if so, when the building is proposed to be built ;

(c) if not, the reasons thereof ; and

(d) the manner in which this difficulty is proposed to be removed ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) :

(a) No.

(b) Does not arise.

(c) The Post Office is already located in a Government building (Ex-State building).

(d) The shortage of accommodation in the present building is proposed to be made good by making suitable additions and alterations which are expected to be carried out shortly.

Bifurcation of P & T Office in Bharatpur and Sawai Madhopur

5273. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that Government have sanctioned the scheme to open a new divisional headquarter of the Bharatpur Division of the Posts and Telegraphs Department at Sawai Madhopur, Rajasthan by separating the Sawai Madhopur District of the Division with a view to conducting the work of the Division efficiently ;

(b) if so, the reasons for which the Head Office has not so far been opened ;

(c) whether it is a fact that Government propose to open the Head Office of the said Division in Gangapur City due to lack of a building ;

(d) the time by which the Head Office is likely to be opened in Sawai Madhopur or in Gangapur City; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh):

(a) No.

(b) to (e) The proposal to open Head Post Office either at Sawai Madhopur or Gangapur is pending due to non-availability of suitable accommodation at these places. Vigorous efforts are being made to get it.

Ford Foundation aid to Rajasthan for Intensive Cultivation Programmes

5274. **Shri Meethal Lal Meena** : Will the Minister of **Food & Agriculture** be pleased to state :

(a) the amount provided by the Ford Foundation to Rajasthan during the Third Five Year Plan for intensive cultivation programmes at District level ;

(b) the names of those districts which were chosen for conducting such experiments and the basis of selection ;

(c) the results of experiments conducted so far as also the District-wise details thereof ; and

(d) the amount of assistance to be granted to Rajasthan in near future on the basis of these results ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-oprertion. (Shri Annasahib Shinde) :

(a) The Ford Foundation provided a sum of Rs. 20,986 lakhs to the Government of Rajasthan during the period of the Third Five Year Plan for the implementation of the Intensive Agricultural District Programme in Pali district.

(b) In view of the Policy to take up the Intensive Agricultural District Programme experiment in one selected district of each State, the district of Pali was selected by the State Government of Rajasthan for the implemention of the programme on the basis of the criteria laid down by the Government of India for the selection of districts. The criteria were :

(i) the availability of reasonable assured rainfall or irrigation facilities over large areas ;

(ii) Comparatively less of natural hazards such as drought, flood, drainage, acute soil conservation problem, etc ;

(iii) existence of well developed village institutions like Panchayats and Co-operatives; and

(iv) relatively greater potentialities for increasing agricultutural production within a short period of time.

(c) The Insentive Agricultural District Programme was initiated during 1961-62 in the Pali district. The progress achieved by the end of 1966-67 was on the whole, satisfactory. The farmers participating in the programme had moved substantially towards increased use of agricultural inputs like chemical fertilizers, improved seeds, plant protection measures etc. which go to increase agricultural production.

The use of nitrogenous fertilizers (in terms of ammonium:sulphate) which was at the level of 234 tonnes in the pre-IADP period of 1960-61, increased to 5,074 tonnes in 1966-67. Similarly, the consumption of phosphatic fertilizers (in terms of superphosphate) which was only 64 tonnes in the entire district during 1960-61, stepped upto 2,112 tonnes in 1966-67 with regard to improved seeds, its coverage increased from 0.18 lakh hectares in 1961-62 to 0.35 lakh hectares in 1966-67. Plant Protection operations were considerably intensified to control the incidence of locust invasion and large areas in the district benefitted from such measures. The farmers took increasingly to the treatment of seeds against seed-borne diseases before sowing, the quantity of treated seeds increasing from the level of 254 tonnes in 1961-62 to 2,182 tonnes in 1966-67. Steps were taken, according to a systematic plan to strengthen and revitalise the co-operative structure which was initially very weak in the district. As a result of these efforts, it was possible to draw about 98% of the villages and 48% of the total agricultural population in the district within the fold of the Co-operative movement by June, 1965. The number of co-operative credit societies increased from 421 in 1961-62 to 598 in 1966-67 There was also substantial increase in the quantum of agricultural finance made available to the farmers by the Co-operative institutions. The yield of important crops grown in the district showed an upward trend during this period. The average yield of maize is estimated to have increased from 7.6 quintals per hectare in the pre-package period (1958-61) to 7.9 quintals per hectare in 1966-67, that of bajra from 2.0 quintals per hectare to 2.1 quintals per hectare and that of wheat from 8.7 quintals per hectare to 9.2 quintals per hectare.

(d) The Government of Rajasthan decided to withdraw the programme from the district in the beginning of 1967-68 so as to bring it on par with the other intensive agricultural districts of the State. Consequently, the Intensive Agricultural District Programme in Pali district was replaced by the Intensive Agricultural Areas Programme, which is of a slightly less intensive nature, requiring comparatively lesser financial investment.

In view of the above, the question of providing Central assistance to Rajasthan in the coming years for the implementation of the Intensive Agricultural District Programme does not arise.

मैसूर में छोटी सिंचाई योजनाएँ

5275. **श्री जे० एच० पटेल :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1968-69 में मैसूर राज्य में छोटी सिंचाई योजनाएँ आरम्भ करने के लिये सरकार ने कोई राशि मंजूर की है; और

(ख) यदि हाँ, तो इन योजनाओं के लिए कितनी राशि नियत की गई है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) तथा (ख) केन्द्रीय वित्तीय सहायता के वर्तमान प्रतिमान के अनुसार राज्य की लघु सिंचाई योजनाओं के लिये स्वीकृत खर्च पर, बशर्ते राशि वास्तविक रुप से खर्च की गई हो,

60 प्रतिशत ऋण और 15 प्रतिशत अनुदान के रूप में धन मिल सकता है। सन् 1968-69 में इस कार्यक्रम के लिए 600.00 लाख रुपए की स्वीकृत राशि के मुकाबले 360.00 लाख रुपए ऋण के रूप में और 90.00 लाख रुपए अनुदान के रूप में राज्य सरकार को दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, सन् 1968-69 के दौरान 5.40 लाख रुपए तक केन्द्रीय सहायता भी राज्य सरकार को अस्थायी रूप से स्वीकृत की गई थी जो नीचे दी गई है:—

(i)	भू-गर्भ सर्वेक्षणों तथा जाँच सम्बन्धी योजना।	भारत सरकार द्वारा दिए गए .4 लाख –50 प्रतिशत अनुदान
(ii)	लघु सिंचाई तथा जल उपयोग सम्बन्धी अनुसंधान के लिए योजना।	भारत सरकार द्वारा दिए गए 1.40 लाख रुपए–100 प्रतिशत अनुदान

New Transmitters for Madhya Pradesh

5276. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether Government have taken a decision to instal more transmitters in various Radio Stations in Madhya Pradesh this year ;

(b) if so, the names of Radio Stations where additional transmitters are proposed to be installed ; and

(c) the total amount likely to be spent thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) :

(a) to (c) There is no proposal to instal more transmitters at existing radio stations in Madhya Pradesh. However, work on setting up new radio stations at Jagdalpur, Chhatarpur and Rewa will be initiated during 1969-70. The total estimated cost of these projects is Rs. 144 lakhs and a part of it is likely to be spent this year.

ग्राम सेवकों का वर्गीकरण

5277. **श्री निहाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों द्वारा राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ घोषित किए गए ग्राम सेवकों ने 16 मार्च, 1967 को उन्हें एक ज्ञापन पेश किया था जिसमें माँग की गई थी कि उन ग्राम सेवकों को, जिन्होंने गत पाँच वर्षों में अच्छा काम किया है, श्रेणी 'क' और श्रेणी 'ख' में वर्गीकृत करने की प्रणाली, जैसा कि महाराष्ट्र तथा राजस्थान में किया जाता है, देश के अन्य राज्यों में भी आरम्भ की जानी चाहिए ;

(ख) क्या सरकार ने महाराष्ट्र तथा राजस्थान को छोड़ कर इस सम्बन्ध में अन्य राज्यों को हिदायतें जारी की हैं;

(ग) यदि हाँ, तो किस तारीख को ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार को ये हिदायतें कब जारी करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) :

(क) जी, नहीं।

(ख), (ग) तथा (घ) प्रश्न नहीं उठते।

केरल से प्रकाशित होने वाले समाचारपत्रों के लिये विज्ञापन

5278. **श्री के० एम० अब्राहम :** **श्री सी० के० चक्रपाणि :**

श्री के० अनिरुद्धन : **श्री ई० के० नायनार :**

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल से प्रकाशित होने वाले समाचारपत्रों को विज्ञापन देने के मामले में गत वित्तीय वर्ष में कोई राजनीतिक भेदभाव किया गया था; और

(ख) यदि नहीं, तो उपर्युक्त अवधि में केरल से प्रकाशित होने वाले समाचार-पत्रों को विज्ञापन के लिए कितनी धनराशि दी गई थी और केरल के प्रत्येक समाचार-पत्र में कितने स्थान के लिए विज्ञापन दिए गए थे ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल):

(क) जी, नहीं।

(ख) विभिन्न समाचारपत्रों को दिए गए विज्ञापन तथा उन्हें अदा की गई धनराशि के बारे में जानकारी विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय और सम्बन्धित पत्रों के बीच गोपनीय समझी जाती है । इस जानकारी को सम्बन्धित पत्रों की पूर्व सहमति के बिना प्रकट करना अच्छी व्यापार नीति नहीं होगी।

चैकोस्लोवाकिया से ट्रैक्टरों का आयात

5279. **श्री शशि भूषण :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चैकोस्लोवाकिया से अब तक कितने जेटर–2011 ट्रैक्टरों का पूर्णतः निर्मित अथवा एस० के० डी० पैक्स में, आयात किया गया है तथा आगामी वर्ष में कितने ट्रैक्टरों का आयात किया जायेगा;

(ख) पूर्णतः निर्मित और एस० के० डी० पैक्स में, दोनों का लगात-बीमा भाड़ा मूल्य कितना-कितना है ;

(ग) ये ट्रैक्टर किसानों को किस मूल्य पर बेचे जाते हैं और उस मूल्य में राज्य व्यापार निगम तथा कृषि उद्योग निगम को पृथक-पृथक कितनी राशि प्राप्त हुई तथा वह कुल मूल्य का कितना प्रतिशत है;

(घ) क्या सरकार की यह नीति है कि एस० के० डी० अथवा सी० के० डी० पैक्स में ट्रैक्टरों का आयात करने की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब उनके निर्माण के लिये परियोजना स्वीकृत की गई हो; और

(ङ) यदि हाँ, तो जेटर–2011 ट्रैक्टरों का एस० के० डी० पैक्स में आयात करने की अधिसूचनात्मक स्वीकृति देने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) अभी तक 3000 जेटर–2011 ट्रैक्टर (1000 पूर्ण निर्मित और 2000 एस० के डी० अवस्था में) आयात किये गए हैं। 4000 जेटर–2011 ट्रैक्टर एस० के० डी० स्थिति में 1969 में आयात किये जायेंगे।

(ख) आयात के 1967 के समझौते के अनुसार प्रत्येक जेटर–2011 पूर्ण निर्मित ट्रैक्टर और एस० के० डी० ट्रैक्टर का अतिरिक्त कलपुर्जों के साथ लागत बीमा भाड़ा मूल्य क्रमशः 10,397.29 और 9,884.20 रुपये है। 1968 के समझौते के अनुसार प्रत्येक एस० के० डी० ट्रैक्टर का लागत बीमा भाड़ा मूल्य 10,177 रुपये और 1969 के लिये 10,285 रुपये है। ट्रैक्टरों के मूल्यों में अन्तर के कारण सप्लाई करने वालों द्वारा उनमें किये गये कुछ सुधार हैं।

(ग) प्रत्येक पूर्ण निर्मित जेटर–2011 ट्रैक्टर और एस० के० डी० ट्रैक्टर का जोड़ने के पश्चात् विक्रय मूल्य, जिसमें अतिरिक्त कलपुर्जी भी शामिल है, क्रमशः 12,935 और 13,071.15 रुपये है। भाड़ा और अन्य करों के कारण भिन्न-भिन्न राज्यों में मूल्यों में अन्तर है। कृषि-उद्योग निगम को लागत-बीमा भाड़ा मूल्य पर 16.5 प्रतिशत अधिक वसूल करने की छूट है जिसमें राज्य व्यापार निगम का 1·5 प्रतिशत का लाभांश भी शामिल है।

(घ) जेटर–2011 ट्रैक्टर को सार्वजनिक क्षेत्र में निर्मित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं होता।

दिल्ली दुग्ध योजना में दुग्ध चूर्ण के सम्बन्ध में कथित कदाचार

5280. **श्री शशिभूषण** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 नवम्बर, 1968 के सिटीजन गजट में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली दुग्ध योजना को भेजे गये दुग्ध चूर्ण की कुछ मात्रा रिकार्ड में नहीं दिखाई गई और यह आशंका की जाती है कि यह दुग्ध चूर्ण चुरा लिया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना में कार्य करने वाले एक इंजीनियर को इस आधार पर सेवा मुक्त होने को बाध्य किया गया था कि उसने दुग्ध चूर्ण के भंडार के मामले में कुछ कदाचार किया था ; और

(ग) क्या दिल्ली दुग्ध योजना के कार्यकरण का अध्ययन करने तथा कदाचार के कथित आरोपों की जाँच करने के लिए सरकार का विचार कोई जाँच समिति नियुक्त करने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) जी हाँ।

(ख) जी नहीं।

(ग) सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की जाने की आवश्यकता है इस बात पर विचार

करने के लिये दिल्ली दुग्ध योजना के आन्तरिक लेखा-परीक्षा अनुभाग द्वारा प्रेस-रिपोर्ट में वर्णित विशेष आरोप की जाँच की जा रही है ।

किसानों को रूसी ट्रैक्टर

5281. **श्री शशि भूषण** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में पृथक-पृथक 14 अश्व शक्ति और 50 अश्व शक्ति के रूसी ट्रैक्टरों के लिए कितने किसानों का पंजीयन कराया था तथा कितने किसान प्रतीक्षा सूची में हैं ;

(ख) क्या 14 अश्व शक्ति के 6,000 तथा 50 अश्व शक्ति के 500 ट्रैक्टरों को, जिन्हें अगले वर्ष में आयात करने का निर्णय किया गया है, विभिन्न राज्यों को विचाराधीन माँगों के अनुपात में आवंटित किया जा रहा है ; और

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (ख) का उत्तर पूर्णतः अथवा अंशतः नकारात्मक हो, तो सरकार द्वारा आवंटन का आधार क्या है तथा उसका औचित्य क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) और (ग) निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रख कर ट्रैक्टरों का वितरण किया गया था :

(1) राज्य कृषि-उद्योग निगमों, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों इत्यादि द्वारा रजिस्टर कराई गई अपेक्षाकृत माँगों ;

(2) सम्बन्धित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाली किस्मों के अधीन भूमि ;

(3) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मौजूदा ट्रैक्टरों की संख्या ; तथा

(4) सम्बन्धित राज्यों को पहले से ही आवंटित ट्रैक्टर ।

देश में ट्रैक्टर

5282. **श्री शशि भूषण** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने ट्रैक्टर हैं और प्रत्येक राज्य में मार्केवार और अश्व शक्तिवार उनकी संख्या कितनी-कितनी है ; और

(ख) यह सर्वेक्षण किस वर्ष तथा किस आधार पर किया गया था ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) और (ख) देश में ट्रैक्टरों की संख्या की सूचना पंचवर्षीय अखिल भारतीय पशु-धन गणना के एक भाग के रूप में एकत्र की जाती हैं। इससे पूर्व ऐसी गणना 1966 में हुई थी जिसके अनुसार ट्रैक्टरों की संख्या 53,966 थी । राज्यवार स्थिति का विवरण संलग्न है ।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 616/69] इन ट्रैक्टरों की मार्केवार और अश्व शक्तिवार सूचना उपलब्ध नहीं है।

द्वितीय सूती कपड़ा मजूरी बोर्ड की सिफारिशें

5283. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय सूती कपड़ा मजूरी बोर्ड की सिफारिशों पर विचार करने के लिए सूती कपड़ा उद्योग और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की गत फरवरी में कोई बैठक हुई थी ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसमें हुई चर्चा का क्या परिणाम रहा ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) और (ख) द्वितीय सूती कपड़ा उद्योग मजूरी बोर्ड की सिफारिशों पर विचार करने के लिए 25, फरवरी 1969 को एक त्रिपक्षीय बैठक का आयोजन किया गया था। मालिकों तथा मजदूरों के प्रतिनिधियों ने बोर्ड की सिफारिशों के सम्बन्ध में अपने-अपने विचारों का स्पष्टीकरण कर दिया था। मामले की और आगे जाँच की जा रही है।

दरभंगा में आकाशवाणी केन्द्र

5284. **श्री भोगेन्द्र झा** : **श्री शिवचन्द्र झा** :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री 26 फरवरी, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1239 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दरभंगा में आकाशवाणी का एक प्रसारण केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव को चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष 1969–70 की वार्षिक योजना में शामिल किया जा रहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका सही-सही ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कुछ अन्य प्रायोजनाओं को इससे अधिक प्राथमिकता देने के कारण इसको 1969–70 के कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जा सका, तथापि इसको चौथी पंचवर्षीय योजना के मसौदे में शामिल किया गया है और चौथी योजना के दौरान ही इसको हाथ में लिया जायेगा।

केरल में काजू के बागान

5285. **श्री अदिचम** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केरल की इस प्रवृत्ति की ओर दिलाया गया है कि विदेशी मुद्रा अर्जित करने में काजू की स्थिति अच्छी होने तथा काजू के निर्यात को बढ़ाने की व्यापक सम्भावनाओं के बावजूद काजू बागान के स्थान पर रबड़ के बागान लगाये जा रहे हैं और इसका

एक मात्र कारण यह है कि रबड़ तथा चाय बागान की तरह काजू बागान को केरल भूमि सुधार अधिनियम के अन्तर्गत छूट प्राप्त नहीं है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस विषय में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) और (ख) राज्य सरकार से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

भारत-नार्वे मछली पकड़ने की परियोजना

5286. **श्री श्रद्धाकर सुपकार** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नार्वे की सहायता से मछली पकड़ने की परियोजनाओं की स्थापना के लिए उस देश से अब तक कुल कितने मूल्य का सामान तथा उपकरण प्राप्त हुआ है ; और

(ख) जो परियोजनाएँ अब तक स्थापित की गयी हैं, वे कहाँ-कहाँ पर हैं और इन परियोजनाओं के अन्तर्गत प्रति वर्ष कितने मूल्य की मछलियाँ पकड़ी गयी हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) नार्वे की सहायता से मीन केन्द्रों की स्थापना के लिये 1-4-61 से 31-12-68 के अन्त तक की अवधि में 2,17,64,286.73 रु० की राशि के कुल मूल्य का सामान तथा उपकरण प्राप्त हुआ है। सम्भरण किए गए साज-सामाज में मुख्य रूप से वर्कशाप मशीनरी, नौका-निर्माण प्रांगणों के लिए उपस्कर, बर्फ तथा शीतागार संयंमों, छोटी नौकाओं के लिए सामुद्रीय डीजल इंजनों तथा स्लिपवेज के लिए मशीनरी तथा उपस्कर शामिल हैं। एर्नाकुलम केन्द्र को कुछ पोत भी दिए गए हैं, और मण्डपम केन्द्र को एक मात्स्य चूर्ण संयंम दिया गया है ।

(ख) केरल राज्य में नींदाकारा, एर्नाकुलम तथा कन्ननोर, तमिलनाडु में मण्डपंम तथा मैसूर राज्य में कारवार नामक स्थानों पर मात्स्यकी केन्द्रों की स्थापना की गयी है। कन्नानोर, कारवार तथा मण्डपंम में अभी निर्माण कार्य चल रहा है । प्रत्येक केन्द्र स्वयं में एक मात्स्यकी समिश्रण है जिसमें नौका निर्माण प्रांगण, वर्कशाप, स्लिपवे तथा बर्फ तथा शीतागार एकक शामिल हैं। इन केन्द्रों का प्रयोग नौका-निर्माण तथा नौका-मरम्मत, प्रशिक्षण तथा प्रदर्शन के लिये किया जाता है। पोतों का प्रयोग मुख्यतः सर्वेक्षण तथा गन्वेषण के लिए किया जाता है तथा सर्वेक्षण प्रचालनों के लिये मछली पकड़ना मुख्यतया प्रासंगिक कार्य है। परीक्षित क्षेत्रों में मछली पकड़ने के कार्यक्रम भी प्रारम्भ किए गए हैं। पिछले तीन वर्षों में मछली पकड़ने के आँकड़े निम्न प्रकार हैं :—

	1965-66	1966-67	1967-68
	रुपए	रुपए	रुपए
1. नींदाकारा	यह परियोजना 1-4-63 से केरल राज्य को हस्तान्तरित कर दी गई थी।		
2. एर्नाकुलम	41,237	1,23,132	3,08,570
3. कन्नानोर	13,975	2,162	—
4. मण्डपंम्	29,226	21,300	—
5. कारवार	28,064	7,434	1,028

इन केन्द्रों में निर्मित मछली पकड़ने की नौकायें मछेरों तथा उनकी सहकारी संस्थाओं को दी जाती हैं और ऐसी नौकाओं द्वारा प्राप्त मछली के आँकड़े नहीं रखे जाते।

Resettlement of Refugees in Angoori Bagh, Gotta Colony, Delhi

5287. **Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4297 on the 12th December, 1968 and state :

(a) whether the required information regarding displaced families in Angoori Bagh, Gotta Colony, Delhi has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the time by which it is likely to be laid on the Table ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) :

(a) and (b) Yes, Sir. The information has been received. A statement containing the detailed information is attached. **[Placed is Library. See No. LT-617/69].**

(c) Does not arise.

दूध-वाहक गाड़ियों से दिल्ली को दूध की ढुलाई

5288. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूध-वाहक गाड़ियों की कमी के कारण गुजरात से दिल्ली को दूध की अतिरिक्त सप्लाई नहीं हो पा रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वर्तमान स्टाक में जो टैंकर हैं उन्हें सरलतापूर्वक दूध की ढुलाई के काम में लाया जा सकता है ; और

(ग) यदि हाँ, तो दिल्ली को अविलम्ब दूध की अतिरिक्त सप्लाई के लिए प्राथमिकता के आधार पर अधिक दूध-वाहक गाड़ियों की व्यवस्था करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) जी हाँ। गुजरात से दिल्ली में दूध लाने की सम्भावना हाल ही में पैदा हुई है। दूध ढोने वाली, दूध-वाहक गाड़ियों के निर्माण में कुछ समय लगता है।

(ख) जी नहीं। दूध ढोने के लिए दूध-वाहक गाड़ियाँ अविकारी इस्टाप से बनी होनी चाहिए, जब कि रेलवे के पास जो मौजूदा टैंकर हैं, उनकी नालें साधारण इस्पात वाली हैं, जो दूध की ढुलाई के लिए अनुपयुक्त हैं।

(ग) रेल दूध-वाहक गाड़ियों के क्रय का प्रश्न दिल्ली दुग्ध योजना के विचाराधीन है।

पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों के डाकखानों में टिकटों, अन्तर्देशीय पत्रों, लिफाफों आदि की कमी

5289. **श्री जुगल मंडल** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र के डाकखानों में टिकट, अन्तर्देशीय पत्र, लिफाफे आदि की प्रायः कमी रहती है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) :

(क) कलिम्पोंग, जिला दार्जिलिंग में केवल अन्तर्देशीय पत्र-कार्डों की अस्थायी कमी थी और अन्य डाकघरों से ये प्राप्त करके स्थिति पर काबू पा लिया गया।

(ख) अचानक अप्रत्याशित माँग और समय पर पूर्ति होने में देरी के कारण ऐसा हुआ है।

पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक टेलीफोन बूथ

5290 **श्री जुगल मंडल** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में इस समय कितने सार्वजनिक टेलीफोन बूथ हैं और उनके रख-रखाव पर कितनी लागत आती है ;

(ख) कितने बूथ काम नहीं कर रहे अथवा खराब पड़े हैं और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सार्वजनिक टेलीफोन बूथों को ठीक रखने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह):

(क) 755.

रख-रखाव पर लागत लगभग 34,000 रुपये प्रति वर्ष

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है।

(ग) रख-रखाव के लिए नियुक्त कर्मचारी नियमित रूप से सार्वजनिक टेलीफोन बूथों का

निरीक्षण करके खराबियाँ दूर करते हैं । यदि कोई चोरी के मामले हों तो उनकी रिपोर्ट पुलिस को की जाती है ।

पश्चिम बंगाल में लगाये गये नलकूप

5291. **श्री जुगल मंडल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल में 31 दिसम्बर, 1968 तक पिछले तीन वर्षों में कितने नलकूप लगाये गये ; और

(ख) सरकार ने कूपों को ठीक हालत में रखने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) और (ख) जानकारी राज्य सरकार से इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

पश्चिम बंगाल में जलाभाव वाले क्षेत्रों में नलकूप लगाने की योजना

5292. **श्री जुगल मंडल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने अभाव वाले क्षेत्रों में नलकूप लगाने की एक योजना को अंतिम रूप दिया है ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस बारे में केन्द्रीय सरकार से सहायता की कोई माँग की है ; और

(ग) यदि हाँ, तो माँगी गयी सहायता किस प्रकार की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):

(क) से (ग) पानी के अभाव वाले क्षेत्रों में लगभग 4 लाख एकड़ भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत लाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 2 से 3 वर्ष की अवधि में 40,000 उथले कुओं के निर्माण की एक योजना बनाई है । ये कुएँ मुख्यतः भूमि विकास बैंकों, कृषि पुनर्वित्त निगमों आदि संस्थानात्मक निकायों और उन्हें चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिए लघु सिंचाई के लिए भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता से तैयार किये जायेंगे। अभी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिया जाना है । फिर भी केन्द्रीय सहायता समग्र लघु सिंचाई कार्यक्रम के लिए दी जाती है न कि किसी विशेष योजना के लिये अलग रूप से ।

शोलापुर टेलीफोन एक्सचेंज

5293. **श्री तुलशीदास जाधव** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शोलापुर टेलीफोन एक्सचेंज की वर्तमान क्षमता कितनी है ;

(ख) नये कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में आवेदकों की संख्या कितनी है ; और

(ग) क्या सरकार शोलापुर टेलीफोन एक्सचेंज को स्वचालित एक्सचेंज में बदलने पर विचार कर रही है और यदि हाँ, तो किस तारीख से ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) :

(क) शोलापुर में दो करचल एक्सचेंज हैं—1080 लाइनों का शोलापुर-शहर और 700 लाइनों का शोलापुर-मुख्य, दोनों की कुल उपस्कर क्षमता मिला कर 1780 लाइन है । 1 जनवरी, 1969 को चालू कनेक्शनों की संख्या 1616 थी ।

(ख) 1 जनवरी, 1969 को शोलापुर–शहर और शोलापुर-मुख्य एक्सचेंजों के लिए प्रतीक्षा सूची में क्रमशः 374 और 73 आवेदन थे ।

इन माँगों को पूरा करने के लिए दोनों एक्सचेंजों के विस्तार की योजनाएँ बनाई गई हैं ।

(i) शहर-एक्सचेंज में 360 लाइनों का विस्तार करके इसे 1440 लाइनों की क्षमता का बनाना ।

(ii) मुख्य-एक्सचेंज में 140 लाइनों का विस्तार करके इसे 840 लाइनों की क्षमता का बनाना ।

(ग) करचल एक्सचेंज के स्थान पर मुख्य स्वचालित एक्सचेंज की सिद्धान्त रूप में मंजूरी दे दी गई हैं । मुख्य स्वंचालित एक्सचेंज के लिए उपयुक्त भूखंड अधिग्रहीत करने के लिए कार्रवाई चल रही है । समय पर भूमि का अधिग्रहण होने पर हमारी मौजूदा योजना के अनुसार 1974 तक शोलापुर में स्वचालित एक्सचेंज लग जाना चाहिए ।

बंजर भूमि सर्वेक्षण समिति

5294. **डा० सुशीला नैयर :** **श्री ए० श्रीधरन :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंजर भूमि को कृषि-योग्य बनाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए 1959 में बनाई गई प्रथम समिति के पश्चात् क्या सरकार ने कोई बंजर भूमि सर्वेक्षण समिति बनाई है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उस समिति ने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):

(क) से (ग) डा० वी० ऐन० उप्पल की अध्यक्षता में 1959 में बंजर भूमि का सर्वेक्षण करने तथा उसे कृषि योग्य बनाने के लिए जो समिति बनाई थी उसके पश्चात् भारत सरकार ने बंजर भूमि को कृषि-योग्य बनाने के प्रश्न पर विचार करने के लिये कोई समिति नहीं बनाई है । फिर भी योजना आयोग में प्राकृतिक संसाधन विषयक समिति ने बंजर भूमि जिसमें जल लग्न, लवणीय तथा क्षारीय भूमि भी सम्मिलित है, के अध्ययन के कार्य को हाथ में लिया था । इस तकनीकी दल की रिपोर्ट को योजना आयोग ने 1963 में प्रकाशन किया । अध्ययन दल की सिफारिशें उचित कार्यवाही के लिए राज्य सरकारों के पास भेज दी गई हैं ।

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अधीन भूमिहीन कृषि श्रमिकों को बसाने के लिये बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिये केन्द्रीय सहायता भी उपलब्ध की गई है ।

वनस्पति घी का विनियन्त्रण

5295. **डा० सुशीला नैयर : श्री एम० सुदर्शन : श्री ए० श्रीधरन :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वनस्पति घी के विनियन्त्रण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) फिलहाल सरकार का वनस्पति के मूल्यों से नियंत्रण हटाने का कोई विचार नहीं है ।

(ख) वनस्पति के मूल्यों पर नियंत्रण रखने से सरकार को मूंगफली के तेल तथा सोयाबीन के तेल, जिनका निर्गम सरकार द्वारा होता है, के मूल्यों को ध्यान में रखते हुए, मूल्यों पर नियंत्रण रखने में मदद मिलती है ।

नार्वे द्वारा उर्वरकों की सप्लाई

5296. **डा० सुशीला नैयर : श्री ए० श्रीधरन :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नार्वे की सरकार ने इस देश को उर्वरकों की सप्लाई का कोई प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है ; और

(ग) इस प्रस्ताव की शर्तें क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) से (ग) नार्वे के उद्योग मंत्री ने फरवरी 1969 में अपनी भारत-यात्रा के दौरान इस प्रकार की सम्भावना का उल्लेख नहीं किया था तथा नार्वे के अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करके मामले पर विचार किया जा रहा है ।

राजस्थान में रेगिस्तान के फैलने को रोकना

5297. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में रेगिस्तान के फैलने को रोकने के लिए मरुस्थल विकास बोर्ड द्वारा किये गये काम में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के लिये इस सम्बन्ध में इस बोर्ड द्वारा बनाई गई विशिष्ठ योजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनके लिये कितनी राशि नियत करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) और (ख) राजस्थान, गुजरात तथा हरियाणा में शुष्क तथा अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों का विकास करने का प्रश्न कुछ समय से भारत सरकार के विचाराधीन है। योजनायें तैयार करने के कार्य का राज्य सरकारों के अभिकरणों द्वारा उन्हें क्रियान्वित कराने के लिए, योजना की प्रगति में पड़ने वाले प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने, इत्यादि का पुनर्विलोकन करते रहने के लिए एक मरुस्थल विकास बोर्ड स्थापित किया गया है। बोर्ड ने चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिये राजस्थान, गुजरात तथा हरियाणा के मरुस्थलों में चरागाह विकास, भूमि संरक्षण, वनरोपण, कृषि विकास आदि के लिये 10.00 करोड़ रुपये की लागत के एक कार्यक्रम की सिफारिश की है। संसाधनों की कमी के कारण योजना आयोग ने चौथी पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के लिये केवल 2 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने की स्वीकृति दी है। सघन तथा सुनिश्चित क्षेत्रों में से चुने गये क्षेत्र की उपयुक्तता पर निर्भर करते हुए योजनावधि में कुछ उल्लिखित कार्यों को आरम्भ करने की नीति है। केन्द्रीय क्षेत्र परियोजना के अन्तर्गत क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा ब्यौरेवार योजनायें तैयार की जा रही हैं। राजस्थान, गुजरात तथा हरियाणा के राज्यों में आरम्भ किये जाने वाले इस कार्यक्रम के लिए वर्ष 1969–70 के हेतु इस विभाग के आय-व्ययक में 50 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

राजस्थान में छोटी सिंचाई के लिये केन्द्रीय सहायता

5298. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा छोटी सिंचाई के लिये पिछले तीन वर्षों में,वर्ष-वार, राजस्थान सरकार को कितनी सहायता दी गई ;

(ख) जिन छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता दी गई है, उनके परिणामस्वरूप उपज में कितनी वृद्धि हुई ; क्षौर

(ग) राजस्थान में छोटी सिंचाई के लिए चतुर्थ योजना में यदि कोई प्रस्ताव शामिल किये गये हैं, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को गत तीन वर्षों में राज्यकीय लघु सिंचाई योजना तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए संस्वीकृत सहायता की राशि निम्न प्रकार है :–

आनन्तिम रूप से जारी की गई राशि

वर्ष	राज्यकीय लघु सिंचाई योजना	केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें	(रुपये लाखों में) कुल
1965–66	239.16	1.90	241.06
1966–67	437.96	3.09	441.05
1967–68	193.05	7.15	200.20

(ख) अतिरिक्त उत्पादन के लिये लघु सिंचाई की सुविधाओं के अतिरिक्त कई अन्य साधनों का योगदान शामिल होता है। अतः उत्पादन के किसी एक साधन के प्रयोग से किस हद तक उत्पादन में वृद्धि होती है, इसका पूर्वानुमान लगाना कठिन है। फिर भी मोटे तौर पर अनुमान लगाया गया है कि लघु सिंचाई योजनाओं से लाभान्वित औसतन प्रत्येक एकड़ अतिरिक्त भूमि में लगभग 115 मीट्रिक टन अतिरिक्त उत्पादन होता है। गत तीन वर्षों में लघु सिंचाई कार्यों के परिणामस्वरूप सिंचाईगत क्षेत्र निम्न प्रकार है :—

वर्ष	सिंचाईगत क्षेत्र (लाख एकड़ों में)
1965–66	1.15
1966–67	1.86
1967–68	0·98

(ग) राज्य सरकार की चौथी योजना के प्रस्तावों में 11.26 करोड़ रुपयों की लागत लघु सिंचाई सम्बन्धी विभिन्न लघु सिंचाई योजनाओं के लिये लक्ष्य निम्न प्रकार निर्धारित किये गये हैं :—

क्रम संख्या	योजना का नाम	चौथी योजना के लक्ष्य (संख्या)
1.	खुले कुओं का निर्माण	18,125
2.	रहटों की स्थापना	2,000
3.	पम्प सेटों की स्थापना	36,000
4.	कुओं में छिद्रण करना	2,900
5.	कुओं को गहरा करना	87,750
6.	गैर-सरकारी नलकूपों की खुदाई	475
7.	राज्यकीय नलकूपों का निर्माण	100

परन्तु चौथी योजना की अवधि में राज्य में लघु सिंचाई कार्यक्रम के लिए अस्थायी रूप से केवल 8 करोड़ रुपयों की राशि स्वीकृत की गई है। इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकारों के मूल प्रस्ताव के लक्ष्यों में उसी हिसाब से कमी आ जायेगी। राज्य सरकार की चौथी योजना

को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, अतः व्यय में कमी करने के प्रस्ताव के परिणाम-स्वरूप संशोधित लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं ।

पश्चिम बंगाल में नये सिनेमाघरों के लिये लाइसेंस

5299. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में फरवरी, 1968 से फरवरी, 1969 तक की अवधि मे राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल द्वारा नये सिनेमाघरों के लिये कुल कितने लाइसेंस जारी किये गये ।

(ख) क्या सरकार का विचार उन व्यक्तियों तथा फर्मों की एक सूची सभा-पटल पर रखने का है, जिन्हें ये लाइसेंस दिये गये हैं ; और

(ग) ये लाइसेंस किस आधार पर जारी किये गये थे ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल):

(क) और (ख) एक विवरण जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है, सदन की मेज पर रख दिया गया है । [**पुस्तकालय में रख। गया देखिये । संख्या एल० टी०** 618/69) ।

(ग) पश्चिम बंगाल में सिनेमा लाइसेंस पश्चिम बंगाल सिनेमा (विनियम) अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस आयुक्त द्वारा दिये जाते हैं जो क्रमशः जिलों और कलकत्ता में लाइसेंस देने के प्राधिकारी हैं ।

औद्योगिक मजदूरों का परिवार बजट सर्वेक्षण

5300. **श्री वेणीशंकर शर्मा** :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री बलराज मधोक :
श्री रणजीत सिंह :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय श्रम सम्मेलन की गत वर्ष की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है कि नये मूल्य सूचकांक निर्धारित करने के लिए औद्योगिक मजदूरों का नये सिरे से परिवार बजट सर्वेक्षण किया जाये ;

(ख) यदि हाँ, तो सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) उक्त सूचकांक कब तक तैयार हो जायेगा ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) जी हाँ ।

(ख) इस सिलसिले में आरंभिक कार्यवाही की जा रही है, जिसमें एक आजमाइशी सर्वेक्षण भी शामिल है । मुख्य सर्वेक्षण 1969 से 1970 तक चालू किया जाना निश्चित किया गया है ।

(ग) सन् 1972 में ।

कलकत्ता पत्तन पर गेहूँ के लदानों पर अधिक ली गई राशियों का लौटाना

5301. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 15 नवम्बर, 1966 के कलकत्ता बन्दरगाह पर लादे गये आयातित गेहूँ की मात्रा में कमी सम्बन्धी अतारांकित प्रश्न संख्या 1400 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अस्थायी रूप से निश्चित किये गये वजन के आधार पर मिलों से ली गई अधिक राशि अभी तक सम्बन्धित मिलों को नहीं लौटायी गयी है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) अधिक विलम्ब के कारण मिलों को होने वाली हानि को बचाने हेतु सरकार शीघ्र भुगतान करने के लिए क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) बिहार, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में तथा कलकत्ता से बाहर स्टेशनों में स्थित मिलों से अस्थायी रूप से निश्चित किये गये वजन के आधार पर जो अधिक राशि ली गई थी, उसे सम्बन्धित मिलों को दिसम्बर, 1966 तक वापिस कर दिया गया था। जहाँ तक असम में स्थित मिलों का सम्बन्ध है, उन्हें अगस्त, 1966 तक यह राशि वापिस कर दी गई थी ।

(ख) और (ग) जहाँ तक उपरोक्त (क) में उल्लिखित तारीखों के बाद की अवधियों के लिए राशि लौटाने का सम्बन्ध है, यह प्रश्न अभी विचाराधीन है ।

समाचारपत्रों पर सरकार का प्रभाव

5302. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **सूचना** और **प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचारपत्रों पर अनुचित प्रभाव के बारे में आलोचना की सरकार को जानकारी है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या समाचारपत्रों के सरकार पर निर्भर होने से बचाने के लिए उन्हें सरकारी विज्ञापन देना बन्द कर देने और सरकारी विज्ञापनों के लिये भारत के राजपत्र तथा राज्यों के राजपत्र आदि का प्रयोग करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल):

(क) सरकार को ऐसी किसी आलोचना की जानकारी नहीं है।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रकाशित राज-पत्रों के क्षेत्र तथा उनके पाठकों की संख्या सीमित होने के कारण, अपेक्षित अधिक पाठकों को समाचारपत्रों में सरकारी विज्ञापन दिए बिना जानकारी देना सम्भव नहीं है।

Acquision of Land for Radio Transmitting Station in Aligarh

5303. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that land in some villages in Aligarh district has been acquired for the construction of a Radio Transmitting Power Station there;

(b) whether it is also a fact that although three years have elapsed since the acquisition of the land yet no compensation has so far been paid to the owners of the land ;

(c) if so, the reasons therefor and also for the delay that has taken place in paying compensation to them ; and

(d) in case a decision to pay compensation has been taken, the time by which the same would be paid ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) :

(a) Yes, Sir.

(b) to (c) Necessary information is being obtained from the State Government and will be placed on the Table of the House.

संयुक्त अरब गणराज्य से चावल की खरीद

5304. **श्री वाल्मीकि चौधरी** : **श्री वे० कु० दासचौधरी** :
श्री जे० एच० पटेल :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त अरब गणराज्य से चालू वर्ष में 60,000 मीटरिक टन चावल की खरीद के लिये हाल ही में एक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो समझौते का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह चावल भारतीय पत्तनों पर कब तक पहुँच जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) :

(क) और (ख) 18 फरवरी, 1969 को मिस्र से 60 हजार मीटरी टन चावल खरीदने के लिए एक करार पर हस्ताक्षर हुए थे। ठेके की सारी मात्रा का अगस्त, 1969 के अन्त तक लदान पूरा हो जाएगा। इसका भुगतान अपरिवर्तनीय भारतीय रुपयों में किया जाएगा जिसका प्रयोग संयुक्त अरब गणराज्य भारत से माल खरीदने के लिए करेगा।

(ग) आशा है कि ठेके की समस्त मात्रा सितम्बर, 1969 तक भारतीय बन्दरगाहों पर पहुँच जायेगी।

फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा स्वीकृत फिल्म

5305. **श्री जुगल मण्डल** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा मार्च, 1969 तक गत दो वर्षों में कितनी फिल्मों के प्रदर्शन

की स्वीकृति दी गई, उन फिल्मों के नाम क्या हैं और उन फिल्मों के निर्माताओं के नाम तथा पते क्या हैं;

(ख) क्या बोर्ड ने कुछ फिल्मों की स्वीकृति नहीं दी और यदि हाँ, तो उन फिल्मों के नाम क्या हैं;

(ग) उन फिल्मों के नाम क्या हैं जिनमें बोर्ड ने कोई काँट-छाँट नहीं की;

(घ) जिन फिल्मों में काँट-छाँट की गई है, उनके पृथक-पृथक कारण क्या हैं; और

(ङ) उन फिल्मों के नाम क्या हैं जिन्हें सेंसर बोर्ड ने उपरोक्त अवधि में "केवल बालिगों के लिये" पास किया है और इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ई० कु० गुजराल): (क) से (ङ) सूचना केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड, बम्बई से एकत्र की जा रही है और यथासमय सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

Minimum Wage for Mica Mine Workers in Rajasthan

5306. **Shri Ramesh Chandra Vyas** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the minimum wages of the workers working in the mica mines in Rajasthan;

(b) whether it is a fact that some of the workers are still getting wages lower than the minimum wages; and

(c) if so, the action being taken by Government against the owners of such mines ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) :

(a) to (c) The powers of the Central Government relating to fixation, review and revision of minimum wages under the Minimum Wages Act, 1948, in respect of employees employed in mica mines situated in Rajasthan have been delegated to the State Government. A copy of the Government of Rajasthan notification No. F. 3 (12)/Lab/63 dated the 31st July, 1965 revising rates of minimum wages is attached. **[Placed in Library. See No LT** 619/69] This notification was, however, declared invalid by the Rajasthan High Court on a writ petition filed by the employers on the ground that a Government official who functioned in the State Minimum Wages Advisory Board was not an independent person. Thereafter the Rajasthan Government promulgated the Minimum Wages (Rajasthan Amendment and Validation) Ordinance, 1968 on the 28th December 1968. According to information received from the State Government the wages fixed by them are now in force and claim applications filed before the minimum wages authority are being disposed of accordingly.

Payment of Bonus to Mica-Mine Workers in Rajasthan

5307. **Shri Ramesh Chandra Vyas** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of mica-mines in Rajasthan which have not paid bonus so far to the workers under the Bonus Act; and

(b) the action being taken by Government to ensure expeditious payments of bonus to them ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) :

(a) and (b) There are some 124 mica-mines in Rajasthan, Government do not maintain information about the payment of bonus each year by each mine. Complaint from workers are enquired into and action taken under the Industrial Disputes Act or the Bonus Act by the Central Industrial Relations Machinery, as and when the complaints are received.

Employees Provident Fund of the Mica-Mine Workers in Rajasthan

5308. **Shri Ramesh Chandra Vyas** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that deductions on account of Provident Fund are made from the wages of the Mica-mine workers in Rajasthan but the owners do not deposit the money so collected in the Employees Provident Fund ;

(b) if so, the number of complaints received by Government so far in this regard ; and

(c) the action being taken by Government against such mine owners ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) :

(a) to (c) The administration of the provident funds of workers in these mines is the concern of the Central Board of Trustees, an autonomous Organisation under the Employees' Provident Funds Act, 1952 and is not the concern of the Government of India. The information is not available with the Government of India. The Employees' Provident Funds Organisation has reported as follows :—

(a) The owners of some mica mines have not remitted the provident fund contributions deducted from the workers' wages.

(b) No complaint has been received in the matter.

(c) Legal action has been initiated against the defaulting mine owners through prosecutions and revenue recovery proceedings.

Payment of wages to Mica-Mine Workers in Rajasthan

5309. **Shri Ramesh Chandra Vyas** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that wages are not being paid regularly to Mica-mine workers in Rajasthan resulting in many difficulties to them ; and

(b) if so, the steps being taken by Government to ensure regular payment of wages to them ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) :

(a) It is reported that some-mica mine owners in Rajasthan are not paying the wages of workers regularly.

(b) To expedite action to recover wages due to the workers, the Labour Enforcement Officer posted at Bhilwara has been specially authorised to file claim applications direct with the Authority under the Payment of Wages Act, 1936.

Posting of Doctors under Mica Mines Labour Welfare Fund Scheme in Rajasthan

5310. **Shri Ramesh Chandra Vyas** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the places where doctors have been posted so far for workers of mica-mines under Mica Mines Labour Welfare Fund Scheme in Rajasthan ; and

(b) the steps being taken by Government to post doctors at the remaining places at an early date ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad):

(a) Three doctors in the Central Hospital, Gangapur and one doctor each in the Mobile Medical Unit, Bhilwara, State Dispensary, Bagore and Mobile Medical Unit, Madhorajpura are at present attending to the mica-mines workers of Rajasthan.

(b) Steps are being taken to obtain the services of demobilised army doctors through the Ministry of Defence. A special *ad hoc* recruitment is also being conducted by the Director General of Health Services.

कच्चे पटसन का मूल्य

5311. **श्री इन्द्रजीत गुप्त:** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पटसन विकास परिषद् ने हाल ही में अपनी बैठक में यह सिफारिश की है कि कच्चे पटसन के न्यूनतम मूल्य का निर्धारण और प्रचार बुवाई मौसम से काफी पहले किया जाना चाहिये ताकि उत्पादकों को प्रोत्साहन मिल सके।

(ख) क्या भारतीय पटसन निर्माण संस्था ने भी यह सुझाव दिया है कि कच्चे जूट की खेती को राज सहायता दी जानी चाहिये; और

(ग) यदि हाँ, तो उन सिफारिशों के बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) जी हाँ।

(ख) दिनांक 1 मार्च, 1969 को हुई भारतीय पटसन विकास परिषद् की बैठक में भाग लेने वाले इंडियन जूट मिल्स ऐसोसियेशन के प्रतिनिधि ने कच्चे पटसन की खेती के लिये किसी उपदान का सुझाव नहीं दिया था। उन्होंने अनुरोध किया कि सरकार उद्योग को जीवित रखने के लिये उचित परिस्थितियाँ उत्पन्न करे और यदि आवश्यक हो तो राज्य सहायता दे। उनका अभिप्राय संभवत: उद्योग को राज्य सहायता प्रदान करने से था।

(ग) कच्चे पटसन के न्यूनतम मूल्य का प्रश्न विचाराधीन है। पटसन विषयक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अधीन चुनीदा क्षेत्रों में फौलियर स्प्रे के निशुल्क यूरिया दिया जाता है और फोलियर स्प्रे के लिये कम आयतन वाले शक्ति-चालित स्प्रेयरों के लिये भारत सरकार राज्य सहायता देती है। राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा उत्पादित बीजों के लिये सरकार 50 प्रतिशत राज्य सहायता देती है।

कृषि स्नातक

5312. **श्री प्र० रं० ठाकुर :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री 22 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5102 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शेष जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) :

(क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की गई थी परन्तु उसमें कुछ असंगतियाँ पाई गई हैं और उनका समाधान किया जा रहा है।

आकाशवाणी के केन्द्रों से प्रसारित वार्ताओं के लिये भुगतान

5313. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से भारतीय भाषाओं तथा अंग्रेजी में विभिन्न प्रकार की वार्ताओं के लिये भुगतान की दरें क्या हैं तथा संसद् सदस्यों के लिए दरें क्या हैं;

(ख) वर्ष 1968–69 में आकाशवाणी, इम्फाल से प्रसारित वार्ताओं के लिये वर्तमान दरें क्या हैं, और

(ग) यदि एक ही श्रेणी की वार्ताओं के लिये आकाशवाणी के समस्त केन्द्रों में दर एक जैसी नहीं है, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल):

(क) आकाशवाणी के केन्द्रों से अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं में प्रसारणों के लिए वार्ताकारों के लिए फीस की दरें 10 रुपए से लेकर 50 रुपए तक भिन्न-भिन्न हैं। वार्ताओं, वादविवादों, चर्चाओं, "सामयिकी", "स्पोटलाइट" जैसे अखिल भारतीय कार्यक्रमों के लिए तथा ऐसे अन्य कार्यक्रमों के लिए जो अखिल भारतीय आधार पर रिले के लिए उपलब्ध होते हैं, उनकी भाषा (हिन्दी या अंग्रेजी) का विचार किए बिना, फीस 100 रुपए प्रति वार्ता तक जा सकती है। संसद सदस्यों को जब प्रादेशिक प्रसारणों के लिए बुक किया जाता है तो उन्हें 50 रु० की एक जैसी फीस दी जाती है।

(ख) 1968–69 के दौरान आकाशवाणी के इम्फाल केन्द्र द्वारा अपने वार्ताकारों को दी गई फीसें 25 रुपए से लेकर 50 रुपए तक थीं।

(ग) आकाशवाणी के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए फीस विभिन्न बातों के आधार पर निश्चित की जाती हैं जैसे कार्यक्रम की प्रकृति, उसकी अवधि, सम्बन्धित क्षेत्र में व्यक्ति की योग्यता और ख्याति। अतः वार्ताकारों को फीस देने के मामले में कोई समानता नहीं है।

कार्मिक संघ के नेताओं तथा प्रतिनिधियों की समिति

5314. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मनीपुर के लिए कार्मिक संघ के नेताओं और प्रतिनिधियों की एक समिति का गठन किया गया था;

(ख) क्या उक्त समिति की हाल में इम्फाल में बैठक हुई थी; और

(ग) यदि हाँ, तो समिति की उस बैठक में क्या मुख्य निर्णय किए गए?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद):

(क) और (ख) जी हाँ।

(ग) मुख्य फैसले इस प्रकार थे:—

(i) मालिकों और श्रमिकों के बीच में होने वाले झगड़ों और साम्प्रदायिक भावना से उत्पन्न होने वाले झगड़ों को रोका जाय।

(ii) समिति मालिकों और श्रमिकों के बीच ऐसे झगड़ों को रोकने की सहायता और इन झगड़ों को सद्भाव से निपटाने का प्रयत्न करेगी। इसके अतिरिक्त समिति नियोजकों और मजदूरों में समुचित वातावरण बनाने तथा शिक्षा और सुधार की भावना पैदा करने का प्रयत्न करेगी।

केन्द्रीय बीज फार्म, हीराकुड

5315. **श्री अद्धाकर सूपकार :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय बीज फार्म, हीराकुड, को कितने एकड़ भूमि इस वर्ष सुधरे हुए बीजों के उत्पादन के लिये उपयोग में लायी जायेगी ; और

(ख) कितने एकड़ भूमि स्थानीय किसानों को किराये पर दी जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) फार्म सन् 1967 में ही स्थापित किया गया था और उसके अधिकार में जितनी भूमि है उसका धीरे-धीरे विकास किया जा रहा है और उस पर खेती की जा रही है। आशा है कि सन् 1969–70 के दौरान उन्नत बीजों के उत्पादन के लिये लगभग 3,000 एकड़ क्षेत्र का प्रयोग किया जाएगा।

(ख) इस फार्म पर खेती के कार्य फार्म के कर्मचारियों द्वारा चलाई जाने वाली कृषि मशीनरी की सहायता से किए जाते हैं। भूमि को स्थानीय किसानों को पट्टे पर देने का प्रस्ताव नहीं है।

आकाशवाणी के कर्मचारियों को पुस्तकें लिखने की अनुमति

5316. **श्री अर्जुन सिंह भदोरिया :** क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री 4 दिसम्बर, 1968 के अतरांकित प्रश्न संख्या 3235 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आकाशवाणी के कर्मचारयों को पुस्तकें लिखने की अनुमति देने के बारे में आवश्यक सूचना इस बीच प्राप्त कर ली गई है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या कोई अन्य ऐसे कर्मचारी भी हैं और यदि हाँ, तो उनके नाम क्या हैं, और क्या उन्हें वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये पुस्तकें लिखने की अनुमति दी गई है; और

(ग) यदि सरकार ने किसी कर्मचारी को वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए पुस्तकें लिखने की अनुमति नहीं दी है तो कुछ-कुछ कर्मचारी ऐसा नियमित रूप से तथा व्यवस्थित तरीके से किस प्रकार करते हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) से (ग) अभी तक पूरी सूचना एकत्र करना सम्भव नहीं हो सका है। सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सदन की मेज पर रख दी जयेगी।

बिहार काटन मिल्स लिमिटेड द्वारा बोनस का न दिया जाना

5317. **श्री काशीनाथ पांडेय : श्री रामावतार शास्त्री :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री 5 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3419 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार काटन मिल्स लिमिटेड द्वारा बोनस न देने के बारे में जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) और (ख) यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है। बिहार सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार बिहार काटन मिल्स लि० ने 1964 से बोनस अदा नहीं किया है। राज्य सरकार ने प्रबन्धकों के विरुद्ध अभियोजन चलाए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

डाक विभाग में सार्टिंग मशीन का लगाया जाना

5318. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री 5 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3391 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक विभाग ने इस बीच सार्टिंग मशीन के लगाने पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस विषय में क्या निर्णय किया गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह):

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता। परन्तु उल्लेख है कि डाक-तार विभाग का, सभी डाकघरों में छंटाई के लिए सामान्य रूप से स्वचलीकरण चालू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, परन्तु उसका ध्यान मुख्यत: ऐसी जुगतों पर केन्द्रित है जिनसे डाक का निपटान शीघ्रता से किया जा सके।

बंगलौर में टलीफोन कारखाने का विस्तार

5319. **श्री लोबो प्रभु**: क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री 20 फरवरी, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 457 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नया टेलीफोन कारखाना खोलने के बजाय बंगलौर के वर्तमान कारखाने का विस्तार करने से कितनी राशि बचाई जा सकती है;

(ख) नए कारखाने के लिए अन्य स्थान चुनने के क्या लाभ हैं; और

(ग) बंगलौर के वर्तमान कारखाने का विस्तार न करने के क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण तथा संचार विभाग म राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) :

(क) से (ग) इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बंगलौर स्थित कारखाने का लगातार विस्तार किया जाता रहा है तथा अब यह बहुत बड़ा हो गया है। अत: लम्बी दूरी के पारेषण उपस्कर के निर्माण के लिये किसी दूसरे स्थान पर एक नया कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है जिसके लिये ऐसी बातों का ध्यान रखा जाता है जैसे कि आर्थिक तथा युद्धनीतिक कारणों से उद्योगों का विकेन्द्रीकरण, एक उत्पादन-एकक को अनुकूलतम आकार तक सीमित रखना तथा वितरण और कच्चे माल के परिवहन-व्यय में बचत। यह प्रायोजना बंगलौर में स्थापित हो या किसी और स्थान पर, उससे इसके पूंजीगत व्यय में बहुत अन्तर नहीं आयेगा।

Sugarcane Cultivation in U. P.

5320. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the area of land brought under sugarcane cultivation in Uttar Pradesh in 1966-67 and 1967-68 :

(b) whether it is a fact that much damage has been caused to the sugarcane crop in 1967-68 as a result of pests ; and

(c) if so, remedical action taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) The area of land brought under sugarcanc cultivation in Uttar Pradesh was as follows :—

	(in lakh hectares)
1966-67	11.90
1967-68	9.93

(b) No large scale incidence of any pest or disease was reported by the Government of Uttar Pradesh during 1967-68. The year may be taken as normal year in respect of pests and diseases.

(c) Question does not arise.

रिकार्ड बनाने का संयन्त्र

5321. **डा० सूर्य प्रकाश पुरी :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रिकार्ड प्रत्यंकन तथा कार्यक्रम विनियम सेवा में रिकार्ड बनाने का संयंत्र किया जा रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो संयंत्र का वास्तविक मूल्य कितना है और उसे बन्द करने के क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल):

(क) जी, नहीं। प्लाँट अभी हटाया नहीं गया है। परन्तु उसे जनवरी, 1968 से बन्द कर दिया गया है।

(ख) प्लांट की आरम्भिक लागत 2 लाख 50 हजार रुपए थी। प्लांट को बन्द करने के कारण ये हैं:—

(1) अलाभ प्रचालन,

(2) टेप रिकार्डिंग के बढ़ते हुए प्रयोग के कारण डिस्क्स की घटती हुई माँग; और

(3) यंत्र को रखने के लिए भवन पर काफी पूंजीगत व्यय होना, क्योंकि वर्तमान बैरकें गिराई जानी हैं।

आकाशवाणी के कर्मचारियों के पुनर्गठन के बारे में अध्ययन का दल प्रतिवेदन

5322. **डा० सूर्य प्रकाश पुरी :** **श्री क० लक्कप्पा :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के कलाकारों की नौकरियों के मूल्यांकन, वर्गीकरण तथा मजूरी निर्धारण सम्बन्धी कुमारी मसानी की अध्यक्षता में कर्मचारियों के पुनर्गठन के लिए अध्ययन दल द्वारा प्रतिवेदन तैयार करने में कुल कितना व्यय हुआ,

(ख) क्या नौकरियों के मूल्यांकन, वर्गीकरण तथा मजूरी निर्धारण सम्बन्धी कोई विशेषज्ञ समिति में शामिल किए गए थे, अथवा किसी समय उनकी सहायता ली गई थी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस प्रतिवेदन की जाँच कर ली गई है और निर्णय कर लिया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस प्रतिवेदन से आकाशवाणी किस प्रकार लाभान्वित हुई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल)

(क) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

(ख) जी, नहीं। समिति के सदस्य आवश्यक योग्यता रखते थे।

(ग) और (घ) रिपोर्ट विचाराधीन है।

रिकार्ड प्रत्यंकन तथा कार्यक्रम विनिमय सेवा में चोरियां

5323. **डा० सूर्य प्रकाश पुरी :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रिकार्ड प्रत्यंकन तथा कार्यक्रम विनिमय सेवा विभाग में अब तक कितनी बार चोरियां हुई हैं,

(ख) क्या प्रत्येक बार मामले की सूचना पुलिस को दी गई थी; और

(ग) यदि नहीं, तो पुलिस को सूचना न देने के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल):

(क) 1966 से पाँच बार।

(ख) जी, हाँ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य मन्त्रालय के दल की बिहार शरीफ की यात्रा

5324. **श्री योगेन्द्र शर्मा:** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय में संयुक्त सचिव, श्री जे० सी० माथुर के नेतृत्व में एक 15 सदस्यीय दल ने 2 मार्च, 1969 को पटना जिले में बिहार शरीफ की यात्रा की थी;

(ख) यदि हाँ, तो दल के सदस्य कौन-कौन थे और इसका उद्देश्य क्या था;

(ग) दल की बिहार शरीफ यात्रा का क्या परिणाम हुआ; और

(घ) इस यात्रा पर कुल कितनी राशि व्यय हुई?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):

(क) से (घ) श्री जगदीश चन्द्र माथुर, अपर सचिव, कृषि विभाग, 2 मार्च 1969 को बिहार शरीफ नहीं गए और न ही वे किसी ऐसी टोली के नेता थे। बिहार, पश्चिमी बंगाल, नागालैन्ड और उड़ीसा के संबंधित अधिकारियों के लिये 1 मार्च को पटना में कृष प्रशिक्षण कार्यक्रम पर एक गोष्ठी की गई थी। उस गोष्ठी में भाग लेने वालों को पटना जिले में बिहार शरीफ के आस-पास राष्ट्रीय प्रदर्शनी देखने के लिये ले जाया गया। यह गोष्ठी के कार्यक्रम का ही एक भाग था।

इस दौरे से कोई अतिरिक्त व्यय नहीं हुआ सिवाय इसके कि गोष्ठी में भाग लेने वालों के लिये सरकारी परिवहन का प्रबन्ध किया गया।

मनीपुर में पुनर्वास कार्य

5325. **श्री एम० मेघचन्द्र:** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री 28 नवम्बर, 1968 के अतरांकित प्रश्न संख्या 2563 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मनीपुर की सरकार ने इस बीच मनीपुर के जिरीबन सब डिवीजन में 214 से अधिक शरणार्थी परिवारों को खेती करने तथा रहने के लिए भूमि दे दी है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद):

(क) और (ख) मनीपुर सरकार ने सूचित किया है कि इन परिवारों को कृषि-भूमि तथा आवास के लिए भूमि देने का निश्चय किया गया है और इस सम्बन्ध में बन्दोबस्त अधिकारी को कहा गया है कि वह इन परिवारों के लिए भूमि का पता लगाये और अपने प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत करे। बन्दोबस्त अधिकारी से प्राप्त प्रस्तावों को अन्तिम रूप देने के उपरान्त ही अलाटमेंट की जायेगी।

Incentives to Farmers for Increasing Production

5326. **Shri Deorao Patil :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the nature of the incentives being provided by Government to small farmers to increase the agricultural production ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :

To increase agricultural production, the following incentives are being provided to small farmers besides the normal facilities available to all farmers:

(i) Co-operatives have adopted the crop loan system under which short-term loans will be available to small farmers irrespective of their size, depending only on their production programmes. Agro Industries Corporations have been set up in most of the States for supplying imported tractors on hire-purchase basis and they propose to set up Custom Service Units from which machinery like tractors, etc., will be available for hire to small farmers, among others. Rates will be reasonable.

(ii) A special scheme of a pilot nature to be operated it about 20 districts all over the country is under contemplation for helping small farmers, particularly those who are potentially viable. They will be helped by this special organisation in supply of inputs, particularly short-term and long-term credit and in marketing of produce and gaining additional income by subsidiary occupations, such as poultry, dairying etc. Details are under discussion.

(iii) To cover the risk involved in financing small farmers the primary credit socities and Central Co-operative Banks are being given an outright grant to a special bad debt reserve at a special rate of 12% and 4% for the additional loan issued by them each year to the worker sections of the population, *i.e.* those whose individual maximum credit limit is less than Rs. 200/.

(iv) The State Governments are also given short-term loans by the Centre for purchase and distribution of fertiliser and other inputs and giving Taccavi. A part of this is expected to flow to the small farmers.

Per Capita Availability of Foodgrains

5327. **Shri Deorao Patil :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the per capita availability of foodgrains in 1968 was three to six per cent less as compard to that in 1967; and

(b) if so, the reasons therefor when the production of foodgrains in 1968 was more ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) No Sir. The per capita availability of foodgrains for human consumption i 1968 increased by 15.7% as compared to that in 1967.

(b) Does not arise.

पशु वध

5328. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री 21 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1652 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पशुओं के वध के बारे में शेष राज्यों से उत्तर प्राप्त हो गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो देरी होने के क्या कारण हैं?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) अधिकांश राज्यों से उत्तर प्राप्त हो चुके हैं और उन्हें सारणी के रूप में तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य और दादरा व नगर हवेली तथा चन्दीगढ़ के केन्द्रीय शासित क्षेत्रों से उत्तर आने हैं।

(ख) संलग्न विवरण में जानकारी दी गई है। **[पुस्कालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 620/69]

(ग) विस्तृत जानकारी के बारे में स्पष्टीकरण प्राप्त होने हैं।

सरकारी उपक्रमों में हड़ताल और तालाबन्दी

5329. **श्री काशी नाथ पाण्डेय :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री 21 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1625 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी उपक्रमों में हड़ताल और तालाबन्दी सम्बन्धी जानकारी इस बीच इकट्ठी कर ली गई है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो देरी होने के क्या कारण हैं?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद):

(क) से (ग) सभी उपक्रमों से सूचना प्राप्त नहीं हुई है। उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 621/69]

ट्रैक्टरों तथा फालतू पुर्जों का आयात

5330. **श्री काशीनाथ पाण्डेय :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 21 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1650 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से जानकारी इस बीच प्राप्त कर ली गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) जी हाँ।

(ख) लोक सभा में 21 नवम्बर, 1968 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1650 के उत्तर में प्रतिक्षा की हुई जानकारी को देते हुए एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 622/69]

संगणकों की स्थापना

5331. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री 21 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1651 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संगणकों की स्थापना के बारे में कुछ मंत्रालयों/विभागों से जानकारी प्राप्त हो गयी है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) जी, हाँ।

(ख) संलग्न विवरण में जानकारी दी गई है।

विवरण

केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित कार्यालयों में संगणक लगाये जा चुके हैं:—

1. डीज़ल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी ।
2. महा-निदेशक, आयुध कारखाने, कलकत्ता।
3. रेलवे मंत्रालय, उत्तर, मध्य, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण तथा पूर्वोत्तर रेलवे।
4. केन्द्रीय जल तथा विद्युत् अनुसंधान केन्द्र, पूना।
5. इन्ट्रिग्रल कोच फैक्टरी, पैराम्बूर।
6. चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, चित्तरंजन।
7. कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, योजना आयोग।
8. संगणक केन्द्र, सांख्यकी विभाग, नई दिल्ली।
9. अणु-शक्ति आयोग बम्बई।
10. भारतीय मौसम विभाग।

केन्द्रीय जल तथा विद्युत् अनुसंधान केन्द्र पूना में संगणक के अतिरिक्त अन्य सभी शक्ति चालित संगणक हैं।

टिप्पणी:—इनमें से किसी भी कार्यालय ने इन मशीनों को काम में लाने का विरोध नहीं किया हैं और इनकी स्थापना से अब तक कोई छटनी नहीं हुई है।

सरकारी तथा अधिकृत गैर-सरकारी बूचड़खाने

5332. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 21 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1649 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी तथा अधिकृत गैर सरकारी बूचड़खाना सम्बन्धी अपेक्षित जानकारी राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार के सम्बन्धित मंत्रालयों तथा विभागों से इस बीच इकट्ठी कर ली गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) :

(क) अभी आसाम, बिहार, केरल, जम्मू तथा काश्मीर और उत्तर प्रदेश और दादरा, नगर हवेली व चण्डीगढ़ संघ क्षेत्रों से उत्तर प्राप्त होने हैं।

(ख) उपलब्ध तथा राज्य सरकारों से उपलब्ध जानकारी का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 623/69]

हिमाचल प्रदेश का पंचायत अधिनियम

5333. **श्री हेमराज** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल विधान सभा द्वारा 1968 में पारित पंचायत अधिनियम केन्द्रीय सरकार को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या उसके विरुद्ध सरकार को कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ग) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) :

(क) से (ग) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विधेयक, 1968 (1968 का विधेयक संख्या 30), जो कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित किया गया है, राष्ट्रपति की अनुमति लेने के लिए प्राप्त हुआ है। काँगड़ा लघु-जमींदार सभा द्वारा इस विधेयक के विरुद्ध किए गए अभ्यावेदन की एक प्रति भी प्राप्त हुई है। दोनों की जाँच की जा रही है।

गन्ने का मूल्य

5334. **श्री स० अ० अगड़ी**: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य के बेलारी जिले में होस्पेट के गन्ना उत्पादक किसान संघ के प्रतिनिधि मण्डल ने चालू फसल में गन्ने का मूल्य निर्धारित करने के सम्बन्ध म नवम्बर, 1968 में पंजिम (गोआ) और बाद में बंगलौर में अभ्यावेदन किया था;

(ख) क्या यह सच है कि उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि 9.4 प्रतिशत चीनी की मात्रा वाले गन्ने का मूल्य प्रति टन 100 रुपए निर्धारित किया जायेगा;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने आवश्यक आदेश जारी कर दिए हैं; तथा उसने क्या दर निर्धारित की है अथवा करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) मैसूर राज्य गन्ना उत्पादन संघ ने अभ्यावेदन दिया था कि चीनी कारखानों से उत्पादकों को गन्ने के लाभकारी मूल्य का भुगतान कराया जाए।

(ख), (ग) और (घ) जी नहीं। ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था। सरकार ने पहले ही गन्ने का न्यूनतम मूल्य 9.4 प्रतिशत या इससे कम उलब्धि पर 7.37 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित कर रखा है। तथापि, चीनी उद्योग को गन्ने का 10 रुपए प्रति क्विंटल का भाव देने का परामर्श दिया गया है और मैसूर में अधिकांश चीनी कारखाने 10 रुपए प्रति क्विंटल या इससे अधिक मूल्य दे रहे हैं।

तिब्बती शरणार्थियों का पुनर्वास

5335. **श्री कुशोक बकुला :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय को तिब्बती शरणार्थियों के पुनर्वास विशेषकर उनको दस्तकारी में प्रशिक्षण देने तथा सड़कों के निर्माण कार्य में लगाये जाने के बारे में कुछ योजनायें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कितनी सहायता दिए जान का प्रस्ताव है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) और (ख) तिब्बत के शरणार्थियों द्वारा स्वत: सहायता के आधार पर सात दस्तकारी केन्द्र चलाये जा रहे हैं। इन केन्द्रों के पुनर्गठन के बारे में केन्द्रीय राहत समिति (भारत) द्वारा एक योजना प्रस्तुत की गई है, जो विचाराधीन है। लेह में एक दस्तकारी केन्द्र स्थापित करने की एक योजना भी राज्य सरकार तथा केन्द्रीय राहत समिति (भारत) के परामर्श के साथ विचाराधीन है। योजना के अन्तर्गत यह बातें हैं:—

(i) लेह में करघे से बुनाई करने वाले तिब्बतियों तथा अर्धकुशल कारीगरों को रोजगार के अवसर देना;

(ii) अर्ध-कुशल तिब्बती कारीगरों के लिये, जो इस समय अच्छे रोजगार के अभाव में विभिन्न सेना तथा सिविल एजेन्सियों के साथ कार्य कर रहे हैं, रोजगार के अवसर ; तथा

(iii) करघे से बुनाई तथा हाथ से बुनाई के क्षेत्र में यथा संभव तिब्बतियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना और इस प्रकार उन्हें आत्मनिर्भर व्यक्ति बनाया जाना; इसके साथ-साथ वे तिब्बत की परम्परागत दस्तकारी का संरक्षण तथा प्रसार कर सकेंगे।

तिब्बती शरणार्थियों को सड़कों के निर्माण कार्य में स्थायी रोजगार प्रदान करने की कोई योजना नहीं है। तथापि, अधिकांश तिब्बती शरणार्थी, जिनको अभी स्थायी रूप से बसाया जाना है हिमाचल प्रदेश में सड़कों के निर्माण कार्य पर लगे रहेंगे जब तक कि वे अन्तिम रूप से पुनर्वास स्थलों को नहीं भेजे जाते।

चंदावली, जिला बालासोर में डाक तथा तारघर का भवन

5336. **श्री डी० डी० जेना :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चन्दाबली, जिला बालासौर, उड़ीसा में डाक तथा तार घर भवन के निर्माण के लिए कोई अनुदान स्वीकृत किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो कितनी राशि स्वीकृत की गई है तथा निर्माण कार्य के कब तक शुरू होने और कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह):

(क) जी नहीं। प्राथमिक प्राक्कलन तैयार किए जा रहे हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Assistance for Rehabilitation of Tibetan Refugees

5337. **Shri Kushok Bakula** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the quantum of contribution made by the Indian and other foreign voluntary agencies for the rehabilitation works for the Tibetan refugees at diffenrent placesin India, is reducing day-by-day ; and

(b) if, so the action Government propose to take to give financial assistance for rehabilitation of these refugees?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad):

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

दिल्ली की कालकाजी कालोनी में मकानों का निर्माण

5338. **श्री पू० रं० ठाकुर :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के लिये दिल्ली में कालकाजी के निकट रिहायशी बस्ती के मानचित्र की दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली विकास प्राधिकार ने अभी तक स्वीकृति नहीं दी है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) प्रस्तावित बस्ती में जलनिस्सारण तथा जल सम्भरण के बारे में ठीक स्थिति क्या है; और

(घ) प्लाटों का कब्जा लेने वाले अलाटी अपने मकानों का निर्माण कब आरम्भ कर सकेंगे ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद):

(क) बस्ती का 'ले आउट प्लान' दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली विकास प्राधिकार दोनों द्वारा पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) **जल-निस्सारण**

आन्तरिक जल-निस्सारण की व्यवस्था बहुत समय पूर्व समाप्त हो चुकी है, किन्तु निगम ने अभी तक इस व्यवस्था को नगर की मुख्य जल-निस्सारण नालियों से नहीं मिलाया है। उन्होंने सूचित किया है कि कार्य के लिए टेन्डर माँगे गए हैं और आशा है कि टेन्डरों के अनुमोदित होते ही कार्य शीघ्र ही हाथ में ले लिया जायेगा; आशा है कि उसके उपरान्त 9 महीने के अन्तर्गत कार्य पूर्ण हो जायेगा।

जलसंभरण

आन्तरिक जल संभरण व्यवस्था बहुत समय पूर्व पूर्ण हो चुकी है। तथापि, दिल्ली नगर निगम केवल $1\frac{1}{2}$" की नाली ही स्थापित कर पाया है जो कि बस्ती की प्रारम्भिक आवश्यकताओं को पूरा करेगी।

दिल्ली नगर निगम द्वारा बस्ती के सामने से जाने वाली मुख्य नाली से पर्याप्त मात्रा में जल दे कर बस्ती की भावी आवश्यकताओं को पूरा कर सकने के लिये सरकार अन्तरिम उपाय के रूप में बस्ती के निकट एक स्थान पर नल कूप खोद कर निगम को जल संभरण का अन्य स्त्रोत प्रदान करेगी। एक नलकूप की खुदाई का कार्य अग्रिम अवस्था में है।

(घ) दिल्ली, नगर निगम से अनुरोध किया गया है कि, मुख्य मलसुरंग की व्यवस्था तथा जल-संभरण का आवर्धन होने तक, बस्ती में मकानों के निर्माण की आज्ञा दे दी जाये ताकि जब तक इन मकानों का निर्माण पूर्ण हो और वह कब्जे के लिये उपयुक्त हो जायें; ये सेवायें भी प्रदान कर दी जायें। मकानों का निर्माण अलाटियों की वित्तीय स्थिति, उन द्वारा इस मामले को दिए जा सकने वाले समय तथा ध्यान, निर्माण योजना के बारे में उनके द्वारा निगम से अनुमोदन प्राप्त कर सकने की गति तथा अन्य सुसंगत बातों पर निर्भर करता है। तथापि, सरकार द्वारा एक शर्त लगा दी गई है कि अलाटी अपने प्लाट पर कब्जा दिये जाने की तिथि से दो वर्षों के अन्तर्गत मकान बना लेगा।

Memo on Taxing of Films

5339. **Shri Ram Avtar Sharma** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether Film producers have sent any memorandum to Government not to levy the proposed tax on black and white and coloured pictures ; and

(b) if so, the decision taken by Government thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) :

(a) and (b) It is a fact that two groups of film Producers called on the Minister and submitted memoronda protesting against the proposed enhanced levies on black and white and coloured films used by the film industry. The Producers were advised that they should take the matter up with the Ministry of Finance as they are the appropriate authority on the subject.

उड़ीसा के बालासौर तथा मयूरभंज जिलों में डाक तथा तार घर

5340. **श्री स० कुन्डू** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा के बालासौर तथा मयूरभंज जिलों में गत तीन वर्षों अर्थात् 1965-66, 1966-67 तथा 1967-68 में कितने सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय, तार कार्यालय, डाकघर, उप-डाकघर तथा शाखा डाकघर खोले गए हैं और कहाँ-कहा खोले गए हैं और

(ख) क्या बालासौर तथा मयूरभंज जिलों में चालू वित्तीय वर्ष सहित आगामी तीन वर्षों

में नए सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय, डाकघर, उप डाकघर, शाखा डाकघर, और तार घर खोलने का कोई प्रस्ताव है तथा उन्हें कहाँ-कहाँ स्थापित किया जायगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) :

(क) और (ख) सभा पटल पर एक विवरण-पत्र रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 624/69]**

दुर्गम क्षेत्रों में डाक व तारघर आदि

5341. **श्री स० कुन्दू :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि:

(क) क्या दुर्गम क्षेत्रों में जैसे (एक) सीमान्त क्षेत्रों में (दो) समुद्री तट के समीपवर्ती क्षेत्रों में जहाँ बाढ़ आती है और जहाँ सड़क संचार के साधन नगण्य है, पूर्ववर्तिता के आधार पर सार्वजनिक टेलीफोन लगाने तथा तारघर व डाकघर आदि स्थापित करने के बारे में सरकार ने कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा क्या भविष्य में इस किस्म का कोई कार्यक्रम बनाने का सरकार का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) :

(क) से (ग) एक विवरण-पत्र लोक सभा के पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 625/69]**

गन्ना और चीनी का उत्पादन

5342. **श्री स० अ० अगड़ी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1963–64 से अब तक गन्ने की प्रति एकड़ औसत उपज के राज्यवार तुलनात्मक आँकड़े क्या हैं तथा चीनी की उपलब्धि के आंकड़े क्या हैं;

(ख) क्या यह सच है कि उत्तर भारत के गन्ना पैदा करने वाले क्षेत्रों में प्रति एकड़ उपज विन्ध्यधरी के दक्षिण के क्षेत्रों की प्रति एकड़ उपज से बहुत कम है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या उत्तर भारत की वर्तमान चीनी मिलों को दक्षिण में चलाने तथा उत्तर भारत के गन्ना पैदा करने वाले क्षेत्रों में अनाज की फसलें उगाने के लिए प्रयोग में लाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) क्या देश में ऐसे परिवर्तन करने के लिए, जिनसे अनाज की पैदावार अधिक हो और दक्षिण में चीनी मिल स्थापित करने की माँग भी पूरी हो जायेगी, कोई अध्ययन किया गया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहब शिन्दे) :

(क) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 626/69]

(ख) जी हाँ।

(ग) और (घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

बरौनी तथा मेघौल (मुंगेर) के बीच मोटर डाक सेवा

5343. **श्री योगेन्द्र शर्मा :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुंगेर जिले में बरौनी तथा मेघौल के बीच मोटर डाक सेवा चलाने की एक योजना स्वीकार की गई है और उसके लिए टेन्डर माँगे गए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो यह योजना कब तक लागू हो जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) :

(क) डाक मोटर सेवा चालू करने के लिए निविदाएँ आमंत्रित की गई थीं, पर चूंकि ऐसी सेवा चालू करने के लिए लागत का अनुमान काफी ऊँचा निकला, अतएव इस प्रस्ताव को खत्म कर दिया गया।

(ख) उपर्युक्त (क) को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी पोस्टमास्टर जनरल को, बेगूसराय और रुमेड़ा के बीच मौजूदा चलने वाली एक निजी बस सेवा का प्रयोग करने के बारे में विचार करने के लिए निर्देश दिया गया है।

Employment in India

5344. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the precentage of population in India which is without employment, in temporary employment and is without land ; and

(b) the percentage of India's population which is in service as [also engaged in agriculture or business ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad):

(a) The only source of information on the subject relates to the population Census 1961, according to which the percentage of population which was unemployed and seeking employment was O. 32.

No information was collected through the Census in respect of temporary employment and regarding population without land.

(b) The broad distribution of workers and non-workers in the population according to industrial categories was as follows :—

Industrial Categories		Percentage
I. Cultivators	..	22.7
II. Agricultural Labourers	..	7.2
III. Workers in Mining, Quarrying, Live-Stock, Forestry, Fishing, Hunting and Plantation, Orchards and Flied Activities	..	1.2
IV. Workers in Household Industry	..	2.7
V. Workers in Manufacturing other than Household Industry.	..	1.8
VI. Workers in Construction	..	0.5
VII. Workers in Trade and Commerce	..	1.7
VIII. Workers in Transport, Storage and Commnnications	..	0.7
IX. Workers in other services	..	4.5
Total Workers	..	43.0
Non-Workers	..	57.0

तमिल नाडू को चावल सप्लाई

5345. **श्री मयावन :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडू सरकार से कोई ऐसा पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उनसे प्रार्थना की गई है कि उन्हें एक लाख टन चावल सप्लाई किया जाये; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) जी हाँ।

(ख) तमिल नाडू सरकार को केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध साधनों से यथासम्भव सहायता देना स्वीकार कर लिया गया है लेकिन अन्य सभी कमी वाले राज्यों की न्यूनतम माँगों को पूरा करने की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा जाएगा। केन्द्रीय भण्डारों से तमिलनाडू सरकार को 10,000 मीटरी टन चावल का तत्काल आवंटन किया गया है। तमिल नाडू सरकार को गेहूँ की पर्याप्त मात्रा सप्लाई करने का आश्वसन दिया गया है।

डाक तथा तार विभाग के आत्मनिर्भर शाखा कार्यालय

5346. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक तथा तार विभाग के शाखा कार्यालय किसी समय आत्मनिर्भर रहे हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो कब ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) :

(क) और (ख) जहाँ तक तार शाखा का संबंध है तकनीकी सुधारों और उन्नत कार्य प्रणालियों द्वारा लागत में कमी तथा सेवा की दक्षता पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले भीषण बचत के उपायों को प्रयोग में ला कर इस सेवा को सुचारु रूप से चालू रखने के औचित्य की जाँच करने

के लिए एक "तार प्रचालन बचत समिति" का गठन किया गया है। समिति को तीन महीने की अवधि के अन्दर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है।

जहाँ तक डाकखाना का संबंध है यह 1955-56, 1956-57, 1958-59, 1959-60 1961-62, 1962-63 और 1963-64 के दौरान स्वावलम्बी थी। इसमें 1964-65 से हानि हुई है। मई 1968 में कुछ सेवाओं के संबंध में डाक शुल्क-दर बढ़ाये गए हैं। आशा है कि समूचे देश की अर्थ-व्यवस्था में सुधार होने के साथ-साथ डाक शाखा की स्थिति में भी काफी सुधार हो जाएगा।

बर्मा और श्रीलंका से भारत लौटने वाले लोगों को ऋण देने के लिये राज्यों को सहायता

5347. **श्री किरुतिनन :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बर्मा ओर श्रीलंका से भारत लौटने वाले लोगों को ऋण देने के लिये राज्य सरकारों को 25.85 लाख रुपए की राशि मंजूर की है;

(ख) यदि हाँ, तो किन-किन राज्यों को यह ऋण देना मंजूर किया गया है तथा प्रत्येक राज्य का अंश कितना-कितना होगा;

(ग) क्या तमिलनाडू सरकार ने बर्मा और श्रीलंका से लौटने वाले लोगों को बसाने के लिए अधिक धन माँगा है; और

(घ) यदि हाँ, तो 1969-70 के लिए कितना धन माँगा गया तथा ऋण अथवा अनुदान के रूप में कितना धन देना मंजूर किया गया है?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद):

(क) और (ख) बर्मा तथा श्रीलंका से स्वदेश लौटे भारतीयों को ऋण देने के लिये राज्य सरकारों को 1968-69 के अन्तर्गत 96.86 लाख रुपए की धनराशि दी गई है, जिसका ब्यौरा निम्न है:—

राज्य का नाम	बर्मा तथा श्रीलंका से स्वदेश लौटे भारतियों को ऋण देने के लिये दी गई धन राशि। (रुपये लाखों में)
आन्ध्र प्रदेश	11.05
गुजरात	1.40
जम्मू तथा काश्मीर	0.10
केरल	5.00
मध्य प्रदेश	0.31
उड़ीसा	7.85
पंजाब	8.30
राजस्थान	1.00

तमिल नाडू		48.85
उत्तर प्रदेश		2.00
पश्चिम बंगाल		11.00
	योग	96 86

(ग) राज्य सरकार ने 1968-69 में बर्मा तथा श्रीलंका से स्वदेश लौटे भारतीयों को ऋण देने तथा राज्य में उनके पुनर्वास से सम्बन्धित मंजूर की गई अन्य योजनाओं पर व्यय करने के लिए 63.21 लाख रुपए के ऋण की माँग की थी। यह राशि उन्हें दी गई है । मंजूर की गई योजनाओं पर 1968-69 के अन्तर्गत खर्च की जाने वाली धनराशि के सम्बन्ध में राज्य सरकार की कोई प्रार्थना शेष नहीं है।

(घ) पुनर्वास विभाग को भेजे गए 1969-70 के बजट प्रस्तावों में राज्य सरकार ने 1969-70 के वर्ष के लिये बर्मा तथा श्रीलंका से स्वदेश लौटे भारतीयों के राहत तथा पुनर्वास पर व्यय का अनुमान 4.73 करोड़ रुपए लगाया था।

1969-70 के वर्ष के लिए अभी तक कोई राशि मंजूर नहीं की गई है। 1969-70 के अन्तर्गत राज्य सरकार को, मंजूर की गई योजनाओं पर किए गए खर्च की प्रगति तथा आगे मंजूर की जाने वाली नयी योजनाओं के सम्बन्ध में धनराशि की आवश्यकताओं के आधार पर, धनराशि दी जायेगी।

भारतीय फिल्म निर्माताओं को विदेशी मुद्रा दिया जाना

5348. **श्री बृजराज सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय फिल्म निर्माताओं को विदेशी मुद्रा देने के बारे में कोई नियम अथवा मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है,

(ग) 1 जनवरी, 1967 से अब तक ऐसी कितनी फिल्में बनी हैं जिनके लिये भारतीय फिल्म निर्माताओं को विदेशी मुद्रा दी गई थी; और

(घ) 1 जनवरी, 1967 से अब तक ऐसी प्रत्येक फिल्म के लिये दी गई विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है तथा उनसे कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल):

(क) और (ख) जी, हाँ। एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 627/69]**

(ग) तथा (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

भारतीय डाक टिकटों और उनके नमूनों में सुधार

5349. **श्री बृजराज सिंह :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय डाक टिकटों, उनके नमूनों और रंग में सुधार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) :

(क) जी हाँ ?

(ख) डाक-टिकटों की किस्म, डिजाइन और रंग में सुधार करने की दृष्टि से निम्नलिखित कार्रवाई की गई है :—

(i) डाक टिकटों की किस्म सुधारने के लिए बहुरंगी मुद्रण उपकरकर का आयात किया जा रहा है और आशा है कि यह मशीनें लगभग एक वर्ष के समय में लग जायेंगी।

(ii)एक उप-समिति गठित की गई है जो भारतीय मुखावरणों, वनस्पति और जन्तुओं, भारतीय नृत्य, भारतीय गुड़ियों, भारतीय वेष-भूषा आदि विषयों को डाक-टिकटों पर चित्रित करके उन्हें और आकर्षक तथा रंगीन बनाने के लिये सुझाव देगी।

बनों का परिरक्षण

5350. **श्री बृजराज सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बड़ी तेजी से कम होते जा रहे बनों के परिरक्षण के लिये कोई अध्ययन किया जा रहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो उस अध्ययन के परिणामस्वरूप क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) उन पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली दुग्ध योजना में स्थायी लोअर डिवीजन क्लर्क/अपर डिवीजन क्लर्क

5351. **श्री राम चरण :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जब से दिल्ली दुग्ध योजना बनी है तब से लेकर अब तक उसमें कितने लोअर डिवीजन क्लर्कों/अपर डिवीजन क्लर्कों को स्थायी बनाया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):

अपर डिवीजन क्लर्क	21
लोअर डिविजन क्लर्क	कोई नहीं।

पश्चिमी बंगाल में मन्त्रियों के लिये टेलीफोन कनेक्शन

5352. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :**
श्री स० कुन्दू :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री कं० हाल्दर :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल में संयुक्त मोर्चा सरकार के मंत्रियों को सामान्य रूप से टेलीफोन कनेक्शन देने से इन्कार कर दिया गया है और उन्हें "अपना टेलीफोन लगवाओ" योजना के अन्तर्गत टेलीफोन लगवाने के लिये कहा गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण तथा संचार विभाग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) :

(क) जी नहीं। संयुक्त मोर्चा सरकार के मंत्रियों को टेलीफोन कनक्शन देने से इंकार नहीं किया है। टेलीफोन कनेक्शन देने की क्षमता में कमी होने के कारण विभिन्न प्रकार के आवेदकों में उपलब्ध क्षमता को बाँटने के लिए डाक तथा तार विभाग को कुछ प्रकार की प्रक्रियाओं को अपनाना पड़ा। कुछ विशेष प्रकार के लोगों को सुविधा देने के उद्देश्य से जो अग्रिम किराये के रूप में एकमुश्त रुपया दे सकें तथा डाक व तार विभाग की क्षमता को और अधिक बढ़ाने तथा अपने साधन और अधिक उन्नत करने के लिये इस विभाग ने "अपना टेलीफोन लगवाओ" प्रणाली की योजना का प्रारम्भ किया। इस योजना के अन्तर्गत सरकारी कनेक्शनों तथा कुछ क्षेत्रों में कुछ अन्य श्रेणियों को 'अपना टेलीफोन लगवाओ' योजना के अन्तर्गत 'अपना टेलीफोन लगवाओ' क्षेत्रों की घोषणा करने का विचार किया गया तथा इन श्रेणियों में से जो टेलीफोन लगवाने के लिए आवेदन देता है, उसमें सरकारी कनेक्शनों को प्राथमिकता दी जाती है। यह नियम राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार दोनों पर समान रूप से लागू होता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न संख्या 6272 दिनांक 3 अप्रैल, 1968 तथा 523 दिनांक 13 नवम्बर, 1968 और अतरांकित प्रश्न संख्या 318 दिनांक 19 फरवरी, 1969 के उत्तरों में शुद्धि

CORRECTION IN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS NOS. 6272 DATED THE 3RD APRIL, 1968 AND 523 DATED THE 13TH NOVEMBER, 1968 AND UNSTARRED QUESTION NO. 318 DATED THE 19TH FEBRUARY, 1969.

सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल):

(एक) अतारांकित प्रश्न संख्या 6272 दिनांक, 3 अप्रैल, 1968 और 523 दिनाँक 13 नवम्बर, 1968 के उत्तर में सभा-पटल पर रखे गए विवरणों में अनजाने कुछ गल्तियाँ हो गई थीं। सभा की जानकारी के लिये निर्माताओं के नाम, फिल्मों के नाम तथा पेशगी दी गई राशि/बकाया राशि

के 30 नवम्बर, 1968 तक के परीक्षित आँकडे दिखाने वाला एक आदिनांक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०–628/69] सभा को हुई असुविधा के लिये खेद है।

(दो) अतारांकित प्रश्न संख्या 318 के भाग (क) के उत्तर में लोक-सभा में जिसका उत्तर 19 फरवरी, 1969 को दिया गया था, बताया गया था कि फिल्म वित्त निगम ने 39,21,087 रुपए का ऋण दिया था। कृपया 39,21,087 रुपए के स्थान पर 1,39,21,087 रुपए पढ़ा जाये। सभा को हुई असुविधा के लिये खेद है।

स्थगन प्रस्तावों तथा ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में (प्रश्न)

RE. MOTIONS FOR ADJOURNMENT AND CALLING ATTENTION NOTICES (QUERIES)

अध्यक्ष महोदय: अब दो तीन छुट्टियाँ हैं तथा अस्पताल के डाक्टरों की हड़ताल के बारे में अनेक स्थगन प्रस्ताव तथा ध्यान दिलाने वाली सूचनायें मुझे प्राप्त हुई हैं। क्या मंत्री महोदय 4 अथवा 4–30 बजे तक वक्तव्य देने को तैयार हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह): मैं जानकारी एकत्रित कर रहा हूँ तथा मिलते ही उसे बता दूँगा।

अध्यक्ष महोदय: 4 अथवा 4–30 बजे का समय ठीक रहेगा।

श्री के० के० शाह: मैं 4–30 बजे यहाँ पर ही हूँगा।

Shri Rabi Ray (Puri) : We will ask questions also.

अध्यक्ष महोदय: तब मैं इसे स्वीकार करता हूँ और उस पर चर्चा सोमवार को होगी।

श्री सु० कु० तापड़िया (पाली): 4 अथवा 4–30 बजे गैर-सरकारी सदस्यों का समय है।

अध्यक्ष महोदय: केवल वक्तव्य ही तो दिया जाना है।

दूसरी बात कर्मचारियों के बारे में है। मुझे बताया गया है उनमें से लगभग 6000 कर्मचारी अभी भी बेरोजगार हैं। उसके बारे में भी एक वक्तव्य दिया जाना चाहिये।

अनुदानों की माँगें (जारी)

DEMANDS FOR GRANTS—(CONTD)

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्रालय—जारी

अध्यक्ष महोदय: माँगों पर अब एक घंटा चर्चा होगी। मंत्री महोदय दो बजे उत्तर देंगे। एक अथवा दो निर्दलीय सदस्य चर्चा में भाग ले सकते हैं।

श्री जी० भा० कृपालानी (गुना): क्या आप मुझे कुछ समय दे सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय: यद्यपि उनका समय पूरा हो चुका है परन्तु फिर भी मैं उनको समय देने का प्रयत्न करूँगा।

आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य पर विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

RE. QUESTION OF PRIVILEGE ON A STATEMENT BY ANDHRA C. M.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, I rise to a point of order. I had given a notice of privilege Motion yesterday and today. The Chief Minister of Andhra Pradesh has said that the appointment of Parliamentary Committee through Pariament stands in the way of our internal matters. The President has a right under clause 371 to appoint a regional Committee for Andhra Pradesh and the Governor has been conferred with a great responsibility to see that this Committee functions properly. But he cannot be a dictator. He should work in consultation with the Parliament and the Central Government. I had also given a notice but I have come to know that the same has been referred to the Prime Minister for comments. But thc Prime Minister and the Government have nothing to do with that. Therefore I would request that I should be allowed to read the notice in full and then you can take any decision on that ; which we will accept.

अध्यक्ष महोदय : मैं आँकड़ों का सही-सही पता लगाना चाहता था। आपको इस बारे में कल नोटिस नहीं देना चाहिये था। यह समाचारपत्रों में आज प्रकाशित हुआ है।

यह नोटिस मेरे पास आज सुबह 10 बजे आया था तथा मुझे उसके बारे में कुछ कागजात तथा जानकारी एकत्रित करनी है। मेरे पास कोई पृथक् एजेंसी तो है नहीं इसलिये मुझे उसे प्रधान मंत्री को ही भेजना था। वह केवल प्रधान मंत्री ही नहीं अपितु सभा की नेता भी हैं। जब मुझे पूरी जानकारी नहीं मिलती है तब सभा के नेता की सहायता लेना मेरा प्रथम कर्त्तव्य हो जाता है। यही कारण है कि मैंने उसे उनको भेजा है और उस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। पूर्ण जानकारी मिलने पर ही मैं उस पर निर्णय ले सकूंगा।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampar) : I had also given one notice in which I had requested that a Parliamentary Committee should be appointed for Andhra Pradesh also like the one which was sent to Assam during lingual disturbances. Hence I request that an opportunity to discuss that may be given to me.

श्री नाथ पाई (राजापुर) : मेरा इस बारे में बिल्कुल ही भिन्न विचार है। मैं यह समझता हूँ कि आपको इस बारे में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिये, बल्कि आपको तो आन्ध्र प्रदेश सम्बन्धी विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में भी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिये। मैंने यह सुझाव इसलिये दिया है क्योंकि सरकार तथा आन्ध्र सरकार दोनों ही कहेंगी कि आपने पक्षपात किया है। मैं तो यही कहूँगा कि विशेषाधिकार के इस प्रस्ताव पर इस सभा में ही चर्चा की जानी चाहिये।

Shri Atal Bihari Vajpayee : I do not agree with their proposal. In case any sort of aspersion is cast on you that will be treated an aspersion on the hon. House which we cannot tolerate.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : जहाँ तक समिति बनाने का सम्बन्ध है हम यह सारी बात आप पर छोड़ते हैं।

जहाँ तक विशेषाधिकार का सम्बन्ध है मैं यह कहना चाहता हूँ कि चूंकि आप उस राज्य के हैं इसलिए आप उसे हमारे पर छोड़ दें तथा हम यह निर्णय करेंगे कि क्या विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है अथवा नहीं।

श्री शिवाजी रावश देशमुख (परभणी) : श्री नायगाईद्वारा अध्यक्षपीठ पर लगाये गए लाँछन निराधार हैं। सरकार ने अपनी भावना से आपको पूर्णतया अवगत कर दिया है और आप पर पूर्ण रूप से विश्वास किया है कि आप ठीक प्रकार से निर्णय कर पायेंगे।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : I do not know whether there was any background to it or not that the Home Minister left everything on you regarding the appointment of Parliamentary Committee but from the press report of today it appears that he had a talk with the Chief Minister of Andhra Pradesh. That is why Government has thrown the responsibility on you instead of taking it on its own shoulders. All that I want to say is that the position in Talengana is so explosive that in case a Parliamentary Committee is not appointed with immediate effect then the explosive situation in Andhra Pradesh will continue and its consequences will be very bad. Hence I would request that a Parliamentary Committee should be appointed very soon.

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस मामले को स्पष्ट रूप से समझ लिया है। इसलिये इस समय सभा का समय बरबाद करने से कोई लाभ नहीं।

श्री तिरुमलराव (काकिनाडा) : मैं सभा की जानकारी के लिये कुछ बातें बताना चाहता हूँ। श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी कल दिल्ली आये थे तो सबसे पहले उन्हें संवादादाता मिले थे।

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): मुझे आपका नोट अभी ही मिला है और मैं उसका केवल पहला ही पन्ना पढ़ पाई हूँ। जैसे ही मुझे जानकारी प्राप्त हुई मैं आपको भेज दूंगी। मैं समझती हूँ कि गृह-मंत्री ने आपको सारी स्थिति स्पष्ट कर दी है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इस संबंध में निर्णय सभा को ही करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : इस विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में निस्सन्देह मुझे सभा के नेता की सलाह लेनी पड़ेगी।

जहाँ तक समिति बनाने का सम्बन्ध है अध्यक्ष को इस मामले के बारे में कोई निर्णय नहीं करना है। मैं दो दिन के लिए 'वीएना' जा रहा हूँ तथा उपाध्यक्ष यहाँ होंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे महत्वपूर्ण मामलों पर भली भाँति निर्णय कर लेंगे। अब इस बारे में और कोई चर्चा नहीं होनी चाहिये।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

डाक कर्मकार (सलाहकार समिति) पहला संशोधन नियम तथा न्यूनतम मजूरी (केन्द्रीय) संशोधन नियम

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(1) डाक कर्मचारी (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 की धारा 8 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत डाक कर्मकार (सलाहकार समिति) पहला संशोधन नियम, 1969 की एक प्रति, जो दिनाँक 18 जनवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 222 (अंग्रेजी संस्करण) तथा दिनाँक 15 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1020 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे।

(2) (एक) न्यूनतम मजूरी अधिनियम, 1948 की धारा 30-क के अन्तर्गत न्यूनतम मजूरी (केन्द्रीय) संशोधन नियम, 1968 की एक प्रति, जो दिनांक 21 दिसम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2201 में प्रकशित हुए थे।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण। **(पुस्तकालय में रखी। गई देखिये संख्या एल० टी० 594/69)**

नई दिल्ली में बी० ओ० ए० सी० के एक हवाई जहाज से पकड़े गये सोने के बारे में श्री मधु लिमये और प्रधान मंत्री/ उप-प्रधान मंत्री द्वारा एक दूसरे को भेजे गये पत्र

वित्त मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री प्र० च० सेठी): मैं उप-प्रधान मंत्री द्वारा 21 मार्च, 1969 को सभा में दिए गए आश्वासन के अनुसरण में बी० ओ० एस० सी० के एक हवाई जहाज से नई दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर पकड़े गए सोने के बारे में श्री मधु लिमये और प्रधान मंत्री/ उप-प्रधान मंत्री द्वारा एक दूसरे को भेजे गए 12 पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 595/69]**

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० च० सेठी) : मैं श्री शिन्दे की ओर से निम्न-लिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ:—

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति:—

(एक) मध्य प्रदेश चावल वसूली (उद्ग्रहण) दूसरा संशोधन आदेश, 1969, जो दिनांक 15 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 797 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 801 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) बिहार बेलन मिल गेहूँ उत्पादन (मूल्य नियंत्रण), आदेश, 1969, जो दिनांक 15 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस० आर० 798 (हिन्दी संस्करण) में प्रकशित हुआ था।

(तीन) बेलन मिल गेहूँ उत्पाद (मूल्य नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1969, जो दिनांक 15 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 799 में प्रकशित हुआ था । **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 596/69]**

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 12-क के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति:—

(एक) जी० एस० आर० 796 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 800 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 15 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनके द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1842 में कतिपय संशोधन किए गए।

(दो) जी० एस० आर० 847 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 848 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 22 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1842 में कतिपय संशोधन किए गए। **[पुस्कालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 597/69]**

शस्त्रास्त्र (संशोधन) नियम

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं शस्त्रास्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 44 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत शस्त्रास्त्र (संशोधन) नियम, 1969 की एक प्रति जो दिनांक 15 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 767 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे, सभा-पटल पर रखता हूँ। **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 598/69]**

भारतीय तारयंत्र (संशोधन) नियम

सूचना तथा प्रसारण और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : मैं भारतीय तारयंत्र अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत भारतीय तारयंत्र (छठा संशोधन) नियम, 1969 की एक प्रति जो दिनांक 8 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 536 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 537 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे सभा-पटल पर रखता हूँ। **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 599/69]**

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति
PRESIDENT'S ASSENT TO BILLS

सचिव: मैं चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति-प्राप्त निम्नलिखित नौ विधेयक सभा-पटल पर रखता हूँ:

(1) सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) निरन्तरता विधेयक, 1969
(2) विनियोग विधेयक 1969
(3) विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1969
(4) विनियोग (रेलवे) विधेयक, 1969

(5) विनियोग (रेलवे) विधेयक संख्या 2 विधेयक, 1969
(6) बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक, 1969
(7) लोक वक्फ (परिसीमा का विस्तारण) संशोधन विधेयक, 1969
(8) परिसीमा (संशोधन) विधेयक, 1969
(9) दिल्ली मोटर गाडी करारोपण (संशोधन) विधेयक, 1969

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

76 वां प्रतिवेदन

श्री पें० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : मैं खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय (कृषि विभाग) वन विद्या के बारे में प्राक्कलन समिति का 76वां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूँ।

लोक-लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

58 वां प्रतिवेदन

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : कृषि विभाग (केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़) सम्बन्धी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सिविल), 1968 के बारे में लोक लेखा समिति का 58वां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूँ।

प्रधान मंत्री की हाल की बर्मा यात्रा के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. PRIME MINISTER'S RECENT VISIT TO BURMA

श्री शिवचन्द्र झा (मधुबनी) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आपने मुझे लिखा था कि आप वक्तव्य पढ़े जाने के बारे में वक्तव्य देना चाहते हैं। परन्तु मैंने उसे अस्वीकार कर दिया है।

Shri Madhu Limaye : (Monghyr) : Please listen to hin first.

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : Sir, we had given a notice in regard to Ainguilla also. A statement should be given on that also.

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको भाषण देने की अनुमति नहीं दी है। आप कृपया बैठ जायें।

Shri Shiva Chandra Jha : I have given a notice in this regard .....

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ शामिल नहीं किया जायेगा।

श्री शिवचन्द्र झा * *

---

* * कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया है।

* * Not recorded.

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक बात नहीं है कि जब मैं अध्यक्षपीठ पर बैठता हूँ तो कोई न कोई लिख कर भेज देता है कि मैं वक्तव्य नहीं दे सकता। इस तरह से सभा की कार्यवाही कैसे चल सकती है? इसलिये यदि नेता लोग मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मैं कैसे काम कर सकता हूँ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

सदन को मालूम है कि बर्मा की क्रान्तिकारी परिषद और सरकार के अध्यक्ष, महामान्य जनरल ने विन, के निमंत्रण पर मैंने 27 से 30 मार्च, 1969 वर्मा की राजकीय यात्रा की।

भारत और बर्मा के बीच सिर्फ निकट पड़ोसियों का रिश्ता नहीं है बल्कि दोनों देशों के बीच उससे भी घनिष्ट सम्बन्ध हैं। इस निकट संबंध का आधार वे स्थायी मूल्य हैं जिन्हें हमारे दोनों देशों के लोगों ने स्वीकार किया और युगों से उनको मान्यता दी है। मित्रता की यह लम्बी परम्परा उस जमाने में और ज्यादा मजबूत हुई जबकि दोनों देशों के लोग आजादी की लड़ाई में साथ ही जुटे हुए थे।

मेरी यह यात्रा थोड़े ही दिनों की थी फिर भी मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि दोनों देशों के पारस्परिक हित के बहुत से विषयों पर अध्यक्ष महोदय और उनके सहयोगियों के साथ विचार-विमर्श करने का मौका मिला। मेरा अनुमान है कि इस बातचीत और यात्रा से हमारे दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत हुए और इनके कारण दोनों देशों की सरकारों और लोगों के बीच समझ-बूझ और सहयोग को बढ़ावा मिला।

अध्यक्ष ने विन और मैंने महत्वपूर्ण राजनैतिक और आर्थिक समस्याओं को ध्यान में रख कर, विश्व की वर्तमान स्थिति पर विचार किया। बातचीत में हमने उन समस्याअ पर भी खास तौर से ध्यान दिया जो विकासशील देशों में हमारे लिये अधिक महत्व की हैं। सदन को मालम है कि बर्मा और भारत संसार में राष्ट्रों की स्वतंत्रता और उनकी प्रभुसत्ता के प्रति आदर पर आधारित, शान्ति और समझ-बूझ को बढ़ावा देना चाहते हैं। हमारे दोनों देश, राष्ट्रों के संबंधों में एक-दूसरे के अन्दरूनी मामलों में दखल न देने के सिद्धान्त को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। अपनी बातचीत में हम इस पर सहमत हुए कि हमारे दोनों देशों के सामने आर्थिक पुनर्निर्माण का जो सबसे बड़ा काम है, उसे विकास-शील देशों और खास तौर से पड़ोसी देशों के बीच आपसी सहयोग के जरिये जल्दी पूरा किया जा सकता है।

अध्यक्ष ने विन के साथ मेरी बातचीत और बर्मी अधिकारियों के साथ हमारे अधिकारियों की बातचीत के दौरान भी हमने दोनों देशों के आपसी हित के मामलों पर विचार-विमर्श किया। इनमें वे समस्यायें शामिल थीं जिनका संबंध बर्मा में रहने वाले भारतीय नागरिकों से है और उन भारतीय मूल के लोगों से भी है जो बर्मी नागरिकों के रूप में रजिस्टर किए जाने का इन्तजार कर रहे हैं। अध्यक्ष ने विन और उनकी सरकार इस पर सहमत हो गई है कि वे इनकी समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक और जल्दी ही विचार करेंगे। हमने अपने दोनों देशों के बीच अधिक आर्थिक सहयोग बढ़ाने के उपायों पर भी बातचीत की। मैं आशा करती हूँ कि इस बातचीत के फलस्वरूप बर्मा और भारत के बीच आर्थिक सहयोग के संबंध और भी निकट हो जायेंगे।

मैंने अध्यक्ष ने विन और उनकी सरकार के प्रति इस पर धन्यवाद प्रकट किया कि उन्होंने भारत-वर्मा की सीमा पर सतर्कता बरती। सदन को मालूम है कि उनकी इस सतर्कता से हमें अपनी पूर्वी सीमा पर कुछ पथ-भ्रष्ट लोगों के खिलाफ अधिक कारगर उपाय बरतने में सहायता मिली है। मैं आशा करती हूँ कि सदन ने अध्यक्ष ने विन के उस भाषण पर ध्यान दिया होगा जो उन्होंने मेरे सम्मान में आयोजित किए गए राजभोज के अवसर पर दिया था, कि उनकी सरकार किसी अन्य राज्य के राष्ट्रिकों अथवा संगठनों को बर्मा प्रदेश का उपयोग इस काम के लिए नहीं करने देगी कि वे वहाँ से अपने ही देश अथवा किसी तीसरे देश के खिलाफ विद्रोही कार्यवाही कर सकें। अध्यक्ष ने विन ने आगे कहा कि इसी मूल नीति के अनुसार बर्मा ने भारत के उन राष्ट्रिकों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जिन्होंने भारत के खिलाफ विद्रोही कार्यवाही करने के लिए बर्मी प्रदेश का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी।

मैंने अध्यक्ष महोदय को इस बात के लिए भी धन्यवाद दिया कि बर्मा ने हमारी सीमा के रेखांकन के कार्य में समझ-बूझ से काम लिया और सहयोग प्रदान किया। इसका पहला चरण समय से पहले पूरा किया जा चुका है।

अध्यक्ष महोदय और श्रीमती ने विन के सत्कार के लिए हम यहाँ हमेशा तत्पर रहेंगे। मैंने उन्हें निमंत्रण दिया है कि वे अपनी सुविधानुसार, किसी भी समय भारत आयें। उन्होंने यह निमंत्रण स्वीकार किया है।

जैसा कि रिवाज है, मेरी यात्रा की समाप्ति पर दोनों सरकारों ने एक सम्मिलित विज्ञप्ति जारी की। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं इसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखती हूँ। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 600/69]**

निदेश 115 के अन्तर्गत वक्तव्य

STATEMENT UNDER DIRECTION 115

आकाशवाणी के समाचार बुलेटिन के समयों में परिवर्तन

श्री उमानाथ (पुद्दुकोट्टै): 19 फरवरी, 1969 को सूचना और प्रसारण मंत्री से एक तारांकित प्रश्न संख्या 47 पूछा गया था। तब सूचना और प्रसारण मंत्री श्री सत्य नारायण सिंह ने प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में कहा था कि तमिल नाडु सरकार की ओर से औपचारिक रूप से कोई विरोध नहीं किया गया है। इस वक्तव्य का तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने 10 मार्च, 1969 को खण्डन किया था और उन्होंने कहा था कि हमने प्रातः 8.00 बजे से 8.15 बजे के अंग्रेजी बुलेटिन के स्थान पर हिन्दी समाचार बुलेटिन को प्राथमिकता दिए जाने पर विरोध किया था। तब उन्होंने कहा कि यह कहना सही नहीं है कि राज्य सरकार ने स्वर्गीय अन्नादुरै तथा प्रधान मंत्री के बीच दिसम्बर में इस बारे में हुए पत्र-व्यवहार के बाद समय में परिवर्तन करने का विरोध नहीं किया था। उन्होंने इस बात पर खेद प्रकट किया था कि केन्द्रीय सूचना मंत्री ने संसद् में कहा है कि राज्य सरकार की ओर से विरोध नहीं किया गया है।

इस बात को देखते हुए मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय के वक्तव्य से हम लोग गुमराह

हो गए हैं। यह भी उचित बात नहीं है कि मंत्री महोदय ने सभा को तत्सम्बन्धी पत्र-व्यवहार से अवगत नहीं किया है। अतः मेरा निवेदन है कि कम से कम अब तो प्रश्न के भाग (क) से सम्बन्धित पत्र-व्यवहार सभा-पटल पर रख दिया जाये।

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : 19 फरवरी, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 47 के उत्तर में जो जानकारी दी गई थी वह सूचना और प्रसारण मंत्रालय मे उपलब्ध जानकारी के अनुसार बिल्कुल सही थी। उत्तर में यह अवश्य कहा गया था कि इस निर्णय पर तमिलनाडु सरकार को अपत्ति है जो इस बारे में विचार कर रही है।

तदानुसार जाँच करने पर यह पता चला कि स्वर्गीय मुख्य मंत्री ने 10 दिसम्बर, 1968 को प्रधान मंत्री को एक पत्र लिखा था तथा प्रधान मंत्री ने उन्हें 24 दिसम्बर, 1968 को उस पत्र का उत्तर दिया था। इन दोनों पत्रों की एक प्रति सभा – पटल पर रखी जाती है। **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ...]**

मुझे खेद है कि मैं उत्तर में पत्र-व्यवहार का उल्लेख नहीं कर सका क्योंकि वह मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुआ था। तथापि यह जानकारी न देने से उत्तर में कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ा। अतः सभा को गुमराह करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : It has generally been observed that there is no co-ordination between different Ministries. Hence a Ministry of Co-ordination should be set up.

श्री उमानाथ: मुझे पहले मंत्री महोदय के वक्तव्य की एक प्रति दी गई थी परन्तु अब उसमें कुछ शब्दों को हटा दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय: ऐसी बात नहीं है।

श्री उमानाथ: जब किसी मंत्री से प्रश्न पूछा जाता है तो उत्तर सरकार की ओर से दिया जाता है। जब प्रधान मंत्री को राज्य सरकार से पत्र प्राप्त हुआ था तो उसकी एक प्रति मंत्रालय को भेजना उनका कर्त्तव्य था ।

अध्यक्ष महोदय, शान्ति, शान्ति, श्री पें० वेंकटासुब्बया ।

प्राक्कलन समिति के लिये निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव

MOTION RE. ELECTION TO ESTIMATE COMMITTEE

श्री पें० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि इस सभा के सदस्य लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 311 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 1969 से आरम्भ होने वाली और 30 अप्रैल, 1970 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से तीस सदस्य चुने।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि इस सभा के सदस्य लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 311 के

उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 1969 से आरम्भ होने वाली और 30 अप्रैल, 1970 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से तीस सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

लोक लेखा समिति के लिये निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव

MOTION RE. ELECTION TO PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट): मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि इस सभा के सदस्य लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 309 के उपनियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 1969 से आरम्भ होने वाली और 30 अप्रैल, 1970 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से पन्द्रह सदस्य चुनें।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि इस सभा के सदस्य लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 309 के उपनियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 1969 से आरम्भ होने वाली और 30 अप्रैल, 1970 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से पन्द्रह सदस्य चूनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

श्री मी० रू० मसानी : मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि यह सभा राज्य सभा के सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 1969 से आरम्भ होने वाली और 30 अप्रैल, 1970 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की लोक लेखा समिति से सहयोजित करने के लिए राज्य सभा से सात सदस्य नामनिर्देशित करने के लिए सहमत हों और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्यों के नाम इस सभा को बतायें:"।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा राज सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 1969 से आरम्भ होने वाली और 30 अप्रैल, 1970 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की लोक लेखा

समिति से सहयोजित करने के लिए राज्य सभा से सात सदस्य नामनिर्देशित करने के लिए समहत हों और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्यों के नाम इस सभा को बतायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के लिये निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव

MOTION RE. ELECTION TO COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

श्री गु० सि० ढिल्लों (तरन तारन) : मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि इस सभा के सदस्य लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 312-ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 1969 से आरम्भ होने वाली और 30 अप्रैल, 1970 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दस सदस्य चुनें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि इस सभा के सदस्य लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 312-ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 1969 से आरम्भ होने वाली और 30 अप्रैल, 1970 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दस सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री गु० सि० ढिल्लों : मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 1969 से आरम्भ होने वाली और 30 अप्रैल, 1970 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति से सहयोजित करने के लिये राज्य सभा से पाँच सदस्य नाम-निर्देशित करने के लिए सहमत हों और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्देशित सदस्यों के नाम इस सभा को बतायें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 1969 से आरम्भ होने वाली और 30 अप्रैल, 1970 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति से सहयोजित करने के लिए राज्य सभा से पाँच सदस्य नाम-निर्देशित करने के लिए सहमत हों और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्देशित सदस्यों के नाम इस सभा को बतायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

सामान्य आय-व्ययक-अनुदानों की माँगें—जारी

GENERAL BUDGET—DEMANDS FOR GRANTS—CONTD.

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्रालय—जारी

अध्यक्ष महोदय: अब श्री इन्द्रजीत गुप्त, कृपालानी जी तथा श्री भोलानाथ के भाषण होंगे।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। सभा में गम्भीर आरोप लगाया गया है कि श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने दूसरा विवाह कर लिया है।

अध्यक्ष महोदय: क्या हम सभा का काम रोक कर इस बात का पता लगायेंगे कि किसने किससे विवाह किया है ?

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

श्री० जी० भा० कृपालानी: (गुना): यह कहा गया है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र दोनों कार्य कर रहे हैं और इन दोनों क्षेत्रों में विकेन्द्रीकृत उद्योग हैं जिन्हें हम स्वतन्त्रता से पहले 'घरेलू तथा ग्रामोद्योग' कहते थे। सरकार ने इन विभिन्न प्रकार के उद्योगों को कभी पृथक नहीं किया तथा उन्हें अपने ही तरीके से विकसित होने का अवसर नहीं दिया। हमें सबसे पहले इन तीनों क्षेत्रों को पृथक-पृथक करना चाहिये।

स्वतन्त्रता से पहले हमने निर्णय किया था कि खादी उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये तथा इस बात का प्रण लिया गया था कि प्रत्येक काँग्रेसी खादी पहनेगा। अब मंत्री तक उस प्रण का पालन नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त शराब न पीने का भी प्रण लिया गया था परन्तु अब कहा जाता है कि उच्च पदों पर वो व्यक्ति भी शराब पीते हैं। ग्रामीणों से पूरे समय के लिये तथा कुछ समय के लिये काम दिलाने के लिये खादी उद्योग शुरू किया गया था। यदि कांग्रेसी इस उद्योग को प्रोत्साहन नहीं करना चाहते तो उन्हें खादी पहनने का प्रण समाप्त कर देना चाहिए। खादी बनाने वाली एक संस्था का मैं निदेशक हूँ। उस संस्था को इस वर्ष 5 लाख रुपए की हानि होगी। यह कहा जाता है कि खादी उद्योग की सरकार से सहायता मिलती है। मैं सहायता नहीं चाहता बल्कि खादी के लिए ग्राहक चाहता हूँ। पहले रेलवे मंत्रालय खादी का कपड़ा लेता था परन्तु अब उसने ऐसा करना बन्द कर दिया है। अन्य सरकारी कार्यालय भी खादी नहीं खरीद रहे हैं। जिन उद्योगों का प्रबन्ध ठीक तरह से नहीं हो सकता, सरकार उन्हें अपने हाथ में ले लेती है। क्या सरकार खादी उद्योग को भी, जिसमें 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष के सौदे होते हैं तथा जिसमें 5,000 संयोजक तथा 25,000 शिल्पी लगे हुए हैं, अपने हाथ में लेने के लिये तैयार है? यदि वह ऐसा नहीं कर सकती, तो उसे सभी काँग्रेसियों से आग्रह करना चाहिये कि वे खादी पहनें तथा सभी विभागों को भी हिदायत दें कि अपनी कपड़े की समूची माँग खादी से पूरी करें। हम सरकार से कोई और सुविधा नहीं चाहते। केवल यही चाहते हैं कि सरकार कपड़े की अपनी समूची माँग हमसे पूरी करे।

सरकार कह सकती है कि खादी प्रमाणीकृत नहीं है परन्तु आज यह कहना भी ठीक नहीं है। हमने खादी उद्योग में अम्बर चर्खा शुरू किया है और उसका सूत मिलों के सूत जितना ही अच्छा है। यह तर्क दिया जा सकता है कि मिल के कपड़े की तुलना में खादी का मूल्य अधिक है, यदि

रेलवे बिना टिकट यात्रा को रोक ले तो खादी पर होने वाले व्यय से दस गुना राशि बचाई जा सकती है।

गाँधी जी कहा करते थे 'खादी में ही स्वराज्य है।' शायद हम यह समझते हैं कि स्वराज्य की प्राप्ति के बाद खादी आवश्यक नहीं है। ऐसा विचार ठीक नहीं है।

डा० राम सुभग सिंह: हम रेलवे में खादी की माँग कम नहीं कर रहे हैं।

श्री जी० भा० कृपालानी: रेलवे में इसकी माँग पहले ही कम की जा चुकी है। अन्य विभागों ने भी खादी की खरीद बन्द कर दी है। जब कांग्रेसियों ने खादी पहनने का प्रण लिया हुआ है तो उन्हें खादी न पहनने पर भी मंत्री क्यों बनाया जाता है। इससे अच्छा यह है कि वे स्पष्ट कह दें कि हम यह बातें नहीं कर सकते। तब वे मद्यनिषेध तथा विकेन्द्रीकृत उद्योग समाप्त कर सकते हैं। सरकार को खादी उद्योग को अपने हाथ में ले लेना चाहिये।

इसके पश्चात लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई।
The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजे पुनः समवेत हुई।
The Lok Sabha reassembled after Lunch at Fourteen of the Clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद): मेरा यह विचार था कि मेरे मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की माँगों पर चर्चा मध्यान् भोजन के पश्चात् भी जारी रहेगी। इसी कारण में सवेरे सभा में उपस्थित नहीं था। मुझे बताया गया है कि कुछ सदस्यों ने 21 वर्ष की एक लड़की से मेरे विवाह के बारे में समाचारपत्र में प्रकाशित एक समाचार का उल्लेख किया है। मुझे हैरानी है कि उस समाचारपत्र को 24 अथवा 25 वर्ष बाद इसका पता लगा है। तब मैंने 21 वर्ष की एक लड़की से विवाह किया था। मेरा विवाहित जीवन बहुत सुखी है और अब यदि मुझे ऐसा कोई प्रस्ताव मिले भी तो मैं उससे आकर्षित नहीं हूँगा।

बहुत विचित्र बात है कि इस संसार के कुछ जिम्मेवार सदस्यों ने मुझसे तथ्यों के बारे में पूछे बिना ऐसा उल्लेख किया। मुझे इस बात की भी हैरानी है कि जिस समाचारपत्र में यह बात छपी है, उसे इस संसद् का एक महत्वपूर्ण दल चला रहा है। इस प्रकार चरित्र-हनन शिष्टता की सीमा को पार कर गया है। इस सदन को इस बात की निन्दा करनी चाहिये। इस सभा में ऐसी बातों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ सदस्य तथ्यों का पता लगाये बिना और अध्यक्षपीठ की अनुमति के बिना कुछ बातें कह जाते हैं। यदि सदस्य ऐसी बातों में उलझ जायेंगे तो इस सभा की गरिमा पर आघात पहुँचेगा।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक): यह बहुत ही अपमानजनक है।

संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया): यह बहुत गम्भीर मामला है।

श्री पीलुमोडी (गोधरा) : यह मामला बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सदस्यों का तथा अन्य लोगों का जीवन इस सभा में चर्चा का विषय नहीं है।

Shri Randhir Singh : Whatever has happened in the morning is not only shameful and condemnable but if such thing is reported again, it will have a bad effect on the dignity of the nation. This matter should be referred to the Committee of Privileges and action should be taken against persons who have raised it.

श्री स० मो० बनर्जी: ऐसे समाचारपत्रों के विरुद्ध, जो अपमानजनक लेख लिखते हैं, गम्भीर कार्यवाही की जानी चाहिये तथा उस पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिये। यह सदन की सदस्यता का अपमान है।

Shri Chanderjit Yadav (Azamgarh) : It is unfortunate that this House has been used as a forum for such an irresponsible accusation. However, I am not in favour of matter being referred to the Committee of Privileges. The Minister has explained that it is a baseless accusation and the whole House accepts the explanation given by him. The Member who has raised the matter should be asked to express regret. It should be brought on record that the House condemns such an accusation.

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : जिस व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगाया गया है, उसे सम्बन्धित समाचारपत्र के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिये ।

जैसा कि आपने कहा है, आरोप लगाने से पहले उन्हें सम्बन्धित सदस्य से बातचीत करनी चाहिये थी। मैं पूछना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य के बारे में जो बातें रिकार्ड पर आ चुकी हैं, उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं? जिस सदस्य ने पहले यह मामला उठाया है, उसे अपना आरोप वापस लेना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : अब इन बात का खण्डन भी हो चुका है तथा विभिन्न सदस्यों ने इस पर रोष प्रकट किया है तथा निन्दा की है। यह सब रिकार्ड पर आ चुका है । मैं समझता हूँ कि अब हमें मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहिये।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : The person who has levelled such an accusation against Shri Fakhruddin Ali Ahmad as well as the newspaper which published it should be severely punished. The Member who has raised this matter, should express regret in the House.

श्री रघुरामैया : यह अच्छी बात है कि सदन के सभी वर्गों ने मामले की गम्भीरता को स्वीकार किया है। इस मामले में कम से कम बिना शर्त क्षमा याचना की जानी चाहिये। मैं चाहता हूँ कि आप सभा के सभी गुटों के नेताओं की एक बैठक बुलायें और देख कि भविष्य में ऐसी घटनायें न हों तथा इस प्रकार के लेख लिखने वालों के विरुद्ध कार्यवाही का निर्णय किया जाये।

Shri Prakash Vir Shastri (Harpur) : It has given me a great shock to know that responsible persons in this responsible House read such baseless accusations is this House. I have no objection if the matter against the newspaper that levelled such an accusation is brought before Privileges Committee so that they do not paint black any person in public life. We should all condemn the Member who has hurled this accusation. He should personally express regrets in the House.

श्री एम० एम० कृष्ण (मंडया) : जिस भी सदस्य ने यह मामला उठाया है, उसे पहले अध्यक्ष महोदय से बात करनी चाहिये थी । जहाँ तक समाचारपत्र का सम्बन्ध है, मंत्री महोदय उसके विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा चला सकते हैं । जैसा कि संसद्-कार्य मंत्री ने सुझाव दिया है, इस मामले में विभिन्न गुटों के नेताओं की बैठक बुलाई जा सकती है ।

Shri Balraj Madhok (South Delhi): I am sorry that this matter was raised by a member of my party. The publication of such a thing is bad. On behalf of the member of my party I apologize.

'Organiser' is not the official organ of Jana Sangh. It is, therefore, not proper to link Jana Sangh with anything that has been published in 'organiser'.

Shri Rabi Ray : The matter was first raised by a member of Jana Sangh and then by Shri Madhu Limaye. On his behalf I beg apologies for the same.

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि हमें अब इस पर चर्चा समाप्त कर देनी चाहिये। इस सम्बन्ध में रखे गए सभी सुझाव मैं अध्यक्ष महोदय को भेज दूँगा ।

श्री एम० आर० दामानी (शोलापुर) : श्री पाटोदिया ने इस मंत्रालय को रुकावटें डालने वाला मंत्रालय बताया है। मैं समझ नहीं सका कि वह ऐसा किस आधार पर कह रहे हैं। उपभोक्ता वस्तुओं के मामले में हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं। पूंजी वस्तुओं के क्षेत्र में हम कपड़ा, पटसन, चीनी, कागज तथा अन्य उद्योगों के लिये हम सभी संयंत्रों का निर्माण कर रहे हैं। इसे देखते हुए इस मंत्रालय को रुकावटें डालने वाला मंत्रालय नहीं कहा जा सकता।

हम अब भारी मात्रा में पूंजी वस्तुओं का आयात कर रहे हैं। मेरा सुझाव यह कि पूंजी-वस्तुओं का आयात करने के बजाय हम संयंत्र तथा मशीनरी के निर्माण के लिए कच्चे माल का आयात कर सकते हैं। इससे काफी विदेशी मुद्रा की बचत होगी और पूंजी-वस्तु उद्योग की बेकार क्षमता का उपयोग करने का अवसर भी मिलेगा।

उर्वरक संयंत्र के लिए डिजाइन तैयार करने को पूरा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये ताकि हम उर्वरक का आयात बन्द कर सकें, उर्वरक के उत्पादन में आत्मनिर्भर हों सकें तथा इंजीनियरी उद्योग को पर्याप्त काम मिल सके। हम अलोह धातुओं का भी भारी मात्रा में आयात कर रहे हैं। अतः मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूँगा कि अधिक खानों की खोज करने तथा धातुओं को शुद्ध करने के प्रश्न को अधिक महत्व दें ताकि हम विदेशी मुद्रा की बचत कर सकें। अधिक उर्वरक कारखानों की स्थापना द्वारा उर्वरक का उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिये।

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूँ कि अखबारी कागज का कारखाना स्थापित करने के प्रश्न पर ध्यान दें। केवल 20 प्रतिशत छोटे नगरों में ही औद्योगिक बस्तियाँ बनाई गई हैं। कारण लघु उद्योग सफल नहीं हो सके हैं। मेरा सुझाव है कि बड़े पैमाने के उद्योगों की तुलना में छोटे पैमाने के उद्योगों से कम उत्पादन-शुल्क लिया जाना चाहिये। छोटे पैमाने के उद्योगों द्वारा बनाई गई मशीनरी तथा संयंत्रों पर घिसाई तथा विकास की अधिक छूट दी जानी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं माँगों का समर्थन करता हूँ ।

Shri Bholanath Master (Alwar) : This department has not been able to provide employment to as my persons as it should have done so far. According to a news item in 'Hindustan Times' there is a sense ef insecurity amongst workers, in Durgapur. In the absence in understanding, whether it is in private sector or public sector, can prosper.

It appears from the statement available with me that except for heavy engineering industries, public sector is prospering. However, there should be coordination in Public sector and private sector.

Telephone industry should be set up in Rajasthan. There should be coordination between different departments. Immediate steps should be taken to manufacture tractors and tyres and tubes for the tractor; You can increase agricultural production only with the help of tractors.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair.]

We should support the use of Khadi and give incontives to Khadi industry.

There is a German saying that a hundred tractors are worth one thousand tanks. I, therefore, request that more tractors should be manufactured so that our slogan of 'Jai Jawan Jai Kisan' proves true.

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य का काम एक ही मंत्रालय के क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आ सकता। योजना आयोग, औद्योगिक विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय, विभिन्न सरकारी तथा अर्द्ध सरकारी वित्तीय संस्थायें तथा रिज़र्व बैंक ऑफ इन्डिया सभी औद्योगिक विकास तथा सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों के अनुसार समवाय-कार्य का काम उचित रूप से करने के लिए उत्तरदायी हैं। परन्तु इन विचित्र अभिकरणों में तालमेल बिल्कुल नहीं है। वे सभी पृथक-पृथक साम्राज्य बन गए हैं तथा अपनी अपनी योजनाओं के अनुसार कार्य कर रहे हैं।

कुछ दिन पूर्व बिड़ला सार्थों के बारे में श्री चन्द्रशेखर द्वारा लगाये गए आरोपों सम्बन्धी एक विवरण माननीय मंत्री ने सभा-पटल पर रखा था। उसमें बताया गया है कि 86 आरोपों में से केवल 8 उनके मंत्रालय के क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं और शेष विभिन्न मत्रालयों में बाँटे गए हैं। मैं कहूँगा कि सरकार के काम का यह तरीका ठीक नहीं है। हमारे लिए यह समझना कठिन है कि कौन-सा क्षेत्र किसका है? सरकार एक ऐसा रास्ता अपना रही है जो औद्योगिक-नीति संकल्प तथा योजना के उद्देश्यों का उल्लंघन है।

मैं यह जानना चाहता हूँ कि यदि समवाय-कार्य विभाग अथवा समवाय विधि प्रशासन के ध्यान में यह बात लाई जाये कि कोई समवाय जिनकी पूंजी लगभग 50,000 रुपए है, प्रतिवर्ष 3 अथवा 4 करोड़ रुपए आय दिखा रही है, तो क्या ऐसा संदेहास्पद नहीं होगा। बम्बई इंडस्ट्रियल एण्ड कैमीक्ल्स कम्पनी एक ऐसी ही कम्पनी है जिसे महाराष्ट्र में बिड़ला सार्थों ने अपना सोल सैलिंग एजेन्ट बनाया है और जिसमें उप-प्रधान मंत्री के सम्बन्धियों के 75 प्रतिशत शेयर हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि इसकी जाँच कौन करेगा वित्त मंत्रालय अथवा समवाय विधि प्रशासन?

कलकत्ता की इण्डिया लिनोलियमज का लिनोलियम के क्षेत्र में देश में एकाधिकार है। 1962 में इस समवाय ने अपने मूल्य 250 प्रतिशत बढ़ा दिए हैं। औद्योगिक विकास विनियमन

अधिनियम में एक अनुच्छेद के अन्तर्गत मंत्रालय को इसकी जाँच कराने का अधिकार है। मैं जानना चाहता हूँ कि यह जाँच क्यों नहीं कराई गई ?

हिन्दुस्तान मोटर्स ने दोहरे शेयर जारी किए हैं । ऐसे मामलों में करोड़ों रुपयों का घोटाला होता है। दोहरे शेयरों के बारे में शिकायतें मंत्रालय को 1956 में मिल गई थीं। मैं पूछना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में क्यों कार्यवाही नहीं की गई है।

एक बिड़ला सार्थ जीवाजीराव काटन मिल्स ने 5 लाख रुपए के इक्विटी शेयर वाले एक समवाय इन्वैस्टमैंट लिमिटेड ग्वालियर के 2 करोड़ रुपए के प्राथमिकता शेयर केवल $\frac{1}{4}$ प्रतिशत ब्याज की दर पर खरीदे। इसका स्पष्ट कारण यह था कि जीवजीराव काटन मिल्स अपने लाभ का कुछ अंश इस समवाय में डालना चाहती थी। सरकार ने कहा है कि कैपीटल इशुज़ (कंट्रोल) एक्ट, जिसके अन्तर्गत कार्यवाही की जानी थी, ग्वालियर में लागू नहीं है परन्तु यह अधिनियम तो वहाँ 1950 में लागू कर दिया गया था। मैं पूछना चाहता हूँ कि पहले कार्यवाही न किए जाने का क्या कारण है ?

इंडियन ऐल्यूमीनियम कम्पनी अपने भागीदारों के लिए अमरीका से 3 करोड़ रुपए का गैर-सरकारी विदेशी विनियोजन चाहती है। इस कम्पनी के अध्यक्ष रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया के सेवा-निवृत्त गवर्नर श्री एच० वी० आर० आयंगर थे। उन्होंने इस सम्बन्ध में एक पत्र लिखा था। श्री मोरारजी देसाई ने बिना जाँच के इसको अनुमति दे दी थी । इसकी अनुमति विनियोजन समिति और वित्त मंत्रालय ने भी दे दी थी। बाद में विनियोजन समिति ने अपनी सिफारिश वापिस ले ली और यह कहा "कि यह विशेष विनियोजन आवश्यक नहीं है ।"

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : वह बिडला की कम्पनी नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर): हमें यह पता होना चाहिये कि ऐसा कैसे हुआ?

ये वित्तीय संस्थाएँ उद्योगों को सहायता देने के लिये स्थापित की गई हैं। माननीय मत्री के अनुसार गैर-सरकारी क्षेत्र में स्वीकृत 130 करोड़ धनराशि के स्थान पर 363.9 करोड़ रुपयों की धनराशि को सहायता के रूप में वितरित किया गया। इन वित्तीय संस्थाओं को धनराशि को बढ़ाने का अधिकार है।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद: यह सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण के रूप में 130 करोड़ रुपए का वितरण का मामला नहीं हैं लेकिन शेयरों और डिबेंचरों को निमांकन के लिये 200 करोड़ रुपए की भी व्यवस्था थी। एक कम्पनी और है, वह बिड़ला ग्रुप समूह का नहीं है। उस कम्पनी का नाम तलेफुंकेन है। इस कम्पनी को जर्मनी के सहयोग से 40,000 रेडियो रिसीवर बनाने के लिए सरकार ने 1966 में लाइसेंस दिए थे। कम्पनी के नियंत्रण और प्रबन्ध को विदेशी सहयोगियों को कैसे देने की अनुमति दी गई जबकि उनके साम्य शेयरों की संख्या कम्पनी में कम है ? कम्पनी को अपनी उत्पादित क्षमता बढ़ाने के लिये 40,000 रेडियो रिसीवर बनाने के स्थान पर 1,20,000 रेडियो रिसीवर बनाने की अनुमति दी गई थी । मैं यह जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ ?

क्या यह सच नहीं है कि 1960 और 1962 में एक रिपोर्ट तैयार की गई थी जिसके अनुसार हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड न केवल टेलीफोन तारों का निर्माण करेगी बल्कि पावर तारों का भी निर्माण करेगी, जिनकी देश में बहुत माँग है। जापान के साथ इस बारे में सहयोग करने के बाद इस परियोजना को समाप्त करने के क्या कारण हैं?

मंत्री महोदय इस समय विचाराधीन तीन विधेयकों—एकाधिकार सीमित सम्बन्धी विधेयक, कम्पनी दान विधेयक, पेटेन्ट विधेयक। इन विधेयकों पर सरकार को विचार करना चाहिये। इन विधेयकों के बारे में क्या कार्यवाही की गई है? क्या इन विधेयकों को इस अधिवेशन में प्रस्तुत किया जायगा? इस बारे में विलम्ब करने का अभिप्राय यह होगा कि एकाधिपतियों की संख्या दिन प्रतिदिन मजबूत होती जायेगी। बिड़ला सार्थ समूह की अस्तियाँ वर्ष 1963-64 में 293.2 करोड़ थीं जो वर्ष 1967-68 में बढ़ कर 508.9 करोड़ रुपए हो गई थीं। टाटा सार्थ समूह की अस्तियाँ 418.81 करोड़ से 550.6 करोड़ रुपए हो गई हैं। मफतलाल सार्थ समूह की अस्तियाँ 45.9 करोड़ रुपए थीं जो बढ़ कर 126.7 करोड़ रुपए हो गई है। जहाँ तक कम्पनी सम्बन्धी दान विधेयक का सम्बन्ध है, इस विधेयक का बहुत विरोध किया जा रहा है। इससे प्रतीत होता है कि इस विधेयक को प्रस्तुत नहीं किया जायेगा। इन गैर-सरकारी क्षेत्र कम्पनियों में कम से कम 25 प्रतिशत शेयर प्रत्यक्ष रूप से सरकार के हैं या जीवन बीमा निगम या अन्य वित्तीय संस्थाओं के हैं। गैर-सरकारी भागीदारों के पास बाकी शेयर हैं। वे कुछ राजनीतिक दलों को दान दे रहे हैं, विशेषकर कांग्रेस दल और स्वतन्त्र दल को। अतः इन वित्तीय संस्थाओं और भागीदारों को उनकी अपनी गलती के बिना हानि हो रही है। पेटन्ट विधेयक का क्या हुआ? पिछली बार जब पिछले विधेयक पर चर्चा की गई थी तो शक्तिशाली विदेशी एकाधिपतियों विशेषकर मेषडा और औषधी उद्योग ने इसका तीव्र विरोध किया था।

अमरीका की पाँच मेषडा और औषधी बेचने वाली कम्पनियों ने 8 पैसे के कैपसूल के 2.55 रुपए प्रति कैपसूल के हिसाब से मूल्य लिया था। जब तक इस विधेयक को प्रस्तुत नहीं किया जायेगा इसी प्रकार की बातें जारी रहेंगी।

वार्षिक रिपोर्ट में मन्दी में कमी होने का उल्लेख किया गया है। लेकिन उद्योग क्षेत्र जो सरकार की खर्चे की नीति और क्रयादेश पर आधारित है, को अभी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने मन्दी को अन्य क्षेत्रों में फैला दिया है।

रेलवे मंत्री और माल डिब्बे निर्माताओं की बातचीत का कोई परिणाम नहीं निकला है—सरकार के लिए उद्योग विकास करना तब तक सम्भव नहीं होगा जब तक सरकार और उद्योगों में समन्वय नहीं होगा।

देश के समस्त उद्योगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बोकारो परियोजना के लिए आवश्यक भारी ढाँचे की सप्लाई करने के लिए सस्ते टेंडरों के आधार पर आदेश दिए गए थे। इसका विरोध किया गया था और कहा गया था कि टेंडर देने वाले इसको पूरा करने में समर्थ नहीं होंगे। उनके पास प्लान्ट, उपकरण या मशीनें नहीं हैं और वे संगठित उद्योगों से उप-ठेके की बातचीत कर रहे हैं ताकि वह सरकार को माल सप्लाई कर सकें।

बोकारो परियोजना के मन्द विकास के लिये न केवल हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन की असफलता बल्कि सस्ते टेंडर देने वाले भी उत्तरदायी हैं। अतः मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूँगा कि वे इसकी जाँच करें।

वैस्टिंग हाउस सैकसले फार्मर के मालिकों ने कहा है कि इस मास की 15 तारीख से वह अपना कारखाना बन्द कर देंगे क्योंकि उन्हें भारत सरकार से रेलवे उपकरणों के क्रयादेश नहीं मिल रहे हैं। सरकार इस संकट को रोकने के लिए कोई कार्यवाही क्यों नहीं करती? देश में ढलवा लोहे से पाइप बनाने वाले आठ कारखाने हैं। उनमें से 6 कारखाने बेकार पड़े हैं। इन पाइपों की पानी की सप्लाई करने के लिये आवश्यकता होती है। योजना के अन्तर्गत भारत सरकार की पानी सप्लाई की योजनाओ में भारी कमी की गई है जिसके परिणामस्वरूप उनकी अब माँग नहीं रही है और 6 प्लान्ट अब बेकार पड़े हैं। कारखानों के बन्द होने के कारण कर्मचारियों के बेकार होने का भय है।

इंडियन इलैक्ट्रिक वर्क्स को भी बन्द करने और परिसमापन करने की अनुमति दी गई थी। इस कारखाने में 1,800 कर्मचारी काम करते थे। एक ओर तो हमें बताया जाता है कि मन्दी की स्थिति समाप्त हो गई है और दूसरी ओर इन कारखानों को बन्द किया जाता है उन कर्मचारियों को उनकी भविष्यनिधि से भी वंचित रखा गया है। क्या उद्योगों का विकास कर्मचारियों और जनता को हानि पहुँचा कर किया जायेगा?

जी० ई० सी० और ए० ई० आई० के विलय से देश का कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि ये विदेशी कम्पनियाँ हैं लेकिन उन्हें अपने लाभ को देश से बाहर ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

इन सब बातों के बावजूद भी सरकार और संस्थाएँ एकाधिकार प्राप्त कम्पनियों, विशेषकर बिड़ला सार्थ समूह की मददगार रहीं हैं। यदि देश में इस प्रकार की प्रवृत्ति चलती रही तो देश में उद्योगों का विकास न होकर इन एकाधिकारों का विकास होगा और वह भी सामान्य जनता को कठिनाई देकर।

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): आर्थिक विकास के लिए उद्योगों का विकास अनिवार्य है। अतः इस विषय में सरकार की नीति और इस बारे में सरकार द्वारा उद्योगों के विकास के लिए की गई कार्यवाही पर चर्चा से सहायता मिलेगी।

एक ओर कुछ सदस्यों ने एकाधिकार का विरोध किया है और दूसरी ओर सदस्यों ने यह अनुरोध किया है कि जब तक एकाधिपतियों को पूरी सुविधाएँ और संरक्षण नहीं दिया जायेगा, उद्योगों का विकास नहीं हो सकता।

सरकार की हमेशा स्पष्ट और राष्ट्र के हित में नीति रही है। इस मंत्रालय की जिम्मेवारी उद्योगों का विकास करने की है लेकिन ऐसा मुख्य उद्देश्यों को ध्यान में रख कर किया जा सकता है। गत वर्ष पिछले दो वर्षों की तुलना में लगभग 6.4 प्रतिशत विस्तार और विकास हुआ है। गत वर्ष उद्योगों तथा सरकार द्वारा विकास के सम्बन्ध में किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप उद्योगों ने बहुत प्रगति की है। हम अपनी नीति और कार्यक्रम को क्रियान्वित करते

रहेंगे और हमें इस बात में सन्देह नहीं कि आगामी वर्ष इनके विस्तार और विकास में और वृद्धि होगी।

रासायनिक क्षेत्र में उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है। उपभोक्ता प्रधान उद्योगों के उत्पादन में भी मांग के साथ-साथ उत्पादन में भी वृद्धि हुई है।

बिजली के तार उद्योग की बेकार पड़ी क्षमता को संचार सम्बन्धी तारों का निर्माण करने में प्रयोग किया जायेगा। देश में तार निर्माण करने वाले कारखानों का दौरा करने और संचार सम्बन्धी तारों का गैर-सरकारी क्षेत्र में और राज्य सरकार के कोचीन कारखाने में निर्माण करने की सम्भावनाओं के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये एक तकनीकी समिति का गठन किया गया है। जैसे ही तकनीकी समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होगा सरकार इस बारे में उचित निर्णय लेगी। विभिन्न औद्योगिक एककों की निर्माण क्षमता में न केवल वृद्धि हुई है बल्कि उनके क्रयादेश की स्थिति में भी सुधार हुआ है। इंजीनियरिंग माल का निर्यात, जो गतवर्ष लगभग 85 करोड़ रुपया था, अब दुगना हो गया है।

औद्योगिक उत्पादन के प्रसार के साथ-साथ बाजार में नए उत्पादों की बिक्री के लिये रखा गया था जिसमें विशेष प्रकार के मशीन के पुर्जे, नई औषधियाँ आदि शमिल हैं।

मशीन के पुर्जों के निर्यात में बहुत वृद्धि हुई है। औद्योगिक उत्पादन और औद्योगिक मूल्य में वृद्धि के साथ पूंजी-बाजार में भी बहुत सुधार हुआ है। न केवल निर्यात में ही वृद्धि हुई है बल्कि यदि हम गत दो वर्षों के आँकड़ों की ओर ध्यान दें तो विदित होगा कि इस अवधि में जमा धनराशि में भारी वृद्धि हुई है। वर्ष 1966 में जमा पूंजी 2,600 करोड़ रुपए थे जो वर्ष 1968 के अन्त में बढ़ कर 4200 करोड़ रुपए हो गई थी।

सरकार पर विकास के लिए उद्योगों को सुविधाएँ न देने का आरोप लगाया गया है। इस बारे में मैं यह कहूँगा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में यह व्यवस्था की गई थी कि सरकार द्वारा चलाई जा रही वित्तीय संस्थाओं में से लगभग 130 करोड़ रुपया और गैर-सरकारी क्षेत्रों को ऋण के रूप में दिया जायेगा।

सरकार द्वारा वित्तीय संस्थाओं द्वारा 600 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई और वास्तव में 400 करोड़ रुपए वितरित किया गया।

श्री सेझियान: तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये 130 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए थे जबकि लक्ष्य इसमें कहीं अधिक था। ऐसा क्यों किया गया?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद: जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सरकार गैर-सरकारी क्षेत्र को सहायता देने में कभी भी बाधक नहीं बनी है। देश में औद्योगिक विकास के लिए सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र को न केवल वित्तीय संस्थाओं द्वारा सहायता दी है बल्कि लाइसेंस विनियंत्रण आदि द्वारा भी सहायता की गई है।

हमने सीमेन्ट और कागज उद्योग का विनियंत्रण और लाइसेंस समाप्त किया है।

इन दोनों उद्योगों के लिए आवश्यक अधिकांश पुर्जे देश में उपलब्ध हैं। इन उद्योगों

के विकास में सरकार बाधक नहीं है। कागज उद्योग ने इस बात का आश्वासन दिया था कि वह विनियंत्रण के बाद कागज का मूल्य नहीं बढ़ायेगा। विनियंत्रण के तुरन्त बाद कागज उद्योग ने कागज के मूल्य में वृद्धि कर दी। अब यह उद्योग फिर से मूल्य बढ़ाने की धमकी दे रहा है। यदि गैर-सरकारी उद्योग का यही रवैया है तो क्या सरकार उस उद्योग पर फिर से नियंत्रण करने में न्यायोचित नहीं है ?

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया: विनियंत्रण का आशय यह था कि विनियंत्रित मूल्य बाजार मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जायेगा और मनमाने ढंग से नहीं। जहाँ तक सीमेन्ट उद्योग का सम्बन्ध है वर्तमान प्लान्ट माँग को पूरा करने में समर्थ है और नए प्लान्टों के लिये कोई औचित्य नहीं है।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद: दुर्भाग्य से उपभोक्ताओं को सप्लाई करने वालों द्वारा सप्लाई को रोकने और फिर मूल्यों में वृद्धि के कारण कठिनाई उठानी पड़ी। सरकार लाइसेंस और नियंत्रण के लिए उत्सुक नहीं है । यदि गैर-सरकारी क्षेत्र ठीक प्रकार से काम नहीं करेगा तो सरकार को विभिन्न प्रकार के कदम उठाने होंगे ताकि उपभोक्ता को उचित मूल्य पर वस्तुएँ मिल सकें ।

चौथी योजना के प्रारूप में, जिसे क्रियान्वित नहीं किया गया है कुल व्यय की 63 प्रतिशत राशि के विनियोजन की व्यवस्था की गई है। मुझे आशा है कि जब नई योजना आयेगी तो योजना आयोग इस प्रतिशतता से कम विनियोजन नहीं करेगा ।

अभी तक हम सरकारी क्षेत्र के बुनियादी उद्योगों में, जो पूंजीगत वस्तुओं का निर्माण करते हैं, विनियोजन करते आ रहे हैं। यदि पूंजीगत वस्तुओं का निर्माण करने के लिये उद्योगों की स्थापना के लिए कोई गैर-सराकारी उपक्रम भी इतनी अधिक धनराशि के विनियोजन की जोखिम उठाते तो उन्हें सरकार द्वारा संचालित वित्तीय संस्थाओं पर ही अधिकांशतया निर्भर रहना पड़ता।

हमने सरकारी क्षेत्र में सीमेन्ट का निर्माण प्रारम्भ कर दिया है। हम सरकारी क्षेत्र में अखबारी कागज का निर्माण आरम्भ करने के बारे में विचार कर रहे हैं क्योंकि गैर-सरकारी उपक्रमों ने देश में अखबारी कागज की बढ़ती हुई माँग को पूरा करने के लिये अभी तक पर्याप्त रुचि नहीं ली है। हम सरकारी क्षेत्र में पूंजी लगा रहे हैं और गैर-सरकारी क्षेत्र को भी इसके लिये प्रोत्साहित कर रहे हैं ताकि हम इन वस्तुओं के आयात पर निर्भर न रहें।

Shri Shiv Chandra Jha : Is it not a fact that you have even entrusted Group A to private enterprise, which should be under the exclusive control of the State, and you have given a more liberal hand to Group B in which State ownership should be encouraged ? Does it not mean that you are scrapping the Industrial Policy Re. solution of 1956 by violating it ?

Shri F. A. Ahmad : We have been acting according to that resolution.

Shri Shiv Chandra Jha : May I know whether you have provided any encouragement to Private enterprises in Group A ?

अध्यक्ष महोदय, शान्ति, शान्ति।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद: मैं श्री पाटोदिया की इस बात से सहमत नहीं हूँ कि सरकारी उपक्रमों में किया गया विनियोजन बेकार साबित हुआ है, उससे कोई लाभ नहीं हुआ है। यदि इन सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए धन की व्यवस्था की जाती है, तो ये उद्योग सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत क्यों न स्थापित किए जाँय? श्री पाटोदिया का यह तर्क मेरी समझ में नहीं आता।

दूसरी बात मैं यह बताना चाहूँगा कि जहाँ तक इन उपक्रमों का सम्बन्ध है वे बिल्कुल एक भिन्न वर्ग के हैं। यह ठीक है कि उपभोक्ता उद्योगों का प्रबन्ध करना आसान है और इन उद्योगों से आय भी शीघ्र होती है परन्तु पूंजीगत वस्तुओं का निर्माण करने वाले उद्योगों से आमदनी जरा देर से प्राप्त होती है और जिनमें भारी विनियोजन और प्रबन्ध में उच्च कोटि के अनुभव की आवश्यकता है। इन्हीं कारणों से इनमें से कुछ उद्योगों को मुनाफा नहीं हुआ है। हमारा तिरुचिरापल्ली में एक बायलर प्लांट है। ऐसी आशा थी कि इस एकक से तीन वर्ष के बाद आय होनी प्रारम्भ हो जायेगी। परन्तु इसके चालू होने के दूसरे वर्ष से ही इसमें आय होनी शुरू हो गई है। देश में स्थापित किए गए अनेक कारखानों के पास उनकी पूरी क्षमता के लिये काम नहीं है। हम प्रति वर्ष 4.5 मिलियन किलोवाट के विद्युत्-जनन संयंत्र स्थापित करने के लिये बिजली के उपकरणों की व्यवस्था करने में समर्थ हैं। परन्तु हमें इन उपकरणों का निर्माण करने के लिए आदेश प्राप्त नहीं हैं।

जब हमने इन संयंत्रों की स्थापना की थी, उस समय हमें यह मालूम नहीं था कि हमें अपने दो पड़ोसियों के आक्रमण का मुकाबला करना पड़ेगा और हमारे देश में दो बार गम्भीर सूखे की स्थिति पैदा होगी। जहाँ तक इन संयंत्रों की बेकार क्षमता का उपयोग करने का सम्बन्ध है, विविधीकरण के अलावा हम केवल देश के अन्दर ही नहीं अपितु देश से बाहर भी बाजारों की खोज कर रहे हैं और इस प्रयत्न का परिणाम भी निकला है। मुझे विश्वास है कि पाँच अथवा दस वर्ष के बाद इन संयंत्रों में लगी हमारी पूंजी से मुनाफा मिलने लगेगा और हमें इन वस्तुओं के आयात पर निर्भर नहीं करना पड़ेगा।

इन संयंत्रों पर जो विनियोजन किया गया है, उससे उन वस्तुओं का उत्पादन देश में ही प्रारम्भ हो गया है जिनका आयात किया जाता था। इस बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये। हम पूंजीगत वस्तुओं का, जिनकी विद्युत्-जनन, इस्पात कारखानों की स्थापना, कोयला खनन मशीनों और अन्य मदों के लिए आश्वयकता है, देश में ही निर्माण कर सकते हैं। यह बहुत बड़ी सफलता है।

यात्री कार के मूल्यों के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि यह प्रश्न इतनी बार सभा के सामने आया है कि मैं इस बारे में सरकारी नीति के ब्यौरे में जाना आवश्यक नहीं समझता।

स्थिति यह है कि मोटरगाड़ी उद्योग सम्बन्धी प्रशुल्क आयोग के 1956 के प्रतिवेदन पर जनवरी, 1957 में सरकार द्वारा पारित संकल्प में मोटरगाड़ी निर्माताओं को समय-समय पर अपने मूल्यों में परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया था बशर्ते वे इस परिवर्तन के लिये सरकार को एक महीने का नोटिस देंगे और शुद्ध व्यापारी मूल्य कारखाना-द्वार लागत से 10 प्रतिशत से

अधिक नहीं होगा और कारों के बारे में व्यापारी का कमीशन कारखाना-द्वार मूल्य के 10 प्रतिशत पर निश्चित किया जाना चाहिए। अभिप्राय यह था कि सरकार नोटिस की एक महीने की अवधि में इस मामले में हस्तक्षेप कर सकती है यदि वह यह समझे कि मूल्य में प्रस्तावित परिवर्तन प्रथम-दृष्टिया अनुचित है। परन्तु व्यावहारिक तौर पर सरकार के लिये इतने थोड़े समय में ऐसा करना संभव नहीं हो सका क्योंकि सरकार को मूल्य वृद्धि के प्रस्तावों की सूक्ष्म रूप से जाँच करनी पड़ती थी इसलिये सरकार को यह आदेश जारी करने पड़े कि उसकी औपचारिक स्वीकृति के बाद ही निर्माता अपने मूल्यों को बदल सकेंगे। सरकार ने बहुत से मामलों में मूल्यों की वृद्धि की अनुमति दी है। मई, 1966 में सरकार ने उचित विक्रय मूल्य के निर्धारण का प्रश्न भी प्रशुल्क आयोग को जाँच के लिए सौंप दिया था। प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन अगस्त, 1968 में प्राप्त हुआ। आयोग से कुछ स्पष्टीकरण प्राप्त करने के बाद अब आयोग की सिफारिशों के कुछ पहलुओं पर विचार करने का प्रस्ताव है।

प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों पर कोई निर्णय करने से पहिले मूल्य में किसी भी प्रकार की वृद्धि की अनुमति नहीं दी जायेगी। इसके लिए निर्माताओं ने प्रार्थना की थी। मेरे मंत्रालय को तीनों कार निर्माताओं से कल पत्र प्राप्त हुए हैं कि प्रति कार मूल्य वृद्धि 1,200 रुपए से लेकर 1750 रुपए तक की जाय। एक निर्माता ने तो अपने पत्र में अपनी कार के मूल्य को बढ़ाने के इरादे का नोटिस दिया है। वह बिना सरकारी अन्तिम निर्णय के मई, 1969 से मूल्य बढ़ाना चाहता है। मैं उसको भी यही सूचना दे रहा हूँ कि सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी प्रकार की मूल्य-वृद्धि नहीं की जा सकती।

मेरे विचार से उचित मूल्य के बारे में आयोग की सिफारिशों पर शीघ्र ही निर्णय हो जायेगा।

यदि इस बारे में वर्तमान प्रशासनीय व्यवस्था अपर्याप्त है, तो मैं इस बात की कोशिश करूँगा कि मूल्य बढ़ाने सम्बन्धी करार के पालन में किसी प्रकार की बाधा पैदा न हो।

इसके लिए दीर्घकालीन समाधानों की आवश्यकता है। औद्योगिक रूप से उन्नत अधिकांश देशों में एक सुविकसित मोटरगाड़ी उद्योग न केवल एक अत्यावश्यक है अपितु इसने औद्योगिक प्रगति का मार्ग भी प्रायः प्रशस्त किया है। उपभोक्ता की दृष्टि से यह सस्ती कार एक वरदान सिद्ध होगी। परन्तु संसाधनों के सीमित होने के कारण इस परियोजना को चालू करना सम्भव नहीं हो सका है। हमने इस मामले को उच्चतम स्तर पर उठाया है और मेरे विचार से कार निर्माताओं के कार की कीमत बढ़ाने के हाल के रवैये को देखते हुए, इस बारे में कुछ कार्यवाही की जायेगी।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : बी० आई० सी० की कानपुर स्थित कूपर इंजन कं० को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। अध्यक्ष की नियुक्ति भी हो गई है। मैनेजिंग डायरेक्टर की नियुक्ति में क्यों विलम्ब हो रहा है?

Shri Maharaj Singh Bharati (Meerut) : The production of tractors is 15,000 while their demand is 90,000, What is being done to meet it ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मैं माननीय सदस्यों के समस्त प्रश्नों का उत्तर दूंगा । जहाँ तक कूपर एलन कं० का सम्बन्ध है हमने कार्यवाही की है । शीघ्र ही निर्णय की घोषणा की जायेगी। एक नयी कम्पनी का पंजीयन हो गया है। आशा है यह इस महीने चालू हो जायेगी। ट्रैक्टरों के बारे में यह सही है कि इनकी बहुत माँग है। तीसरी योजना बनाते समय इस *माँग* का अनुमान नहीं लगाया जा सका था। अगले वर्ष ट्रैक्टरों की हमारी माँग लगभग 45,000 तक पहुँच जायेगा। हमने ट्रैक्टर उद्योग के लिये लाइसेंस व्यवस्था समाप्त कर दी है। सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र में एक उर्वरक कारखाने की स्थापना करने का भी है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

THE CUT MOTIONS WERE PUT AND NEGATIVED

अध्यक्ष महोदय द्वारा औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्रालय को निम्नलिखित माँगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :

The following Demands in respect of Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
58	औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय मंत्रालय	72,43,000
59	उद्योग	4,05 92000
60	नमक	53,58 000
61	औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार और समवाय मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	12,41,29,000
121	औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार मंत्रालय का पूँजी परिव्यय	3,86,98,000

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय

वर्ष 1969-70 के लिए वैदेशिक-कार्य मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित माँगे प्रस्तुत की गई—

माँग संख्या	शीर्षक	राशि
12	वैदेशिक कार्य	19,54,73,000
13	विदेश मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	20,86,07,000

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
12	7	श्री पी० विश्वम्भरन	इसरायल तथा पूर्वी जर्मनी के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
12	8	श्री पी० विश्वम्भरन	विदेशों में रहने वाले भारतीय राष्ट्रिकों तथा भारत-मूलक लोगों के हितों की रक्षा करने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
12	20	श्री बलराज मधोक	इसरायल और फारमोसा के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने में सरकार की असफलता।	100 रुपये
12	21	श्री बलराज मधोक	संयुक्त राष्ट्र में तिब्बत का प्रश्न उठाने में पहल करने में सरकार की असफलता।	100 रुपये
12	22	श्री बलराज मधोक	विदेश मंत्रालय के कर्मचारियों के दृष्टिकोण और व्यवहार में भारतीयता लाने में सरकार की असफलता।	100 रुपये
12	23	श्री बलराज मधोक	पश्चिम एशिया समस्या के संबंध में सरकार द्वारा उचित और राष्ट्रीय रवैया अपनाने में असफलता।	100 रुपये
12	24	श्री बलराज मधोक	सरकार द्वारा अपने प्रकाशनों में राष्ट्र भाषा हिन्दी को उचित स्थान न देना।	100 रुपये
12	25	श्री बलराज मधोक	सरकार द्वारा विदेशों में अपने दूतावासों और उच्चायोगों में हो रहे अपव्यय को रोकने में असफलता।	100 रुपये

1	2	3	4	5
12	26	श्री बलराज मधोक	सरकार द्वारा अपने दूतावासों में काम करने वाले कर्मचारियों में देश के प्रति लगन से सेवा करने की भावना का संचार करने और भारतीय दूतावासों में आने वालों के प्रति उनका बेपरवाही वाला रवैया बन्द करने में असफलता ।	100 रुपये
12	27	श्री बलराज मधोक	संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधि मंडल द्वारा देश का ठीक चित्र प्रस्तुत करने में असफलता।	100 रुपये
12	28	श्री बलराज मधोक	अरब-इसराइल समस्या के बारे में स्वतंत्र नीति न अपनाना ।	100 रुपये
12	29	श्री बलराज मधोक	प्राग और पिंडी स्थित भारतीय दूतावासों द्वारा वहाँ उत्पन्न हुए संकट का पूर्वानुमान लगाने और भारत पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में आवश्यक सतर्कता दिखाने में असफलता।	100 रुपये
12	30	श्री बलराज मधोक	यू० के० वर्तमान असहयोग और अमित्रतापूर्ण रवैये को देखते हुए सरकार द्वारा राष्ट्र-मंडल न छोड़ना ।	100 रुपये
12	31	श्री बलराज मधोक	अफ्रीकी देशों में भारत-मूलक लोगों और भारतीय नागरिकों के हितों की रक्षा करने में सरकार की असफलता।	100 रुपये
12	32	श्री बलराज मधोक	'रेडियो पीस एण्ड प्रोग्रेस' द्वारा रूस को भारत के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से रोकने में सरकार की असफलता ।	100 रुपये

1	2	3	4	5
12	33	श्री बलराज मधोक	चीन द्वारा हथियाये गए भारतीय क्षेत्र को स्वतंत्र कराने में सरकार की असफलता ।	100 रुपये
12	34	श्री बलराज मधोक	पख्तूनिस्तान के प्रश्न पर अफगानिस्तान को उचित राजनयिक, नैतिक तथा भौतिक सहायता देने में सरकार की असफलता ।	100 रुपये
12	35	श्री बलराज मधोक	पश्चिम जर्मनी और फ्रांस के साथ सम्बन्ध सुधारने में सरकार की असफलता ।	100 रुपये
12	36	श्री बलराज मधोक	बर्मा, श्रीलंका और पूर्वी अफीका से आये निर्वासितों का उचित पुनर्वास न करना।	100 रुपये
12	37	श्री बलराज मधोक	दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों और आस्ट्रेलिया के साथ क्षेत्रीय आधार पर अधिक घनिष्ठ संबंध स्थापित न करना।	100 रुपये
12	55	महन्त दिग्विजय नाथ	सचिवों की अत्यधिक संख्या ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
12	56	महन्त दिग्विजय नाथ	चीन की राष्ट्रवादी सरकार (फारमूसा) को मान्यता देने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
12	57	महन्त दिग्विजय नाथ	साम्यवादी चीन से राजनयिक सम्बन्ध न तोड़ना।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
12	58	महन्त दिग्विजय नाथ	चीनी प्रचार के विरुद्ध प्रचार करने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
12	59	महन्त दिग्विजय नाथ	विदेशी मामलों में देश के हितों की रक्षा करने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय

1	2	3	4	5
12	60	महन्त दिग्विजय नाथ	पाकिस्तान को हथियारों तथा टैंकों के सम्भरण के लिए रूस के समक्ष विरोध करने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
12	61	महन्त दिग्विजय नाथ	देश के शत्रुओं के प्रति "ईंट का जवाब पत्थर से देने" की नीति अपनाने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
12	62	महन्त दिग्विजय नाथ	इसरायल से राजनयिक संबंध स्थापित करने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
12	63	महन्त दिग्विजय नाथ	केवल मुस्लिम देशों के प्रति नर्म रवैया अपनाना।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
12	64	महन्त दिग्विजय नाथ	नेपाल को पूरी-पूरी सहायता न देना।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
12	65	महन्त दिग्विजय नाथ	नेपाल में भारत के विरुद्ध चीनी प्रचार का मुकाबला करने में भारतीय दूतावास की असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
12	66	महन्त दिग्विजय नाथ	पाकिस्तान में हिन्दुओं की रक्षा करने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
12	67	महन्त दिग्विजय नाथ	अफ्रीका, श्रीलंका तथा बर्मा से आने वाले भारतीयों को बसाने और पुनर्वास करने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
12	68	महन्त दिग्विजय नाथ	हिन्द महासागर में अमरीकी अड्डे बनाने के लिए अमरीकी सरकार के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय

1	2	3	4	5
12	69	महन्त दिग्विजय नाथ	रूसी सरकार द्वारा भारत सरकार की अनुमति से हिन्द महासागर में नौसैनिक अभ्यास करने के सम्बन्ध में उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही न करना ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
12	70	महन्त दिग्विजय नाथ	तिब्बत की आजादी के लिये संयुक्त-राष्ट्र संघ में विश्व-मत कायम करने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
12	71	महन्त दिग्विजय नाथ	अमेरिकी तथा रूसी प्रभाव के दबाव को रोकने में असमर्थता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
12	72	महन्त दिग्विजय नाथ	सरकार द्वारा दुर्बल विदेश नीति अपनाना ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
12	73	महन्त दिग्विजय नाथ	मौरिशश (पूर्वी अफीका) को पूर्ण सहयोग तथा हर प्रकार की सहायता देने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
12	74	महन्त दिग्विजय नाथ	विदेशों में रहने वाले भारतीय के हितों की रक्षा न करना ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
12	75	महन्त दिग्विजय नाथ	भारत के समर्थन में विदेशों में निर्बल प्रचार ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
12	76	महन्त दिग्विजय नाथ	स्वैच्छिक व्यय को कम करने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
12	77	महन्त दिग्विजय नाथ	राष्ट्रमंडल से पृथक न होना ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय

1	2	3	4	5
12	78	महन्त दिग्विजय नाथ	विदेशों में भारतीय उच्चायुक्तों तथा दूतावासों द्वारा अच्छा कार्य न किया जाना।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
12	79	महन्त दिग्विजय नाथ	विदेशों में भारतीय दूतावासों पर होने वाले अत्यधिक व्यय को कम न करना।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
12	80	महन्त दिग्विजय नाथ	मंत्रालय के उच्च पदों को मुसलमानों को देना।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
12	81	महन्त दिग्विजय नाथ	विदेशों में भारतीय उच्चा-युक्तों तथा दूतावासों के कम आय वाले कर्मचारियों की खराब तथा शोचनीय दशा।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
12	82	महन्त दिग्विजय नाथ	राष्ट्रमन्डल के सचिवालय को बहुत अधिक अंशदान देना।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
12	83	महन्त दिग्विजय नाथ	संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर के प्रश्न पर विदेशों पर निर्भर रहना।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
12	84	महन्त दिग्विजय नाथ	संयुक्त राष्ट्र से कश्मीर के प्रश्न को वापस लेने में सरकार की असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
12	85	श्री रामावतार शास्त्री	विदेश स्थित दूतावासों में व्यय कम करने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
12	86	श्री रामावतार शास्त्री	भारत की घोषित विदेश नीति लागू करने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
12	87	श्री रामावतार शास्त्री	साम्राज्य-विरोधी नीति का कड़ा कार्यान्वयन करने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय

1	2	3	4	5
12	88	श्री रामावतार शास्त्री	समय-समय पर अमरीकी साम्राज्यवाद के सामने घुटने टेकना ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
12	89	श्री रामावतार शास्त्री	उत्तरी वियतनाम सरकार की चार-सूत्री माँग का समर्थन करने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
12	90	श्री रामावतार शास्त्री	उत्तरी वियतनाम पर अमरीकी आक्रमण की निन्दा करने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
12	91	श्री रामावतार शास्त्री	पूर्वी जर्मनी को मान्यता देने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
12	92	श्री रामावतार शास्त्री	रूसी क्षेत्र की भूमि पर चीनी आक्रमण की निन्दा करने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
12	95	श्री रामावतार शास्त्री	चीन के साथ समझौता करने में पहल करने में असफलता ।	100 रुपये
12	96	श्री रामावतार शास्त्री	दलाई लामा को भारत में आवास करने तथा अपनी सरगर्मियाँ जारी रखने की अनुमति से चीन तथा भारत में तनाव बनाये रखना ।	100 रुपये
12	97	श्री रामावतार शास्त्री	भारतीय दूतावासों का असंतोषजनक कार्य ।	100 रुपये
12	98	श्री रामावतार शास्त्री	विदेशों में रहने वाले भारतीयों के हितों को रक्षा करने में असफलता ।	100 रुपये
12	113	श्री रामावतार शास्त्री	दक्षिण वियतनाम के राष्ट्रीय लोकतंत्रात्मक मोर्चे को राजनीतिक तथा भौतिक सहायता प्रदान करने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय

1	2	3	4	5
12	114	श्री रामावतार शास्त्री	दक्षिण अफीका, मोजाम्बीक और अंगोला को उनके स्वतंत्रता संग्राम के लिए कारगर भौतिक सहायता देने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
12	115	श्री रामावतार शास्त्री	विदेशों में भारतीय दूतावासों में हिन्दी की अपेक्षा ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
12	116	श्री रामावतार शास्त्री	सरकारी प्रकाशनों में हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं की उपेक्षा ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
12	117	श्री रामावतार शास्त्री	जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
12	118	श्री रामावतार शास्त्री	सीमा विवाद को हल करने के लिए चीनी लोकतंत्रात्मक गणराज्य के साथ प्रत्यक्ष बातचीत आरम्भ करने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
12	119	श्री रामावतार शास्त्री	पश्तो, सिंधी, बलूची, बंगला, पंजाबी और उर्दू भाषाओं के माध्यम से पाकिस्तानी जनता के समक्ष भारत की मित्रता का सही चित्र प्रस्तुत करने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
12	120	श्री रामावतार शास्त्री	चीनी भाषाओं के माध्यम से चीनी जनता के समक्ष भारत की मित्रता का सही चित्र प्रस्तुत करने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय

1	2	3	4	5
12	121	श्री रामावतार शास्त्री	दलाई लामा और तिब्बती शरणार्थियों को राजनीति से पृथक रखने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
12	122	श्री रामावतार शास्त्री	उस्सूरी नदी में रूस-अधिकृत द्वीप के ऊपर चीन के दावे का विरोध करने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
12	123	श्री रामावतार शास्त्री	ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से सम्बन्ध तोड़ने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
12	124	श्री रामावतार शास्त्री	साम्राज्यवादियों के युद्ध पोतों को हिन्द महासागर से अलग रखने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
12	125	श्री रामावतार शास्त्री	विदेशों में रहने वाले भारतीयों को यह कहने में असफलता कि वे सम्बन्धित देश के राष्ट्रीय जीवन का एक अंग बनते हुए उस देश के वासियों को भारतीय परम्पराओं से परिचित करायें ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
12	126	श्री रामावतार शास्त्री	प्राचीन भारतीय संस्कृति के गुणों का विदेशों में प्रभावपूर्ण प्रचार करने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
12	133	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	हिन्दू धर्म का प्रचार करने के लिये विदेशों में धर्म-प्रचारक भेजने में सरकार की असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
12	134	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय राष्ट्रजनों (हिन्दुओं और सिखों) का ब्रिटिश सरकार की रंग-भेद नीति से बचाव करने में सरकार की असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय

1	2	3	4	5
12	135	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के कर्मचारियों का दृष्टिकोण, रुचि तथा सलूक शुद्ध भारतीय बनाने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
12	136	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	मध्य-पूर्व की समस्याओं के प्रति ठीक रवैया अपनाने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
12	137	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	विदेशों में स्थित दूतावासों में नियुक्त कर्मचारियों को वहाँ रह रहे भारतीय राष्ट्रिकों के प्रति संतोषजनक रवैया अपनाने के लिए कहने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
12	138	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	विदेशों में, विशेषकर मध्य एशिया और लैटिन अमरीकी देशों में हिन्दू मन्दिरों की रक्षा करने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
12	139	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	संयुक्त राष्ट्र संघ में कच्छ के रन पर भारतीय अधिकारों आदि का प्रस्तुत न करना ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
12	140	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	भारतीय भू-भाग, कच्चातीवु द्वीप श्रीलंका को दे देना ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
12	141	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	अरब-इसराइली युद्ध में स्वतन्त्र और उचित नीति न अपनाना ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
12	142	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	रूसी रेडियो 'पीस एण्ड प्राग्रेस' द्वारा भारत-विरोधी प्रचार का प्रत्युत्तर न देना ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
12	143	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	चीन द्वारा हथियाए गए भारतीय क्षेत्र को वापस लेने में सरकार की असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय

1	2	3	4	5
12	144	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	पाकिस्तान द्वारा हथियाए गए भारतीय क्षेत्र को वापस न ले पाना ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
12	145	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	अफगानिस्तान सरकार को, पख्तूनिस्तान की माँग के लिए पूरा-पूरा सहयोग न देना ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
12	146	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रचार न करना ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
12	147	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	हिन्दुओं को इंडोनेशिया तथा अन्य ईस्ट इंडीज द्वीपों में हिन्दू संस्कृति के प्रसार-प्रचार के लिए सहायता न देना ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
12	148	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	इसराइल के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित न करना।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
12	149	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को अपना बचत-धन ब्रिटिश बैंकों के बजाय भारतीय बैंकों में जमा करने के लिए प्रोत्साहित न करना ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
12	150	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	फिजी द्वीप को पूरी सहायता देने तथा वैस्ट इंडीज के भारतीयकरण में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
13	176	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	विदेश मंत्रालय होस्टल, नई दिल्ली में खराब और असन्तोषजनक सेवा ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
12	180	श्री जनार्दन जगन्नाथ शिंकरे	भारत और लेटिन अमरीका के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को बढ़ावा देने के लिये पुर्तगाली, स्पैनिश तथा अन्य लेटिन मूल की भाषाओं को जानने वाले संसद् सदस्यों का उचित उपयोग करने में अस लता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय

1	2	3	4	5
12	181	श्री जनार्दन जगन्नाथ शिकरे	प्रधान मंत्री की गत वर्ष की ब्राजील यात्रा के फलस्वरूप स्वाभाविक तौर पर पुर्तगाली भाषा जानने वाले सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल यथाशीघ्र ब्राजील भेजने की आवश्यकता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
12	182	श्री जनार्दन जगन्नाथ शिकरे	दक्षिण अमरीकी देशों में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए प्रधान मंत्री की विश्व के उस भाग की गत वर्ष की गई सफल सद्भावना यात्रा का उचित उपयोग करने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
12	183	श्री जनार्दन जगन्नाथ शिकरे	दक्षिण अमरीकी देशों में सद्भावना मिशन तथा संसद् सदस्यों के प्रतिनिधिमण्डल भेजने की आवश्यकता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर बी जाय
12	184	श्री जनार्दन जगन्नाथ शिकरे	डा० टेलो मैसकारेन्स की रिहाई करने में असफलता जो कि पुर्तगाल में क्षीण होते जा रहे हैं ।	100 रुपये
12	185	श्री जनार्दन जगन्नाथ शिकरे	पुर्तगाल में डा० एन्टोनियो सालाजार के स्थान पर डा० मारकेलो के सत्तारूढ़ हो जाने की बात को ध्यान में रखते हुए पुर्तगाल के साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बनाने के लिए फिर से बातचीत आरम्भ करने में असफलता ।	100 रुपये
12	186	श्री जनार्दन जगन्नाथ शिकरे	पूर्व और पश्चिम अफीका की पुर्तगाली कालोनियों में विशेषकर मोजाम्बीक में भारतीय नागरिकों और विशेषकर गोवानियों के हितों की रक्षा करने में असफलता ।	100 रुपये

1	2	3	4	5
12	187	श्री जनार्दन जगन्नाथ शिकरे	ब्राजीलियाई लोगों की, जो कि अधिकतर पुर्तगाली मूल के हैं, कोमल भावनाओं को ठेस पहुँचाये बिना, पुर्तगाली उपनिवेशों में चल रहे स्वतंत्रता आन्दोलनों के मामले की संयुक्त राष्ट्र संघ में पैरवी करने में असफलता।	100 रुपये
12	188	श्री जनार्दन जगन्नाथ शिकरे	दक्षिण अमरीकी देशों को, और विशेषकर ब्राजील को सांस्कृतिक दल भेजने और सांस्कृतिक सद-भावना मिशनों के विनिमय के लिए आधार तैयार करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
12	189	श्री जनार्दन जगन्नाथ शिकरे	विश्व की राजनीति में एक ऐसी तीसरी शक्ति पैदा करने के लिए जो कि साम्यवादी और गैर-साम्यवादी गुटों को अधिक निकट ला सके, दक्षिण अमरीकी देशों में अनवरत तथा क्रमबद्ध प्रयास करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
13	190	श्री जनार्दन जगन्नाथ शिकरे	दक्षिण अमरीकी देशों में भारतीय राजनयिक मिशनों में ऐसे कर्म-चारियों को नियुक्त करने की आवश्यकता जो कि पुर्तगाली और/अथवा स्पेनी भाषा जानते हों ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
13	191	श्री जनार्दन जगन्नाथ शिकरे	ब्राजील में भारतीय दूतावास द्वारा ऐसे अत्यधिक आवश्यक प्रचार को करने में असफलता, जिससे कि ब्राजील की सरकार और वहाँ के लोग इस बात पर विश्वस्त हो सकें कि गोआ, दमन तथा दीव क्षेत्र गोआ के अभिन्न अग हैं और उनके हित भारत संघ में पूर्णतः सुरक्षित हैं।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय

1	2	3	4	5
13	192	**श्री जनार्दन जगन्नाथ शिंकरे**	संयुक्त राज्य अमरीका में भारतीय छात्रों और पर्यटकों को उचित सहायता तथा परामर्श देने में वहाँ हमारे दूतावास तथा वाणिज्य दूतावासों की असफलता ।	100 रुपये
13	193	**श्री जनार्दन जगन्नाथ शिंकरे**	विदेशों में भारतीय दूतावासों द्वारा वहाँ भारतीय वैज्ञानिकों और तकनीशनों को यह समझाने की आवश्यकता कि भारत को उनकी प्रतिभा की आवश्यकता है अतः वे वहाँ वापस लौट जाएँ ।	100 रुपये
13	194	**श्री जनार्दन जगन्नाथ शिंकरे**	पोप को यह समझाने की आवश्यकता कि भारत में विदेशी धर्मप्रचारकों को उचित हिदायतें दी जायें ताकि वे भारतीयों को नाराज न करें ।	100 रुपये
13	195	**श्री जनार्दन जगन्नाथ शिंकरे**	उन गोवानियों में विश्वास जगाने की आवश्यकता जिन्होंने गोआ, दमन और दीव में 'विजय' कार्यवाही के समय पुर्तगाली राष्ट्रीयता, स्वीकार कर ली थी, ताकि वह अपने कार्य पर पछतावा करके भारतीय नागरिक बन जाएँ ।	100 रुपये
13	196	**श्री जनार्दन जगन्नाथ शिंकरे**	पादरी फेरर को वापस बुलाने के लिये रोम के केथोलिक धर्म प्रशासन को समझाने की आवश्यकता क्योंकि भारत में उनकी गतिविधियाँ और निवास महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश में बेचैनी उत्पन्न कर रही हैं ।	100 रुपये

1	2	3	4	5
13	197	श्री जनार्दन जगन्नाथ शिकरे	भारत में जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि के कारण उत्पन्न विकट स्थिति को देखते हूए पोप को अपने फतवे में परिवर्तन करने के लिये समझाना ।	100 रुपये
12	198	श्री समरेन्द्र कुन्दू	राजदूतों तथा वाणिज्यदूतों की नियुक्ति संसद् सदस्यों की समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद करने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
12	199	श्री समरेन्द्र कुन्दू	ठीक तथा गतिशील गुटनिरपेक्ष नीति पर चलने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
12	200	श्री समरेन्द्र कुन्दू	विदेश मामलों से संबन्वित विषयों पर चर्चा करने तथा उनकी पैरवी करने के लिये यूरोप स्थिति भारतीय राजनयिकों का वार्षिक सम्मेलन बुलाने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
12	201	श्री समरेन्द्र कुन्दू	विदेश स्थित दूतावासों में हमारे अधिकारियों का व्यापारिक तथा साँस्कृतिक दृष्टिकोण सुनिश्चित करने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
12	202	श्री समरेन्द्र कुन्दू	विदेशों में हमारे दूतावासों को गाँधी शताब्दी मनाये जाने के संबन्ध में पुस्तिकायें, इश्तिहार तथा तत्सम्बन्धी जानकारी भेजने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
12	203	श्री समरेन्द्र कुन्दू	अफ्रीका तथा लैटिन अमरीका में सद्भावना तथा सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडल भेजने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय

श्री पीलू मोडी (गोधरा) वैदेशिक-कार्य मंत्रालय और विदेश स्थित हमारे दूतावासों के बनाने का एक विशिष्ट प्रयोजन यह है कि सारे विश्व में हमारी प्रतिष्ठा कायम की जाय। नए सम्बन्ध स्थापित किए जाँय और संसार के सामने देश की नई तस्वीर पेश की जाय। परन्तु जितना इसके लिए खर्च किया जा रहा है, उतनी सफलता प्राप्त नहीं हुई है।

हमारे देश की प्रतीष्ठा विदेशों में बढ़ी नहीं है। जिस प्रकार का हमारा व्यवहार है, क्या हम उससे किसी प्रकार की सम्मान की आशा कर सकते हैं? एक समय था जब हमारे देश का बहुत विश्वास किया जाता था। कदम-कदम पर हमारे देश की ओर दुनिया के देशों की आँख लगी रहती थी। संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रत्येक मसले पर भारत के रुख को देखा जाता था। हमारे देश के लोगों को भी अब विदेशों में वैसा सम्मान प्राप्त नहीं है। इस सबके लिये सरकार ही दोषी है।

हमारी विदेश नीति के इस समय केवल दो ही स्तम्भ हैं, एक तो रूस को नाराज न करना और दूसरे छोटे से देश कोस्टा रीका से धर्मतेजा का प्रत्यर्पण। हमें दक्षिण कोरिया पर हुए आक्रमण की निन्दा करनी चाहिए थी। जिस प्रकार से हमने दक्षिण वियतनाम में अमरीका के हस्तक्षेप की निन्दा की है, उसी प्रकार से हमें रूस द्वारा हंगरी में किए गए हस्तक्षेप की निन्दा करनी चाहिये थी। हमें रूस की उसके द्वारा चैकोस्लोवाकिया पर किए गए आक्रमण के मामले में भर्त्सना करनी चाहिये थी। इस प्रकार से हमें एक निष्पक्ष और स्वतंत्र नीति का अनुसरण करना चाहिये। हमें किसी भी प्रकार के भय अथवा दबाव के अन्दर काम नहीं करना चाहिये। हमने अन्तर्राष्ट्रीय आयोग के नेता के रूप में अपने उत्तरदायित्व का पालन नहीं किया है। हम दक्षिण-पूर्व एशिया में एक बड़े देश के नाते अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। हमारा जितना हित एशिया में है उतना कहीं भी नहीं है। हमने तटस्थ राष्ट्रों का सम्मेलन बुलाने से इंकार कर दिया जिसमें रूस के यगोस्लाविया में किए हस्तक्षेप की निन्दा की जाती।

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): यह सच नहीं है। माननीय सदस्य हमारी नीति और हमारे देश के बारे में जान-बूझकर गलत तस्वीर पेश कर रहे हैं। हमने यूगोस्लाविया से कह दिया है कि हम तटस्थ राष्ट्रों का सम्मेलन का स्वागत करते हैं।

श्री पीलू मोडी: मुझे माननीय मंत्री जी के आश्वासन से खुशी है। हमें रूस के प्रति इतने अधिक झुकाव की और कायरता की नीति का त्याग करना चाहिये। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि रूस की भारत के प्रति नीति में अत्यधिक परिवर्तन हो गया है। अब हम सुरक्षा परिषद् में रूस के निषेधाधिकार पर निर्भर नहीं रह सकते।

हमें ताइवान के साथ दृढ़ मैत्री का सम्बन्ध स्थापित करना चाहिये था और अपनी पिछली उपेक्षा के लिए माफी माँगनी चाहिये थी।

एक समय था जब हमारी विदेश नीति सिद्धान्त पर आधारित थी। अब यह मनमाने ढंग पर आधारित है।

विश्व की स्थिति में परिवर्तन हो गया है। पूर्व और पश्चिम के बीच भारी टकराव समाप्त हो गया है। शीत-युद्ध में गतिरोध हो गया है जिसके कारण अक्सर संयुक्त कार्यवाही हो जाती

है। इस प्रकार की कार्यवाही से इस देश के शक्ति-संतुलन और राजनीति में परिवर्तन आ जाता है। मैं इस सरकार से बार-बार यह कहना चाहूँगा कि हमें रूस के दबाव के सामने नहीं झुकना चाहिये क्योंकि उन्हें हमारी अधिक आवश्यकता है, हमें उनकी इतनी आवश्यकता नहीं है। हमें ग्रेन्वको को अपनें प्रतिक्षा संस्थान नहीं दिखाने चाहिए। हमें रूस के समक्ष अपनी दीनता प्रगट नहीं करनी चाहिये।

मैं जानता हूँ कि सरकार को पता है कि गत आम चुनावों में देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धान्त का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन करते हुए भारी धनराशि खर्च की गई है।

रूस की मैत्री का इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि रूस ने अपने मानचित्र में समूचे नेफा और लद्दाख क्षेत्र को चीन के राज्यक्षेत्र का अंग दिखाया है। इसमें समूचे काश्मीर को भारत का हिस्सा दिखाया गया है। काश्मीर के मामले में हम उनके आभारी हैं परन्तु भय के कारण हम नेफा और लद्दाख के बारे में कुछ नहीं कह सकते। अगले मानचित्र में रूस आधे काश्मीर को भारत का हिस्सा और आधे को पाकिस्तान का हिस्सा दिखायेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस देश की सीमायें रूस की नीति में समय-समय पर होने वाले परिवर्तनों के साथ-साथ बदलती रहती हैं।

मेरे कहने का अभिप्राय है कि हमारा देश विश्व के राष्ट्रों में उचित स्थान प्राप्त करने की कोशिश करे। जब यह सरकार विदेश मंत्री को चुनने में महीनों लेती है, तो भला ऐसी सरकार एक सुदृढ़ विदेश नीति कहाँ बना सकती है?

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा): विदेश मंत्रालय इस सभा में मंत्रियों के विभिन्न देशों के दौरों के अतिरिक्त और कोई विशेष जानकारी नहीं देता। इस मंत्रालय के प्रतिवेदन में इन्हीं बातों का अधिक उल्लेख होता है।

127 पृष्ठों के इस प्रतिवेदन में आप पायेंगे कि 50 पृष्ठों में हमारे देश के बाहर के देशों के साथ कैसे सम्बन्ध हैं, इसका उल्लेख है। मंत्रियों के दौरों से काम चलने वाला नहीं है। इसके विपरीत आवश्यकता इस बात की है कि उनके दौरों से विदेशों के साथ हमारे सम्बन्धों में कहाँ तक सुधार हो सकता है, यह बात मुख्य रूप से देखी जानी चाहिये।

ऐसे मंत्रालय से, जो व्यर्थ के प्रतिवेदन तैयार करता है, क्या आशा की जा सकती है? प्रतिवेदन में इसका कोई उल्लेख नहीं है कि हमने गत वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या किया। इसमें इसका भी उल्लेख नहीं है कि हमने तिब्बत के मामले में मानव अधिकार सम्बन्धी संकल्प का समर्थन किया है। मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार किस प्रकार काम कर रही है। तिब्बत चीन का एक उपनिवेश बन गया है जहाँ पर सबसे बुरे रूप में उपनिवेशवाद का बोलबाला है। अब समय आ गया है कि हमें अपनी समूची तिब्बत सम्बन्धी नीति पर पुनर्विचार करना चाहिये। हमें मानव अधिकार सम्बन्धी संकल्प का समर्थन करना चाहिये और चीन के चंगुल से तिब्बत को आजाद कराने और तिब्बत के लिए आत्म-निर्णय कराने के लिए एक संकल्प भी प्रायोजित करना चाहिये। हमें दलाई लामा को इस देश में काम करने के लिए अधिक स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिये। राजदूतावासों पर बहुत अधिक खर्च आ रहा है परन्तु इनका काम संतोषजनक नहीं है। जिन

राजनीतिज्ञों को देश के लोगों ने अस्वीकार कर दिया है, जिनको जनता का समर्थन प्राप्त नहीं है, उनको राजदूत बना कर भेजना कहाँ तक उचित है ? ऐसे लोगों से क्या आप यह आशा कर सकते हैं कि वे देश की सही तस्वीर विदेशों में पेश कर सकते हैं ? अधिक आयु के लोगों को राजदूत के रूप में नियुक्त किया जाता है। वे इस बात की परवाह किए बिना कि अपने देश में और उस देश में, जिसमें वे नियुक्त किए गए है, क्या हो रहा है अपना समय व्यतीत करते रहते हैं।

ब्रिटेन में हमारे उच्चायोग पर बहुत अधिक व्यय हो रहा है। इसको कम किया जाना चाहिये। इस उच्चायोग के कार्यकरण में समन्वय का बहुत अभाव है। बर्मिघंम में वाणिज्य दूतावास रखने की क्या आवश्यकता है ?

नीति के बारे में मुझसे पहिले बोलने वाले माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि इस सरकार की कोई भी नीति नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में काफी परिवर्तन हो गया है और उसको देखते हुए हमारी नीति में भी देश के हित में परिवर्तन होना चाहिये।

आज विश्व में तटस्थता का क्या अर्थ है इसका अनुमान लगाना चाहिये। सारी स्थिति ही बदल गई है। चीन बड़े राष्ट्रों का एक सदस्य बनने वाला है। अमरीका भी चीन के साथ वार्ता कर रहा है। वारसा में उनकी 165 बैठकें हुई हैं। मार्शल टीटो भी एक तटस्थ व्यक्ति हैं। परन्तु उनके हाल में स्थिति को देख कर अल्बानिया के साथ मैत्री के सम्बन्ध हो गए हैं। मार्शल टीटो न केवल चीन के साथ व्यापार कर रहे हैं अपितु उन्होंने अल्बानिया को पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया है। रूस की नीति में भी काफी परिवर्तन हो गया है रूस द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है। हमने पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई के विरुद्ध अपनी आवाज नहीं उठाई। जिस मामले में हमारा हित अन्तर्ग्रस्त है, उस मामले में हमें अपनी भावना और प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त करनी चाहिये। चैकोस्लोवाकिया पर हुए आक्रमण के बारे में हमारी सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में जो रुख अपनाया और इस सम्बन्ध में इस सभा ने जो संकल्प पारित किया उससे इस देश की प्रतिष्ठा को धक्का लगा है।

रूस और चीन का जो संघर्ष चल रहा है, उसके बारे में हमारा क्या दृष्टिकोण है ? मुझे पता लगा है कि हमारे राजदूत को बुलाया जा रहा है और हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात की आलोचना हुई है कि हालाँकि चीन ने रूस पर आक्रमण किया है परन्तु भारत ने रूस का मित्र होते हुए भी इस पर कोई प्रतिक्रिया प्रदर्शित नहीं की। हम अपने आप ही आवश्यकता से अधिक उत्तेजित और कुछ कर दिखाने की कोशिश क्यों करें, जब तक कि उधर से कोई सुझाव न आये। हमें इस संघर्ष का लाभ उठाना चाहिये और देश के हित में काम करना चाहिये। क्या हमारे विदेश मंत्रालय और रूस के विदेश मंत्रालय के बीच कोई पत्र-व्यवहार अथवा वार्ता हुई है और क्या उन्होंने हमारी सलाह माँगी है ?

पश्चिम एशिया के मामले में हम रूस, अमरीका अथवा चार बड़ी शक्तियों के दृष्टिकोण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस मामले में सरकार को एक स्वतंत्र और दृढ़ नीति से काम लेना चाहिये। हमारा दृष्टिकोण यह होना चाहिये कि हम स्पष्ट शब्दों में कहें कि इसरायल को एक स्वतंत्र राष्ट्र

के रूप में कायम रहने का अधिकार है। हमें इसरायल के साथ राजनयिक और व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने चाहिये ।

हमारे देश की आवाज का विश्व में महत्व बहुत कम रह गया है।

हमारी अपनी नीति के कारण हमारा अब कोई भी मित्र नहीं रह गया है। हमारी सीमाएँ भी—पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी—सुरक्षित नहीं हैं। हमारे निकटतम पड़ोसी हमारे शत्रु हैं। पाकिस्तान ताशकन्द समझौते का बराबर उल्लंघन करता आ रहा है। इस बारे में कुछ किया जाना चाहिये।

विश्व की स्थिति को देखते हुए हमारे लिए यह आवश्यक हो गया है कि हम पाकिस्तान के साथ अपनी समस्याओं को शीघ्र से शीघ्र सुलझाने की कोशिश करें।

मुझे इस बात की खुशी है कि वैदेशिक-कार्य मंत्रालय दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने के बारे में सोच रहा है। परन्तु प्रधान मंत्री जी ने अपने बर्मा के दौरे के दौरान इस बारे में जो दृष्टिकोण अपनाया वह ठीक नहीं है। जब प्रतिरक्षा की सम्भावनाओं के बारे में उनसे प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने इस बात को यह कहते हुए एकदम ठुकरा दिया कि हमारा इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। यह समूचे एशिया के अस्तित्व और सुरक्षा का प्रश्न है।

हमें प्रेरण के लिये अमरीका, ब्रिटेन और रूस का मुँह नहीं ताकना चाहिये। हमें अपने पड़ोसी देशों के हितों की ओर, जिनके हित हमारे हितों से सम्बद्ध हैं, ध्यान देना चाहिये। इस स्थिति को देखते हुए भारत को अपनी नीति में परिवर्तन करना पड़ेगा । यदि आप अपने सिद्धान्तों को छोड़ते चले जायेंगे, तो कोई भी देश आपकी परवाह नहीं करेगा।

बड़े देशों के साथ दुहरे गठबंधन की नीति आज काम नहीं आ सकती। हमें एक ओर तो पश्चिमी यूरोप और जापान के साथ अपने सम्बन्ध बढ़ाने चाहिये और दूसरी ओर हमें बड़ी शक्तियों पर अपनी निर्भरता कम करनी चाहिये।

चीन के परमाणु क्लब में शामिल होने अथवा उसके द्वारा अर्ध-सुपर शक्ति का दर्जा प्राप्त किए जाने और अमरीका व चीन के गतिरोध की सम्भावना पर भी विचार किया जाना चाहिये। हमें स्वयं को मजबूत बनाना चाहिये और दक्षिण-पूर्वी पड़ोसी देशों के साथ प्रतिरक्षा सम्बन्धी नजदीकी सम्पर्क स्थापित करने चाहिये। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री, श्री मलिक, द्वारा इस बारे में दिए गए सुझाव पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ? स्थिति की वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए नेपाल भी, चाहे उसका कितना ही भारत-विरोधी रवैया हो, इससे सहमत हो जायेगा।

विश्व में आज जैसी भी स्थिति है उसको देखते हुए यह हमारी सुरक्षा के हित में नहीं है कि हम किसी एक अथवा कुछ देशों पर निर्भर करें। राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए हमें सभी देशों, विशेषकर पड़ोसी देशों, के साथ अपने सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाना चाहिये और उनसे मित्रता गाँठनी चाहिये।

मंत्री द्वारा वक्तव्य

STATEMENT BY A MINISTER

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : इर्विन तथा गोविन्द वल्लभ पंत अस्पतालों के जूनियर डाक्टरों का एक ग्रुप 2 अप्रैल, *1969* को सायं 7 बज कर 45 मिनट पर मैडिकल सुपरिन्टेंडेन्ट के निवास स्थान पर उनसे मिलने आया और उन्होंने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया जिसमें एक संकल्प का उल्लेख था, जिसे उसी दिन सायं 5 बजे डाक्टरों के संघ द्वारा पारित किया गया बताया गया था। इस संकल्प में यह आरोप लगाया गया था कि डा० बी० एन० मिश्र तथा डा० डी० पी० भटनागर को त्याग-पत्र देने के लिए बाध्य किया गया था। उसमें अस्पताल के डाक्टरों को निरन्तर रूप से परेशान करने की भी बात कही गई थी। संकल्प में यह भी बताया गया था कि डाक्टरों का संघ आधी रात से सभी विभागों में पूर्ण हड़ताल कर देगा और उसे तब तक जारी रखा जायेगा जब तक डाक्टरों को पुनः नौकरी में रख नहीं लिया जाता। उनकी अन्य माँगें इस प्रकार हैं:

(1) सम्बन्धित अधिकारी उन द्वारा हाउस सर्जनों को त्यागपत्र देने के लिये बाध्य करने हेतु की गई मनमानी तथा अनुचित व्यवहार के लिये बिना किसी शर्त के खेद प्रकट करें;

(2) अपना कर्त्तव्य करते समय सभी डाक्टरों की राजनैतिक नेताओं तथा नौकर-शाही के अधिकारियों से पूर्ण सुरक्षा के लिए भविष्य में पर्याप्त ठोस तथा वास्तविक उपाय करने की गारंटी;

(3) सभी श्रेणी के डाक्टरों की नियुक्ति से सम्बन्धित उस खण्ड को हटाना जिसमें यह उपबन्ध है कि उनकी सेवायें बिना किसी कारण बताये अथवा सूचना दिए समाप्त की जा सकती हैं।

उपर्युक्त संकल्प के साथ एक अन्य कागज भी था जिसमें अस्पताल में लाये गए अत्यधिक जले हुए एक रोगी के, जिसका प्रातः 1 अप्रैल, 1969 को निधन हो गया था, सम्बन्धियों द्वारा नर्सिंग स्टाफ पर किए गए आक्रमण का उल्लेख था। इसमें यह माँग की गई थी कि अपराधियों के विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही की जाये तथा अस्पताल में सुरक्षा प्रबन्ध किए जायें।

आधी रात के पश्चात् हाउस सर्जन, रजिस्ट्रार तथा स्नातकोत्तर छात्र काम पर नहीं आये। नर्सों ने भी काम नहीं किया। इर्विन तथा गोविन्द वल्लभ पंत अस्पतालों में सेवाओं को चालू रखने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

दिल्ली प्रशासन से सूचना मिली है कि डाक्टर बी० एन० मिश्र तथा डी० पी० भटनागर ने क्रमशः 1 अप्रैल, और 31 मार्च, 1969 को स्वेच्छा से अपना त्यागपत्र दे दिया है। इनमें से डा० मिश्र का 31 दिसम्बर, 1968 को हुई उस घटना में हाथ था जिसमें एक कार्यकारी पार्षद् अपने एक सम्बन्धी को इलाज के लिये डा० मिश्र को पूर्व सूचना देने के पश्चात् इर्विन अस्पताल में लाया था। डा० भटनागर के बारे में गत वर्ष इर्विन अस्पाल में नर्सिंग छात्रों द्वारा आत्महत्या के मामले की जाँच करने वाले जाँच आयोग ने कटु आलोचना की थी।

प्रातः 1 अप्रैल, 1969 को नर्सों पर तथाकथित आक्रमण करने वाले चार व्यक्तियों को पुलिस अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया है। अस्पताल में सुरक्षा प्रबन्ध किए गए हैं।

आधुनिक कुटीर उद्योग विकास निगम विधेयक, 1969

MODERN COTTAGE INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION BILL, 1969

Shri Maharaj Singh Bharati (Meerut) : I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for setting up of a corporation for development of ancillary cottage industries.

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि सहायक कुटीर उद्योगों के विकास के लिए एक निगम स्थापित करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

Shri Maharaj Singh Bharati : I introduce the Bill.

भारतीय तारयन्त्र (संशोधन) विधेयक, 1969

INDIAN TELEGRAPH (AMENDMENT) BILL 1969

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Indian Telegraph Act, 1885.

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारतीय तारयंत्र (संशोधन) अधिनियम, 1885 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

Shri Madhu Limaye : I introduce the Bill

संविधान (संशोधन) विधेयक, 1969 (आठवीं अनुसूची का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT OF EIGHTH SCHEDULE)

Shri Shiva Chandra Jha (Madhu bani) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

Shri Shiva Chandra Jha : I introduce the Bill.

गो-वध रोक विधेयक, 1969
PREVENTION OF COW SLAUGHTER BILL, 1969

Shri Hardayal Devgun (East Delhi) : I beg to move for leave to introduce a Bill to prevent cow slaughter in India.

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि भारत में गो-वध पर रोक लगाने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

Shri Hardayal Devgun : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक, 1969 (अनुच्छेद 19 का संशोधन तथा अनुछेच्द 326 का प्रतिस्थापन)
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1969 (AMENDMENT OF ARTICLE 19 AND SUBSTITUTION OF ARTICLE 326)

Shri Madhu Limaye (Monghyr)I : beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the the Constitution of India.

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

Shri Madhu Limaye : I introduce the Bill.

केन्द्रीय विश्वविद्यालय (छात्रों द्वारा भाग लेना) विधेयक, 1969—जारी
CENTRAL UNIVERSITIES (STUDENTS PARTICIPATION) BILL, 1969—CONTD.

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी राव) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय (छात्रोंद्वारा भाग लेना) विधेयक 1969 पर 1 अक्तूबर, 1969 तक राय जानने के उद्देश्य से उसे परिचालित करने के लिए श्री मधु लिमये द्वारा 21 मार्च, 1969 को किए गए प्रस्ताव में :—

"1 अक्तूबर, 1969" के स्थान पर "2 मार्च, 1970" शब्द रखे जाँयें।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही: (भुवनेश्वर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री ने विधेयक को परिचालित करने के प्रस्ताव में एक संशोधन प्रस्तुत किया है आशा है, इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जायेगा।

विद्यार्थियों में अशान्ति का मूल कारण प्रायः सभी शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा विश्वविद्यालयों में अध्यापकों तथा छात्रों के बीच सम्पर्क का अभाव है। इस सम्बन्ध में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। उड़ीसा में बोलगढ़ नामक स्थान पर एक हाई स्कूल है। वहाँ पर अध्यापकों तथा छात्रों के बीच गलतफहमी होने के कारण स्कूल के छात्रावास को आग लगा कर जला दिया गया। 40, 50 से अधिक छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया। यदि अध्यापकों तथा छात्रों के बीच सूझ-बूझ होती, तो यह स्थिति उत्पन्न ही न होती। अतः मूल प्रश्न यह है कि अध्यापकों तथा छात्रों के बीच सम्पर्क कैसे स्थापित किया जाये? विश्वविद्यालयों के प्रतिवेदनों से पता चलता है कि छात्रों की जो शिकायतें हैं वे वास्तविक हैं और उन्हें दूर नहीं किया गया है। यदि छात्रों को विश्वविद्यालयों के नीति बनाने वाले निकायों में शामिल किया जायेगा तो इसमें उनमें जिम्मेवारी की भावना उत्पन्न हो जायेगी। देखा गया है कि छोटी-छोटी बातों को ले कर छात्रों को हड़ताल करनी पड़ती है। छात्रों की माँगों को उनकी कठिनाइयों को समझे बिना ठुकरा दिया जाता है।

[**श्री गादिलिंगन गौड पीठासीन हुये** **Shri Gadilingana Gowd in the Chair**]

शैक्षणिक संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों में आजकल जो कुछ पढ़ाया जाता है उसका वास्तविक जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस बात की ओर ध्यान देना शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेवारी है। स्कूलों से निकलने के बाद उन्हें रोजगार नहीं मिलता है। छात्रों को इस शिकायत को दूर किया जाना चाहिये और उनके कल्याण के लिये कोई निकाय बनाया जाना चाहिये जो नई पीढ़ी की समस्याओं पर विचार कर सके और उनको हल कर सके। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि युवकों के विास के लिये कार्यक्रम के बिना राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम नहीं बनाया जा सकता। यह अच्छा ही होगा यदि छात्रों को विश्वविद्यालयों के निकायों में शामिल किया जाये। ऐसा भी प्रबन्ध किया जाना चाहिये कि छात्र छुट्टियों में किसी रचनात्मक कार्यक्रम में भाग ले सकें।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया (जलौर): जहाँ तक विधेयक की भावना का सम्बन्ध है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। मुझे आशा है कि शैक्षणिक संस्थाओं के अधिकारियों तथा छात्रों के बीच सहयोग बढ़ाने से छात्रों का ध्यान राजनैतिक मामलों की ओर से हट कर रचनात्मक कार्यों में लगेगा। किन्तु मैं विधेयक के कुछ खण्डों से सहमत नहीं हूँ।

खण्ड 3 में जो यह उपबन्ध किया गया है कि प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक छात्र संघ होगा और प्रत्येक छात्र उस संघ का सदस्य होगा जब तक कि वह यह सूचना न दे कि वह उसका सदस्य नहीं बनना चाहता है, वह खतरनाक है क्योंकि इससे विभिन्न राजनैतिक दलों को इन संघों को राजनीति का अखाड़ा बनाने का अवसर मिल जायेगा। अतः मेरे विचार में छात्र संघ स्वेच्छा से बनाये जाने चाहिये। इसमें कोई अनिवार्यता नहीं होनी चाहिये।

खण्ड 6 के अन्तर्गत छात्र विश्वविद्यालय के विभिन्न निकायों में भाग ले सकेंगे। इसका अर्थ यह होगा कि वे पाठ्यक्रम निर्धारित करने तथा अध्यापकों की नियुक्ति करने के मामलों पर अपनी राय दे सकेंगे। इसमें सन्देह है कि वे इन मामलों में क्या ठोस बात कह सकेंगे। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस खण्ड को स्वीकार करने से पहले इस पर अच्छी तरह से विचार कर लिया जाना चाहिये।

खण्ड 7 में उपबन्ध किया जा रहा है कि इसके लिये चन्दा छात्रों से उनकी फीस के साथ ले लिया जायेगा। इस खण्ड को खण्ड 3 के साथ पढ़ा जाये, जिसमें प्रत्येक छात्र को, जब तक वह अन्यथा सूचित न करे, संघ का सदस्य बनना होगा। इस प्रकार छात्रों के इन संगठनों के पास काफी धन इकट्ठा हो जायेगा और इसको ध्यान में रखते हुए कोई अन्य व्यक्ति तथा गैर-शैक्षणिक संस्थायें अथवा राजनैतिक दल इन संगठनों पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न करेगा। यह एक खतरनाक बात होगी। इससे उनमें सहयोग बढ़ने की बजाय असहयोग बढ़ेगा और वे अवांछनीय राजनैतिक गतिविधियों के शिकार हो जायेंगे। एक विश्वविद्यालय विशेष के बारे में मुझे पता है कि संघ के निर्वाचन के लिए एक उम्मीदवार ने 20,000 रुपए खर्च किए। कुछ संघों का यह भी प्रस्ताव है कि संघ के कर्मचारियों के लिए स्थायी सवारी की व्यवस्था होनी चाहिये। ऐसी बातों से विश्वविद्यालय के अधिकारियों तथा छात्रों के बीच सहयोग बढ़ाने की इस विधेयक की भावना को बढ़ावा नहीं मिलेगा। इससे शिक्षा को भी कोई बढ़ावा नहीं मिलेगा। ये संस्थायें राजनीति का अखाड़ा बन जायेंगी।

आशा है उक्त बातों को ध्यान में रखते हुए इस विधेयक में उपयुक्त परिवर्तन कर दिए जायेंगे।

श्री वेदव्रत बरुआ (कलियाबोर) : यह धारणा गलत है कि प्रबन्ध में छात्रों को शामिल करने से बहुत कठिनाइया उत्पन्न हो जायेंगी। मेरे विचार में वे अपनी जिम्मेवारियों को ज्यादा अच्छी तरह से समझने लगेंगे। उन्हें विभिन्न योजनाओं, आयव्ययक आदि सम्बन्धी विभिन्न कठिनाइयों का जब पता लगेगा तो वे इन मामलों को अधिक अच्छी तरह समझने लगेंगे और उनमें जिम्मेवारी की भावना का विकास होगा। हम भी उनकी समस्याओं को अधिक अच्छी तरह से समझने लगेंगे। आपसी सूझबूझ बढ़ने से और विश्वविद्यालयों के प्रबन्ध में छात्रों के प्रतिनिधित्व देने से कई अवांछनीय घटनाओं को होने से रोका जा सकेगा। प्रायः देखा जाता है कि छोटी-मोटी बातों को ले कर स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि उस पर काबू पाना कठिन हो जाता है।

यह राष्ट्रीय महत्व का मामला है और यह एक अच्छी बात है कि राय जानने के लिए इस विधेयक को परिचालित किया जा रहा है।

यह सही है कि हम छात्रों में अशान्ति तथा अनुशासनहीनता की जो समस्या है उसे हल करने में असफल रहे हैं। यह समस्या केवल भारत में ही नहीं है, यह विश्व भर में विद्यमान है। जब तक कि छात्रों की माँगों को समझने का प्रयत्न नहीं किया जायेगा तब तक इस समस्या को हल नहीं किया जा सकेगा अतः यह आवश्यक कि हमें इस ओर पूरा ध्यान देना चाहिये और कोई ऐसा हल ढूँढ़ निकालना चाहिये जिससे हम छात्रों को शैक्षणिक संस्थाओं के प्रबन्ध में शामिल करके उनकी समस्याओं को अच्छी तरह समझ सकें और उन्हें हल कर सकें। तभी हम उनकी राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को रोक सकेंगे।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : The problem of students' unrest is not confined to our country alone, but it is a world-wide phenomenon. It is a very complicated problem and a number of factors are responsible for this unrest.

So far as the objectives behind the Bill are concerned they are laudable. It is a good idea that the university authorities and students should sit together and try to understand their respective difficulties and solve their problems amicably. It is, however,

doubtful as to how far the provision relating to compulsory formation of students' union in each college will be helpful in achieving the desired result. It will, perhaps, lead to some more serious complications. Because in Delhi University we find that in elections to unions, lot of money is spent and besides there is violence. Even the office of the University union is set on fire because of rivalry between the two groups of the union. It would, therefore, in the fitness of things that the element of compulsion should be removed from the Bill. It will be much better if a sort of convention is developed according to which the university authorities, teachers and students get together periodically and discuss their problems.

This can however, not be the final solution, we will have to look into the root cause of the problem.

It is regretted that the recommendations made by verious Education Commissions appointed by the Government in the past have not been implemented. Even to-day, we have the same educational system which was introduced by the Britishers 20 years ago. The result is that to-day we find that our students are aimless wanderers. We should have a definite purpose in view for which education is being imparted to them. So long as a new turn is not given to our educational system, we will not be able to solve the problem of students' unrest and indiscipline on a permanent footing. Radical steps should, therefore, be taken to bring about necessary changes in our educational system so that it cater to the needs of the country.

Since the bill is being circulated to elicit public opinion thereon and since it is obvious that eminent educationists will participate in it and will give their views for and against the provisions, I support the motion for circulation of the Bill.

Shri Onkar Lal Bohra (Chittorgarh) : The subject under discussion is an important one because it relates to the younger generation of our country.

Unfortunately, our present economic and social situation is that our young people have to remain unemployed for quite sometime after completing their education and this is the main cause of the unrest among them. Secondly, the way in which certain political parties and their leaders have been functioning during the last 20 years has influeneed our students to behave like this. Now, they find themselves unable to do anything. There is, therefore, great need of instilling in the minds of our young generation faith in the future of the country. If we succeed in this, I am quite sure, that with their constructive, cooperation we will be able to build a new India. It is for us to give them a new lead and if a proper lead is given, it is beyond doubt that they will discharge their duties towards the country very ably and with full responsibility. The time has now come when our university teachers, vice-chancellors and university authorities should change their way of thinking keeping in view the problems in the educational field and the aspirations of our young people. They should make their attitude more liberal in order to adjust with the present trends.

It is beyond doubt that students' participation in the day-to-day administration of colleges and universities and their association with enforcement of discipline and handling of their minor problems, will help in restoring academic atmosphere in our educational institutions. It is, however, not desirable that they should have any voice in the matter of appointing university teachers and vice-chancellors.

It is not the students alone who are responsible for this present plight. Our Professors, vice-chancellors and other big leaders are also responsible for this state of affairs. The way in which we function here in this House and the way in which we are running the democracy, it has a direct influence on the conduct of our young people. We should, therefore, set a good example before the students so that they become more useful citizens and play a useful role in the affairs of the country.

To-day we find that nepotism and corrupt practices are being indulged in our universities and this is also responsible for the unrest among the students. There are shortcomings in our teaching staff also. We should not condemn students for the lack of discipline and unrest among them. We should adopt a more liberal attitude towards their problems and solve them by taking them into confidence. If this is done, I am sure that we will be *able to* restore discipline among them and our universities will be in a position to play a *better* role in the building of the country.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : First of all, I would like to thank my dear friend, Shri Madhu Limaye for bringing forward this Bill at a time when the country has already started to look into the problem of students' indiscipline. The Bill is really, most timely.

I am glad that to-day Dr. Rao, who is not only a great economist but also an eminent educationist, is the Minister-in-charge of education. I am also glad that Dr. Triguna Sen is also present here who was able to restore peace and calm in the Banaras Hindu University and other universities. It is, however, regretted that the Ministers of Education are changed very frequently. When Shri Chagla became the Minister of Education, we were glad that he would do something in the educational field. But he quitted. Then Dr. Triguna Sen became the Minister, we were glad that at least an educationist had been appointed as a Minister of education. It is good that after the recent reshuffle Dr. Rao has taken ove the charge of this portfolio. But it is doubtful whether he remains there for quite sometime. I would, therefore, like to request the Prime Minister to see that at least Dr. Rao is allowed to function as the Minister of education for quite sometime.

It is wrong to say that students should not take part in politics and they should be kept aloof from politics. I think, it is a very dangerous slogan which we are now giving to our country. Our youngmen of to-day are our leaders of tomorrow and if they will remain cut-off from the politics, how will they be able to provide new leadership to the country ? Political awareness will disappear from our youngmen which will be a very dangerous phenomenon.

The main cause of students' indiscipline is that they do not get employment after completing their education; whether they are graduates or post-graduates. They find their future uncertain and bleak and this results in frustration among them. So long as the problem of unemployment is not solved, we will not be able to enforce any discipline among them.

The feeling of competition has already disappeared, because the students know that even if they get first or second class, they will not be able to get employment unless they have a strong approach.

I am quite sure that if the students are given the right to form unions or associations, students' unions will prove to be greatly helpful to us in solving the problem of students' indiscipline. These will encourage discipline and fellow-feeling among the students. Such unions do exist in foreign countries also and they are very helpful to the students even in the matter of providing employment to them. Association of students in the management of universities, will foster better understanding among the teachers and students. Through them we will be able to fight regionalism, communalism and to bring about national integration because the students of different communities will come together, sit together and run those unions. This will definitely foster fellow-feeling among them.

I hope that this Bill will be passed when it is received back after circulation.

Shri Bhola Nath Master (Alwar) : Students' unions are already functioning practically in almost all the educational institutions of our country. There is, however, need to give them statutory sanction so that they are run properly and in a responsible manner.

Students, unons are also functioning in Middle schools and High schools and as such they should also be brought under the perview of this Bill.

Although full-fledged parliamentary form of Government, are functioning practically in almost all the educational institutions, yet something more still needs to be done by way of associating students in the day-to-day management of the educational institutions. Certain jobs of responsible nature such as purchasing of books for libraries and maintenance of accounts should be entrusted to them.

It has been seen that students have been playing an important role in shaping the political set up in different countries. Students are responsible for what has recently happened in Pakistan. It were the students who brought about revolution in Egypt. We would have not been able to achieve independence if our students had not taken part in the quit India movement of 1942. We have to train our students in such a way that they become good leaders and are able to discharge their duties towards their country very ably and with full responsibility later on. If they received good training in the functioning of unions, they would prove useful as members of Panchayats, Zila Parishads, State Assemblies and Parliament later on.

In view of all this, the Bill should be circulated to elicit public opinion thereon.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the chair.]

श्री इरास्मो डी० सेक्वीरा (मारमागोआ) : मैं श्री मधु लिमये के इस प्रस्ताव का तो समर्थन करता हूँ कि राय जानने के लिए विधेयक को पचिालित किया जाये परन्तु विधेयक का उसके खण्ड 6 को छोड़ कर विरोध करता हूँ क्योंकि मेरे विचार में, यदि छात्रों को विश्वविद्यालयों के प्रबन्ध में भागीदार बनाना भी है तो इसमें अनिवार्यता का अंश नहीं होना चाहिये। यह सब स्वेच्छा से होना चाहिये। इसकी व्यवस्था शिक्षक वर्ग की ओर से की जानी चाहिये और इसे विधेयक द्वारा उन पर लागू नहीं किया जाना चाहिये। आज हम देखते हैं कि देश में शिक्षा ग्रहण करने का कोई स्पष्ट ध्येय नहीं है। इसके अतिरिक्त शिक्षकों तथा छात्रों के बीच कोई सम्पर्क नही है, सरकार ने इस ओर ध्यान देने का कोई यत्न ही नहीं किया है।

छात्र संघों का सांविधिक तौर पर गठन करना अवांछनीय है क्योंकि छात्रों की माँग प्रबन्ध में भागीदार होने तथा मुख्यतः आत्मनिर्णय का अधिकार पाने की है। मैं इस बात का समर्थन नहीं करता हूँ कि अनुशासन लादने की जिम्मेवारी छात्र संघों पर छोड़ी जाये। इसको भी स्वीकार नहीं किया जा सकता कि धन का विनियोजन करने के लिए कोई नियम बनाये जाँय। मेरे विचार में छात्र अपने कार्य की स्वयं देखभाल कर सकते हैं। फिर भी मैं विधेयक को परिचालित करने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ क्योंकि इससे शिक्षकों पर दबाव पड़ेगा कि वे पीढ़ियों, विशेषकर विद्यार्थियों तथा शिक्षकों, के बीच जो खलाव उत्पन्न हो गया है उसे दूर करें।

Shri Tulshidas Jadhav (Baramati) : From the statement of objects and reasons of the Central Universities (Participation by Students) Bill it can be observed that there is need for such a measure. Because the present conditions of education are totally different from those which prevailed at the time when we used to study. The students of to-day have so many grievances which are not being looked into. The teachers of to-day have to depend on private tutions to supplement their earnings because the salary they get at present is inadquate. In short neither the teachers are sincere to teach nor the students are sineere to learn. As a result the contact between teachers and students is not there and the gap between their out-looks is widening day by day. No heed is being paid towards the day to

day difficulties of students with the result that the total effect of all these things is that there is wide-spread unrest among the students.

The time has come when same responsibility should be given to students so that they are in a position to see themselves whether the view they hold are practicable or not. The days of pressure and force are over now, and we have no option but to give them some responsibility because it is through persuasion that we can bring them home.

Shri George Fernandes (Bombay South) : Only last month nearly 25 lakh youngmen took their examinations. About 20 lakh youngmen appeared in the Matriculation examinations and the rest in College and University examinations. The fate of these youngmen will be decided in June, when their results will be announced. Some of them will be declared successful and the others unsuccessful. But what will be the future of those who pass their examinations ? They will be compelled to roam from door to door on the roads in search of employment. According to the estimates of the Planning Commission itself the present number of employment is one and a half to two crores and it will be four crores next year. So I want to know from the Government what has been done to provide employment to these youngmen ?

It has been said by the hon. Members belonging to Swantantra and Congress parties that students should not take part in politics. According to them politics is a dirty game. I fail to understand when politics is a good game for all the hon. Members, who have been elected to this House, how the politics is a dirty game for those youngmen on whom depends the future of the country. The matter that students should not take part in politics has not only been raised in this House alone but it has often been raised outside also. For instance Shri P. B. Gajendargadkar, the ex-Chief Justice of the Supreme Court and the present Vice-Chancellor of Bombay University has expressed the same feeling. But I may bring this fact before the House that imprecedented undesirable incidents had been in Bombay during the Vice-Chancellorship of Shri Gajendargadkar, though lakhs of rupees have been spent for giving surmons to the students so I want to make it clear that it is impossible to get the co-operation of the students. So far as they are deprived of taking part in politics.

If Shri Madhu Limaye's Bill is circulated for eliciting public opinion thereon, then it will give an opportunity to the country at large to discuss the provisions contained in that Bill. But at the same time I would appeal to the Government to apply their mind to the provisions of the Bill and reach at some conclusions. I agree that the Education Minister, Dr. Trigun Sen is a well wisher and friend of the students. He loves them and his heart beats for their betterment. But I want to give an example as to how the problems of the students are being solved. Last year unemployed engineers came here in large numbers and they met the Education Minister. The Education Minister assured them to solve the problem of their unemployment and the result was that 30 per cent seats in the Engineering Colleges were reduced. It is a very unique way of solving the problems of the students.

If Shri Madhu Limaye's Bill is accepted, Unions will be constituted in educational institutions. So far as the future of those Students' Unions is concerned, I wish that the Students' Unions proposed in the Bill should consider the ways and means through which the students could make their future and the future of the country. The Unions should function in a way that the students realise their responsibility and think above their own future and that of the country.

A strange argument has been put forward by Shri Kanwar Lal Gupta. He says if elections are held for the Unions, there will be rioting and manhandling. I want to know

whether all these things do not take place in general elections? Does it mean that we should say good-bye to democracy ?

I would request the Government to support this Bill whole-heartedly.

Shri Shinkre (Panjim) : Mr. Deputy Speaker, Sir, many hon. Members had supported this Bill which others opposed. I fully support this Bill and wish that it should be immediatly Passed. As the hon. Mover of the Bill, Shri Madhu Limaye himself here moved it the bill should be circulated for eliciting the opinion thereon. I have no option but to say that the bill be circulated for eliciting public opinion thereon, otherwise I want that the bill he passed without any delay.

Sir, may I point out that the circumstances all over the country have undergone radical changes and the students' problems have, assumed larger dimensions The ancient days of mutual understanding, love and respect between the teacher and the students are over and a stort of gap has appeared in their place which is widening day by day. In the circumstances it has become necessary to solve the students' problems as soon as possible.

My hon. friend Shri Patodia have opposed the article providing for compulsory membership, I say it is a good article. To day we have developed an attitude of indifference and the attitude has created defeatist mentality which is the root cause of all the recent happenings in the conntry· Now the time has come when we can no longer afford to be silent spectators. I hope that Shri Madhu Limaye's Bill after being circulated will come again before this House and will be passed. The Unions which have been provided in the Bill will be able to give proper guidence to students and thereby they will become more disciplined.

श्री रा० धो० भण्डारे (बम्बई मध्य) : मैं इस विधेयक के सिद्धान्त तथा इस प्रस्ताव का कि इसे जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाये, का समर्थन करता हूँ।

छात्र-असंतोष केवल अविकसित देशों तक ही सीमित नहीं है, अपितु संसार भर में व्याप्त है। यह सच है कि शिक्षित वर्ग में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी होने के कारण हमारे समाज में अशान्ति फैल गई है। यह भी सच है कि शिक्षा का विस्तार होने से इस समस्या को हल करना सरकार के लिये संभव नहीं होगा। इसलिये यह एक गम्भीर समस्या है।

अविकसित देशों में शिक्षित बेरोजगारी के अतिरिक्त समृद्ध समाजों में भी अशान्ति व्याप्त है। इसके क्या कारण हैं? इसका कारण यह है कि संसार भर के छात्र तथा युवक-पीढ़ी बड़ों की बात सुनने को तैयार नहीं है। वे प्रतिष्ठानों के विरुद्ध विद्रोह कर रहे हैं। संसार में केवल चीन ही एक ऐसा देश है जहाँ प्रतिष्ठापन नहीं है, क्योंकि माओ के विचार प्रतिष्ठापनों के विरुद्ध हैं। सांस्कृतिक आन्दोलन के नाम पर वहाँ प्रतिष्ठापनों का सफाया किया जा रहा है। इसीलिए वहाँ युवक-पीढ़ी में विद्रोह नहीं है तथा इसके विपरीत युवक-पीढ़ी ही सांस्कृतिक आन्दोलन को चला रही है। इसका यह अर्थ नहीं है कि चीन में जो कुछ हो रहा है। उसका समर्थन कर रहा हूँ। मैं तो केवल तथ्यों का उल्लेख कर रहा हूँ। मेरा कहने का अर्थ यह है कि अब समय ऐसा आ गया है जब कि युवा-पीढ़ी बड़ों की बातें सुनने को तैयार नहीं है। यह रोग विश्वव्यापी बन गया है।

अत. मैं समझता हूँ कि इस रोग को दूर करने के लिये छात्रों में भावना यह पैदा की जानी चाहिए कि विश्वविद्यालयों के संचालन सहित राष्ट्र का निर्माण करने की हर कार्यवाही में वे भागेदार रहें। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि ऐसा करने पर ही असंतोष

की भावना दूर की जा सकती है। इस बात को देखते हुए में इस विधेयक का तथा इस प्रस्ताव का कि इसे जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाय, समर्थन करता हूँ।

Shri Om Prakash Tyagi (Moradabad) : Sir, I support the spirit behind the bill, which is really commendable. But I have serious doubts whether the objectives enunciated in this Bill would be achieved by this Bill.

The main reason of the present unrest among the students is our wrong system of education. I do not think that the lack of unions is mainly responsible for the present unrest among the students but I am of the view that our education do not provide any guidance for the advancement of the students and no emphasis is laid on their physical, mental and moral development and that is the main reason of the present unrest among the students. I do not think that it will be possible to solve this problem by forming unions, unless the whole attention of the students is concentrated on thier education only. Unless the inner powers of the students are developed they are likely to fall prey to all sorts of things. If we intend to solve the problem of students, unrest, we must revive our ancient system oj education. In the good old days there were Gurkuls and the students used to live with their Guru. The Guru highly his respected and the Guru loved his students like his own children. Unless that relationship is revived, it will not be possible to solve the problem of students. unrest The provision relating to the unions in this Bill run against that spirit. But that does not mean that there should be no unions of the students or they should not take part in politics. It will be sucidial if the students are kept ignorant of politics. For it is they upon whom depends the future our country. The students should have wide knowledge. In fact what is required is that the students should master the principles of different political ideologies and the unions should provide them an opportunity to have a sort of practical knowledge of political ideologies. But so far as active politics is concerned, the unions should have no connection with it.

1 support this Bill.

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर वी० राव) : सर्वप्रथम इस विधेयक को पुर: स्थापित करने के लिए मैं अपने माननीय मित्र श्री मधु लिमये को बधाई देता हूँ। मुझे हर्ष है कि इस विधेयक में माननीय सदस्यों ने अत्यधिक रुचि दिखाई है।

[**श्री गाडिलिंगन गौड पीठासीन हुए**
Shri Gadilingana Gowd in the Chair]

इसमें कोई सन्देह नहीं कि छात्रों में व्याप्त असंतोष तथा निराशा की भावना है और उनके भविष्य के बारे में हर व्यक्ति चिन्तित है। यह किसी राजनीतिक दल अथवा साम्प्रदाय का प्रश्न नहीं है, परन्तु यह एक ऐसा प्रश्न है जिसे हल करने के लिये हम सब प्रयत्न कर रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी समस्या है तथा इस समस्या के सब पहलुओं का उल्लेख करके मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता तथाति मैं कुछ प्रमुख पहलुओं का उल्लेख करूँगा।

चर्चा में भाग लेने वाले लगभग सभी माननीय सदस्यों ने बेरोजगारी का उल्लेख किया है और कहा है कि छात्र-असंतोष का एक प्रमुख कारण बेरोजगारी है। नवयुवक जब स्कूलों तथा कालेजों से निकलते हैं, तो उन्हें रोजगार नहीं मिलता और उन्हें काम दिलाऊ दफ्तरों में अपने नाम दर्ज कराने पड़ते हैं तथा उनमें से बहुत से यह महसूस करते हैं कि रोजगार देने का काम निष्पक्ष ढंग से नहीं किया जाता तथा इस बारे में वही पुराने तरीके अपनाये जा रहे हैं । जहाँ तक बेरोजगारी का सम्बन्ध है, मैं कहना चाहता हूँ कि शिक्षा मंत्री के नाते मैं सम्भवत: इस प्रश्न को

लह नहीं कर सकता हूं, परन्तु इस समस्या को बढ़ने से रोकने के लिये मैं कुछ न कुछ अवश्य कर सकता हूँ और उसके लिये मुझे सभी राजनीतिक दलों के सहयोग की आवश्यकता है।

मेरे माननीय मित्र श्री मधु लिमये ने अपने भाषण में कहा है कि स्कूलों और कालेजों में प्रवेश पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये और जो व्यक्ति भी प्रवेश के लिये आवेदन-पत्र देता है उसे प्रवेश जरूर मिलना चाहिये। इस कथन के साथ-साथ उनका आशय यह भी है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रवेश मिले, उसे पास किया जाये तथा रोजगार दिया जाये। क्या यह सब बातें व्यावहारिक तथा सम्भव हैं? क्या इस प्रकार की योजना बनाई जा सकती है जिसके अनुसार जो छात्र स्कूलों और कालेजों से निकलेगा, उसे रोजगार दिया जा सके? यदि माननीय सदस्य मेरी स्थिति में होते तो क्या वह कोई ऐसी योजना बना सकते थे? मैं समझता हूँ कि किसी के लिए भी कोई ऐसी योजना बनाना संभव नहीं था। इसलिये जल्दी या देर से देश को इस समस्या का सामना करना है कि हम उच्च शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश को किस प्रकार विनयमित कर सकते हैं। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिये कि उच्च शिक्षा संस्था में प्रवेश पाने वाले प्रत्येक छात्र पर राजकीय कोष से 400 अथवा 500 अथवा 600 रुपए प्रतिवर्ष खर्च किए जाते हैं और यह धन कर-दाता का धन है अथवा दूसरे शब्दों में जनता का धन होता है। यह कोई लाभप्रद उद्योग नहीं है, तथा कर-दाता शिक्षा के अधिक कर-भार उठाने को तैयार नहीं है। अतः यह संभव नहीं है कि जो कोई प्रवेश के लिये आवेदनपत्र दे, उसे दाखिला दिया जा सके। मैं हर समय इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों से बातचीत करने को तैयार हूँ। हम इस सम्बन्ध में एक गोष्ठी का आयोजन भी कर सकते हैं और इस समस्या के विभिन्न पहलुओं पर विचार कर सकते हैं। परन्तु यह एक ऐसी समस्या है जिसका राजनैतिक लाभ नहीं उठाया जाना चाहिये।

अधिक रोजगार उपलब्ध करने के लिए अधिक पूंजी लगाने की जरूरत होती है। प्रतिवर्ष लगभग 40 अथवा 50 लाख श्रमिक क्षेत्र में आ रहे हैं। मैट्रिक पास अथवा उससे अधिक शिक्षित श्रमिकों की संख्या भी बहुत ज्यादा है और सरकार के लिए उन सबके लिये रोजगार ढूंढ़ना संभव नहीं है। यदि आप कृषि को छोड़ कर तथा उन व्यक्तियों को छोड़ कर जिन्होंने अपना व्यवसाय आरम्भ किया है तथा जिनकी संख्या की पुष्टि नहीं की जा सकती, उन अन्य व्यक्तियों को देखें तो आपको पता लगेगा कि सरकार ने गत 10 वर्षों में काफी व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया है। परन्तु अकेले सरकार के लिये बेरोजगारी की समस्या को हल करना संभव नहीं है। यह समस्या तो तभी हल की जा सकती है यदि हम 5 से 6 प्रतिशत की दर से तेजी से आर्थिक विकास लायें और बचत तथा निवेश की दर 8 से 12 प्रतिशत तक करें। इसमें अधिक ऊँची दर से निवेश करने की जरूरत है। हम विदेशी सहायता पर भी निर्भर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि कब तक हम दूसरों से माँगते रहेंगे। इसके अतिरिक्त विदेशी सहायता प्राप्त करना भी कठिन हो गया है। अतः हमें अपने संसाधनों से ही इस समस्या को हल करना होगा। परन्तु कठिनाई यह है कि जब हम संसाधनों को बढ़ाने के लिये कदम उठाते हैं, उस समय सभी राजनीतिक दलों का समर्थन हमें प्राप्त नहीं होता है। यदि हम अपनी नई पीढ़ी के भविष्य के लिए गम्भीर रूप से विचार करते हैं, तो हमें संसाधनों के बढ़ाने के ढंग पर भी गम्भीर रूप से बिचार करना होगा।

शिक्षा मंत्रालय से सम्बन्धित एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है और वह यह है कि शिक्षा का स्वरूप ऐसा नहीं होना चाहिये जिससे बेरोजगारी बढ़े। कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि हमने ब्रिटिश प्रणाली को अपनाया हुआ है और उसमें थोड़ा भी परिवर्तन नहीं किया गया है। उनका कहना है कि इसमें आमूल परिवर्तन किया जाना चाहिये। इसमें कोई सन्देह नहीं, कि जो प्रणाली हमें प्राप्त हुई है उसका उद्देश्य लिपिक वर्ग तैयार करना था तथा उसका उद्देश्य पहल और उद्यम को उन्नत करने का नहीं था। इसलिये हम एक ऐसी शिक्षा प्रणाली चाहते हैं, जो उद्यम, स्वयं नियोजन और तकनीकी और व्यवसायिक कुशलता पर अधिकाधिक जोर दे। हम इस बात को पूर्णतया स्वीकार करते हैं। हमारी अनेक समितियाँ और आयोग हैं। सभी सिद्धान्त और नीतियाँ विदित हैं। परन्तु कठिनाई केवल उन्हें क्रियान्वित करने की है।

दिल्ली के मामले को लीजिये। यहाँ इस मामले में कुछ गर्मागर्मी आरम्भ हो गई है। परन्तु यह दिल्ली प्रशासन की जिम्मेदारी है और हमारा इससे कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है।

श्री कंवर लाल गुप्त: जी नहीं, यह आपकी जिम्मेदारी है।

डा० वी० के० आर० वी० राव: यदि माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में अपने दल के नेता से बातचीत करें तो अधिक अच्छा रहेगा। हमसे कहा गया है कि शिक्षा को एक हस्तान्तरित विषय समझा जाना चाहिये और केन्द्र को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। हमसे यह भी कहा गया है कि दिल्ली महानगर परिषद् के साथ अन्य राज्य सरकारों जैसा व्यवहार किया जाना चाहिये। एक ओर आप कहते हैं कि हस्तक्षेप न किया जाये और दूसरी ओर आप जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हैं। यह कैसे संभव है?

श्री कंवर लाल गुप्त: यदि प्रवेश के इच्छुक सभी छात्रों को कालेजों तथा विश्वविद्यालय में दाखिला नहीं दिया गया तो इसके गम्भीर परिणाम होंगे। सरकार को जन-आन्दोलन का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिये।

डा० वी० के० आर० वी० राव: मैं अपने माननीय मित्र श्री कंवर लाल गुप्त को बताना चाहता हूँ कि मैं धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ।

रोजगार के प्रश्न के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि अनेक समितियों ने हमें बताया है कि हमें स्कूल छोड़ने वाले छात्रों के लिये एक इस प्रकार की संस्था स्थापित करनी चाहिये, जो उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करे तथा जो उन्हें केवल साहित्यिक शिक्षा देने के अतिरिक्त रोजगार-प्रधान शिक्षा भी दे। अब हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या इस प्रकार की एक परियोगात्मक परियोजना स्थापित करना हमारे लिये संभव है? हम दिल्ली में एक इस प्रकार की संस्था स्थापित करके जो इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करेगी जिससे रोजगार की क्षमता कम होने की बजाय बढ़ेगी, यह परीक्षण करना चाहते हैं और यदि यह परीक्षण उपयोगी और सफल सिद्ध हुआ तो उसे अन्य स्थानों पर भी लागू किया जायेगा। हो सकता है कि कुछ हद तक इससे शिक्षित बेरोजगारी की समस्या हल हो जाये।

बेरोजगारी को कम करने के बारे में अन्त में मैं यह कहना चहता हूँ कि इसके लिये यह जरूरी है कि सरकारी भर्ती के लिये अर्हताओं में कमी की जाये। इस समय जिस कार्य को एक

मैट्रिक पास छात्र कर सकता है उसके लिये बी० ए० अथवा एम० ए० पास छात्र भर्ती किए जाते हैं। इसलिये भर्ती के लिये अर्हता-कार्य की जरूरत के अनुसार कम की जानी चाहिये।

जहाँ तक विधेयक का सम्बन्ध है, मुझे प्रसन्नता है कि श्री मधु लिमये ने इसका प्रारूप तैयार करने में बहुत सतर्कता और सूझबूझ का परिचय दिया है। परन्तु इस समय मैं यह कहने की स्थिति में नहीं हूँ कि मैं इसे सिद्धान्त रूप में स्वीकार करता हूँ क्योंकि मुझे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा उपकुलपतियों तथा अन्य व्यक्तियों की सलाह लेनी है। तथापि व्यक्तिगत रूप से मैं यह कह सकता हूँ कि खण्ड (6) को छोड़ कर शेष विधेयक में कोई महत्व की बात नहीं है ।

छात्रों तथा राजनीति के बारे में बहुत कुछ कहा गया है और यह कहा गया है कि इससे छात्रों में राजनीति प्रवेश कर जायेगी । स्पष्ट शब्दों में मैं यह कहना चाहता हूँ कि मेरे लिये यह समझना कठिन है कि हम छात्रों को राजनीति से कैसे दूर करें ? ये कालेजों तथा छात्रों पर निर्भर है । परन्तु फिर भी हमें यह देखना होगा कि राजनीति से छात्रों के जीवन पर इस ढंग से बुरा प्रभाव न पड़े कि उनमें अनुशासनहीनता आये अथवा उनकी अध्ययन-रुचि कम हो । हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि उन्हें आन्दोलनात्मक कार्यों के लिये एक हथियार न बनाया जाये ।

मैं समझता हूँ कि छात्र-संघ बनने मात्र से ही छात्रों में राजनीति प्रवेश नहीं करेगी । छात्र-संघ बनने से निर्वाचन जरूर होंगे, परन्तु राजनीति तो जब ही प्रवेश करेगी जब कि निर्वाचन जन संघ अथवा काँग्रेस आदि राजनीति दलों के आधार पर होंगे। हमें इस प्रश्न पर विचार करना है ।

इसके बाद हमको इस प्रश्न पर भी विचार करना है कि क्या संसद् विश्वविद्यालय की गति-विधि के एक विशेष पहलू के लिये कानून बना सकती है, जबकि ये सब विश्वविद्यालय स्वयं अपनी संविधि द्वारा शासित होते हैं। श्री मधु लिमये ने अपने को केवल केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तक, जिनकी संख्या चार या पाँच है, सीमित रखा है .....

श्री मधु लिमये : अन्य विश्वविद्यालयों के बारे में एक और विधेयक है, जिस पर सभा में विचार होना है।

डा० वी० के० आर० वी० राव : लेकिन देश में 70 दूसरे विश्वविद्यालय भी हैं। इसलिये एक संवैधानिक प्रश्न यह उत्पन्न होगा कि हम वास्तव में इन विश्वविद्यालयों में हस्तक्षेप कर सकते हैं अथवा नहीं।

श्री मधु लिमये ने अपने विधेयक में जो तीन प्रश्न उठाये हैं उन पर अर्थात् संघों की अनिवार्य सदस्यता, छात्र-संघों की शक्तियाँ और कर्त्तव्य तथा विश्वविद्यालय न्यायालयों, शिक्षा परिषद् तथा विश्वविद्यालय की अन्य निकायों में छात्रों का प्रतिनिधित्व, इन पर सार्वजनिक वाद-विवाद होना चाहिये। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने श्री मधु लिमये से अनुरोध किया था कि इस विधेयक को जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाये । उन्होंने मेरा अनुरोध स्वीकार कर लिया है। जिस प्रकार धर्म निरपेक्षता, समाजवाद तथा राष्ट्रीय एकता सर्व-सम्बन्धित विषय

हैं, इसी प्रकार यह भी सर्वसम्बन्धित विषय है तथा इस बारे में व्यापक आधार पर विचार-विमर्श किया जाना चाहिये। इस विषय को समस्त राष्ट्र के समक्ष रखा जाना चाहिये तथा समूचे राष्ट्र के मत की जानकारी प्राप्त की जानी चाहिये। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि जनमत जानने की तारीख 1 अक्तूबर, 1969 की बजाय 2 मार्च, 1970 होनी चाहिये ताकि विधेयक सभी विश्वविद्यालयों के पास जाये और इस विषय पर राष्ट्रीय स्तर पर वाद-विवाद हो सके।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I agree that the Bill does not deal with all aspects of students' problem. This Bill deals only one aspect and that is the strength of the students should be channelised for constructive works. I do not subscribe to the view that our younger generation *i. e* students are worthless. But on the contarary I am of the opinion that our younger generation is more intelligent than our own generation. The hon. Minister said that the Bill deals with only five Universities whereas there are many more Universities in our country. In this connection I want to say that I have presented another Bill which seeks to amend the University Grants Commission Act and which deals with other Universities. If this hon. House agrees that Bill may also be circulated along with this Bill though this has not been said in the motion before the House.

To-day I have presented another Bill which intends to give the right of vote to all youngmen and women who are 18 years of age. I do not agree that politics is a bad thing. I intend to give this right to the students so that they may be able to participals in politics because I do not think that politics is something which should be kept away from students. After all our efforts to reform education, solve unemployment problem and achieve economic progress are all part of politics. Our older generation has failed to achieve the desired results in these fields and the younger generation. that is students, are suffering for that. Since our present generation has failed to tackle these problems properly, let our youngmen come in the field of politics who can change the entire set up and also solve the problem of unemployment which had assumed a dangerous size. Why our youngmen should suffer for our inefficiency ?

It has been said that restrictions should be imposed on the admissions of students in Universities in order to solve the complaints of students. I am vehemently opposed to it. I know a medical college where admission is given after giving 15 to 20 thousand rupees. I want to know from the hon. Minister as to what is the relation between money and admission ? To-day only those people who have money and can afford to give it can get admission in medical colleges. This class distinction must go. The Harijans, the Adivasis and other backward people have a feeling that their social status can improve only if they can get admission in colleges. Therefore, instead of restricting admission to colleges what we should do is to open more morning and evening classes, correspondence courses and peoples' Universities.

So far as the primary education is concerned it is provided in our Constitution that there should be free and compulsory education for all children between the age group of 5 to 14. Bt it is very sad that even in a city like Calcutta there is no arrangement for this. Now, will the Minister say that due to lack of funds it has not been provided? It is a first pre-requisite and it should be provided even at the cost of cutting down the salaries of the Ministers and high officers.

I am happy that the the hon. Minister has generally accepted this Bill. Now it will be circulated for eliciting public opinion thereon and there will be nation-wide debate over it. I also agree with the amendment to extend the date of eliciting opinion on it forwarded by the Minister, because I am not in much hurry. But it is not possible for me to agree with the suggestion made by some hon. Members that this matter should be left to the

Universities because there are some people in that field whose ideas are very out-dated and who cannot be expected to do something good.

So far as the question of students' participation there cannot be two opinions about it that students must be given full participation in the matters, concerning students' welfare their health, food, hostels, sports and reading, room etc. We also want that students should be consulted in regard to their courses, examination system and methods of teaching.

Next comes the question of appointments and promotion of teachers. I want that in this regard also the views of the students should be ascertained, although the final decision cannot be left to them.

Now, next comes the question of medium of instructions. So far as this question is concerned, it is necessary that students should be imparted education in their mother tongue. I have a personal knowledge of a girl who was a classfellow of my son and who always used to get first class, could not maintain her tradition, because she opted for English medium. The English medium schools are doing a great harm to a large number of studens in our country.

I am happy that the hon. Minister has welcomed this Bill. I agree to the amendment suggested by him that the date of eliciting opinion should be extended. But at the same time I request that the Bill seeking to amend the University Grants Commission Act should also be circulated to the Universities.

सभापति महोदय: अब मैं डा० राव का संशोधन सभा में मतदान के लिये रखता हूँ। प्रश्न यह है कि 21 मार्च, 1969 को श्री मधु लिमये द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव में कि छात्र संघ गठित करने और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के निकायों में उनके प्रतिनिधित्व के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर राय जानने के लिये इसे 1 अक्तूबर 1968 तक परिचालित किया जाये, 1 अक्तूबर, 1968 (Ist October, 1968) के स्थान पर 2 मार्च, 1970 (2nd March, 1970) पढ़िये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

सभापति महोदय: अब मैं संशोधित रूप में श्री मधु लिमये का प्रस्ताव सभा में मतदान के लिये रखता हूँ।

प्रश्न यह है:—

"कि छात्र संघ गठित करने और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के निकायों में उनके प्रतिनिधित्व के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर राय जानने के लिये इसे 2 मार्च, 1970 तक परिचालित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

उच्चतम न्यायालय के अपीलीय (आपराधिक) क्षेत्राधिकार का विस्तार विधेयक

ENLARGEMENT OF APPELLATE (CRIMINAL) JURISDICTION OF SUPREME COURT BILL

श्री आ० ना० मुल्ला (लखनऊ): मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि आपराधिक मामलों के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में विस्तार करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

मुझे आशा है कि इस विधेयक को सभा के सब दलों का समर्थन प्राप्त होगा, क्योंकि यह विधेयक आपराधिक मुकदमा चलाये जाने पर उस व्यक्ति के मौलिक मानवीय अधिकारों के संरक्षण के लिये लाया गया है।

सभापति महोदय : अब विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा चुका है। माननीय सदस्य अगली बार गैर-सरकारी सदस्यों के दिवस को अपना भाषण जारी रख सकते है। अब सभा सोमवार को 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

इसके पश्चात लोक-सभा सोमवार, 6 अप्रैल, 1969 15 चैत्र, 1891 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday 6th April, 1969/15 Chaitra 1891 (Saka).

Printed by Job Printers, 119, Swami Vivekanand Marg, Allahabad.